रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-73

REGISTERED NO D-(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 20, 1976 (कार्तिक 29, 1898)

No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 20, 1976 (KARTIKA 29, 1898)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग III—खण्ड 4

PART III—SECTION 4

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies

कार्यालय प्रबन्धक विभाग

सूचना

नई दिल्ली, दिनांक 10 नवम्बर, 1976

सं० ओ० एम० डी०/8663—

(1) श्री एन० पी० थरेजा, स्टाफ अधिकारी श्रेणी-III के स्थान पर श्री एस० एल० सिक्का स्टाफ अधिकारी ने 10 जून, 1974 के प्रारम्भ से प्रबन्धक क्षेत्रीय लेखन सामग्री विभाग का कार्यभार सम्भाला ।

(2) श्री यू० आर० सोनी, स्टाफ अधिकारी श्रेणी I के स्थान पर श्री टी० डी० चावला, स्टाफ अधिकारी, श्रेणी 1 ने 13 अक्तूबर, 1975 के प्रारम्भ से मुख्य सतर्कता अधिकारी का कार्यभार सम्भाला ।

(3) श्री ए० के० भट्टाचार्य स्टाफ अधिकारी श्रेणी I के स्थान पर श्री बी० एल० चड्ढा स्टाफ अधिकारी श्रेणी I ने 19 अक्तूबर, 1976 (प्रारम्भ) से क्षेत्रीय प्रबन्धक क्षेत्र V का कार्यभार संभाला ।

के० एस० टी० पानी
महाप्रबन्धक योजना

भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान

नई दिल्ली, दिनांक 10 अक्तूबर, 1976

सं० 8 सी० ए० (1)/13/76-77:—चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 10 (1) खंड (तीन) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किये प्रेक्टिस प्रमाण-पत्र उनके नामों के आगे दी गई तिथि से रद्द कर दिये गये हैं क्योंकि वे अपने प्रेक्टिस प्रमाण-पत्रों को रखने के इच्छुक नहीं :

क्रम सं०	सं० सं०	नाम व पता	तिथि
1	2	3	4
1.	11859	श्री एस० बी० जोशी, ए०-सी० ए०, 12, पुष्पा मंगल बिल्डिंग, 1631, सदाशिव पेथ, पूनना-411030	1-7-1976
2.	15153	श्री पी० एन० शाह, ए० सी० ए०, केयर सी० एस० शाह "श्रीयश" लाम्बा पाडास पोल, रायपुर दरवाजा अहमदाबाद ।	1-7-1976
3.	16060	श्री बी० के० राये, ए० सी०-ए० केयर बानगासरी, स्टेशन रोड, सोदीपुर, 24 परगनास ।	1-7-1976
4.	16069	श्री ए० के० त्रिवेद्री, ए० सी० ए०, असिस्टैन्ट अकूण्टस आफीसर, अकुन्टस डिपार्टमेंट टेलको, जमशेदपुर-831010 ।	1-7-1976

1	2	3	4
5.	16231	श्री एस० लक्ष्मीनारयणन ए० सी० ए० केयर इन्टरनेशनल बूक हाउस प्राइवेट लिमिटेड, इण्डियन मरकनटाईल मेन्सन, (एल्सटेन्सन) माडामी कामा रोड, बम्बई-39	1-7-1976
6.	17317	श्री एस० एम० मेत्रा ए० सी० ए०, 6, देशबन्धु रोड, बघाजे-टिन पी० ओ० गरिया, जि० 24 परगनास (वेस्ट बंगाल)	1-7-1976
7.	17469	श्री एस० सी० गुप्ता ए० सी० ए० 417, लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्ली-110023	1-7-1976
8.	50012	श्री कैन्हया सिंह ए० सी० 7, शम्भू चेटरजी स्ट्रीट कलकत्ता-700007	15-10-1976 28-2-1976

नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्तूबर, 1976

सं० 4 सी० ए० (1)/22/76-77:—चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा 1 (ख) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से निम्नलिखित सदस्यों की अपनी प्रार्थना पर प्रत्येक के आगे दी गई तिथियों से हटा दिया है :—

क्र० सं०	सं० सं०	नाम एवं पता	तिथि
1.	601	श्री ए० वी० देश पांडे, 96, पारीजात, मेरीन ड्राईव बम्बई। 400003	3-6-1976
2.	6882	श्री के० सिकारामाकृष्णन क्षी शंकर एण्ड को० 22, सक्करना-मलूघाट अग्राहाम, सेलाम-1	13-10-1976

पी० एस० गोपालाकृष्णन, सचिव

गुजरात प्रादेशिक कार्यालय

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अहमदाबाद, दिनांक 2 नवम्बर, 1976

सं० जी०/ ए० डी० एम०/228 (कोन्स्टी)/76:—अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) 1950, विनियम 10 (अ) के अन्तर्गत इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक जी० /ए० डी० एम० /228 (कोन्स्टी) / 74 दिनांक 26-6-1974 से पुनर्गठित की गई स्थानीय समिति केम्बे का निम्नांकित सदस्यों की नियुक्ति के साथ दिनांक 2 नवम्बर, 1976 से पुनर्गठन किया जाता है।

1. उप-जिलाधीश, पेटलाद।	अध्यक्ष ।
2. शासकीय श्रम अधिकारी, नडीयाद।	गुजरात सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि ।
3. शासकीय तबीब अधिकारी कामदार राज्य बीमा योजना, डी०-1, पेटलाद	निदेशक, तबीबी सेवाएं/ कामदार राज्य बीमा योजना अहमदाबाद-14 द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि ।
4. श्री ईरधुपंयी, कार्य व्यवस्थापक, राज प्रकाश स्पीनिंग मिल्स लि०, केम्बे।	नियोक्ता, के प्रतिनिधि
5. श्री विपक नान्वे, कार्य व्यवस्थापक, पुनिलाल फाउन्ड्री एण्ड इंजीनियरिंग कं०, कन्सारी रोड, केम्बे।	,, ,,
6. श्री परमानन्द सोमालाल शाह मंत्री, टैक्सटाईल लेबर यूनियन, स्टेशन रोड, केम्बे।	श्रमिक प्रतिनिधि ।
7. श्री बाबुराव रामराव नहाटे, मंत्री, केम्ब टेक्सटाईल मजदूर यूनियन, शासक कांग्रेस, रुबी हाउस, स्टेशन रोड, केम्बे।	,, ,,
8. व्यवस्थापक, स्थानीय कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम केम्बे।	मंत्री ।

क्र०/ जी०/ ए० डी० एम०/233(कोन्स्टी) /76 :—अधिसूचित किया जाता है कि कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) नियमन, 1950, विनियम 10 (अ) के अन्तर्गत इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक जी०/ए० डी० एम०/233 (कोन्स्टी)/76 दिनांक 14-12-1973 से पुनर्गठन की गई स्थानीय समिति मोरबी का निम्नांकित सदस्यों की नियुक्ति के साथ दिनांक 2 नवम्बर, 1976 से पुनर्गठन किया जाता है।

1. उप-जिलाधश, मोरबी।	अध्यक्ष
2. शासकीय श्रम अधिकारी, राजकोट।	गुजरात सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि ।
3. बीमा तबीब अधिकारी, कामदार राज्य बीमा योजना, डी०-1, मोरबी।	निदेशक, तबीबी सेवाएं, दार राज्य बीमा योजना, अहमदाबाद-14 द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि ।
4. श्री एन० बी० वोरा, फैक्टरी मैनेजर, अरुणोदय मिल्स लिमिटेड, पोस्ट बाक्स नं० 40 मोरबी।	नियोक्ता के प्रतिनिधि ।
5. श्री एस० एल० हारदिकर कर्नाटक अधिकारी, श्री परंशुराम पोर्टरी वर्क्स कं० लि० मोरबी-2	
6. श्री जगजीवन त्रिभोवन व्यास (मोरबी टक्सटाईल वर्क्स यूनियन के प्रतिनिधि), कमरा नं० 3, गुजरात हाउसिंग बोर्ड कोलोनी, मोरबी।	श्रमिक प्रतिनिधि ।
7. श्री मादवजी भाई एम० पटेल द्वारा मजूर महाजन संघ अध्वास मझील, मोरबी।	
8. व्यवस्थापक, स्थानीय कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम मोरबी।	मंत्री ।

आज्ञा से

एस० सहाय

प्रादेशिक निदेशक एवं मंत्री, गुजरात प्रादेशिक मण्डल, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अहमदाबाद-14

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

28वीं वार्षिक रिपोर्ट

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून, 1976

सूचना

सूचना दी जाती है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अंशधारियों (शेयरहोल्डरों) को अट्ठाईसवीं वार्षिक साधारण सभा, बृहस्पतिवार, दिनांक 23 सितम्बर, 1976 को सायंकाल 4.00 बजे (मानक समय) होटल इम्पोरियल, जनपथ, नई दिल्ली में होगी, जिसमें निम्नलिखित विषयों पर कार्यवाही की जायेगी :—

(1) 30 जून, 1976 को समाप्त हुए वर्ष का निगम का तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि लेखा, वर्ष के दौरान निगम के कार्य के सम्बन्ध में बोर्ड की रिपोर्ट और उक्त तुलन-पत्र और लेखों के सम्बन्ध में लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट का वाचन तथा उस पर विचार।

(2) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) में उल्लिखित पार्टियों, अर्थात अनुसूचित बैंकों बीमा कम्पनियों, अनवेशन्यासों और ऐसे ही अन्य वित्तीय सस्थानों तथा सहकारी बैंकों द्वारा मैसर्स हरिभक्ति एण्ड कम्पनी, सनदी लेखापाल, बम्बई के स्थान पर कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का पहला) की धारा 226 के अन्तर्गत कम्पनियों के लेखा परीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए विधिवत् अर्हता प्राप्त एक लेखा परीक्षक को औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 34 के अन्तर्गत चुनना। मैसर्स हरिभक्ति एण्ड कम्पनी इस वर्ष के अन्त में कार्य-निवृत्त हुए हैं, पर वे फिर से चुने जा सकते हैं।

आर० वी० माथुर
महाप्रबन्धक

दिनांक 2 जुलाई, 1976

संचालक बोर्ड

बलदेव पसरीचा
अध्यक्ष
आर० वी० रमन
एम० के० वेंकटाचलम
केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित
सी० एस० वेंकटराव
विष्णु बनर्जी
सी० टी० दास
प्रो० डी० टी० लक्कड़ वाला
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामित
ए० बी० मजुमदार
बी० के० बोरा

अनुसूचित बैंकों का प्रतिनिधित्व करने के लिये निर्वाचित
आर० एम० मेहता
बी० सी० रणदेरिया

बीमा कम्पनियों, निवेश न्यासों और ऐसे ही अन्य वित्तीय संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने के लिये निर्वाचित
शामराव कदम
जसभाई यू० पटेल

सरकारी बैंकों का प्रतिनिधित्व करने के लिये निर्वाचित
बैंकर्स
भारतीय रिजर्व बैंक

लेखा परीक्षक
मैं० ए० एफ० फर्गूसन एण्ड कम्पनी

सनदी लेखापाल
मैं० हरिभक्ति एण्ड कम्पनी

सनदी लेखापाल
रसायन प्रक्रिया और समवर्गीय उद्योग
बलदेव पसरीचा, अध्यक्ष
आर० एम० मेहता
बी० के० बोरा
एस० पी० वर्मा
एन० सी० कृष्णामूर्ति
पी० जयन्था राव
के० सी० शर्मा
सी० जे० दादाचान्जी
आर० बी० रमानी
जयन्त जे० मेहता
डी० एम० त्रिवेदी
ए० सोधारमैया

इंजीनियरिंग
बलदेव पसरीचा, अध्यक्ष
विष्णु बनर्जी
सी० टी० दास
डी० टी० लक्कड वाला

एस० के० सिन्हा
हरि भूषण
एन० के० मित्रा
एस० आर० टाटा
प्राणलाल पटेल
पी० आर० देशपांडे
वी० डी० पंड्या
डी० एस० मुल्ला
एन० टी० गोपाला आयगर
के० वी० राव

वस्त्र

बलदेव पसरीचा, अध्यक्ष
विष्णु बनर्जी
आर० एम० मेहता
शामराव कदम
ए० दास
के० आई० नरसिम्हन
एम० एस० गिल
प्रफुल्ल अनुभाई
एस० ए० खेर
टी० एन० शर्मा
एन० एस० शर्मा
आई० वी० दत्त
सलाहकारी
समितियां

चीनी

बलदेव पसरीचा, अध्यक्ष
शामराव कदम
जसभाई यू० पटेल
एस० वी० सम्पथ
एम० एस० गिल
डी० श्रीधरन
ए० दास
एन० ए० रमैय्या
पी० एस० राजगोपाल नायडू
एस० एन० गुडूराव
एम० लक्ष्मीकान्तम
किशन सिंह

होटल

बलवेस पसरीचा, अध्यक्ष
सी० टी० दास
बी० के० वोरा
वी० एस० गिडवानी
एम० एस० सेठी
मि० थंगम ई० फिलिप
नारी एच० दस्तूर
जे० टी० सतारावाला
पेसी एम० शा
दुलीप सी० मथई
अजीत केरकर

पटसन

बलदेव पसरीचा, अध्यक्ष
विष्णु बनर्जी
एस० एन० चक्रवर्ती
के० रामानुजम्
एस० एन० अग्रवाल
गौतम उकिल
एस० पी० सेन गुप्ता
गौरीलाल मेहता
एल० एम० रोय

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की रूपरेखा

निगमन और प्रयोजन

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना भारतीय संसद के अधिनियम के अन्तर्गत 1948 में हुई। इसका उद्देश्य भारत में औद्योगिक संस्थाओं को मध्यम और दीर्घ-कालीन वित्तीय सहायता उपलब्ध करना है।

पूंजी

इस समय इसकी प्रदत्त पूंजी (पेडअप कैपीटल) 20.00 करोड़ रुपये है, जिसका 50 प्रतिशत रुपया अनुसूचित बैंकों, हे सहकारी बैंकों, बीमा संस्थाओं और निवेश-न्यासों आदि के द्वारा लगाया गया है।

प्रबन्ध

संचालक बोर्ड में एक पूर्णकालिक (होल टाइम) अध्यक्ष और बारह संचालक हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से परामर्श करके केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। दो संचालक केन्द्रीय सरकार तथा चार संचालक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामित किये जाते हैं। छः संचालक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से भिन्न अंश-धारियों द्वारा चुने जाते हैं।

कार्य और उधार नीतियां :

भारत में पूंजीकृत ऐसी कोई भी लिमिटेड कम्पनी या सहकारी समिति, जो माल के निर्माण, परिरक्षण या अभि-संस्कार (प्रोसेसिंग) में अथवा नौपरिवहन, खनन या होटल उद्योग में अथवा बिजली या अन्य किसी प्रकार की शक्ति के जनन या वितरण में लगी हुई हो या लगने का विचार करती है निगम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं भी जो पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां हैं, गैर सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाओं के समान ही सहायता प्राप्त कर सकती हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा अधि-सूचित कम विकसित राज्यों/केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में औद्यो-गिक परियोजनाएं लगाने के लिये वित्तीय सहातया रियायती

दर पर उपलब्ध हैं। यह सहायता विभिन्न रूपों में हो सकती है जैसे रुपये और विदेशी मुद्रा का दीर्घकालीन ऋण, जारी किए गये साधारण (इक्विटी) और अधिमान शेयरों या डिबेंचरों की हामीदारी (अंडर राइटिंग), साधारण, अधिमान और डिबेंचर पूंजी का अभिदान, विदेशों से आयात की गई या भारत में खरीदी गई मशीनरी के लिये आस्थगित अदायगी (डेफर्ड पेमेन्ट) गारंटी और विदेशी वित्तीय संस्थानों से विदेशी मुद्रा के रूप में लिए गए ऋणों की गारंटी। निगम के द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता का उद्देश्य नई औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करना और वर्तमान परियोजनाओं का नवीकरण, आधुनिकीकरण, विस्तार या विशाखन (डाइवर्सिफिकेशन) करना है।

निधियों के स्रोत

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को निधियों के मुख्य स्रोत इसकी अपनी पूंजी, संचित आय, दिये गये ऋणों की वापसी (रिपेमेंट) और निवेशों की बिक्री के अतिरिक्त बांड जारी करके बाजार से रुपया उधार लेना और केन्द्रीय सरकार से ऋण लेना एवं विदेशी ऋण हैं।

कार्यों का संक्षिप्त विवरण

(रुपये, करोड़ों में)

	1975-76			1948-76		
	मंजूरियां		संवितरित रकम	मंजूर की गई रकम	संवितरित रकम	30 जून, 75 को बकाया रकम
	संख्या	रकम				
ऋण						
रुपया	93	45.85	38.58	396.41	350.64	218.06
विदेशी मुद्रा	20	3.83	2.99	61.45	51.67	26.51
जोड़	113	49.68	41.57	457.86	402.41	244.57
हामीदारियां						
साधारण शेयर . . .	40	3.16	1.34	21.90	10.88	8.20
अधिमान शेयर . . .	6	0.43	0.12	9.70	7.27	4.90
डिबेंचर	—	—	—	10.13	8.55	3.47
जोड़	46	3.59	1.46	41.73	26.70	16.57
प्रत्यक्ष अभिदान						
साधारण शेयर . . .	4	0.26	0.87	3.37	2.09	3.32*
अधिमान शेयर . . .	2	0.07	0.07	0.32	0.30	0.82*
डिबेंचर	1	1.00	—	2.82	1.82	0.17
जोड़	7	1.33	0.94	6.51	4.21	4.31
गारन्टियां						
आस्थिगित अदायगियों के लिये . .	—	—	—	28.87	28.76	2.40
विदेशी ऋणों के लिये . . .	—	—	—	23.83	23.33	3.10
जोड़	—	—	—	52.70	52.09	5.50
कुल जोड़ . . .	166@	54.60	43.97	558.80	485.41	270.95

* इसमें 5 संस्थाओं के 0.87 करोड़ रुपय के बकाया ऋणों का भाग (अतिदेय ब्याज आदि) सम्मिलित है जिन्हें शेयरों में बदला गया, तथा दो संस्थाओं के 0.16 करोड़ रुपये के संपरिवर्तनीय डिबेंचर सम्मिलित हैं, जिन्हें साधारण शेयरों में बदल दिया गया और नौ संख्याओं के 0.84 करोड़ रुपये की बकाया ऋण राशि भी शामिल है, जिसमें ऋण मंजूर करते समय संपरिवर्तन के अधिकार से सम्बन्धित शर्तें लगाई गई थी।

* ये मंजूरियां 107 संख्याओं को मंजूर की गई।

सहायता का प्रसार

30 जून, 1976 को

मंजूर राशि (करोड़ रुपये)	परियोजनाओं की संख्या	उद्योग	राज्य-/क्षेत्र	मंजूर राशि (करोड़ रुपये)	परियोजनाओं की संख्या
		चीनी :	आन्ध्र प्रदेश	37.78	57
106.39	105	सहकारिताएं	असम	11.01	10
15.18	26	अन्य	बिहार	26.83	33
			गुजरात	37.31	58
121.57			हरियाणा	22.29	46
		रसायनों :	हिमाचल प्रदेश	1.19	5
32.47	14	उर्वरक	जम्मू और कश्मीर	0.40	1
31.49	33	मूल रसायन	कर्नाटक	40.32	67
22.25	26	कृत्रिम रेशे तथा रेसिन्ज	केरल	18.59	25
7.34	26	अन्य रसायन	मध्य प्रदेश	13.34	20
			महाराष्ट्र	114.68	161
93.55			मेघालय	2.84	2
		वस्त्र :	नागालैण्ड	0.50	1
62.18	121	सूती	उड़ीसा	13.75	17
7.46	14	पटसन	पंजाब	11.78	20
69.64			राजस्थान	21.71	19
			तमिलनाडु	72.40	81
39.9	58	लोहा तथा इस्पात	उत्तर प्रदेश	57·98	74
33.53	38	कागज	पश्चिम बंगाल	44.62	84
30.40	12	अलौह धातुएं	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.11	1
27.35	61	मशीनरी	दिल्ली	4.42	5
26.60	28	सीमेन्ट	गोआ	4.35	6
23.62	19	रबर उत्पाद	पांडिचेरी	0.60	1
20.97	38	परिवहन उपस्कर			
18.49	45	बिजली मशीनरी तथा उपस्कर			
12.66	34	धातु उत्पाद			
9.67	21	होटल			
31.66	75	अन्य			
558.80	794	जोड़	जोड़	558.80	794

वित्तीय सार

30 जून 1976 को	करोड़ रुपये	अमेरिकन डालर समकक्ष*
पूंजी तथा रिजर्व अधिकृत पूंजी .	20.00	26.67
प्रदत्त पूंजी . .	10.00	13.33
रिजर्व . . .	24.16	32.21
प्रदत्त पूंजी और रिजर्व .	34.16	45.54
उधार		
बांड . . .	146.44	195.25
विदेशी वित्तीय संस्थानों से .	21.97	29.29
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से	5.00	6.67
सरकार से के० एफ० डब्ल्यू० ऋणों के ब्याज से अन्तरजन्य निधियों के अधीन .	0.90	1.20
अन्य ऋण . . .	55.64	74.19
कुल उधार . . .	229.95	306.60
आय 1975-76		
सकल आय . .	19.58	26.11
कराधान से पहले सकल लाभ .	4.18	5.57
कराधान के लिये व्यवस्था .	1.48	1.97
निवल लाभ . .	2.70	3.60
अधिलाभांश . .	0.60	0.80

*रुपयों का सम्परिवर्तन 7.50 रु० प्रति डालर की दर से किया गया ।

वर्ष की समीक्षा

संचालक बोर्ड, जून 30, 1976 को समाप्त हुए वर्ष के लिये परीक्षित लेखा विवरण के साथ निगम के कार्य संचालन के बारे में अपनी अट्ठाईसवीं रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

2. वर्ष के दौरान देश की अर्थ-व्यवस्था में प्रत्याशा की झलक दिखाई दी । उत्पादन में समग्र रूप से सुधार हुआ, विशेष कर अर्थ-व्यवस्था के आधारभूत क्षेत्रों में जैसे कृषि, उद्योग तथा बिजली कीमतों में गिरावट आई तथा औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार हुआ। वर्ष के दौरान सरकार द्वारा एक तरफ तो आर्थिक अनुशासन पैदा करने के लिये तथा मुद्रास्फीति की ताकतों का प्रतिरोध करने के लिये तथा दूसरी तरफ से निर्यात वृद्धि करने के लिये दृढ़ कदमों ने देश के समग्र वातावरण को विकास की दिशा में बदल दिया है। जोकि अब उत्पादन की त्वरित गति के लिये बहुत साधक है। योजना निवेशों में उल्लेखनीय वृद्धि करने के लिये भारतीय अर्थ-व्यवस्था तैयार है। अदृश्य घटनाओं, को छोड़ कर आशा की जा सकती है कि कृषि तथा उद्योग की विकास दर संतोषजनक रहेगी। जुलाई, 1975 में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आर्थिक कार्यक्रम ने अर्थ-व्यवस्था को उद्देश्यपूर्ण दिशा प्रदान की है और सामाजिक न्याय के साथ प्रगति के लिए रूप रेखा दी है। कुछ उद्योगों, विशेषकर सूती वस्त्र, पटसन, आटोमोबाइल तथा टिकाऊ उपभोक्ता पदार्थों का स्वास्थ्य आंशिक रूप से नियंत्रण से बाहर कारणों से चिंता का विषय रहा है लेकिन शीघ्र ही इन उद्योगों का स्वास्थ्य सामान्य हो जायेगा। आशा की जाती है कि अर्थ-व्यवस्था के नये परिमाप में ढलने और सरकार द्वारा स्थिति को सुधारने के लिये किए गए विभिन्न उपायों को देखते हुए इसी बात को ध्यान में रखकर निगम सहित देश के विकास बैंकों के पिछले साल के कार्यों का मूल्यांकन करना होगा।

वर्ष के दौरान कार्यों की समीक्षा

3. वर्ष के दौरान निगम ने 54.84 करोड़ रुपये की सकल वित्तीय सहायता मंजूर की तथा रद्द की गई 0.24 करोड़ रुपये की मंजूरियों का गणन करने के बाद निवल वित्तीय सहायता की राशि 54.60 करोड़ रुपये है जो 116 परियोजनाओं को दी गई जोकि पिछले वर्ष की 36.86 करोड़ रुपये की कुल मंजूरियों की तुलना में 48.1 प्रतिशत है। पिछले वर्ष जिन परियोजनाओं की सहायता का अनुमोदन किया गया था उनकी पूंजीगत लागत 486.66 करोड़ रुपये थी और इस वर्ष सहायता मंजूर की गई परियोजनाओं की पूंजीगत लागत 609.45 करोड़ रुपये है ।

4. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान संवितरित वित्तीय सहायता पिछले वर्ष के 37.42 करोड़ रुपये की तुलना में 43.97 करोड़ रुपये थी जोकि पिछले साल से 17.5 प्रतिशत अधिक रही । उल्लेखनीय बात यह कि 1948 में निगम की स्थापना से लेकर वर्ष के दौरान सबसे अधिक मंजूरियां की गई तथा संवितरण हुआ।

5. वर्ष के दौरान जिन 116 परियोजनाओं को सहायता मंजूर की गई उनमें से 54 परियोजनाएं अधिसूचित कम विकसित जिलों में स्थित थीं। इन परियोजनाओं को 26.22 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई जोकि कुल मंजूर सहायता का 48.0 प्रतिशत है।

6. वर्ष के दौरान विभिन्न उद्योगों की परियोजनाओं को दी गई सहायता का ब्यौरा वित्तपोषित परियोजनाओं के संक्षिप्त विवरण सहित परिशिष्ट 'क' में दिया गया है ।

प्राथमिकता उद्योगों को सहायता

7. वर्ष के दौरान, उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता उद्योगों की परियोजनाओं जैसे, चीनी, वस्त्र, सीमेंट, और कागज को 27.78 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई, जोकि कुल मंजूरियों का 50.9 प्रतिशत है।

इसके अतिरिक्त मूल, चरम और सामरिक महत्व के उद्योगों की कुल मंजूरियों का 27.9 प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ। यह पांचवीं योजना की पहुंच के संदर्भ, अर्थात् भविष्य में राष्ट्रीय व्यवस्था के लिये महत्वपूर्ण मूल, उद्योग, इन मूल उद्योगों से

प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखने वाले उद्योग, दीर्घकालीन निर्यात क्षमता वाले उद्योग, जिनका उल्लेख भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा औद्योगिक नीति : सरकारी निर्णयों पर जारी की गई 2 फरवरी, 1973 की अधिसूचना में किया गया है । उपरोक्त दोनों प्रकार के राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों को कुल मंजूरियों का लगभग 79 प्रतिशत भाग मिला । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता के उद्योगों और मूल, चरम तथा सामरिक महत्व के उद्योगों की परियोजनाओं को मंजूर की गई वित्तीय सहायता एवं संवितरित वित्तीय सहायता का वितरण नीचे सारणी में दिखाया गया है ।

सारणी-1

उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता और मूल, चरम तथा सामरिक महत्व के उद्योगों की मंजूर तथा संवितरित सहायता 1975-76

(रुपये, लाखों में)

उद्योग	मंजूरियां					संवितरण
	परियोजनाओं की संख्या	कुल मंजूरियों का प्रतिशत	ऋण	हामीदारी/ प्रत्यक्ष अभिदान	जोड़	
1. उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता उद्योग						
चीनी	16	23.3	1257.50	16.34	1273.84	1181.30
सुती वस्त्र	15	11.2	605.64	5.00	610.64	564.83
सीमेंट	4	10.1	550.00	—	550.00	142.00
कागज	8	6.3	309.00	34.50	343.50	189.08
उर्वरक	—	—	—	—	—	65.00
उप-जोड़ I	43	50.9	2722.14	55.84	2777.98	2142.21
II. मूल चरम तथा सामरिक महत्व के उद्योग						
फेरो अलायज	1	0.4	21.25	—	21.25	39.02
इस्पात की ढलवा वस्तुएं	3	3.3	70.00	110.00	180.00	—
विशेष इस्पात	2	2.0	110.00	—	110.00	288.28
वायलर	—	—	—	—	—	75.00
आन्तरिक कम्बूशन इंजन	—	—	—	—	—	5.00
बिजली यंत्र	4	2.9	131.76	26.00	157.76	67.67
वाणिज्यिक वाहन	—	—	—	—	—	50.00
औद्योगिक मशीनरी	6	2.6	122.49	20.00	142.49	70.43
रसायन (उर्वरकों को छोड़कर)	12	7.6	358.92	56.50	415.42	569.13
दवाइयां और औषध	1	3.2	155.00	17.34	172.34	—
आटोमोबाइल टायर और ट्यूब	3	5.3	230.00	60.00	290.00	241.48
कांच की चादर	1	0.6	30.00	5.00	35.00	5.00
मृत्तिका शिल्प	—	—	—	—	—	40.69
कृषि मशीनरी	—	—	—	—	—	58.31
उप-जोड़ II	33	27.9	1229.42	294.84	1524.26	1510.01
III. अन्य उद्योग	40	21.2	1016.44	141.79	1158.23	745.07
जोड़	116	100.0	4968.00	492.47	5460.47	4397.29

निगम की वित्तीयय सहातय का सबसे अधिक लाभ चीनी उद्योग को प्राप्त हुआ। इस उद्योग की 16 परियोजनाओं को 12.74 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई जो निवल मंजूर सहायता का 23.3 प्रतिशत थी। इन परियोजनाओं में से 12 सहकारी क्षेत्र की थी। इसके अतिरिक्त 8 परियोजनाएं अधि-सूचित कम विकसित जिलों में स्थित थीं। सहायता की जाने वाली परियोजनाओं में से आसाम औद्योगिक विकास निगम लि० द्वारा प्रवर्तित कच्छार सुगर मिल्स लि० के द्वारा लगाई जा रही है।

यह परियोजना के अनुसार 1250 टन दैनिक गन्ना देने की विस्थापित क्षमता वाली चीनी फैक्टरी लगाई जायेगी और यह असम के एक अधिसूचित कम विकसित जिले कछार में लगाई जा रही है।

सूती वस्त्र उद्योग की 15 परियोजनाओं को 6.11 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई वित्त पोषित परियोजनाओं में से 6 नई परियोजनाएं थीं, 4 विस्तार परियोजनायें थी तथा 4 परियोजनाओं को उनकी आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए अतिरिक्त सहायता मंजूर की गई। एक परियोजना को अति व्यय को पूरा करने के लिये अतिरिक्त सहायता मंजूर की गई।

निगम ने सीमेंट उद्योग में 4 परियोजनाओं को 5.50 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की। मेघालय के एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम मामलू चेरा सीमेंट्स लिमिटेड, जिसे निगम ने पहले भी सहायता प्रदान की थी, को उसकी विस्तार परि-योजना की क्षमता 83,000 टन से 2,83,000 टन प्रति वर्ष बढ़ाने के लिये और सहायता मंजूर की गई। यह परियोजना मेघालय के खासी हिल्स, जिले, जो एक कम विकसित जिला है, में स्थित है। एक दूसरे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, अर्थात् दि उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेंट कारपोरेशन लि० को इसकी विस्तार योजना जिसमें इसे नई स्पिलिट लोकोटेड सीमेंट परियोजना की 2 इकाइयों में 16.80 लाख टन प्रति वर्ष की क्षमता से पोर्टलेंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीममेन्ट का उत्पादन करने के लिये सहायता मंजूर की गई। यह परियोजना बोकारो स्टील प्लान्ट के मिश्रित लावे का उपयोग करेगी और आशा है कि इससे प्रति टन सीमेन्ट के लिये कम पूंजी निवेश करना पड़ेगा।

कागज उद्योग की 4 नई परियोजनाओं सहित 8 परि-योजनाओं की 3.44 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई। ये नई परियोजनाएं कृषि घास फूंस जैसे अपरम्परागत कच्चे माल का उपयोग करेंगी। निगम द्वारा पहले से ही वित्तपोषित एक संस्था को परियोजना लागत के अति-व्यय को पूरा करने के लिये अतिरिक्त सहायता मंजूर की गई और एक दूसरी वित्त पोषित संस्था के बारे में पुर्नस्थापना योजना के रूप में सहायता का अनुमोदन किया गया। एक विस्तार योजना को भी सहायता मंजूर की गई।

सहायता का क्षेत्रवार वर्गीकरण

8. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, पिछले वर्ष की 18 परि-योजनाओं की तुलना में सरकारी तथा संयुक्त क्षेत्र की 32 परि-योजनाओं को सहायता प्रदान की गई। इन क्षेत्रों को मंजूर की गई सहायता भी पिछले वर्ष की 20.4 प्रतिशत की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कुल मंजूरियां 36.6 प्रतिशत थी।

नीचे सारणी 2 में वर्ष के दौरान मंजूर की गई वित्तीय सहायता का क्षेत्रवार वर्गीकरण दिया गया है।

सारणी-2

क्षेत्रवार मंजूर सहायता 197-76

(रुपये, करोड़ों में)

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर की गई निवल सहायता	कुल का प्रतिशत
सहकारी क्षेत्र .	15	12.33	22.6
सरकारी क्षेत्र .	14	11.72	21.5
संयुक्त क्षेत्र .	18	8.27	15.1
निजी निगमित क्षेत्र	69	22.28	40.8
जोड़ .	116	54.60	100.0

औद्योगिक सहकारिताओं को सहायता

9. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सहकारी क्षेत्र की 7 अधि-सूचित कम विकसित जिलों की परियोजनाओं सहित, 15 परि-योजनाओं को 12.33 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई। इस प्रकार निगम द्वारा मंजूर की गई कुल रूपया ऋण सहायता का 26.9 प्रतिशत भाग 12 चीनी तथा 3 वस्त्र सहकारिताओं को मिला। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सहकारी क्षेत्र की वित्त-पोषित परियोजनाओं की संख्या तथा उनको कुल रुपया ऋण सहायता के रूप में मंजूर सहायता का भाग पिछले वर्ष की अपेक्षा अर्थात् 9 परियोजनाओं और 17.9 प्रतिशत से अधिक रहा।

वर्ष के दौरान वित्तपोषित सहकारी क्षेत्र की चीनी परियोजनाओं में से 9 चीनी के नये कारखाने थे जिनकी गन्ना पेरने की दैनिक क्षमता 1250 टन थी। उनमें से चार उत्तर प्रदेश, दो-दो प्रत्येक हरियाणा तथा तमिलनाडु में और एक आन्ध्र प्रदेश में लगाई जा रही है। दो सहकारिताओं को उनकी विस्तार योजनाओं के लिये सहायता मंजूर की गई। प्रबारा सहकारी शक्कर कार-खाना लिमिटेड को उसकी परियोजना का विस्तार करके गन्ना पेलने की क्षमता को 2,500 टन से 3,500 टन दैनिक बढ़ाने के लिये सहायता मंजूर की गई। एक अन्य वित्तपोषित संस्था अर्थात् श्री दूधगंगा वेदगंगा एस० एस० के० लि० को 1750 टन से 3,000 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता बढ़ाने के लिये सहायता मंजूर की गई। एक अन्य सहकारिता को स्रोतो तथा परियोजना लागत के वित्त पोषण के मध्य अन्तराल को पूरा करने के लिये भी अतिरिक्त सहायता मंजूर की गई।

वर्ष के दौरान तीन वित्त पोषित वस्त्र सहकारिताओं में से दो नई परियोजनाएं थीं तथा तीसरी एक विस्तार परियोजना। इच्छलकरंजी कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि०, महाराष्ट्र तथा हरियाणा स्टेट कोआपरेटिव सप्लाइड एण्ड मार्केटिंग फेडरेशन लि० प्रत्येक को 25,080 तकुओं की विस्थापित क्षमता से परियोजनाएं लगाने के लिये सहायता मंजूर की गई। योतमल जिला सहकारी सूत व वपाड गिरनी लि० जोकि महाराष्ट्र के कम विकसित जिले में स्थित है को उसकी विस्तार योजना में 13200 अतिरिक्त तकुएं लगाकर उसके कुल तकुयें 24972 करने के लिए सहायता मंजूर की गई।

सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं :

10. वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र की 14 परियोजनाओं को 11.72 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई। इनमें से नौ नई परियोजनाएं थीं तथा चार परियोजनाओं की उनकी विस्तार योजनाओं के लिये सहायता दी गई। एक परियोजना को परियोजना लागत के अति-व्यय के भाग को पूरा करने के लिए ऋण मंजूर किया गया।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम दि यू० पी० स्टेट स्पिनिंग मिल्स कं० लि० को रायबरेली, फैजाबाद तथा आजमगढ़ जिलों में सूत कताई मिल लगाने के लिए सहायता मंजूर की गई। ये तीनों जिले औद्योगिक रूप से अधिसूचित कम विकसित जिले हैं।

एक अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अर्थात् अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लि० को पूरी तरह जलाई हुई मैग्नेसाइट का उत्पादन करने के लिए वित्तीय सहायता मंजूर की गई। मूल मृत्तिका शिल्पें बनाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण धातु है, जिनकी जरूरत इस्पात धातु तथा रसायन उद्योगों को पड़ती है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के अधिसूचित कम विकसित जिले अल्मोड़ा में लगाई जा रही है।

असम सरकार के स्वामित्व की कम्पनी असम गैस कं० लि० को निगम ने इसकी संकलित परियोजना के लिए वित्तीय सहायता मंजूर की। इस योजना का लक्ष्य असम के विभिन्न केन्द्रों को गैस पहुंचाने के लिए पाइप लाइनें बिछाना और प्राकृतिक गैस के स्थानान्तरण के लिए विविध सुविधाएं उपलब्ध कराना है। यह परियोजना उर्वरकों के उत्पादन तथा बिजली जनन के लिए प्राकृतिक गैस का सदुपयोग करने में मदद करेगी। यह चाय बागानों को भी प्राकृतिक गैस उपलब्ध करायेगी।

विश्वेस्वर्या आयरन एण्ड स्टील लि० को इसकी विस्तार और विशाखन योजना के लिए प्रतिवर्ष 5350 टन पूर्ण गढ़े हुए उत्पाद और 2900 टन उप-उत्पाद करने के लिए एक नई गढ़ाई शाप लगाने हेतु सहायता मंजूर की। इस परियोजना आयात प्रतिस्थापना पर जोर देगी और इससे विदेशी मुद्रा में काफी बचत होगी।

वर्ष के दौरान निगम द्वारा हिमाचल प्रदेश धातु और औद्योगिक विकास निगम लि० द्वारा प्रवर्तित दो कम्पनियों को सहायता मंजूर की गई। उनमें से एक हिमाचल वर्सटेड मिल्स लिमिटेड 2,400 तकुओं की विस्थापित क्षमता से वर्सटेड धागे का निर्माण करेगी। अन्य कम्पनी, हिमाचल वूल प्रोसेसर्ज लि० गलीचों, कम्बलों और ट्वीड़ धागे के निर्माण करने के लिए 2800 तकुओं की विस्थापित क्षमता वाला ऊन कताई मिल लगायेगी। दोनों परियोजनाएं अधिसूचित कम विकसित जिले सोलन में लगाई जायेगी।

संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाएं

11. पिछले वर्ष की 14 परियोजनाओं की तुलना में वर्ष के दौरान निगम ने संयुक्त क्षेत्र की 18 परियोजनाओं को सहायता मंजूर की। इनमें 13 नई परियोजनाएं तथा एक विस्तार परियोजना शामिल थीं। परियोजना लागत के अति-व्यय को पूरा करने के लिए पहले से वित्त-पोषिती की गई 4 परियोजनाओं को सहायता मंजूर की गई।

चौगुले मेटल इन्डस्ट्रीज लि० को साधारण शेयरों की हामीदारी के रूप में 18 लाख टन की वार्षिक विस्थापित क्षमता से एक लोहा-खान भराई संयंत्र लगाने के लिए वित्तीय सहायता मंजूर की गई। यह परियोजना आगोआ के एक अधिसूचित कम विकसित क्षेत्र सन कोले में लगाई जा रही है। सम्पूर्ण उत्पादन को जापान में निर्यात करने का प्रस्ताव है।

वर्ष के दौरान सहायता दी जाने वाली एक दूसरी संयुक्त क्षेत्र की परियोजना विद्युत् स्टील्स लि० थी। यह परियोजना प्रतिवर्ष 2,000 टन मैंगनीज इस्पात ढलाई वस्तुएं तथा 450 टन नि-हार्ड कास्टिंग का उत्पादन करने का विचार रखती है। उत्पादित किये जाने वाले पदार्थ सीमेंट तथा चीनी उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। परियोजना आन्ध्र प्रदेश के कम विकसित जिले मेढ़क में लगाई जा रही है।

संयुक्त क्षेत्र की परियोजना, पोलिमर्स कारपोरेशन आफ गुजरात लि० को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। यह परियोजना प्रतिवर्ष 5000 टन मैथिल मेथाक्राइलेट मानीमर, 2000 टन पोलिमेथिल मेथाक्राइनेट सीट और 1500 टन पोलिमेथिल मेथाक्राइलेट प्लेट्स का उत्पादन जापान की मितशुबिशी रेयन कम्पनी लि० के तकनीकी सहयोग से करेगी। यह इण्डियन पेट्रो-केमिकल्स कारपोरेशन लि० के एक्रीलोनिट्रिक संयंत्र की को-स्ट्रीम-हाइड्रोसलिक एसिड का उपयोग करेगी। आशा है कि यह उद्योग छोटे स्तर के उद्योगों में जैसे—औजारों के लिए विभिन्न औद्योगिक कलपुर्जे, इंजीनियरिंग उत्पाद, चश्मा उद्योग, हल्की फिटिंग का सामान आदि उद्योगों में रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

नये उद्यमकर्ता और तकनीकी

12. वर्ष के दौरान निजी निगमित क्षेत्र की 69 परियोजनाओं को सहायता मंजूर की गई जिनमें से 30 नई परियोजनायें थीं। नये उद्यमकर्ताओं तथा तकनीकियों द्वारा 17 परियोजनाओं के 5.51 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई। यह होटल, धातु उत्पादन, कागज, औद्योगिक मशीनरी तथा कलपुर्जे, कांच, विविध खाद्य उत्पाद आदि उद्योगों से सम्बन्धित हैं। एक वस्त्र परियोजना को इसकी विस्तार योजना के लिए सहायता मंजूर की गई और चार परियोजनाओं को परियोजना लागत में आये अति-व्यय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायता मंजूर की गई।

परियोजना के प्रकार के अनुसार मंजरियां

13. 1975-76 के दौरान नई परियोजनाओं को दी गई सहायता का प्रत्येक परियोजना के कुल निवेश के आकार के अनुसार वर्गीकरण सारणी 3 में दिया गया है।

सारणी 3

नई परियोजनाओं की पूंजीगत लागत की मात्रा के अनुसार वर्गीकरण—1975-76

(रु० लाखों में)

पूंजी लागत की मात्रा	वित्तपोषित नई परियोजनाओं की संख्या	कुल परियोजना लागत	मंजूर सहायता	परियोजना लागत में प्रतिशत सहायता
100 तक	7	536.85	130.24	24.3
101–300	22	4058.42	747.14	18.4
301–400	4	1438.59	235.00	16.3
401–500	9	4258.00	589.04	13.8
501–1000	14	9156.19	1325.76	14.5
1001–1500	2	2850.00	218.92	7.7
1501–2000	1	1534.00	125.00	8.1
2000 से ऊपर	4	18091.52	595.00	3.3
जोड़	63	41923.57	3966.10	9.5

जैसा कि सारणी से स्पष्ट है, वर्ष के दौरान 63 नई परियोजनाओं को सहायता दी गई जिन्हें कुल मंजूरियों का 72.6 प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ। वर्ष के दौरान सहायता दी गई 63 परियोजनाओं में से 42 मध्यम दर्जे की थीं अर्थात् जिनकी परियोजना लागत 5 करोड़ रुपये से कम थी। 33 परियोजनाओं को निवल मंजूरियों का 22.1 प्रतिशत भाग इनके विस्तार/आधुनिकीकरण/विशाखन/पुनर्स्थापन आदि के लिए दिया गया। कुल निवल सहायता का 5.3 प्रतिशत, 20 परियोजनाओं को परियोजना लागत के अति-व्यय आदि को पूरा करने के लिए दिया गया।

उद्योगवार मंजूरियां तथा संवितरण—1975-76

14. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मंजूर की गई वित्तीय सहायता तथा संवितरणों का उद्योगवार वर्गीकरण सारणी 4 में दिया गया है जो रिपोर्ट में उद्योगवार सांख्यिकी आंकड़े राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, 1970 के अनुसार दिखाये गये हैं।

सारणी 4

उद्योगवार मंजूरियां तथा संवितरण—1975-76

(रुपये लाखों में)

उद्योग	मंजूरियां					संवितरण
	परियोजनाओं की संख्या	कुल मंजूरियों का प्रतिशत	ऋण	हामीदारियां/प्रत्यक्ष अभिदान	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7
चीनी						
सहकारी क्षेत्र	12	18.8	1027.50	—	1027.50	1040.00
निगमित क्षेत्र	4	4.5	230.00	16.34	246.34	141.30
	16	23.3	1257.50	16.34	1273.84	1181.30

1	2	3	4	5	6	7
रसायन तथा रसायन उत्पाद						
मूल औद्योगिक रसायन	4	2.1	110.00	5.00	115.00	406.59
उर्वरक	—	—	—	—	—	65.00
कृत्रिम रेशे तथा रेसिन्ज	3	3.6	168.92	30.00	198.92	140.37
अन्य रसायन तथा रसायन उत्पाद	7	5.6	260.00	44.84	304.84	34.17
	14	11.3	538.92	79.84	618.76	646.13
सूती वस्त्र						
सहकारी क्षेत्र	3	3.8	206.00	—	206.00	205.00
निगमित क्षेत्र	12	7.4	399.64	5.00	404.64	359.83
	15	11.2	605.64	5.00	610.64	564.83
सीमेंट	4	10.1	550.00	—	550.00	142.00
लोहा तथा इस्पात और फैरोअलायज	10	8.8	361.82	117.50	479.32	386.87
कागज	8	6.3	309.00	34.50	343.50	189.09
रबर उत्पाद	3	5.3	230.00	60.00	290.00	247.26
परिवहन उपस्कर	6	4.3	217.95	15.00	232.95	174.77
बिजली मशीनरी तथा पुर्जे	8	3.9	179.76	33.27	213.03	122.49
मशीनरी तथा पुर्जे	7	3.2	154.70	20.00	174.70	203.74
धातु उत्पाद	5	2.7	127.92	21.41	149.33	122.63
ऊनी उत्पाद	3	2.3	109.45	17.00	126.45	—
होटल	6	1.6	86.50	3.00	89.50	111.99
विविध अधातु खनिज उत्पाद	2	1.4	73.09	5.00	78.09	120.42
कांच	2	0.9	45.00	5.00	50.00	17.50
चमड़ा उत्पाद	2	0.9	36.72	10.00	46.72	35.60
प्राकृतिक गैस का स्थानान्तरण	1	0.7	37.50	—	37.50	20.00
धातु खान खनन	1	0.7	—	35.00	35.00	10.00
लकड़ी उत्पाद	1	0.6	28.63	6.00	34.53	8.11
विविध खाद्य उत्पाद	1	0.4	18.00	5.00	23.00	15.00
नौपरिवहन	1	0.1	—	3.61	3.61	3.61
पटसन उत्पाद	—	—	—	—	—	73.96
जोड़	116	100.0	4968.00	492.47	5460.47	4397.29

वर्ष के दौरान कम विकसित क्षेत्रों को सहायता

15. नीचे की सारणी में वर्ष के दौरान निगम द्वारा अधिसूचित जिलों/क्षेत्रों की परियोजनाओं को मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता का ब्यौरा दिया गया है। वर्ष के दौरान निगम ने अधिसूचित कम विकसित 38 जिलों तथा एक केन्द्र प्रशासित क्षेत्र की 54 परियोजनाओं को सहायता मंजूर की है।

सारणी 5

अधिसूचित कम विकसित जिलों/क्षेत्रों की परियोजनाओं को वर्ष के दौरान मंजूर सहायता

(रुपये लाखों में)

राज्य/केन्द्र प्रशासित क्षेत्र का नाम	अधिसूचित कम विकसित जिलों/क्षेत्रों की संख्या		वित्तपोषित परियोजनाओं की संख्या		मंजूर की गई वित्तीय सहायता (निवल)	
	1975-76	1974-75	1975-76	1974-75	1975-76	1974-75
आन्ध्र प्रदेश	4	2	8	2	328.26	90.00
असम	2	1	2	1	159.00	30.00
बिहार	1	3	1	3	*	53.00
गुजरात	1	1	1	1	50.00	65.00
हरियाणा	2	1	2	1	165.00	50.00
हिमाचल प्रदेश . . .	3	2	4	2	85.00	34.00
जम्मू और कश्मीर . . .	1	—	1	—	40.00	—
कर्नाटक	3	4	4	9	57.84	410.60
केरल	1	4	1	6	18.84	231.52
मध्य प्रदेश	3	1	3	1	78.95	160.00
महाराष्ट्र	2	1	3	1	120.92	75.00
मेघालय	1	—	2	—	189.00	—
उड़ीसा	—	1	—	1	—	5.00
पंजाब	1	1	2	1	157.50	70.00
राजस्थान	1	3	3	4	77.36	202.50
तमिलनाडु	2	3	3	6	258.00	346.60
उत्तर प्रदेश	7	3	9	3	633.68	136.50
पश्चिमी बंगाल . . .	3	2	3	2	157.50	5.75
गोआ	1	1	2	1	45.00	30.00
जोड़ . . .	39	34	54	45	2621.85	1995.47

*सहायता असम में दिखाई गई है।

वर्ष के दौरान वित्तपोषित परियोजनाओं को आर्थिक योगदान

16. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वित्तपोषित नई, विस्तार तथा विशाखन परियोजनाओं का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को संभावित योगदान सारणी 6 में दिया गया है। इसमें परियोजनाओं की अति लागत और आधुनिकीकरण योजनाओं आदि के मामले नहीं दिखाये गये हैं।

सारणी 6

वर्ष के दौरान वित्तपोषित परियोजनाओं का आर्थिक योगदान

(रुपये, करोड़ों में)

उद्योग	परियोजनाओं की संख्या	कुल पूंजीगत लागत	पैदा किया जाने वाला प्रत्यक्ष रोजगार (संख्याएं)	उत्पादन का मूल्य	सकल मूल्य वृद्धि	वार्षिक क्षमता
1	2	3	4	5	6	7
चीनी . . .	14	78.71	7,545	52.82	12.81	2.57 लाख टन चीनी
सूती वस्त्र . .	10	31.59	5,410	28.98	7.52	1,72,760 तकुए
कागज . . .	5	32.51	1,840	19.53	7.21	46,880 टन
सीमेन्ट . . .	3	81.80	1,540	40.63	16.78	18,80,000 टन
रसायन और रसायन उत्पाद .	12	65.84	3,220	89.68	29.61	8,500 कृत्रिम रसायन, 3000 टन एसेटिक एसिड, 2800 टन रबर रसायन, 2000 टन नाइलोन टायर धागा, 27650 कृत्रिम घोलक पदार्थ आदि, 3000 टन सिटरिक एसिड, तथा 145 टन औषधियां, 2500 टन ग्रामोक्सीन (वीडि-साइड), 5050 अन्य रसायन और 30000 टन बिनौले का अभिसंस्कार।
रबर उत्पाद .	2	66.09	1,540	80.41	23.53	प्रत्येक टायर और ट्यूबें 10 लाख।
लोहा तथा इस्पात . .	7	59.47	2,460	129.17	25.64	16650 टन इस्पात और अलाय ढलवा वस्तुएं, 8250 टन इस्पात गढ़े उत्पाद, विशेष इस्पात तथा अलाय के उप-उत्पाद, 15000 टन संकलित प्रकार के सीम रहित ट्यूबें, 60000 टन ढलवा गोल नल, 13500 शीतकृत पत्तियां।
बिजली मशीनरी तथा पुर्जे	4	9.87	1,460	22.96	6.00	2320 एम० बी० ए० क्षमता के वितरण तथा बिजली ट्रांस-फार्मर्स, 400 करंट

1	2	3	4	5	6	7
						और पोटेशियल ट्रांस-फार्मर, 70000 स्टार्टर मोटरें, अल्टरनेटर/जेन-रेटर और बोल्टेज रेगुलेटर तथा 100 लाख केपीसेटर।
स्कूटर . . .	1	2.23	410	8.83	1.02	30,000 स्कूटर
अन्य उद्योग . .	27	141.13	7,554	120.88	42.83	
जोड़ . .	85	569.24	32,979	593.89	172.95	

टिप्पणी : प्रत्यक्ष रोजगार, उत्पादन मूल्य और स्थल मूल्य वृद्धि के आंकड़े सर्वोत्तम उत्पादन के वर्ष से सम्बन्धित हैं।

सारणी 7

राज्य-वार मंजूरियां तथा संवितरण

(रुपय, लाखों में)

राज्य/क्षेत्र	मंजूरियां						संवितरण
	सहकारी क्षेत्र ऋण	निगमित क्षेत्र	हामीदारियां तथा प्रत्यक्ष अभिदान	जोड़	कुल का प्रतिशत	परियोजनाओं की संख्या	
आन्ध्र प्रदेश . .	50.00	411.64	52.50	514.14	9.4	13(1)	235.92
असम . . .	—	201.50	15.00	216.50	4.00	4	126.08
बिहार . . .	—	75.00	—	75.00	1.4	2	219.67
गुजरात . . .	—	266.04	35.00	301.04	5.5	6	161.52
हरियाणा . .	280.00	149.00	25.00	454.00	8.3	8(3)	290.25
हिमाचल प्रदेश . .	—	65.50	19.50	85.00	1.6	4	5.08
जम्मू और कश्मीर . .	—	40.00	—	40.00	0.7	1	—
कर्नाटक . .	7.50	290.25	6.34	304.09	5.6	7(1)	490.28
केरल . . .	—	53.84	15.00	68.84	1.3	2	221.41
मध्य प्रदेश . .	—	139.45	15.00	154.45	2.8	5	29.48
महाराष्ट्र . .	226.00	168.24	28.61	422.85	7.7	16(4)	921.33
मेघालय . . .	—	185.00	4.00	189.00	3.5	2	125.00
उड़ीसा . . .	—	100.00	30.00	130.00	2.4	1	110.69
पंजाब . . .	—	139.45	117.50	256.95	4.7	5	59.97
राजस्थान . .	—	147.36	5.00	152.36	2.8	4	143.27
तमिलनाडु . .	225.00	302.71	17.34	545.05	10.0	8(2)	489.28
उत्तर प्रदेश . .	445.00	765.42	29.18	1239.60	22.7	18(4)	546.31
पश्चिमी बंगाल . .	—	195.57	36.50	232.07	4.2	7	196.60
दिल्ली . . .	—	28.53	6.00	34.53	0.6	1	13.65
गोआ, दमन और दीव .	—	10.00	35.00	45.00	0.8	2	11.50
जोड़ . .	1233.50	3734.50	492.47	5460.47	100.0	116(15)	4397.29

टिप्पणियां : 1. कोष्ठकों में दी गई संख्याएं सहकारी क्षेत्र की वित्तपोषित परियोजनाएं का सूचक है।

2. हामीदारियां, प्रत्यक्ष अभिदान तथा गारंटियों की संख्याएं निगमित क्षेत्र से सम्बन्धित हैं।

संचालन गतिविधियां

17. वर्ष के दौरान निगम ने अन्य दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के साथ ही निगम ने रुपया ऋणों पर ब्याज दर में संशोधन किया। निगम ने 1 दिसम्बर, 1975 से रुपया ऋणों पर वित्त-पोषित संस्थाओं से ले जाने वाली सामान्य ब्याज दर 10.25 प्रतिशत से 11.0 प्रतिशत (निवल) कर दी गई। विदेशी मुद्रा उप-ऋणों पर ली जाने वाली ब्याज दर भी 10.5 प्रतिशत से 11.0 प्रतिशत वार्षिक कर दी गई। ब्याज दरों के संशोधन हो जाने के फलस्वरूप, अधिसूचित कम विकसित जिलों/क्षेत्रों में लगाई जाने वाली औद्योगिक परियोजनाओं पर रुपया ऋणों और विदेशी मुद्रा उप-ऋणों पर ली जाने वाली ब्याज दर क्रमशः 9.5 प्रतिशत (निवल) और 10.0 प्रतिशत (निवल) होगी। पटसन उद्योग, निर्यात आधारित सूती वस्त्र मिलों और होटल उद्योग को दिये गये उदार ऋणों पर ली जाने वाली ब्याज दर 10.0 प्रतिशत (निवल) होगी।

कम विकसित क्षेत्रों की परियोजनाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन

18. अधिसूचित कम विकसित जिलों/क्षेत्रों की परियोजनाओं को प्रदान किए जाने वाली समग्र रियायती सहायता में आस्थगित अदायगी की सुविधा 28 जून, 1976 से जोड़ दी गई। यह रियायत गारन्टी सहायता के लिए 1 प्रतिशत के वर्तमान वार्षिक कमीशन को 0.25 प्रतिशत तक की सीमा तक कम करके प्रदान की गई है। लेकिन ये रियायतें अधिसूचित कम विकसित जिलों/क्षेत्रों की वर्तमान समग्र वित्तीय सीमा में ही उपलब्ध होंगी अर्थात्, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, निगम, भारतीय साख एवं निवेश निगम के साथ मिलकर 2.00 करोड़ रुपये तक और निगम से अकेले 1.00 करोड़ रुपये की सहायता तक।

कम विकसित क्षेत्रों में उद्यमकर्ताओं को नई परियोजनाएं लगाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने की दृष्टि से निगम सहित दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाले संस्थानों ने निर्णय किया है कि इक्विटी ऋण अनुपात निकालने के लिए केन्द्रीय अनुदान की राशि को भी इक्विटी मान लिया जायेगा।

कम विकसित जिलों/क्षेत्रों में लगाई जाने वाली परियोजनाओं को अतिरिक्त राहत प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थाओं ने यह सहमति की है कि विकास ऋणों को आरक्षित प्रकृति का माना जायेगा और कुछ शर्तों के अधीन इनको इक्विटी ऋण का अनुपात निकालने के लिए इक्विटी मान लिया जायेगा।

अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के साथ समन्वय

19. सरकारी वित्तीय संस्थान (विधि संशोधन) अधिनियम, 1975 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई है और यह 16 फरवरी, 1976 से लागू हो गया। अधिनियम के अधीन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने वित्त-पोषण में लगी वित्तीय संस्थाओं के कार्यों में समन्वय करने, उद्योगों का विकास तथा प्रवर्तन करने और इन संस्थाओं के विकास में सहायता करने के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान का दायित्व संभाल लिया है।

अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों ने (क) वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त आवेदनों को शीघ्रता से मंजूर करने की प्रक्रिया को तेज करने (ख) निधियों के तेजी से संवितरण करने के लिए निधियों तथा कार्य-पद्धतियों को सुचारु बनाने के लिए कई कदम उठाये हैं। जैसा कि पिछले साल की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि इन संस्थानों ने वित्तीय सहायता का आवेदन करने वाली पात्र संस्थाओं के उपयोग के लिए सांझा ऋण आवेदन पत्र बनाया है।

परियोजना का मूल्यांकन करने से सम्बन्धित वित्तीय संस्थानों ने 'अग्रणी संस्था' की धारणा को स्वीकार किया है, जिसके अनुसार अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में से एक को संयुक्त निरीक्षण का दायित्व सौंप दिया जाता है इसके अधिकारी अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के गतिविधियों के साथ मिलकर प्रवर्तकों से विचार विमर्श करते हैं तथा जिसमें परियोजना मूल्यांकन के बारे में विभिन्न पहलुओं पर सांझी पहंच अपनाई जाती है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने वित्तीय संस्थाओं से सहायता के लिए प्राप्त हुए आवेदनों को मंजूर करने की प्रक्रिया की जांच करने तथा देरी कम करने के लिए व्यवस्था को सुचारु बनाने से सम्बन्धित सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री एम० नरसिंहन् ने की।

इस समिति द्वारा दी गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक मामले की स्थितियों को देखते हुए आवेदनों को एक निश्चित अवधि के भीतर निपटाने के लिए प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए कई कदम उठाये हैं। वित्तीय संस्थाओं ने 'अग्रणी संस्थान की धारणा को अधिक गहन करने पर जोर दिया है और अब अग्रणी संस्थान द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्टों पर अधिक निर्भर किया जाता है अपेक्षाकृत कि प्रत्येक संस्थान अपनी अलग-अलग मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करें।

सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक श्री रघुराज की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन किया है। निगम के अध्यक्ष भी इसके सदस्य हैं। यह दल अन्य बातों के साथ-साथ, आवेदनों को शीघ्र निपटाने, मंजूरी पूर्व देरी को कम करने, आदि की जांच करेगा। कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुरूप एक ऐसी प्रक्रिया बनाई गई है जो कि भविष्य में सांझे ऋण आवेदन प्रपत्र को जारी करने की अवस्था से लेकर वित्तीय सहायता मंजूर करने तक अपनाई जायेगी। इसका अन्तिम लक्ष्य एक निश्चित समयबद्ध कार्यक्रम का पालन करना है और आवेदक को आवेदन पत्र के प्राप्त होने से चार से पांच मास के भीतर निर्णय बता दिया जायेगा।

वित्तीय संस्थानों ने एक समरूप ऋण करार और अन्य दस्तावेजों तथा जहां तक संभव हो, वित्तीय सहायता की मंजूरी तथा संवितरण के बीच की दूरी कम से कम करने और विविध औपचारिकताओं के पूरा करने के लिए सामान्य पहुंच अपनाई है।

अनावश्यक पत्र व्यवहार को कम करने के लिए वित्तीय संस्थान आवेदकों को आवश्यक आवेदन-पत्र, आवेदन-पत्रों को भरने के लिए पथप्रदर्शन प्रदान करेगी।

वर्ष के दौरान, निगम ने निगम की नीतियों और प्रक्रियाओं से सम्बन्धित तीन पुस्तिकाएं निकाली हैं। ये हैं: संचालन परिसूचना, वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले आवेदकों के लिए पथ-प्रदर्शन और विदेशी मुद्रा ऋण आवेदकों को पथ-प्रदर्शन।

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948

20. सरकारी वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 की शर्तों के अनुसार औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 को नागालैण्ड राज्य के कोहिमा और मोकोकचंग जिलों तक विस्तृत कर दिया है।

भारत सरकार ने दिनांक 23 अक्तूबर, 1975 की अधिसूचना के द्वारा औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की 24 अक्तूबर, 1975 से सिक्किम राज्य पर भी इसका विस्तार कर दिया गया है।

सहायता के लिए आवेदन

21. निगम को वर्ष के दौरान 170 संस्थाओं से 175 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए, इनमें वे मामले भी शामिल हैं जिनमें अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से वित्त व्यवस्था की जानी है।

वर्ष के आरम्भ में 129.36 करोड़ रुपये के लिए 43 संस्थाओं से आवेदन पत्र निगम के पास विचाराधीन थे, इनकी वित्त व्यवस्था अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से की जानी थी।

वर्ष के दौरान 110 संस्थाओं के 113 आवेदन-पत्रों पर 54.84 करोड़ रुपये की सकल सहायता मंजूर की गई। वर्ष के दौरान 10 संस्थाओं से आवेदन-पत्र वापिस लिया हुआ मान लिया गया क्योंकि कुछ संस्थाओं ने अपने आवेदनों की पैरवी नहीं की और कुछ ने लम्बे अरसे तक आवश्यक सूचना नहीं भेजी।

वर्ष के अन्त में 93 संस्थाओं से 351.10 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए आवेदन जांच की विभिन्न अवस्थाओं में थे, इन मामलों में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के साथ मिलकर वित्त व्यवस्था की जानी थी।

वर्ष के दौरान निगम से सहायता के लिए प्राप्त, मंजूर किए गए, वापिस लिये गये तथा वर्ष के अन्त में विचाराधीन आवेदनों का ब्यौरा दर्शाने वाली राज्यवार सारणी रिपोर्ट के परिशिष्ट 'घ' में दी गई है।

कार्यों की समीक्षा 1948—76

22. निगम ने 30 जून, 1976 तक सारे राष्ट्र में व्याप्त 794 औद्योगिक परियोजनाओं को 558.80 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की है। इन सहायता मंजूर की गई परियोजनाओं की पूंजीगत लागत 3475.55 करोड़ रुपये है, जो समग्र साधनों का सूचक है जिन्हें निगम ने जुटाया है। निगम की सहायता सहकारी क्षेत्र की 137 संस्थाओं, संयुक्त क्षेत्र की 39, सहकारी क्षेत्र की 23 और निजी निगमित क्षेत्र की 517 संस्थाओं को प्राप्त हुई है। संवितरण 485.41 करोड़ रुपये रहा जो कुल मंजूरियों का 86.9 प्रतिशत है। 30 जून, 1976 को कुल 270.95 करोड़ रुपये के ऋण बकाया थे।

वित्तीय सहायता प्रदान करते समय निगम ने अधिक रोजगार प्रदान करने वाली परियोजनाओं जैसे, चीनी तथा वस्त्र सहकारिताओं को प्राथमिकता दी है जो कृषि क्षेत्र की बचत को उत्पादक उद्देश्यों के लिए प्रवाहित करने में मदद करती है। कम विकसित क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं, नये उद्यमकर्ताओं तथा तकनीकियों द्वारा, प्रवर्तित परियोजनाएं, सहायक उद्योगों के विकास में योगदान देने वाली परियोजनाएं और देशी तकनीक पर आधारित परियोजनाओं की सहायता मंजूर करने में प्राथमिकता दी है। निगम विकास बैंक के नाते राष्ट्रीय लक्ष्यों, एवं विकास के लिए निर्धारित प्राथमिकताओं को ध्यान में रखता है और सहायता के लिए निवेदन करने वाली परियोजनाओं की व्यावहार्यता को भी देखता है। सामाजिक तथा आर्थिक पहलुओं को भी उचित महत्व दिया जाता है।

हाल के वर्षों में परियोजना मूल्यांकन के क्षेत्र में परिस्थितीय तत्वों ने महत्व धारण कर दिया है। परियोजनाओं को वित्तीय सहायता मंजूर करते समय इस पहलू पर ध्यान रखा जाता है। औद्योगिक दूषण को नियंत्रण में रखने पर अधिक जोर दिया जा रहा है। परियोजनाओं के तकनीकी मूल्यांकन के दौरान निगम यह आश्वस्त करता है कि औद्योगिक दूषण की भारतीय मानक संस्थान अथवा इस उद्देश्य के लिए विभिन्न राज्यों में स्थापित नियंत्रक संगठनों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर रखा जाये।

औद्योगिक सहकारिताएं

23. औद्योगिक सहकारिताएं निगम के वित्तीय सहायता के ढांचे में महत्वपूर्ण स्थान रखती रही हैं। 30 जून, 1976 को औद्योगिक सहकारिताओं की 138 परियोजनाओं को 128.19 करोड़ रुपये की कुल असल वित्तीय सहायता मंजूर की गई। इसमें कुल मंजूरियों का 22.9 प्रतिशत

तथा कुल रुपया ऋण मंजूरियों का 32.3 प्रतिशत संविहित थी। औद्योगिक सहकारिताओं को 116.57 करोड़ रुपये की सहायता का संवितरण किया गया।

औद्योगिक सहकारिताओं को मंजूर वित्तीय सहायता के उद्देश्य-वार वर्गीकरण से पता चलता है कि मंजूर सहायता का 81.9 प्रतिशत नई परियोजनाओं तथा शेष 18.1 प्रतिशत विस्तार परियोजनाओं को मंजूर किया गया। निगम द्वारा मंजूर वित्तीय सहायता में 28.4 प्रतिशत नई परियोजनाओं की लागत तथा 35.3 प्रतिशत विस्तार परियोजनाओं की लागत प्रतिनिहित थी।

24. 30 जून, 1976 को औद्योगिक सहकारिताओं को राज्य-वार तथा उद्योगवार सहायता का वितरण सारणी 8 में दिया गया है।

25. औद्योगिक सहकारिताओं की 138 परियोजनाओं में से जिन्हें सहायता मंजूर की गई, 59 परियोजनाएं अधिसूचित कम विकसित जिलों में स्थित थीं। इन परियोजनाओं को मंजूर वित्तीय सहायता की राशि 55.03 करोड़ रुपये थी।

26. निगम की सहायता प्राप्त करने वाली औद्योगिक सहकारिताओं में चीनी सहकारिताएं सबसे बड़ी लाभानुभोगी रही हैं। मंजूर सहायता का 83 प्रतिशत भाग चीनी सहकारिताओं को गया तथा 13.9 प्रतिशत भाग वस्त्र सहकारिताओं को मिला।

30 जून, 1976 को 105 सहकारी चीनी परियोजनाओं को निगम ने 106.39 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की। इन 105 चीनी सहकारिताओं की कुल लागत 288.23 करोड़ रुपये थी जिसमें से निगम का योगदान 36.9 प्रतिशत दीर्घकालीन ऋणों के रूप में था।

27. पिछले साल की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि निगम ने 1250 टन प्रति दिन गन्ना पेरने की क्षमता वाली नई चीनी परियोजनाओं की परियोजना लागत की बढ़ोतरी का उनकी व्यावहार्यता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया। अध्ययन के परिणामों से सरकार को अवगत कराया गया जिसने कि बाद में नई चीनी इकाइयों को दी जाने वाली राहतों पर विचार करने के लिए एक समिति (जो सम्पत समिति कहलाती है) का गठन किया ताकि उन्हें व्यावहार्य बनाया जा सके। वर्ष के दौरान सरकार ने सम्पत समिति की सिफारिशों पर एक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की। सरकार के द्वारा घोषित योजना में नये चीनी कारखानों तथा विस्तार योजनाओं को उत्पादन शुल्क रियायतों तथा ऊंचे उद्ग्रहण मुक्त चीनी कोटा के रूप में प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई है।

यह योजना जो 1 नवम्बर, 1975 से लागू हुई, नई चीनी फैक्टरियों तथा विस्तार इकाइयों जो नवम्बर 1, 1975 से अक्तूबर 31, 1980 की अवधि के दौरान उत्पादन शुरू कर रही हैं, दोनों पर लागू है। नई इकाइयां जिन्होंने अप्रैल 1, 1974 और नवम्बर 1, 1975 के मध्य उत्पादन शुरू कर दिया था, भी पांच वर्ष की अवधि के शेष भाग के दौरान योजना के अन्तर्गत आयेंगे।

इस योजना के उद्देश्य के लिए देश में चीनी उत्पादन करने वाले क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्न, मध्यम तथा उच्च चीनी वसूली क्षेत्रों में किया गया है। नई परियोजनाओं के मामले में जहां संयंत्र तथा मशीनरी की कीमत 400 लाख रुपये या अधिक हो, सारे चीनी उत्पादन के लिए 1 से चार वर्ष की अवधि तक (वसूली क्षेत्र जहां इकाई स्थित है, पर निर्भर) मुफ्त बिक्री कोटा ग्राह्य होगा। जहां संयंत्र तथा मशीनरी 200 लाख रुपये से 400 लाख रुपये की कीमत श्रृंखला में है, उस दशा में स्लैब पर आधारित घटे हुए प्रोत्साहन उपलब्ध हैं। विस्तार योजनाओं के मामले में वर्तमान चीनी कारखानों को लाइसेंस प्राप्त विस्तार के पूरा होने पर पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध हैं, चाहे विस्तार की मात्रा व कीमत कुछ भी हो।

नई चीनी फैक्टरियों तथा विस्तृत इकाइयों को अधिक उन्मुक्त बिक्री कोटे के बावजूद भी इन्हें नियंत्रित और उन्मुक्त बिक्री चीनी के 65 : 35 के आधार पर ही वर्तमान इकाइयों के समान उत्पादन शुल्क देना होगा। लेकिन इस योजना से लाभ कमाने वाली इकाइयों के लिए यह शर्त रखी गई है कि इन प्रोत्साहनों के फलस्वरूप उपलब्ध अतिरिक्त निधियों का उपयोग दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाले केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों की अदायगी अनुसूची के अनुसार ऋण अदा करने के लिए करना होगा।

सारणी 8

औद्योगिक सहकारिताओं को मंजूर सहायता—1948—76

(रुपये, लाखों में)

राज्य/क्षेत्र	उद्योगवार मंजूर सहायता								कुल का प्रतिशत
	चीनी		सूत कताई		अन्य		कुल मंजूरियां		
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश .	8	745.00	3	160.00	—	—	11	905.00	7.1
असम . .	1	60.00	—	—	1*	78.50	2	138.50	1.1

सारणी 8—जारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बिहार . .	1	115.00	1	24.70	—	—	2	139.70	1.1
गुजरात . .	9	600.50	2	170.00	2@	300.00	13	1070.50	8.3
हरियाणा .	4	286.00	1	100.00	—	—	5	386.00	3.0
कर्नाटक . .	10	795.25	3	179.00	1**	22.50	14	996.75	7.8
केरल . .	2	180.00	—	—	—	—	2	180.00	1.4
मध्य प्रदेश .	1	80.00	1	40.00	—	—	2	120.00	0.9
महाराष्ट्र .	40	5044.20	13	839.00	—	—	53	5883.20	45.9
उड़ीसा . . .	2	205.00	1	31.00	—	—	3	236.00	1.8
पंजाब . .	4	315.00	—	—	—	—	4	315.00	2.4
राजस्थान .	1	95.00	1	45.50	—	—	2	140.50	1.1
तमिलनाडु .	9	808.00	1	35.00	—	—	10	843.00	6.6
उत्तर प्रदेश .	12	1160.00	2	155.00	—	—	14	1315.00	10.3
गोआ . .	1	150.00	—	—	—	—	1	150.00	1.2
जोड़ .	105	10638.95	29	1779.20	4	401.00	138	12819.15	100.0

*पटसन सहकारिता
@दो इकाइयों वाली एक उर्वरक सहकारिता
**वनस्पति तेल निकालने वाली सहकारिता

उपरिलिखित प्रोत्साहनों से चीनी परियोजनाओं को व्यावहार्य बनाने के लिए काफी सहायता मिलेगी। पहले ही निगम ने 8 नई इकाइयों और एक विस्तार इकाइयों को उक्त प्रोत्साहन योजना से मिलने वाले लाभों को ध्यान में रखकर 9.10 करोड़ रुपये का अनुमोदन किया गया।

निगमित क्षेत्र

28. 30 जून, 1976 को निगमित क्षेत्र की 656 परियोजनाओं को 430.61 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की गई। निगमित क्षेत्र को मंजूर की गई सहायता की समीक्षा का ब्यौरा निम्न पैरों में दिया गया है।

रुपया ऋण

रुपया ऋण के रूप में 268.30 करोड़ रुपये की सहायता दी गई जो निगमित क्षेत्र को कुल सहायता का 62.3 प्रतिशत थी। 30 जून, 1976 निगमित क्षेत्र को 234.15 करोड़ रुपये के रुपया ऋणों का संवितरण हुआ।

विदेशी मुद्रा ऋण

निगम द्वारा निगमित क्षेत्र को 61.37 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा ऋण मंजूर हुआ जबकि 51.69 करोड़ रुपये का संवितरण हुआ।

30 जून, 1976 को विदेशी मुद्रा ऋणों से सम्बन्धित स्थिति नीचे सारणी में दी गई है:

सारणी 9

निगमित क्षेत्र को विदेशी मुद्रा ऋण

मुद्रा	मंजूरियां (निवल)			जारी किए गए साख/वचन-पत्र		संवितरित रकम	
	उप-ऋणों की संख्या	विदेशी मुद्रा (दस लाखों में)	रुपये (लाखों में)	विदेशी मुद्रा (दस लाख में)	रुपये (लाखों में)	विदेशी मुद्रा (दस लाख में)	रुपये (लाखों में)
पश्चिमी जर्मन मार्क .	178	155.85	3181.03	133.84	2730.02	128.71	2624.83
अमरीकी डालर . .	57	26.75	1963.27	26.75	1963.27	26.75	1963.27
फ्रांसीसी फ्रांक . .	14	14.94	204.05	14.36	196.14	14.36	196.14
पौंड स्टर्लिंग . .	31	4.14	788.42	2.39	455.80	2.05	384.76
जोड़ . .	280		6136.77		5345.23		5169.00

हामीदारियां

30 जून, 1976 तक निगम ने साधारण शेयरों में हामीदारी, अधिमान शेयरों तथा डिबेंचरों के 432 आवेदनों पर 41.73 करोड़ रुपये की निवल राशि मंजूर की। 30 जून, 1976 तक पूरे किए गए निर्गमों से सम्बन्धित स्थिति सारणी 10 में दिखाई गई है।

सारणी 10

हामीदारी कार्य

(रुपये, लाखों में)

	हामीदारी	रकम जो निगम को देनी पड़ी	(3) से (2) का प्रतिशत
साधारण शेयर .	1806.20	1108.95	61.4
अधिमान शेयर .	909.84	730.55	80.3
डिबेंचर .	1013.00	855.71	84.5
	3729.04	2695.21	72.3

प्रत्यक्ष अभिदान

30 जून, 1976 को निगम ने प्रत्यक्ष अभिदान के 62 आवेदन-पत्रों पर 650.73 लाख रुपये मंजूर किए जिनमें 336.86 लाख रुपये के साधारण शेयर, 31.87 लाख रुपये के अधिमान शेयर तथा 282.00 लाख रुपये के डिबेंचर शामिल थे। इनमें से निगम द्वारा लिए गए शेयरों के सम्बन्ध में हामीदारी दायित्वों के अनुरूप 21 शेयर निर्गमों के लिए 60.58 लाख रुपये का प्रत्यक्ष अभिदान करना पड़ा।

संयंत्र तथा मशीनरी की आस्थगित अदायगियों के लिए गारन्टी

30 जून, 1976 को 45 आवेदनों पर आस्थगित अदायगियों के लिए 28.87 करोड़ रूपये की असल गारंटियां मंजूर की गईं। 30 जून, 1976 तक जारी की गई कुल गारंटियों की राशि 28.76 करोड़ रूपये थी। गारंटियों के अधीन 30 जून, 1976 को 2.40 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी।

विदेशी वित्तीय संस्थानों से प्राप्त विदेशी मुद्रा ऋणों के लिए गारंटियां

निगम ने 30 जून, 1976 को 6 आवेदन पत्रों पर 23.83 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा ऋण गारंटियां मंजूर कीं। 5 आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में वास्तव में जारी की गई गारंटियों की राशि 23.33 करोड़ रुपये थी तथा 30 जून, 1976 को इन गारंटियों के सम्बन्ध में 3.10 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी।

परियोजना के प्रकार के अनुसार मंजूरियां

29. 30 जून, 1976 तक वित्तपोषित परियोजना की कुल लागत सहित परियोजना के आकार के अनुसार मंजूर वित्तीय सहायता का वर्गीकरण सारणी 11 में दिखाया गया है।

सारणी 11

परियोजना के प्रकार के अनुसार औद्योगिक परियोजनाओं को दी गई कुल सहायता का वर्गीकरण

(रुपये, करोड़ों में)

परियोजना का प्रकार	परियोजना की कुल लागत	निवल वित्तीय मंजूर सहायता				
		ऋण	हामीदारियां तथा प्रत्यक्ष अभिदान	विदेशी मुद्राओं ऋणों के लिए आस्थगित अदायगियों की गारंटियां	जोड़	कुल का प्रतिशत
नई परियोजनाएं . . .	2412.45	296.02	36.93	42.84	375.79	67.3
विस्तार/विशाखन . . .	876.03	138.72	9.00	9.00	156.72	28.0
आधुनिकीकरण/नवीकरण, आदि . .	187.07	23.12	2.31	0.86	26.29	4.7
जोड़ . . .	3475.55	457.86	48.24	52.70	558.80	100.0

निगम ने नये उपक्रमों को 375.79 करोड़ रुपये की सहायता दी जो कुल असल मंजूरियों का 67.3 प्रतिशत थी और 183.01 करोड़ रुपये की सहायता वर्तमान परियोजनाओं के विस्तार, विशाखन, आधुनिकीकरण तथा नवीकरण आदि के लिए दी गई। 30 जून, 1976 को 794 परियोजनाओं जिन्हें निगम ने सहायता प्रदान की, उनकी कुल लागत 3475.55 करोड़ रुपये थी, जो समग्र साधनों का सूचक है जो इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जुटाया गया है।

सारणी 12

पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान मंजूर की गई तथा संवितरित सहायता

(रुपये, करोड़ों में)

30 जून को	मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता				संवितरित वित्तीय सहायता			
	ऋण	हामीदारियां	गारंटियां	जोड़	ऋण	हामीदारियां	गारंटियां	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पहली योजना से पूर्व की अवधि :								
1949-51	8.13	—	—	8.13	5.79	—	—	5.79
पहली योजना :								
1952-56	27.02	—	—	27.02	10.94	—	—	10.94
दूसरी योजना :								
1957 .	9.15	—	—	9.15	9.78	—	—	9.78
1958 .	5.93	0.75	1.82	8.50	8.33	—	—	8.33
1959 .	2.77	0.87	0.27	3.91	7.48	0.66	—	8.14
1960 .	12.62	0.10	6.06	18.78	8.41	0.17	2.09	10.67
1961 .	18.58	1.84	8.15	28.57	6.62	0.48	13.02	20.12
जोड़ .	49.05	3.56	16.30	68.91	40.62	1.31	15.11	57.04
तीसरी योजना :								
1962 .	17.84	0.73	0.48	19.05	10.92	0.24	0.41	11.57
1963 .	19.82	4.63	10.62	35.07	15.05	3.99	3.18	22.22
1964 .	23.61	4.34	13.16	41.11	16.94	1.96	6.39	25.29
1965 .	19.39	3.55	3.92	26.86	19.79	3.36	14.65	37.80
1966 .	21.47	3.96	1.35	26.78	23.99	4.48	2.17	30.64
जोड़ :	102.13	17.21	29.53	148.87	86.69	14.03	26.80	127.52
वार्षिक योजनाएं :								
1967 .	12.34	1.87	4.00	18.21	29.52	2.90	5.64	38.06
1968 .	14.62	1.48	0.85	16.95	23.35	1.06	2.61	27.02
1969 .	22.43	2.42	0.29	25.14	15.03	1.68	0.28	16.99
जोड़ .	49.39	5.77	5.14	60.30	67.90	5.64	8.53	82.07

सारणी 12—जारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
चतुर्थ योजना :								
1970 .	11.10	1.19	0.13	12.42	16.86	0.85	0.34	18.05
1971 .	24.29	2.20	0.42	26.91	16.28	0.87	0.20	17.35
1972 .	32.49	4.57	—	37.06	20.99	1.00	0.11	22.10
1973 .	39.10	2.02	0.64	41.76	30.00	2.29	0.61	32.90
1974 .	34.75	2.61	0.04	37.40	28.75	1.46	0.05	30.26
जोड़ .	141.73	12.59	1.23	155.55	112.88	6.47	1.31	120.66
पांचवीं योजना :								
1975 .	30.73	4.19	0.50	35.42	36.02	1.06	0.34	37.42
1976 .	49.68	4.92	—	54.60	41.57	2.40	—	43.97
जोड़ .	80.41	9.11	0.50	90.02	77.59	3.46	0.34	81.39
कुल जोड़	457.86	48.24*	52.70	558.80	402.41	30.91	52.09	485.41

*इनमें 6.51 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष अभिदान शामिल है।

टिप्पणी : सारणी में दिये गये आंकड़े पिछली वार्षिक रिपोर्ट में दिये गये आंकड़ों से मेल नहीं खाते क्योंकि इसमें से कुछ मंजूरियां बाद में या तो वापिस ले ली गई या संमजित कर दी गई।

कम विकसित क्षेत्रों को सहायता

31. क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने की सरकारी नीति के अनुरूप निगम की सहायता का अधिक भाग औद्योगिक रूप से कम विकसित क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं को जा रहा है। 1970-71 में निगम की कुल सहायता का 24.5% भाग कम विकसित क्षत्रों को गया जबकि 1975-76 में यह कुल मंजूरियों का 48.0 प्रतिशत था।

30 जून, 1976 को 558.80 करोड़ रुपये की कुल मंजूरियों में से 183.59 करोड़ रुपये अधिसूचित कम विकसित जिलों की 254 परियोजनाओं को मंजूर किए गए जो कुल का 32.9 प्रतिशत थी।

32. निम्नलिखित सारणी में कम विकसित क्षेत्र की परियोजनाओं का उद्योगवार वितरण सारणी 13 में दिया गया है।

सारणी 13

कम विकसित जिलों/क्षेत्रों को मंजूर सहायता का उद्योगवार वितरण—1948-76

(रुपये, करोड़ों में)

उद्योग	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	30 जून, 1976 को मंजूर सहायता
1 2	3	4	5
1. चीनी .	53	157.17	51.53
2. वस्त्र .	52	96.06	26.50
3. कागज तथा कागज उत्पाद	14	87.00	15.40
4. सीमेंट .	12	142.02	13.25
5. रसायन तथा रसायन उत्पाद			
—मूल औद्योगिक रसायन	10	25.08	3.55
—उर्वरक	7	218.07	6.32
—कृत्रिम रेशे	1	7.90	0.65
—अन्य रसायन तथा रसायन उत्पाद	11	9.88	2.63
6. अलौह धातुएं	4	63.90	13.12
7. लोहा तथा इस्पात	21	115.26	10.89
8. रबर उत्पाद	7	137.80	8.37
9. विविध अधातु खनिज उत्पाद	7	25.37	5.39
10. धातु उत्पाद	9	13.95	4.90
11. बिजली मशीनरी तथा उपस्कर	7	17.57	3.67
12. परिवहन उपस्कर	8	47.37	3.62
13. मशीनरी	6	36.62	3.53
14. पटसन	6	5.35	2.50
15. खनन	4	48.09	1.80
16. लकड़ी उत्पाद	3	2.60	1.77
17. कांच .	3	4.48	1.55

सारणी 11—जारी

1	2	3	4	5
18.	होटल	4	2.96	1.55
19.	विविध खाद्य उत्पाद	2	2.52	0.48
20.	बिजली	2	0.66	0.43
21.	चमड़ा उत्पाद	1	1.65	0.19
	जोड़	254	1269.33	183.59

33. जुलाई 1970 में अधिसूचित कम विकसित क्षेत्रों में स्थित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए निगम ने रियायती वित्त योजना पेश की। योजना के मुख्य लक्षण रिपोर्ट के परिशिष्ट 'ज' में दिये गये हैं तथा अधिसूचित कम विकसित जिलों/क्षेत्रों की सूची परिशिष्ट 'झ' में दी गई है।

रियायती वित्त योजना के अधीन, निगम ने 30 जून, 1976 तक 117 परियोजनाओं को जिनकी कुल पूंजी 492.16 करोड़ रुपये है, कुल 63.89 करोड़ रुपये के रियायती वित्त का अनुमोदन किया था, सारणी 14 में मंजूर सहायता का प्रकार दिखाया गया है।

सारणी 14

रियायती शर्तों पर मंजूर सहायता

(रुपये, लाखों में)

सुविधा का प्रकार	रियायती शर्तों पर मंजूर सहायता
रुपया ऋण	5612.46
विदेशी मुद्रा ऋण	259.36
हामीदारियां/प्रत्यक्ष अभिदान	517.60
जोड़ :	6389.42

कुल मंजूरियां, संवितरण तथा बकाया

34. 30 जून 1976 तक निवल मंजूर वित्तीय सहायता का राज्यवार तथा उद्योगवार वितरण इस रिपोर्ट के क्रमशः परिशिष्ट 'ख' और 'ग' में दिया गया है। परिशिष्ट 'घ' में 30 जून, 1976 को प्रत्यक उद्योग को निवल मंजूर वित्तीय सहायता का उद्योगवार वितरण दिखाया गया है। परिशिष्ट 'ङ' में निवल वित्तीय सहायता का वर्गीकरण मंजूर राशि के आकार के अनुसार दिया गया है।

30 जून, 1976 को संचित मंजूरियों, संवितरित राशि तथा बकाया राशि की संख्या तथा राशि सारणी 15 में दिखाई गई है।

सारणी 15

कुल मंजूरियां, संवितरण तथा बकाया

(रुपये, करोड़ों में)

	मंजूरियां (निवल)		संवितरित सहायता	बकाया राशि
	मंजूरियों की संख्या	रकम		
1. ऋण :				
रुपया	1020	396.41	350.64	218.06
विदेशी मुद्रा	250	61.45	51.77	26.51
जोड़	1270	457.86	402.41	244.57
2. हामीदारियां :				
साधारण शेयर	258	21.90	10.88	8.20
अधिमान शेयर	149	9.70	7.27	4.90
डिबेंचर	25	10.13	8.55	3.47
जोड़	432	41.73	26.70	16.57

सारणी 15—जारी

	1	2	3	4
3. प्रत्यक्ष अभिदान				
साधारण शेयर	52	3.37	2.09	3.32
अधिमान शेयर	8	0.32	0.30	0.82
डिबेंचर	2	2.82	1.82	0.17
जोड़	62	6.51	4.21	4.31
1 से 3 तक का जोड़	1764	506.10	433.32	265.45
4. गारंटियां				
आस्थगित अदायगियों के लिए	45	28.87	28.76	2.40
विदेशी मुद्रा ऋणों के लिए	6	23.83	23.33	3.10
जोड़ :	51	52.70	52.09(क)	5.50
कुल का जोड़	1815	558.80	485.41	270.95

(क) वास्तव में जारी की गई गारंटियां।

दातव्य आरक्षित निधि

35. औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की दिसम्बर, 1972 संशोधित करके दातव्य आरक्षित निधि की स्थापना की गई। इस निधि की स्थापना से लेकर इस निधि को निगम को लाभों में से 111.00 लाख रुपये की राशि अन्तरित की गई। निगम को वर्ष के दौरान हुए लाभ में से 32.00 लाख रुपये की और राशि इस निधि को अन्तरित की जा रही है।

36. इस निधि के अधीन निगम द्वारा हाथ में लिए गए कुछ कार्यों का अवलोकन निम्नलिखित अवतरणों में दिया गया है।

परियोजना प्रवर्तन : अन्य बातों के साथ साथ दातव्य आरक्षित निधि का उपयोग, व्यावहार्यता अध्ययन, परियोजना रिपोर्टों, मार्केट तथा तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षणों को शुरू करने तथा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जायेगा जिससे उद्योगों के विकास में सहायता मिल सके।

निगम ने अन्य दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर कम विकसित राज्यों/केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के सर्वेक्षणों में योगदान दिया है। अन्तर संस्थायी समूहों के द्वारा जिनकी स्थापना विभिन्न राज्यों में की गई है। इन सर्वेक्षण रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाले तीन अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों ने औद्योगिक सर्वेक्षण क्षमता रिपोर्टों में उल्लिखित परियोजनाओं के बारे में व्यावहार्यता अध्ययन शुरू कर दिया है।

वित्तीय संस्थानों ने केरल, उत्तर पूर्वी खण्ड, बिहार, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में तकनीकी सलाहकारी संगठना की स्थापना की है। इनकी स्थापना, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के नेतृत्व में की गई है। निगम ने हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान में ऐसे ही संगठन स्थापित करने के लिए कदम उठाये गये हैं जहां कि प्रवर्तन कार्यों के लिए निगम 'अग्रणी संस्थान' है।

निगम ने तेल की प्रक्रिया उद्योग का अध्ययन हाथ में ले लिया है। यह अध्ययन विश्व बैंक की इच्छा से किया जा रहा है जिसका उद्देश्य इस उद्योग की विकास क्षमता का पता लगाना है। निगम यह अध्यन बाहरी ऐजेंसियों की सहायता से कर रहा है। भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद ने विस्तृत अध्यन शुरू किया है। आगामी 10 वर्षों में विभिन्न प्रकार के तेल बीजों की पूर्ति की सम्भावना का पता लगाया जा सके। तेल बीज अभिसंस्कार उद्योग के लिए रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी हैदराबाद संयंत्रों के नमूने के तकनीकी मापदण्ड तथा विभिन्न उत्पादों तथा उप-उत्पादों के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करेगी। वनस्पति तेलों तथा इसके उप-उत्पादों जिनके अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कई उपयोग हैं तथा जिनकी निर्यात क्षमता है, की मांग की संभाव्यताओं का पता लगाने के लिए कार्य किया जा रहा है। इस अध्ययन से तेल बीज अभिसंस्कार उद्योग की ऐसी बैंक योग्य परियोजनाओं का निरूपण होगा जिन्हें अल्पकाल में ही कार्यान्वित किया जा सकता है।

विकास के लिए प्रशिक्षण

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि दातव्य आरक्षित निधि का उपयोग विकास बैंकिंग एवं वित्तीय तथा औद्योगिक प्रबन्ध के क्षेत्रों में वित्तीय संस्थानों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया जाये।

इस व्यवस्था के अनुसार, निगम ने 1974 में तकनीकी सहायता योजना की शुरूआत की। इस योजना के अधीन

राज्य स्तर की वित्तीय निगमों तथा विकास ऐजेन्सियों के अधिकारी प्रतिमास निगम के प्रधान कार्यालय तथा इसके दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय में एक मास के लिए बुलाये जाते हैं। इस योजना से इन अधिकारियों को निगम की नीतियों, प्रक्रियाओं तथा कार्य-विधियों को जानने का अवसर मिल सकेगा। यह योजना ऊपरिलिखित संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों पर भी लागू कर दी गई है लेकिन उनकी प्रशिक्षण अवधि कम समय के लिए होती है। योजना के प्रारम्भ होने से लेकर राज्यस्तर की 30 संस्थाओं के 47 मध्य स्तर के अधिकारी और 19 संस्थाओं के 22 वरिष्ट अधिकारियों ने भाग लिया है।

निगम द्वारा प्रवर्तित प्रबन्ध विकास संस्थान को वित्तीय सहायता देने के तौर पर दातव्य आरक्षित निधि से इसके प्रस्तावित प्रांगण के लिए अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

प्रबन्ध विकास संस्थान प्रतिवर्ष विकास बैंकिंग में सामान्य पाठ्यक्रम को ऐसे ढंग से बनाया गया है ताकि यह केन्द्रीय तथा राज्य-स्तर की वित्तीय, प्रवर्तन तथा विकास संस्थाओं, बैंकों के अधिकारियों की आवश्यकता को पूरा कर सके। निगम प्रवर्तन कार्यों के तौर पर दातव्य आरक्षित निधि से राज्य स्तर की वित्तीय संस्थाओं से भाग लेने वाले भागीदारों की फीस का कुछ भाग पूरा करते हैं।

निगम ने राज्य सरकारों, राज्य स्तर की विकास ऐजेंसियों तथा उद्धमकर्ताओं के लाभ के लिए औद्योगिक परियोजनाओं के अभिज्ञान, प्रवर्तन तथा कार्यान्वित करने से सम्बन्धित कार्यक्रमों का भी प्रवर्तन किया है। निगम की ओर से इन कार्यक्रमों का आयोजन प्रबन्ध विकास संस्थान द्वारा किया जाता है तथा खर्च का भाग दातव्य आरक्षित निधि से पूरा किया जाता है।

नये उद्धमकर्ताओं को प्रोत्साहन : निगम द्वारा प्रवर्तित जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान के कार्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया गया है कि के० एफ० डब्ल्यू० ऋणों की ब्याज अन्य अन्तर निधियों का कुछ भाग प्रतिष्ठान को आबंटित किया जायेगा। यह सहायता दातव्य आरक्षित निधि से पूरी की जायेगी।

चेयरों की स्थापना—औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 32ख में अन्य बातों के साथ-साथ व्यवस्था की गई है कि विकास बैंकिंग वित्तीय तथा औद्योगिक प्रबन्ध में चेयरों की स्थापना की जाये। तदनुसार, निगम ने दो चेयरों की स्थापना की है। एक की स्थापना भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद तथा दूसरी की स्थापना दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रबन्ध अध्ययन संकाय में की गई। जैसा कि पिछले वर्ष उल्लेख किया गया था कि भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद ने मा० औ० वि० नि० प्रबन्ध प्राध्यापक की नियुक्ति की है जिसने अहमदाबाद में 'साख प्रशासन में संरचनात्मक तथा नियंत्रण समस्याएं'—भारतीय रिजर्व बैंक अध्ययन दल रिपोर्ट सीमा से बाहर नामक जन-व्याख्यान फरवरी, 1976 में दिया। व्याख्यान एक वार्षिक कार्यक्रम होगा।

दिल्ली विश्वविद्यालय ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अतिथि प्राध्यापक की प्रबन्ध अध्ययन संकाय में नियुक्ति कर ली है।

जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान

37. निगम ने जनवरी, 1975 में नये उद्धमकर्ताओं तथा तकनीकियों को उदार पूरक ऋण प्रदान करने की दृष्टि से जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान का प्रवर्तन किया। इस सहायता से वे उनके द्वारा प्रवर्तित की गई परियोजना लागत में शेयर पूंजी में लगाने के लिए अपना भाग अदा कर सकेंगे। प्रतिष्ठान से ब्याज रहित ऋण प्रदान किये जाते हैं और बकाया ऋण की राशि पर केवल एक प्रतिशत का सेवा प्रभार लिया जाता है। प्रवर्तकों द्वारा ये ऋण उनकी अपनी आय तथा अधिलाभांशों से अर्जित आय में से अदा किये जाते हैं।

38. प्रतिष्ठान ने जून 1976 में अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया और इसने दो आवेदन पत्रों पर 10.65 लाख रुपये के दो उदार ऋण मंजूर किये। प्रतिष्ठान ने 5.55 लाख रुपये का पहला ऋण तीन तकनीकियों तथा उद्धमकर्ताओं को मंजूर किया जिन्होंने ब्रिटन वाल्वस लि० का प्रवर्तन किया है। प्रत्येक प्रवर्तक को 1.85 लाख रुपये प्राप्त होंगे। प्रतिष्ठान से यह पूरक उदार ऋण प्राप्त होने पर प्रवर्तक 11.20 लाख रुपये अपने योगदान के रूप में जुटाने में समर्थ होंगे। इस परियोजना की पूंजीगत लागत 1·10 करोड़ रुपये होगी और यह कर्नाटक राज्य औद्योगिक निवेश तथा विकास निगम लि० के साथ मिलकर लगाई गई है। यह परियोजना विदेशी सहयोग से लगाई जा रही है और इसकी वार्षिक विस्थापित उत्पादन क्षमता 40 लाख वाल्व स्टेमो तथा 60 लाख कोर होगी। देश में यह इस प्रकार की दूसरी परियोजना होगी।

प्रतिष्ठान ने आर्यव्रत प्लाइबुड्स लि० को तीन प्रवर्तकों को भी 5.10 लाख रुपये के ऋण स्वीकार किये। इनमें से प्रत्यक को 1.70 लाख रुपय की सहायता प्राप्त होगी। प्रतिष्ठान से पूरक उदार ऋण सहायता मिलने पर प्रवर्तक साधारण पूंजी योगदान के लिए 15.30 लाख रुपय की राशि जुटा पायेंगे। यह परियोजना केन्द्र प्रशासित क्षेत्र दिल्ली में स्थापित की जायेगी और यह प्रतिवर्ष 4 मि० मि० मीटर मोटाई के 9.67 लाख वर्ग मीटर प्लाईवुड, फ्लश दरवाजों तथा ब्लाक दरवाजों का उत्पादन करेगी।

39. प्रतिष्ठान का अपना कार्य प्रारम्भ करने के लिए निगम ने इसे 97.79 लाख रुपये का आबंटित करने का फैसला किया है। यह राशि के० एफ० डब्ल्यू० ऋणों की निधियों के ब्याज से पैदा हुई निधियों से प्रदान कराई जाती है जो निगम को ऋणों तथा निधियों के रूप में सरकार

द्वारा दी जाती है। ब्याज अन्तर जन्य निधियों के ऋण भाग पर देय ब्याज प्रतिष्ठान को अन्तरित किया जाता है और दातव्य आरक्षित निधि से निगम इन्हें अदा करती है।

40. निगम के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री सी० डी० खन्ना को प्रतिष्ठान का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

नये उद्यमकर्ताओं के लिये तकनीकी सलाहकारी सेवाएं

41. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों का अनुभव रहा है कि जब परियोजनाएं वित्तीय सहायता के लिए उनके पास आती है तब परियोजना को तैयार करने में काफी योजना नहीं की जाती। उद्योग में प्रथम बार प्रवेश करने वाले नये उद्यमकर्ताओं तथा तकनीकियों के मामलें में यह बात विशेषकर देखने में आती है। परियोजना चक्र के विभिन्न रूपों में उन्हें विशेष संदर्शन की आवश्यकता होती है। यद्यपि इनकी परियोजनाओं को बैंक योग्य बनाने के लिए उचित परिवर्तन करने में वित्तीय संस्थान सहायता तथा प्रदर्शन प्रदान करते है। आवश्यकता इस बात की है कि परियोजना निर्माण की प्रारम्भिक अवस्थाओं में भी उद्यमकर्ताओं तथा व्यावसायिकों को भी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। महानगरीय केन्द्रों को छोड़कर कम विकसित राज्यों में कोई संस्थाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं जो प्रवर्तकों को छोटे तथा मध्यम दर्जे के उद्योग लगाने में आवश्यक तकनीकी सेवाएं उपलब्ध करा सकें। इसी पृष्ठ-भूमि को ध्यान में रखकर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के नेतृत्व में निगम सहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों ने केरल में प्रथम तकनीकी सलाहकारी संगठन का प्रवर्तन किया। उससे बाद उत्तर-पूर्वी खण्ड में गौहाटी, बिहार, उत्तर प्रदेश में तकनीकी सलाहकारी संगठन स्थापित किय गये। आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में भी इसी प्रकार के संगठन स्थापित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इन संगठनों की स्थापना में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अग्रता की है।

42. उत्तरी खण्ड, अर्थात् राजस्थान हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तथा चंडीगढ़ के केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में प्रवर्तन कार्यों के लिए निगम अग्रणी संस्थान है। निगम के नेतृत्व में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश में तकनीकी सलाहकारी संगठन स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है और निगम ने ये तकनीकी सलाहकारी संगठन स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

43. राजस्थान सरकार ने एक समिति की स्थापना की है जिसमें निगम का प्रतिनिधि भी है। यह समिति राजस्थान में प्रस्तावित तकनीकी सलाहकारी संगठन की स्थापना से सम्बन्धित व्यवस्था बतायगी। समिति ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और ऐसी संभावना है कि राजस्थान में प्रस्तावित संगठन शीघ्र ही कार्य करना शुरू कर देगा।

44. जहां तक हिमाचल प्रदेश में तकनीकी सलाहकारी संगठन स्थापित करने का प्रश्न है, निगम ने एक योजना तैयार की है जिसके अनुसार प्रस्तावित तकनीकी सलाहकारी संगठन ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक एवं निवेश निगम, राज्य स्तर के वित्तीय संस्थान और हिमाचल प्रदेश की विकास एजेंसियां एवं कुछ बैंक भाग लेंग। प्रस्तावित सलाहकारी संगठन का नाम हिमाचल सलाहकारी संगठन लि० होगा। हिमाचल सलाहकारी संगठन एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में पंजीकृत कराया जायगा और इसका पंजीकृत कार्यालय शिमला में होगा।

हिमाचल सलाहकारी संगठन की अधिकृत पूंजी 20 लाख रुपय होगी। इसकी प्रारम्भिक प्रदत्त पूंजी 5 लाख रुपय होगी। कम्पनी को प्रदत्त पूंजी का 51 प्रतिशत भाग निगम के पास रहेगा और प्रदत्त पूंजी का 19 प्रतिशत भाग भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम द्वारा लगाया जायगा। राज्य-स्तर की वित्तीय संस्थान 15 भाग तथा शेष 15 प्रतिशत शेयर पूंजी बैंक लगायेंगे।

प्रबन्ध विकास संस्थान

45. अपने कार्य प्रारम्भ करने की तीन वर्ष से भी कम की अवधि के भीतर प्रबन्ध विकास संस्थान ने देश में प्रबन्ध शिक्षा के क्षेत्र में अपना स्थान बना लिया है। संस्थान ने विकास बैंकिंग तथा विशेष उद्योगों के विभिन्न प्रबन्ध पहलुओं के क्षेत्र में पाठ्यक्रमों का आयोजन करने में अग्रता की है।

46. प्रबन्ध विकास संस्थान ने मार्च, 1974 में कार्य शुरू कर दिया और पहले 9 मास (मार्च-दिसम्बर, 1974) की अवधि में 15 कार्य-क्रमों का आयोजन किया जिनमें 424 व्यक्तियों ने भाग लिया।

प्रबन्ध विकास संस्थान ने 1975 के दौरान 25 कार्यक्रमों का आयोजन किया जिसमें अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से 813 भागीदारों ने हिस्सा लिया। भागीदारों में सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों ने भाग लिया। सरकारी विभागों और उप-क्रमों तथा विदेशी संस्थानों के कुछ अधिकारियों ने भी भाग लिया। 1975 के दौरान 25 कार्यक्रम आयोजित किय गये इनमें से आठ कार्यक्रम विकास बैंकिंग और 5 विशेष उद्योग कार्यक्रम, और 12 कार्यक्रम प्रबन्ध के विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित थे।

1976 के पूर्वार्द्ध में प्रबन्ध विकास संस्थान ने 13 कार्य-क्रमों का आयोजन किया इनमें से एक कार्य-क्रम निगम के अधिकारियों के लिए कम्पनी कार्य-क्रम था। कुल मिलाकर, प्रबन्ध विकास संस्थान का 1976 के दौरान 35 कार्य-क्रमों के आयोजन करने का प्रस्ताव है। 1976 के लिए कार्य-क्रमों की सूची रिपोर्ट के परिशिष्ट 'अ' में दी गई है।

47. प्रबन्ध विकास संस्थान द्वारा आयोजित कुछ कार्यक्रमों का अवलोकन निम्नलिखित अवतरणों में दिया गया है।

विकास वैंकिंग : जनवरी, 1975 में प्रबन्ध विकास संस्थान ने 'वित्तीय संस्थानों के नामिल संचालकों का योगदान : दायित्व तथा कार्य' विचार-गोष्ठी का आयोजन किया। सरकार द्वारा निर्धारित किये गये निदेशनों के अनुसार वित्तीय संस्थानों के लिए उन वित्तपोषित संस्थाओं के बोर्डों में अपने संचालक नामित करना अनिवार्य है जहां पर ऋण करारों में संपरिवर्तन धारा अनुबंधित की गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह कार्य-क्रम आयोजित करना उचित था। ऋण करारों तथा सरकारी निर्देशनों के अनुरूप अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सरकारी तथा गैर-सरकारी अधिकारियों को नामित करते रहे हैं। परिणामस्वरूप, विभिन्न अधिनियमों तथा सरकारी नीति के अनुरूप नामित संचालकों पर नई जिम्मेदारियां तथा दायित्व आ गये हैं। अतः विचार-गोष्ठी में उन संचालकों का ध्यान उनके अधिकारों तथा दायित्वों की ओर दिखाया गया इससे विचारों के आदान-प्रदान में भी काफी सहायता मिली।

'ऋण परियोजनाओं के पुर्नस्थापन' पर एक वर्कशाप का भी आयोजन किया गया। इस वर्कशाप में रूग्ण परियोजनाओं के विभिन्न पहलुओं जैसे रूग्णता का पता लगाना, पुनर्स्थापन के संचालन पहले जैसे प्रबन्धकवर्ग में परिवर्तन संस्थाओं की वित्तीय पुरसंरचना, विधि पहलू और संचालन दृष्टि से उनके अन्योन्य प्रभाव, पुर्नस्थापन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में तेजी लाना आदि पहलूओं पर विचार किया गया। 'पूर्व प्राषित नकदी बहाव तकनीकी तथा लागत लाभ विश्लेषण' की वर्कशाप में परियोजनाओं के आर्थिक मूल्यांकन में पूर्व प्राषित नकदी बहाव तथा लागत लाभ विश्लेषणों के योगदान पर जोर दिया गया।

प्रबन्ध विकास संस्थान ने इस वर्ष 'पिछड़े क्षेत्रों का विकास : दाय-पेंच एवं नीतियां' नामक महत्वपूर्ण विचार-गोष्ठी का आयोजन किया। वित्तीय तथा प्रवर्तन संस्थानों के योगदान पर भी जोर दिया गया। इस विचार गोष्ठी में विभिन्न वित्तीय तथा विकास संस्थानों के प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया और इसमें कम विकासित क्षेत्रों के विकास सं सम्बन्धित कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार हुआ। विचार गोष्ठी में विकास केन्द्रों की महत्ता पर जोर दिया जो कि स्थानीय आर्थिक क्षमता को विकसित करने का साधन है। इस बात पर भी जोर दिया गया कि ऐसे उद्योगों का प्रवर्तन किया जाये जो कुछ समय बाद सामूहिक प्रभाव डाल सके। इस विचार-गोष्ठी ने औद्योगिक अवस्थापना की धारणा की विस्तृत करने जिसमें हाऊसिंग, चिकित्सालय, पाठशालाएं, यातायात आदि को मिलाने पर बल दिया। सहायक और गौण उद्योगों के विकास के लिए उनका निरूपण करना, तथा योजना बनाकर कार्यरूप प्रदान करने पर भी जोर दिया गया। विचार गोष्ठी का मत था कि इस प्रकार के प्रोत्साहन तथा अनुदान दी जाये जो उद्योगों तथा आर्थिक कार्यों में प्रवर्तन लाने में भी सक्षम हो जिससे विस्तृत विकास लक्ष्यों जैसे, क्षेत्र के लोगों को उत्पादक तथा लाभकारी रोजगार प्रदान करना, स्थानीय कच्चे मालों का सदुपयोग, स्थानीय उद्यमकर्ताओं को प्रोत्साहन, आदि।

विशेष उद्योग कार्यक्रम : प्रबन्ध विकास संस्थान ने प्रथम बार चीनी तथा वस्त्र उद्योगों के अतिरिक्त खनन उद्योग में कार्यकारी विकास कार्यक्रम में प्रवेश किया। खनन उद्योग का प्रबन्ध कार्यक्रम इण्डियन स्कूल आफ साइन्स, धनबाद के परामर्श तथा सहयोग से आयोजित किया गया। प्रबन्ध विकास संस्थान द्वारा आयोजित अन्य कार्यक्रम था 'मन्दी तथा सुधार के दौरान हल्के इंजीनियरिंग उद्योग का प्रबन्ध'। आयोजित किए गए कुछ विशेष उद्योग कार्यक्रम थ 'सूत कताई मिलों में लागत तथा लागत नियंत्रण' 'चीनी उद्योग का प्रबन्ध तथा गन्ना विकास'।

48. विभिन्न कार्यक्रमों में प्रबन्ध विकास संस्थान की संकाय, जिसमें 1975 के दौरान काफी वृद्धि की गई, के अतिरिक्त सरकारी तथा गैर सरकारी ऐजेंसियों से भी अतिथि संकाय में लिए गए। अतिथि संकाय में मानचेष्ट्र ब्युजिनेस स्कूल से एक अतिथि ने 'मानव शक्ति उत्पादन और प्रोत्साहन कार्यक्रम में भाग लिया न्यू यार्क विश्वविद्यालय के दो सदस्यों ने उन्नत प्रबन्ध कार्यक्रम 'परिवर्तन का प्रबन्ध तथा चुनौतियां' में भाग लिया।

49. संकाय में वृद्धि होने के साथ-साथ प्रबन्ध विकास संस्थान धीरे-धीरे सलाहकारी कार्य हाथ में ले रहा है। 1975 के दौरान, एक सहकारी क्षेत्र की निगम के लिए संगठन विकास के क्षेत्र में तथा राज्य वित्तीय निगम के लिए कार्मिक प्रवरण के कार्य पूरे किये।

50. जैसा कि उल्लेख किया गया था कि हरियाणा सरकार ने इसके प्रांगण के निर्माण के लिए पालम हवाई अड्डे, नई दिल्ली के पास गुड़गांव में भूमि उपलब्ध कराई है। प्रबन्ध विकास संस्थान ने 11.45 लाख रुपये के मूल्य पर 36.38 एकड़ भूमि को अपने अधिकार में ले लिया है और निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

औद्योगिक परियोजनाओं के अभिज्ञान, प्रवर्तन तथा कार्यान्वयन कार्यक्रम

51. कम विकसित क्षेत्रों के औद्योगिक विकास पर अधिक जोर देने तथा नये उद्यमकर्ताओं और तकनीकियों को प्रोत्साहन प्रदान करने की वृद्धि दृष्टि से अब राज्य सरकारों एवं राज्य स्तर की विकास ऐजेंसियों के अधिकारियों पर अधिक दायित्व आ पड़ा है। इस दायित्व के दो रूप हैं। पहला तो सरकार ने स्वयं उद्यमकर्ता का भाग अदा करना है, विशेषकर, औद्योगिक रूप से कमविकसित क्षेत्रों में निवेश करना है जहां प्राइवेट उद्यमकर्ता धन लगाते हुए

कतराते हैं। दूसरे, नये उद्यमकर्ता तथा तकनीकी अपनी परियोजनाओं की योजना बनाने तथा कार्यान्वित करने के लिए राज्य स्तर की वित्तीय तथा विकास ऐजेंसियों की ओर देखते हैं। परिणामस्वरूप, निगम ने अनुभव किया कि यदि इन अधिकारियों को औद्योगिक परियोजनाओं के अभिज्ञान, निरूपण, मूल्यांकन और कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं में कुछ अभिस्थापन प्रदान किया जाये तो ये अपना दायित्व अधिक भली प्रकार निभा पायेंगे।

52. तदनुसार, निगम ने राज्य सरकारों, राज्य स्तर की विकास ऐजेंसियों के अधिकारियों तथा नये उद्यमकर्ताओं के लाभ के लिए औद्योगिक परियोजनाओं के अभिज्ञान, प्रवर्तन एवं कार्यान्वियन करने से सम्बन्धित कार्यक्रमों का आयोजन करने से सम्बन्धित कार्य-क्रमों का आयोजन किया। ये कार्य-क्रम निगम की ओर से प्रबन्ध विकास संस्थान द्वारा आयोजित किए जाते हैं। प्रथम कार्यक्रम का आयोजन फरवरी 1975 में उड़ीसा में पुरी नामक स्थान पर किया गया। अक्तूबर, 1975 में दूसरे कार्यक्रम का आयोजन उत्तर-पूर्वी खण्ड/केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के लाभ के लिए शिलांग में किया गया। 1976 के दौरान एक कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश में तथा दूसरे का आयोजन पश्चिमी बंगाल में किया गया। इन कार्यक्रमों को अच्छा प्रोत्साहन मिला और जिनके लिए ये कार्यक्रम बनाये गये हैं उन्होंने इन्हें सराहा है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, इन कार्यक्रमों पर आने वाला व्यय निगम द्वारा उठाया जाता है।

उद्योगों की सामान्य समीक्षा

53. 1975-76 के दौरान औद्योगिक उत्पादन की विकास दर 5.7 प्रतिशत रही जो कि 1974-75 की तुलना में 2.5 प्रतिशत अधिक थी। 1975-76 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि का कारण रहे हैं मुख उद्योगों, जैसे लोहा तथा इस्पात, नाइट्रोजन उर्वरक, कोयला, अलमोनियम और सीमेंट के उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार। बिजली के उत्पादन में भी वृद्धि होनी शुरू हुई। सर्वोपरि, सरकारी, क्षेत्र के उपक्रमों में उल्लेखनीय वृद्धि से राहत के लक्षण दिखाई पड़े। सुधारपूर्ण औद्योगिक सम्बन्धों ने भी औद्योगिक उत्पादन वृद्धि में अपना योगदान दिया। लेकिन कुछ उद्योगों, जैसे, सूती वस्त्र, आटोमोबाइल उद्योग और कुछ उपभोग्य पदार्थों के उत्पादन में कमी हुई।

वर्ष के दौरान, सरकार ने वर्तमान क्षमता के उपयोग में सुधार लाने के लिए तथा औद्योगिक लाइसेंस नीतियों और प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने के लिए कई कदम उठाये। मध्य स्तर के उद्यमकर्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने 21 चुने हुए उद्योगों को सामान्य लाइसेंस आवश्यकताओं से छूट देने का फैसला दिया। 29 उद्योगों ने मध्य दर्जे के उद्यमकर्ताओं को अपनी विस्थापित क्षमता से अधिक उपयोग करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है चाहे यह उनकी लाइसेंस क्षमता से अधिक है। ये सुविधाएं उन औद्योगिक उपक्रमों को उपलब्ध होंगी जो एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा और विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के अनुसार निर्यात के लिए अधिक उत्पादन अथवा सरकारी निवेशों के अनुसार बिक्री करने के लिए उत्पादन करते हैं।

इसके अतिरिक्त 15 चुने हुए इंजीनियरिंग उद्योगों को 5 प्रतिशत वार्षिक अथवा एक योजना की अवधि में 25 प्रतिशत की सीमा तक वर्तमान अधिकृत क्षमता की कुछ शर्तों के अधीन बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। यह स्वीकृति वृद्धि उत्पादन में लाइसेंस क्षमता में 25 प्रतिशत की सामान्य सीमा के अतिरिक्त मशीनरी उद्योगों में क्षमता का पूर्ण उपयोग करने की दृष्टि से सरकार ने मार्च, 1974 में मशीनरी उद्योगों के समूह के भीतर विशेष अनुमोदन प्रक्रिया के आधार पर मशीनरी उद्यैयोगों को उनके उत्पादन में विशाखन की पूर्ण स्वतंत्रता देने का फैसला किया है। बाद में यह सुविधा मशीनरी औजार उद्योगों, बिजली सयंत्र उद्योग, इस्पात ढलाई तथा कुटाई उद्योगों को भी प्रदान की गई। सरकार ने बिजली भट्टी उद्योग को भी जिनके पास इस्पात के गड्टों या सिल्लियों के उत्पादन की सुविधाएं हैं, को उनकी समग्र लाइसेंस सीमा में इस्पात ढलवा वस्तुओं के निर्माण के लिए विशाखन की पूर्ण स्वतंत्रता देने का निश्चय किया है। कुछ शर्तों के अधीन सरकार ने यात्री कारों का निर्माण करने वाले उपक्रमों को जो आटोमोबाइल, औद्योगिक मशीनरी तथा मशीनी औजारों के उद्योग समूह में आते हैं को समग्र लाइसेंस क्षमता के भीतर विशाखन करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

मई, 1975 में सरकार ने सीमेन्ट निर्माताओं को आन्तरिक उपयोग के लिए सयंत्रों को संरचना करने की स्वीकृति प्रदान की बशर्ते उस इकाई के पास इस प्रकार के सयंत्र निर्माण करने की सुविधाएं हों।

कुछ प्राथमिकता उद्योगों की लाभ क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से सरकार मूल्य नीति के क्षेत्र में कुछ कदम उठाये। कुछ मामलों में कीमतों से नियंत्रण हटा लिया गया है तथा अन्य कुछ मामलों में दोहरी कीमत व्यवस्था अपनाई गई है। एक ओर यह निदेशकों को उचित लाभ प्रदान करेगी तथा दूसरी ओर उपभोक्ताओं पर अधिक कीमतें पड़ने से रक्षा करेगी।

1976-77 के केन्द्रीय बजट में त्वरित विकास पर मुख्य जोर दिया गया है। बजट में निगमित क्षेत्र से सम्बन्धित रखे गये प्रस्तावों का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना तथा निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करना है। बहुत सी वस्तुओं में बिक्री कर का समायोजन जिनमें कि मांग कम थी। इसके अतिरिक्त कुछ प्राथमिकता उद्योगों में निवेश भत्ता योजना भी प्रारम्भ की गई। यह योजना प्रारम्भिक ह्रास भत्ता योजना के स्थान पर शुरू की गई है। निवेश भत्ता 31 मार्च, 1976 के बाद विस्थापित की जाने वाली नई मशीनरी और संयंत्र के लागत के 25 प्रतिशत की दर से दिया जायगा। बजट में उन कम्पनियों की आयकर पर 5 प्रतिशत के प्रभार में

छूट देने की भी व्यवस्था की गई है लेकिन उन्हें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में 5 वर्ष की अवधि के लिए इसके बराबर राशि जमा करानी होगी।

आगामी अवतरणों में कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों की समीक्षा दी गई है जिनमें निगम ने सहायता प्रदान की है इसके साथ ही इस संदर्भ में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर निगम द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं की प्रगति का भी ब्यौरा दिया गया है।

उर्वरक

1975 के दौरान नाइट्रोजन और फास्फेटीक (पी०ओ०) की विस्थापित क्षमता क्रमशः 25.09 लाख टन तथा 6.42 लाख टन थी। 1975 के दौरान नाइट्रोजन उर्वरकों का उत्पादन 14.20 लाख टन था जो कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2.27 लाख अधिक था। यह वृद्धि सरकारी क्षेत्र की उर्वरक इकाईयों की अच्छी प्रगति के कारण संभव हुई। लेकिन फास्फेटिक उर्वरकों के मामले में उत्पादन में सीमांत ह्रास हुआ है।

जुलाई, 1975 में सरकार ने नाइट्रोजन उर्वरकों, अर्थात यूरिया और केल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के दामों में कमी कर दी है। मिश्रित उर्वरकों के दामों में उनके उत्पादकों द्वारा काफी कमी की गई। फास्फेटिक एसिड पर आयात शुल्क और इकहरे सुपर फास्फेट पर उत्पादन शुल्क कम कर दिया गया। ये सभी कदम उर्वरकों के अधिक प्रयोग द्वारा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए।

निगम द्वारा वित्तपोषित एक संस्था ने 1975 में वाणिज्यिक आधार पर उत्पादन शुरु कर दिया है। यूरिया और एन० पी० के उर्वरकों का उत्पादन संतोषप्रद रहा है यद्यपि उच्च लागतों के कारण एन० पी० के खादों की बिक्री में कमी रही। यूरिया का उत्पादन करने वाली दो अन्य वित्तीय संस्थाओं का कार्य संतोषजनक रहा। सुपर फास्फेट का उत्पादन करने वाली एक अन्य वित्तपोषित संस्था के कार्य पर संचालन कठिनाईयों तथा बिजली की कटौती के कारण दुष्प्रभाव पड़ा। संस्था को कार्यकारी पूंजी के अभाव का सामना करना पड़ा।

सीमेंट

सीमेंट उद्योग में 54 इकाईयां उत्पादन में लगी हैं और इनकी विस्थापित क्षमता 211.6 लाख टन है। 1975 के दौरान सीमट के उत्पादन में 14.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई और उत्पादन 142.6 लाख टन से बढ़कर 163.0 लाख टन हो गया। 1975 के दौरान क्षमता का उपयोग 77 प्रतिशत रहा। सीमेंट उद्योग को उत्पादन की शुष्क प्रक्रिया उत्पादन को अधार बनाकर उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है क्योंकि इससे उत्पादन में काफी बचत होगी।

वर्ष के दौरान सरकार ने सीमेंट की उन इकाईयों पर लागू की जाने वाली मूल्य नीति की घोषणा की जो 1976–77 के बाद उत्पादन शुरु करेगी। इकाईयों को लगाई नई पंजी पर 14 प्रतिशत का प्रतिलाभ दिया जायेगा बशर्ते कि उनकी पूंजी लागत क्षमता का 650 रुपया प्रति टन से अधिक न हो नई/विस्तार इकाईयों के लिए जो 1975–76 और 1976–77 में उत्पादन शुरु करेगी, उन्हें धारण मूल्य पर 10 रुपये प्रति टन की स्वीकृति प्रदान की गई है। अक्तूबर, 1975 में कोयला, बिजली आदि की उच्च लागतों को पूरा करने के लिये 18.60 रुपए प्रति टन की दर से धारण मूल्य में वृद्धि की गई। लेकिन यह वृद्धि उपभोक्ता पर नहीं डाली गई क्योंकि फुटकर मूल्य को स्थिर रखा गया।

निगम की एक वित्तपोषित संस्था ने पूर्ण क्षमता से कार्य किया। दक्षिण में स्थित चार निगम द्वारा वित्तपोषित संस्थायें बिजली की कमी के कारण क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर सकी। बिहार में स्थित एक अन्य वित्तपोषित संस्था बिजली में कटौती और चुने में कमी के कारण भली प्रकार काम नहीं कर सकी। मेघालय में स्थित एक अन्य संस्था अपने कार्य में सुधार कर रही है और वर्ष के दौरान इसकी विस्तार योजना के लिए और रहायतें मंजूर की गई। इन संस्थाओं का औसतन क्षमता उपयोग 81 प्रतिशत था। कुछ वित्तपोषित संस्थायें सीमेंट के उत्पादन के लिए गीली प्रक्रिया को छोड़ कर शुल्क प्रक्रिया को अपना रही है।

कागज

1975 के अन्त में 74 लाख कागज मिल उत्पादन में लगे थे और इनकी विस्थापित क्षमता 10.40 लाख टन थी। 1975 के दौरान कागज तथा गत्ते के उत्पादन में 1974 की तुलना में 8,000 टन की सीमांत कमी रही। कागज की उपलब्धता स्थिति में सुधार होने तथा कागज की सहज उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1974 में जारी किए गए आदेश में अस्थाई रुप से कुछ ढील कर दी है। उद्योग ने शिक्षा क्षेत्र और रियायती दर पर उपलब्ध कराने के लिए सफेद छपाई कागज की सरकारी मांग को पूरा किया है। लेकिन सरकार ने उद्योग को इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में अधिक निवेश को आकर्षित करने और उद्योग को विकसित करने के लिए सरकार नई कागज इकाईयों को 2750 रुपये प्रति टन की रियायती दर से कागज उपलब्ध कराने के लिए उत्पादन प्रारम्भ करने से 5 वर्ष अथवा 31 दिसम्बर, 1983 तक की छूट प्रदान की है। यह आदेश उन विस्तार योजनाओं पर भी लागू होंगे जिन्होंने 24 जनवरी, 1976 के बाद उत्पादन शुरु किया है।

कुछ शर्तों के अधीन सरकार ने कागज उद्योग को उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम की कुछ उपबन्धों से छूट प्रदान की है यदि यह कच्चे माल का आधार कृषि घासफूस तथा देशी मशीनरी का उपयोग करेगी लेकिन आधारित कच्चे माल पर आधारित संकलित मिलों पर उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम, 1951 की धाराऐं लागू रहेंगी और सरकार उनकी योजनाओं पर गुणावगुणों के आधार पर विचार करेगी।

निगम की वित्तपोषित एक संस्था ने अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग किया। बाजार दबाव और बिजली की कमी एवं तनावपूर्ण औद्योगिक संबंधों के कारण वित्तपोषित संस्थाओं के मामलो में क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा सका।

सोडा एश

1975 के अन्त में चार इकाईयों सोडा एश के उत्पादन में लगी थी और इनकी विस्थापित क्षमता 6.33 लाख टन थी जो कि 1974 में 6.18 लाख टन थी। 1975 में सोडा एश का उत्पादन 5.42 लाख टन रहा जो कि पिछले साल की तुलना में 0.24 टन अधिक था।

पांचवीं योजना में 11.00 लाख टन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने 4.57 लाख टन की अतिरिक्त क्षमता का अनुमोदन किया है।

निगम की वित्तपोषित संस्था का उत्पादन क्षमता से अधिक रहा। हाल ही में यह परियोजना अपनी वार्षिक क्षमता 55,000 टन से 65,000 टन बढ़ाने के लिए परिवर्तन, पुनस्थापन और विस्तार योजना बनाई है। अन्य इकाई का क्षमता उपयोग कुछ कम रहा।

आटोमोबाइल टायर और टयूब

आटोमोबाइल टायर और टयूबें उद्योग में 13 इकाईयां उत्पादन कर रही हैं और इनकी वार्षिक विस्थापित क्षमता 66.25 लाख वार्षिक है। 1975 में टायरों और टयूबों का उत्पादन क्रमशः 60.00 लाख और 47.00 लाख रहा। उद्योग को बाजार कठिनाइयों का सामना करना पडा। 1980–81 तक 120 लाख के लगभग क्षमता पैदा किए जाने का अनुमान है जो भावी मांग को पूरा कर सकेगी। उद्योग से विचार विमर्श करके सरकार ने हैवी ड्यूटी टायर और टयूबों के वितरक की योजना लागू की है। यह वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाने और प्राथमिक क्षेत्रों को पूर्ति आश्वस्त करने तथा प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किया गया है। 1976–77 के केन्द्रीय बाजार में आटोमोबाइल टायर और टयूबों को शुल्क में छूट दी गई है जबकि करारों के साथ इन्हें मूल यंत्र के रूप में दिया जाता है।

जैसी कि सामग्र उद्योग में स्थिति भी निगम द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं को बाजार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। निगम द्वारा वित्तपोषित एक संस्था को इसके अतिरिक्त तनाव पूर्ण औद्योगिक संबंधों और अन्य संस्था को विभिन्न कारणों, जैसे, संचालन कठिनाईयों, बिजली की कमी आदि के कारण बाजार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ा।

लघु इस्पात संयंत्र

नरम इस्पात सिलियों/बिसटों का उत्पादन करने के लिए 202 लाइसेंस प्राप्त/पंजीकृत बिजली की भट्टी वाली इकाईयां हैं। इन इकाईयों की प्रतिवर्ष कुल क्षमता 43.2 लाख टन है। इसके अतिरिक्त बहुत सी ऐसी इकाईयां भी हैं चाय भट्टियां आदि की स्थापना के लिए प्रभावशाली कदम उठाये है लेकिन इनको लाइसेंस देने पर विचार नहीं किया जा सका क्योंकि ये प्रभावशाली कदम अक्टूबर, 1973 से पहले नहीं उठाये गये थे। इनकी क्षमता का जायजा लेने के बाद इस्पात सिल्लियों की बिजली भट्टी क्षमता कहीं अधिक होगी। आजकल 100 इकाईयां उत्पादन में लगी हैं। इनकी क्षमता उपयोग बहुत ही कम रहा। यहां तक कि 30 प्रतिशत नीचे तक। पहले इन इकाईयों की बिजली की कमी और लौह छीजन की कमी का सामना करना पड़ रहा था। बाद में इनके सामने बजार कठिनाईयां रही। इसका कारण था कि लघु इस्पात संयंत्रों की उत्पादन लागत संकलित इस्पात संयंत्रों से अधिक है। परिणामस्वरूप, सरकार का विचार है कि इन इकाईयों की दीर्घकालीन आधार परस्वास्थ्य नीव प्रदान की जाये और इन्हें तत्काल राहत प्रदान की जाये ताकि ये वर्तमान वितरित बाजार स्थिति को सहन कर सकें। सरकार ने लघु-इस्पात संयंत्रों को व्यावहार्यता में सुधार लाने के लिए व्यावसायिक परामर्शदाताओं द्वारा अध्ययन शुरु करवाया है ताकि इन इकाईयों का गहराई से अध्ययन किया जा सके और विशाखन सहित अन्य उचित उपायों का अनुमोदन किया जा सके।

लेकिन परामर्श दाताओं के सुझाव प्राप्त होने तक, सरकार ने इन इकाईयों को तुरन्ततत राहत प्रदान करने की जरुरत को समझा है और दिसम्बर, 1975 में लघु इस्पात संयंत्रों द्वारा उत्पादित सिल्लयों पर उत्पादन शुल्क 200 रुपये प्रति टन से घटाकर 40 रुपये प्रति टन कर दिया है।

निगम द्वारा वित्तपोषित लघु इस्पात संयंत्रों की प्रगति उद्योग की बाकी सामान्य प्रगति के समान रही थी। उन्हें अलाय्, भारी बाजार मूल्यों के कारणबाजार कठिनाईयों का भी सामना करना पड़ा।

इस्पात की ढलवां वस्तुएं

इस्पात की ढलवां वस्तुओं का उत्पादन करने वाले संगठित क्षेत्र में 51 इकाईयां उत्पादन में लगी थी और इनकी विस्थापित क्षमता 1.60 लाख टन थी। 1975 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में 7 प्रतिशत की कमी हुई। उत्पादन में गिरावट का मुख्य कार् सामान्य इस्पात की ढलवां वस्तुओं की मांग का कम हो जाना था। यद्यपि विशेष ढलवां वस्तुओं की मांग अच्छी थी लेकिन बहुत से मामलों में उचित तकनीकी आधार की कमी के कारण उत्पादन शुरु नहीं किया जा सका।

सरकार ने इनकी सामग्री लाइसेंस गक्षमता के भीतर इस्पात सिल्लियों का उत्पादन करन की स्वीकृति प्रदान कर दी है ताकि ये अपनी अतिरिक्त पिघलाई क्षमता का उपयोग कर सकें।

अनुमान लगाया गया है कि 1975 में लौह की ढलवां वस्तुओं का उत्पादन 1974 के उत्पादन की तुलना करने पर लगभग 5.5 प्रतिशत उत्पादन अधिक होगा क्योंकि इन इकाईयों ने इंजीनियरिंग उद्योग, और रेलवे के लिए ढले लोहे के पटों तथा सेनिटरी के अन्य ढलवां सामान की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन में विशाखन कर लिया है। 1975 में लोचदार इस्पात की ढलवां वस्तुओं का उत्पादन 1975 की तुलना में कम था जिसका कारण बिजली की कटौती और कुछ मामलों में वर्ष की कुछ अवधि-दौरान तनावपूर्ण औद्योगिक संबंध रहे हैं। लोहे की ढलवां वस्तुओं और लोचदार ढलवां वस्तुओं का उत्पादन करने वाली एक निगम की वित्तपोषित संस्था बिजली की कमी और प्रबन्ध कमियों के कारण पूर्ण क्षमता का प्रयोग नहीं कर सकी।

शक्ति टिलर्स

आजकल शक्ति टिलरों का उत्पादन करने वाली चार इकाईयां हैं और इनकी कुल वार्षिक विस्थापित क्षमता 16000 है। 1975

के दौरान शक्ति टिलरों के उत्पादन का अनुमान 3000 है जो पिछले वर्ष 2009 था। कम मांग के कारण उत्पादन विस्थापित क्षमता से कहीं अधिक रहा। योजना आयोग के अनुसार पांचवीं योजना के अन्त में शक्ति टिलरों के क्षमता और उत्पादन लक्ष्य क्रमश: 36000 और 20000 होगा। हाल ही में मांग में वृद्धि हुई है।

निगम द्वारा वित्तपोषित एक संस्था की क्षमता कच्चे माल और पुर्जों, संचालन कठिनाईयों, बाजार सीमाओं एवं बिजली की कमी के कारण पूरी उपयोग नहीं की जा सकी। अन्य संस्था की बाजार कठिनाईयों तथा बिजली की कमी का सामना करना पड़ा।

कृषि ट्रैक्टर

इस समय कृषि ट्रैक्टरों का उत्पादन करने वाली लाइसेंस प्राप्त 15 इकाईयां हैं इनकी कुल क्षमता 129000 है। इन 15 इकाईयों में से 11 उत्पादन में लगी हैं और इनकी कुल वार्षिक विस्थापित क्षमता 50,000 है। 1975 (32000) में 1974 (29052) की तुलना में 10 प्रतिशत उत्पादन वृद्धि हुई। ट्रैक्टरों का सामान वितरण करने के लिए 1971 में लागू किया गया ट्रैक्टर (वितरण और बिक्री) आदेश में जनवरी, 1976 में ढील कर दी गई और अब केवल तीन माडलों के ट्रैक्टर की इस सीमा में आते हैं।

सरकार ने अक्टूबर, 1974 में ट्रैक्टरों की पैरामिटरीक संनिरीक्षण व्यवस्था लागू की है। विभिन्न कच्चे मालों की कीमतें बढ़ने के परिणामस्वरूप ट्रैक्टरों की मांग में गिरावट आई। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने तीन माडलों को छोड़कर निरीक्षण 15 जनवरी, 1976 से समाप्त करने का फैसला किया।

निगम द्वारा वित्तपोषित देशी डिजायन और जानकारी पर आधारित निर्माण करने वाली एक संस्था कुट्टित/ढलवां वस्तुओं का एवं हाइड्रोलिक पम्पों की उपलब्धता में कमी होने के कारण अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर सकी। एक अन्य संस्था का 1975 के दौरान क्षमता उपयोग 75 प्रतिशत था। वह अपने उत्पाद के देशीयकरण और क्षमता उपयोग के लिए क्रमिक विकास करने में व्यस्त थी।

सूती वस्त्र

देश में 698 सूती वस्त्र मिल हैं जिनमें 409 कताई मिल और 289 संयुक्त मिलें हैं। 1975 के अन्त में कुल 698 मिलों का विस्थापित क्षमता 195.44 तकुए और 2.08 लाख करघे थी। सूती धागे का उत्पादन 1974 के 10070 लाख किलो से घटकर 1975 में 9893 लाख किलो रह गया। इसी प्रकार कपड़े का उत्पादन भी 1974 में 43154 लाख मीटर से घटकर 1975 में 40323 लाख मीटर रह गया। 1975 में उत्पादन में गिरावट का मुख्य कारण बाजारी सुस्ती और बिजली कटौती रहे हैं। निर्यात मांग में गिरावट आई और नियंत्रित कपड़े के वितरण के लिए असन्तोषजनक व्यवस्था की कठिनाईयों को और भी बढ़ा दिया। सरकार ने नवम्बर 1975 में नियंत्रित कपड़े का वितरण व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किए जिससे मिलों की स्टाक स्थिति में कुछ सुधार हुआ।

निगम द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं का कार्य कपास और धागे की कीमतों में समरुपता न होने के कारण संतोषजनक नहीं रहा है। बिजली कटौती से कठिनाईयां और भी बढ़ गई। संक्षेप में, तकुओं का कम उपयोग, धागे का कम उत्पादन, कार्यकारी खर्चों में वृद्धि कच्ची कपास, की उच्च लागत के कारण निगम द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं का कार्य विशेषकर कताई क्षेत्र में असंतोषप्रद रहा।

चीनी

1974–75 के मौसम के 47.94 लाख टन की तुलना में 1975–76 के दौरान उत्पादन में गिरावट हुई और इसका अनुमान 45 लाख टन रहा।

सरकार ने 1975–76 के दौरान भी 1974–75 के मौसम के लिए निर्धारित न्यूनतम मूल्य बनाये रखने का निर्णय किया जो कि 8.5 प्रतिशत अथवा इससे कम की उपलब्धि के लिए गन्ने का मूल्य 8.50 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था जिसके साथ 8.5 प्रतिशत से अधिक प्रत्येक 0.1 प्रतिशत वृद्धि के लिए 10 पैसे का प्रीमियम निश्चित किया था। उच्च लागत चीनी इकाईयों को व्यवहार्य बनाने के लिए जांच करने से आवश्यक राहत प्रदान के लिए सरकार ने सम्पत समिति की स्थापना की और इसके सुझावों के अनुसार नई इकाईयों और विस्तार योजनाओं के लिए नई प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई। बाकी कारखानों के लिए नियंत्रित चीनी तथा उन्मुक्त चीनी का अनुपात 65 : 35 रखा गया।

31 दिसम्बर, 1975 को लाइसेंस प्राप्त/पंजीकृत चीनी सहकारिताओं की कुल संख्या 178 थी। 1975–76 के मौसम के दौरान इनमें से 103 सहकारी चीनी फैक्टरियां उत्पादन में लगी थी। 1975–76 के दौरान कुल चीनी उत्पादन में सहकारी क्षेत्र का योगदान 20.08 लाख टन था जो कि कुल उत्पादन का 47 प्रतिशत है।

महाराष्ट्र क्षेत्र में वित्तपोषित संस्थाओं की प्रगति संतोषजनक रही। चीनी क्षेत्र विशेषकर सहकारी क्षेत्र में क्षमता उपयोग अच्छा रहा है। लेकिन सूखा स्थिति के कारण तमिलनाडु और गुजरात की इकाईयां अच्छी प्रगति नहीं कर सकी।

पटसन

पटसन उद्योग के लिए विशेषकर 1975 का वर्ष अच्छा नहीं रहा। निर्यात मांग गिर गई और कृत्रिम रेशों से प्रतिस्पर्धा तीव्र हो गई। बंगला देश से प्रतिस्पर्धा बढ़ी। 1974 के 10.83 लाख टन की तुलना में 1975 में उत्पादन बढ़कर 11.35 लाख टन हो गया उद्योग ने लगभग पूरी क्षमता से काम किया। निर्यात बिक्री को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने क्रमबद्ध रुप से सभी पटसन वस्तुओं पर निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया। निर्यात के लिए गलीचे के आस्तीनों पर नकद सहायता मंजूर की।

निगम द्वारा वित्तपोषित पटसन मिल कम्पनियों का मुख्यतया एक ओर स्टाक जमा हो जाने और दूसरी ओर लगातार हानि के कारण संचालन अच्छा नहीं रहा। आगामी मौसम अर्थात 1976–77 के दौरान प्रति एकड़ अधिक उत्पादन तथा अनुकूल जलवायु से पटसन की अच्छी फसल होने की संभावना है। अत: संभावना है कि उद्योग को उचित मल्य पर अपनी आवश्यकताओं के लिए कच्चा माल प्राप्त हो सकेगा।

अन्तिम उपयोग तक देख-रेख तथा अनुवर्ती कार्यवाही

54. किसी भी अन्य विकास बैंक की भांति निगम ने भी ऋण मंजूर हो जाने के पश्चात अन्तिम उपयोग तक उचित देख-रेख तथा अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए कार्याविधि की व्यवस्था की है। यह इस बात का पता लगाने के लिए अनिवार्य है कि ऋण करार में अनुबन्धित शर्तों का पालन किया गया है या नहीं और परियोजना कार्यक्रम के अनुसार प्रगति कर रही है अथवा नहीं।

कुछ वर्ष पूर्व तक अन्तिम उपयोग तक देख-रेख तथा अनुवर्ती कार्यवाही का दायित्व मूलतः देश के चार महानगरों में स्थित शाखा कार्यालयों पर था। वित्तपोषित परियोजनाओं की संख्या बढ़ने तथा उनके समग्र देश में और यहां तक कि सुदूर ग्रामों में व्याप्त होने से आवश्यक मात्रा में अन्तिम उपयोग तक देख-रेख तथा अनुवर्ती कार्यवाही करना अधिक कठिन हो गया था। अतः पिछले तीन वर्षों में निगम ने विभिन्न राज्यों में 13 और अधिक कार्यालय खोले हैं। इन कार्यालयों में आवश्यक तकनीकी तथा वित्तीय स्टाफ की व्यवस्था की गई है जो अब अधिक तेजी से फैक्टरी स्थल पर जाकर निरीक्षण कर सकेंगे। अतः निगम के विभिन्न कार्यालय इस स्थिति में हैं कि वे प्रधान कार्यालय से उचित निदेश प्राप्त करके वित्तपोषित संस्थाओं की अनुवर्ती कार्रवाई कर सकते हैं।

अन्तिम उपयोग तक देख-रेख तथा अनुवर्ती कार्रवाई के उद्देश्यों को संक्षेप में नीचे दिया गया है :—

(1) यह देखना तथा निश्चित करना कि सहायता का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए यह मंजूर की गई थी।

(2) निर्माण अवस्था में देखना है कि निर्माण की प्रगति कार्य क्रमानुसार चल रही है।

(3) इस बात का अनुमान लगाना कि परियोजना मूल्य प्राक्कलित पूंजी लागत में पूर्ण हो सकेगी, यदि नहीं तो कितना अति-व्यय होने का अनुमान है।

(4) उत्पादन प्रगति तथा कार्य परिणामों का मूल्यांकन करना।

(5) प्रबन्धक वर्ग की कुशलता।

प्रगति रिपोर्ट

57. प्रत्येक उद्योग की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण और संचालन काल में प्रगति रिपोर्ट देने के लिए अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं ने सांझे प्रपत्र बनाये हैं। ये फार्म इस प्राप्त अनुभव के आधार पर बनाये गए हैं जिनसे पता चलता है कि किसी संस्था के निर्माण काल में उसके सामने आने वाली कठिनाईयों में वित्त-व्यवस्था परियोजना को कार्यरूप देने में देरी, प्रारम्भिक अनुमानों से लागत में अति-व्यय और प्रबन्ध की कमजोरियां जैसी समस्यायें प्रमुख हैं। ये प्रगति रिपोर्टें निगम तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपचारक सलाह प्रदान करने के अतिरिक्त इन वित्तीय संस्थानों को परियोजना की प्रगति तथा वित्तीय योजना के अनुरूप संवितरणों में सहायता प्रदान करती हैं।

इन रिपोर्टों को नियमित रूप से प्राप्त करना तथा उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना निगम के विभिन्न कार्यालयों की जिम्मेदारी है। रिपोर्टों की जांच पड़ताल के पश्चात यदि इनमें कुछ अनुचित अनियमितताएं देखी जाती हैं तो सम्बन्धित कार्यालय निगम के प्रधान कार्यालय को सूचित करके वित्तीय संस्थाओं को सीधे अवगत करा देते हैं।

निरीक्षण

58. ऋण करार के बन्धक हो जाने की तारीख से लेकर जब तक ऋण का कोई भाग बकाया रहता है निगम के अधिकारी फैक्टरी स्थल पर जाकर परियोजना के निर्माण तथा कार्य संचालन के बारे में निरीक्षण करते हैं। वित्तपोषित संस्थाओं की लेखा पुस्तकों का निरीक्ष भी किया जाता है। सामान्यत, ये निरीक्षण निगम के वित्तीय तथा तकनीकी अधिकारियों के दल द्वारा किए जाते हैं। निरीक्षण के लिए आवश्यक विवरण तथा आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए इन वित्तपोषित संस्थाओं को आमतौर पर प्रस्तावित जांच से 10-15 दिन का समय दिया जाता है। निरीक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए वित्तपोषक संस्थाओं से परियोजनाओं पर किए गए व्यय का ब्यौरा, निगम द्वारा संवितरित ऋणों का उपयोग, परियोजनाओं की प्रगति, संचालन तथा वित्तीय स्थिति के बारे में ब्यौरा रखने को कहा जाता है। तकनीकी तथा वित्तीय जांच करने के समय निगम के अधिकारी ऋण प्राप्तकर्ता की फैक्टरी स्थल पर जाते हैं और वहां पर सम्बन्धित रिकार्डों, लेखों तथा कार्यक्रमों, लागत के अनुमानों, सन्यन्त्र की योजनाओं तथा मापदंडों, आदि की जांच करते हैं। इन निरीक्षणों में इस बात पर जोर दिया जाता है कि कम्पनी के सम्बन्धित अधिकारियों से निजी रूप से विचार-विमर्ष किया जाए और आवश्यकता पड़ने पर स्पष्टीकरण कर दिया जाये।

इसके अतिरिक्त निरीक्षण दल अपने आप को इस बात से भी आश्वस्त करता है कि निगम से लिए गए ऋण की मूल राशि अलग बैंक खाते में रखी गई है तथा इसका उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जा रहा है जिसके लिए इसे मंजूर किया गया है। ऋण के संवितरणों की सभी राशियों से पहले तथा बाद में ऋणों के उपयोग से सम्बन्धित निरीक्षण किए जाते हैं और परियोजना की कार्यरूप देने सम्बन्धी की गई प्रगति का भी निरीक्षण किया जाता है।

परियोजना के वाणिज्यिक आधार पर उत्पादन शुरू कर देने के पश्चात प्रथम निरीक्षण पुनर्मूल्यांकन के तौर पर किया जाता है ताकि लागत के अनुमान और लाभ की संभावयताओं के अन्तर का सही प्रकार से पता लगाया जा सके और परियोजना का उचित दृष्टि से पुनर्मूल्यांकन किया जा सके।

जिन मामलों में अन्य वित्तीय संस्थाओं का भी सम्बन्ध होता है उनमें यदि नियत समय के पश्चात निरीक्षण संयुक्त रूप से न किया जा सके तो एक दूसरे को अवगत करा दिया जाता है। आवश्यकतानुसार विदेशी मुद्रा उप-ऋणों के मामलों में सम्बन्धित विदेशी वित्तीय संस्थाओं को रिपोर्ट भेजी जाती है।

नियत समय पर प्रगति रिपोर्टें प्राप्त करने व निरीक्षण करने के अतिरिक्त वित्तपोषित संस्थाओं के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र तथा अंशधारियों की बैठकों की सूचनाएं तथा कार्यवृत्त निगम को भेजने होते हैं। वित्तीय सारणियों का सावधानी से अध्ययन तथा विश्लेषण किया जाता है ताकि कम से कम पिछले तीन वर्षों के दौरान उनकी प्रगति लाभ व अन्य वित्तीय पहलुओं की तुलना की जा सके। इस परीक्षण के दौरान कम्पनी की समग्र प्रगति के बारे में निष्कर्ष निकालने के अतिरिक्त इस बात की भी जांच की जाती है कि निगम के साथ किए गए करारनामों का उलंघन तो नहीं किया गया है।

सलाहकारी सेवाएं

59. निगम के प्रधान कार्यालय में 1973 में स्थापित सलाहकारी सेवाएं विभाग नए उद्यमकर्ताओं, तथा अन्यों को उनकी परियोजनाओं, कार्यान्वियन पूर्व अवस्थाओं तथा बाद की अवस्थाओं में तकनीकी तथा वित्तीय क्षेत्रों में परामर्श एवं पथप्रदर्शन प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त, यह विभाग ऐसी परियोजनाओं के पुर्नस्थापन की ओर भी विशेष ध्यान रखता है जो कठिनाई में पड़ जाती हैं और किसी भी कारण से उनमें रुग्णावस्था के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। प्रत्येक मामले में उनकी चिन्ता दूर करने के लिए वित्तीय तथा तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा समस्या का विश्लेषण किया जाता है और अन्य वित्तीय संस्थानों/बैंकों के साथ मिलकर समस्या का समाधान निकालने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं।

नामित संचालक

60. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा वित्तपोषित संस्थाओं के प्रबन्धकों के बीच संबंध स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण आयाम उनके संचालक बोर्डों में अपने सदस्य नामित करना है। औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 25(2) के अनुसरण में निगम नीति के तौर पर वित्तपोषित औद्योगिक संस्थाओं के बोर्डों में दो संचालक नियुक्त करने का अधिकार आरक्षित रखता है। संयुक्त रूप से वित्तीय सहायता देने के मामलों में यह निश्चय किया गया है कि भागीदार संस्थाओं के एक अथवा अधिक सदस्य सामूहिक रूप से नामित किए जा सके।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम उन सभी वित्तपोषित संस्थाओं के मामले में जिन्हें काफी मात्रा में वित्तीय सहायता दी गई है अथवा वित्तीय सहायता प्रदान करने के ऋण करारों में ऋण के साधारण शेयरों में बदलने की संपरिवर्तन धाराएं अनुबंधित की गई हैं, अपने प्रतिनिधि नामित करने के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सामान्यत: निम्नलिखित स्थितियों में वित्तपोषित संस्थाओं के बोर्डों में निगम अपने संचालक नामित करने की स्वेच्छा का उपयोग करता है :—

(1) जिन मामलों में निगम की हामीदारी तुलनात्मक रूप से अधिक हो,

(2) जिन मामलों में निगम के ऋणों के मूलधन तथा ब्याज की अदायगी में चूकें की गई हैं, तथा

(3) जिन मामलों में वित्तपोषित संस्थाओं पर सतर्कता रखने अथवा नजदीकी देखभाल रखने की अन्यथा विशेष आवश्यकता हो।

संचालकों के रूप में नामित व्यक्ति या तो निगम के अपने अधिकारी होते हैं अथवा गैर-सरकारी, परन्तु गैर सरकारी व्यक्ति सामान्यत: विशेषज्ञ होते हैं।

संचालकों के रूप में नामित व्यक्तिनिगम की स्वेच्छा से पद पर रह सकते हैं तथा इनके लिए शेयरों की कोई निश्चित मात्रा रखना अनिवार्य नहीं है और न ही वे क्रमिक रूप से कार्य निवृत्त होते हैं। इन नामित संचालकों से वित्तपोषित संस्थाओं के बोर्डों के सभी कार्यक्रमों में सक्रिय भाग लेने की आशा की जाती है। निगम द्वारा निमत संचालकों से आशा की जाती है कि वे संस्था के दैनिक प्रबन्ध में हस्तक्षेप के बिना बोर्ड में आने वाले सभी मामलों विशेषकर जिनका संबंध निगम द्वारा दी गई सहायता तथा इसके हित से हो अथवा जो मामले सरकारी नीति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हों, में भाग लें।

ताकि नामित संचालक संस्था के कार्य संचालन से संबंधित मामलों, जैसे, विस्थापित क्षमता की तुलना में उत्पादन, बिक्री, विवरण सूचियों तथा उपलब्धियों की तर्क संगतता, संस्था की रोकड़ स्थिति, कानूनी दायित्वों को पूरा करना, महत्वपूर्ण पदों में परिवर्तन, आदि से नजदीकी संबन्ध रख सकें, इसके लिए कम्पनियों द्वारा आवश्यक सूचनाएं तथा आंकड़े देने के लिए प्रपत्र बनाए गए हैं। इस सूचना को संचालक बोर्ड की बैठकों में प्रस्तुत किया जाता है।

नामित संचालकों को प्रभावशाली बनाने के लिए वित्तपोषित संस्थाओं को उनके संगठन में भी प्रबन्ध सूचना, प्रबन्ध लेखांकन, बजटिंग और नियंत्रण की आवश्यकता पर आधारित व्यवस्थाएं रखने को कहा जाता है।

ऋणों का साधारण शेयरों में संपरिवर्तन

61. सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार निगम अपने द्वारा मंजूर किए गए ऋण के कुछ भाग को वित्तपोषित संस्था की साधारण पूंजी में संपरिवर्तन करने का अधिकार आरक्षित रखता है और इस नीति का औचित्य अब पूर्ण स्वीकृति प्राप्त कर चुका है। निगम ने 30 जून, 1976 तक 213 संस्थाओं से संबंधित 272 मामलों में (176 मामलों में ऋण करार अनुबन्ध हो चुके हैं) परियोजनाओं के प्रवर्तकों से पूर्व विचार विमर्श तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से अनुमोदन करके रूपया ऋणों के साधारण शेयरों में संपरिवर्तन की शर्त लगाई है। वास्तव में इस अधिकार का 9 मामलों में उपयोग किया गया है और अन्य मामलों में या तो विकल्प के उपयोग की अवधि का समय नहीं आया है या प्रतीक्षा करना उपयुक्त समझा गया है।

अत: यह बात स्पष्ट है कि वित्तीय संस्थान तथा वित्तपोषित संस्था के बीच का संबंध व्यापारिक संबंध है और यह स्वाभाविक ही है कि निगम को न केवल अपने हित की रक्षा तथा देखभाल करनी होती है, अपितु सलाह सेवाएं भी प्रदान करनी पड़ती हैं। वित्तपोषित संस्था में भारी जोखिम होने के कारण निगम उद्यम में साझेदार के रूप में कार्य करता है और उसके कार्यों में गहन रुचि रखता है।

निगम को अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए ऐसी सूचना की आवश्यकता होती है जो कोई भी जागरुक प्रबन्धकवर्ग अपने हित

में एकत्र करके अध्ययन करेंगे, इस प्रकार अनुवर्ती कार्रवाई संस्थाओं पर बोझ न होकर कुशल प्रबन्धक वर्ग के लिए सहायक होती है।

ऋणों की वापसी अदायकी गति

62. इंजीनियरिंग उद्योग में बाकीदारी संस्थाओं की संख्या 46 थी। इन इकाइयों के कार्यों में बाधा का प्रमुख कारण अकुशल प्रबन्ध था। कुछ इकाइयों के सामने मांग में नरमी की प्रवृत्ति के कारण बाजार में उच्च प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। इसका मुकाबला करने के लिए कुछ समय लगा। कृषि के काम में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाइयां यद्यपि स्वीकार्य वस्तुओं का उत्पादन कर रही थीं लेकिन उत्पादों का उपयोग करने वालों को प्राप्त सीमित साख सुविधाओं के कारण अपना उत्पादन तथा बिक्री नहीं बढ़ा सकी। नई/आयात प्रतिस्थापन वस्तुओं का उत्पादन करने वाली इकाइयां कठिनाई में रहीं। बिजली प्रधान इकाइयों को भी बिजली की कमी नहीं रही लेकिन बाजार की कठिनाई उनके सामने भी रही। कुछ इकाइयों को अच्छे कार्य-परिणाम न होने के कारण उन्हें कार्यकारी पूंजी का आभाव रहा है और इस कारण ईन इकाइयों की कठिनाइयां बढ़ गई। वर्ष के दौरान, वित्त-पोषित संस्थाओं में सुधार लाने के लिए इनके कार्यों का गहन अध्ययन कार्यों का अवलोकन और विभिन्न पर्यायों का अध्ययन किया गया। यह भी कोशिश की गई कि बाकीदारी करने वाली संस्थाओं को साधनपूर्ण और कार्यशील उद्यमकर्ताओं को इनका प्रबन्ध दिया जा सके। प्रबन्ध में परिवर्तन करके भी रुगण इकाइयों को पुर्नस्थापित किया गया। वर्ष के दौरान एक रुग्ण इकाई का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में लिया। एक अन्य मामले में प्रबन्ध परिवर्तन के लिए विचार विमर्श लगभग पूरा हो चुका है और शीघ्र ही औप-चारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी। इससे तीन वर्ष से बंद हुई इकाई को पुनः चालू करने में सहायता मिलेगी।

पिछले वर्ष के समान ही चीनी उद्योग जिसे अधिक देख-भाल की आवश्यकता है, में बाकीदारी संस्थाओं की संख्या 16 थी। कुछ इकाइयों का कार्य लगातार असंतोषजनक रहा जिसका कारण था कम सिंचाई की सुविधाओं और गन्ना विकास के लिए सगठित प्रयास न किए जाने से गन्ने की कम उपलब्धि। संबंधित राज्यों का ध्यान इस विशेष पहलू की ओर आकर्षित किया गया है जिस पर प्रमुशतः चीनी परियोजनाओं की सफलता निर्भर करती है।

अलमोनियम सिल्लियों और गठित उत्पादों का निर्माण करने वाली एक बाकीदारी संस्था के पुनः संचालन के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

कच्चे माल की कमी बाजार कठिनाइयां, कार्यकारी पूंजी का अभाव और राज्य सरकारों द्वारा राहतों तथा रियायतों आदि से संबंधित मामलों को हल करने में लगने वाली देरी के कारण असम की हार्ड बोर्ड का उत्पादन करने वाली एक संस्था ने रुक-रुक कर कार्य किया। लेकिन आशा है कि ऐसी अवस्था आ गई है कि राज्य सरकार तथा अन्यों की सहायता से यह पुनः व्यावहार्य आधार पर कार्य करना शुरू कर देगी।

कागज उद्योग में बाकीदारी कर रही एक संस्था को अखिल भारतीय वित्तीय संस्था और बैंक के साथ मिलकर पुर्नस्थापन के लिए वित्तीय सहायता दी गई है और इसका प्रबन्ध भी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि० को सौंप दिया गया है।

कृत्रिम रेशों और प्लास्टिकों के उत्पादन में लगी दो बाकी-दारी इकाइयों का कार्य कच्चे मालों की अत्याधिक कीमतें बढ़ने परन्तु बिक्री कीमतों में तुलनात्मक रूप से वृद्धि न होने, बाजार दबाव और प्रबन्ध की अकुशलता के कारण प्रभावित हुआ।

सुपर फास्फेट के उत्पादन में लगी एक इकाई का कार्य मिश्रित उर्वरकों का उत्पादन करने वाली इकाइयों से घोर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा और इसी कार्यकारी पूंजी के अभाव का भी सामना करना पड़ा। इसी प्रकार जौ की शराब बनाने वाली बाकी-दारी संस्था बाजार की शोचनीय स्थिति और कार्यकारी पूंजी के अभाव के कारण आशाजनक काम नहीं कर सकी।

औषध उत्पादों के निर्माण में लगी एक बाकीदारी संस्था को कच्चे मालों की भारी लागतों, कम बिक्री कीमतों, सरकार द्वारा लगाए बिक्री मूल्य नियंत्रण और सीमित उत्पाद के कारण हानि उठानी पड़ी लेकिन इकाई द्वारा उत्पादन विस्तार तथा विशाखन का कार्यक्रम हाथ में लिए जाने से सुधार होना शुरू हुआ है।

टायर/रबर उत्पादों का निर्माण करने वाली दो इकाइयां श्रमिकों की समस्याओं, प्रबन्ध की कमजोरियों के कारण बन्द पड़ी रही। इसे भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लि० की वित्तीय सहायता, राज्य सरकार से राहत, निगम तथा वित्तपोषक बैंक से सहायता की व्यवस्था करने से पुनः चालू करने के लिए प्रगति की गई है।

होटल उद्योग की एक पुरानी रुग्ण संस्था को अपने कार्य सुधारने के लिए एक प्रमुख होटल समूह की सेवाओं का उपयोग करने के लिए मनाया गया।

रेडियो, टेपरिकार्डों और कुछ इलेक्ट्रोनिक पुर्जों के उत्पादन में लगी एक रुग्ण संस्था के कार्य चिंता का विषय रहे। इस इकाई की पुर्नस्थापना की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है।

निगम द्वारा वित्तपोषित हल्के भवन ब्लाकों और संरचनाओं का निर्माण करने वाली देश में केवल एक इकाई को प्रारम्भ से ही संतोषजनक रूप से काम नहीं कर रही थीं लेकिन निर्यात बाजार में प्रवेश करते ही इसने प्रगति करनी शुरू कर दी।

बहुत से वर्षों से बन्द पड़ी हुई मृत्तिका शिल्पें का निर्माण करने वाली इकाइयों का हित नियंत्रण में परिवर्तन करने से और उनके प्रबन्ध का स्टील अथोरिटी आफ इण्डिया लि० को सौंप कर पुर्नस्थापन किया गया।

सूती वस्त्र उद्योग में बाकीदारी संस्थाओं की संख्या 27 थी। विशेषकर सहकारी क्षेत्र की इकाइयों को राज्य सरकारों के माध्यम से पुर्नस्थापित करने के लिए प्रयत्न जारी है लेकिन अधिक प्रगति नहीं हो सकी।

निगम द्वारा वित्तपोषित जिन 9 वस्त्र इकाइयों का रुग्ण वस्त्र मिल (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 के अधीन राष्ट्रीयकरण किया गया। उनके लिए उक्त अधिनियम के अधीन प्राप्त हुए मुआवजे की राशि अपर्याप्त थी जिससे निगम की संपूर्ण बकाया राशि पूरी न हो सकेगी। विशेषकर ऐसी स्थिति में जबकि उक्त अधिनियम के अनुसार मुआवजा वितरण की योजना में निगम की बकाया को तुलनात्मन रूप से निम्न प्राथमिकता मिलती है। निगम ने अपने हितों की सुरक्षा करने के लिए केन्द्रीय सरकार से पहुंच की है। और ऐसी संभावना है कि बैंकों/वित्तीय संस्थानों के बकाया की सुरक्षा का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। इसी दौरान सरकार ने एक अदायगी आयुक्त की नियुक्ति की है और सरकार द्वारा निश्चित तारीख अधिसूचित किए जाने के तुरन्त बाद ही निगम उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अपना दावा प्रस्तुत करेगा।

पटसन उद्योग की दो इकाइयां उदासीन संचालन और कार्यकारी पूंजी के भारी अभाव के कारण बन्द कर दी गई। एक इकाई विधिक समस्याओं से रुकी पड़ी है और दूसरी को चालू करने के लिए प्रयत्न जारी है।

कोयला खनन उद्योग में निगम द्वारा वित्तपोषित तीन संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण किया गया। 3 कोयला इकाइयों के लिए निर्धारित मुआवजे की राशि में से निगम की संपूर्णराशि प्राप्त न की जा सकेगी लेकिन उक्त अधिनियम के अधीन निश्चित मुआवजे के वितरण के लिए नियुक्त अदायगी आयुक्त के सामने निगम ने अपना दावा पेश कर दिया है। विभिन्न कोयला कम्पनियों द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुछ याचिकाएं दायर किए जाने और उनके द्वारा कार्रवाई रोको आदेश प्राप्त कर लिए जाने के फलस्वरूप निगम के दावे पर अदायगी आयुक्त न्याय निर्णय के लिए आगे कार्रवाई नहीं कर सका। बाद में सभी याचिकाएं वापिस ले ली गई हैं और रोक आदेश खाली कर दिए गए हैं, निगम अपने दावे के न्याय निर्णय के लिए अदायगी आयुक्त से मामले की पैरवी कर रहे हैं।

लगातार अनुवर्ती कार्रवाई से बकाया को अदायगी में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं में से कुछ को अन्य वित्तीय संस्थानों से मिलकर अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की गई, अदायगियों के मामले में उचित परिवर्तन करके तथा ब्याज की किश्तों की अदायगी में परिवर्तन लाकर इन्हें वित्तीय अनुशासन में लाने का प्रयत्न किया गया। प्रबन्धकवर्ग में परिवर्तन तथा प्रबन्ध मजबूत करने, उत्पाद का औचित्यकरण करने जैसे कदम भी उठाए गए।

प्रारम्भिक रुग्णता के लक्षणों को खोजकर सावधान करना और वित्तीय संस्थानों तथा बैंकों में अधिक समन्वय स्थापित करने के पहलू अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के विचाराधीन है। निरीक्षण और समस्या समाधान कार्यों के लिए 'अग्रणी संस्था' की धारणा को मजबूत किया जा रहा है। समस्या वाली परियोजनाओं को पहले से अधिक ध्यान दिया जा रहा है। निहित मामलों को हल करने के लिए इन संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें जल्द-जल्द की जाती हैं। इन बैठकों में विभिन्न पुर्नस्थापन योजनाओं तथा उनको कार्यान्वित करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई पर विचार किया जाता है। रुग्ण परियोजनाओं के लिए निरीक्षण और देख-भाल व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है।

63. 30 जून, 1976 को चूकों का उद्योगवार ब्योरा पिछले वर्ष के तुलनात्मक आंकड़े निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं :—

सारणी 16

बाकीदारियों का उद्योगवार वर्गीकरण

(रुपए, लाखों में)

उद्योग	30 जून, 1975 तक बाकीदारियां				30 जन, 1976 तक बाकीदारियां			
	संस्थाओं की संख्या	मूलधन	ब्याज	जोड़	संस्थाओं की संख्या	मूलधन	ब्याज	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चीनी . .	16	149.50	234.06	383.56	16	59.50	136.76	196.26
खाद्य उत्पाद . .	1	0.45	0.84	1.29	1	0.90	1.56	2.46
वस्त्र . .	20	216.83	190.62	407.45	27	237.95	222.01	459.96
पटसन उत्पाद .	3	17.93	6.99	24.92	3	29.13	20.31	49.44
लकड़ी उत्पाद .		—	—	—	1	3.50	—	3.50
कागज और कागज उत्पाद	2	—	1.29	1.29	5	10.51	10.73	21.24
रबर उत्पाद .	3	92.94	63.13	156.07	5	110.30	75.70	186.00
मूल औद्योगिक रसायन .	—	—	—	—	1	8.83	—	8.83
उर्वरक . .	3	45.00	70.92	115.92	4	55.50	114.44	166.94

सारणी 16—जारी (रुपये, लाखों में)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
कृत्रिम धागा और रेसिन्ज	3	39.53	38.90	78.43	3	108.84	104.00	212.84
विविध रसायन और रसायन उत्पाद .	4	31.89	9.96	41.85	3	17.80	13.67	31.47
कांच . .	1	1.01	0.46	1.47	2	2.25	1.12	3.37
सीमेंट . .	2	66.12	76.27	142.39	2	10.48	8.83	18.91
विविध अधातु खनिज उत्पाद . .	4	123.18	114.20	237.38	4	40.83	15.95	56.78
लोहा तथा इस्पात .	6	68.44	76.58	145.02	11	110.11	105.07	215.18
अलौह धातुएं . .	4	6.89	7.34	14.23	2	21.00	14.65	35.65
धातु उत्पाद .	7	6.34	12.45	18.79	9	26.60	32.86	59.46
मशीनरी और कल-पुर्जे	16	131.28	99.62	230.90	13	140.22	102.83	243.05
बिजली मशीनरी और पुर्जे	9	76.01	21.31	97.32	7	41.03	30.30	71.33
परिवहन उपस्कर .	2	48.89	34.46	83.35	6	57.15	20.27	77.42
खनन . .	1	17.50	9.51	27.01	2	26.50	12.36	38.86
होटल . .	1	11.55	16.92	28.47	3	18.25	25.65	43.90
जोड़ . .	108	1151.28	1085.83	2237.11	130	1137.18	1065.67	2202.85

64. सारणी 17 और 18 में वे रकमें दिखाई गई हैं जो पिछले पांच वर्षों के अन्त में ब्याज और मूलधन की अदायगी के रूप में लेनी थी और जो रकमें वसूल हुई थीं। इसमें प्रत्येक वर्ष के अन्त में बाकीदारी की रकमों का ब्योरा भी दिया गया है। 30 जून, 1976 को 242.99 करोड़ रुपए के कुल बकाया ऋणों में ब्याज की 1065.67 लाख रुपए बाकीदारी तथा मूलधन की 1137.18 लाख रुपए की बाकीदारी थी जो कुल बकाया ऋणों का क्रमशः 4.39 प्रतिशत और 4.68 प्रतिशत है।

सारणी 17

ब्याज की वसूली

(रुपए, लाखों में)

30 जून को समाप्त वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया ऋण	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया ब्याज	वर्ष के दौरान ब्याज की देय रकम	खाना 3 और 4 का जोड़	वर्ष के दौरान ब्याज की प्राप्त रकम	वर्ष के दौरान ब्याज की अदायगी में चूकें होने से बकाया रकम
1972	15606.32	550.75	1165.96	1716.71	1081.15	598.40
1973	16564.97	598.40	1357.50	1955.90	1106.81	691.72
1974	18020.26	691.72	11496.96	2188.68	1256.33	806.10
1975	19320.98	806.10	1700.83	2506.93	1353.72	1085.83
1976	20796.74	1085.83	1943.95	3029.78	1604.92	1065.67

*इसमें वे राशियां शामिल नहीं हैं, जिनकी मियाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। तकनीकी रूप से ऐसे मामलों को चूकें नहीं माना जाता।

सारणी 18

मूलधन की अदायगी

(रुपए, लाखों में)

30 जून को समाप्त हुआ वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ मे बकाया ऋण*	वर्ष के प्रारम्भ में मूलधन की देय रकम	वर्ष के दौरान मूलधन की देय रकम	खाना 3 और 4 का जोड़	वर्ष के दौरान ब्याज की प्राप्त रकम	वर्ष के दौरान ब्याज की अदायगी में चूकें होने से बकाया रकम
1972	15606.32	498.03	1531.34	2029.37	1287.39	637.06
1973	16564.97	637.06	1633.39	2270.45	1478.54	555.94
1974	18020.26	555.94	1899.40	2455.34	1507.84	815.46
1975	19320.98	815.46	2051.53	2866.99	1525.47	1151.28
1976	20796.74	1151.28	2300.65	3451.93	1742.58	1137.18

*इसमें वे बकाया ऋण शामिल नहीं हैं जिनकी किश्तें अदायगी में चूकें होने के कारण आस्थगित कर दी गई हैं और जिनकी गारन्टी निगम ने दी थी और इसलिए निगम को उन्हें अदा करना पड़ा। ये ऋण और उनके ब्याज का ब्योरा सारणी 19 में दिया गया है।

**इसम वे राशियां शामिल नहीं हैं जिनकी मियाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। तकनीकी रूप से ऐसे मामले को चूकें नहीं माना जाता।

65. जिन आस्थगित अदायगियों के लिए निगम ने गारंटी दी थी उनकी किस्तों में चूकें होने के कारण निगम द्वारा पिछले पांच वर्षों में अदा की गई बाकीदारी की रकम और उस पर देय ब्याज आदि का ब्योरा नीचे सारणी 19 में दिया गया है।

सारणी 19

निगम के द्वारा आस्थगित अदायगियों के लिए दी गई गारंटी की बकाया रकमें

(रुपए, लाखों में)

30 जून को समाप्त हुआ वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में बाकीदारी की रकम	वर्ष के दौरान बाकीदारी की रकम	जोड़	वर्ष के दौरान वसूलियां	वर्ष के अन्त में देय बाकी-दारी की रकम
1972	316.83	32.10	348.93	112.22*	236.71
1973	236.71	217.23	453.94	4.10	449.84
1974	449.84	36.06	485.90	391.60	94.30
1975	94.30	10.46	104.76	3.77	100.99
1976	100.99	35.72	136.71	15.80**	120.91

*इसमें 30.17 लाख रु० पए की बाकीदारी की किस्त शामिल है जिसकी मियाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई।

**इसमें 8.66 लाख रुपए की राशि शामिल है, जिसे नये ऋणों में परिवर्तित करके मियाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई।

निधि स्रोत

शेयर पूंजी

66. निगम की अधिकृत पूंजी 20 करोड़ रुपए है तथा 30 जून, 1976 को जारी, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी 10 करोड़ रुपए थी।

विभिन्न वर्गों के अंशधारियों के पास निगम के जो शेयर थे, समीक्षाधीन वर्ष में उनके वितरण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

30 जून, 1976 को शेयरों का वितरण नीचे लिखे अनुसार था :

	शेयरों की संख्या	कुल का प्रतिशत
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	10,000	50
अनुसूचित बैंक	4,067	20
बीमा संस्थाएं, आदि	4,314	22
सहकारी बैंक	1,619	8
	20,000	100

बांड

67. वर्ष के दौरान निगम ने दो बांड निर्गमन, अर्थात् 6% बांड 1985 (दूसरी सिरीज) और 6% बांड 1986 (दूसरी सिरीज) क्रमशः 15.00 करोड़ रुपए और 17.50 करोड़ रुपए के बांड 1% के बट्टे पर जारी किए गए। निर्गमन के 10 प्रतिशत अनुज्ञेय की राशि को मिलाकर क्रमशः 16.55 करोड़ रुपए और 19.25 करोड़ रुपए की राशि के बांड आवंटित किए गए।

केन्द्रीय सरकार से उधार

68. 30 जून, 1975 को केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋणों की राशि 61.31 करोड़ रुपए थी। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम ने सरकार से के० एफ० डब्ल्यू० ऋणों से पैदा होने वाली ब्याज की निधियों के अधीन 0.30 करोड़ रुपया तथा होटल विकास योजना के अधीन होटल परियोजनाओं को ऋण प्रदान करने के लिए 1.79 करोड़ रुपए उधार लिए जबकि 6.86 करोड़ रुपए की राशि अदा की गई। इस वर्ष के अन्त में ऋणों की बकाया राशि 56.54 करोड़ रुपए थी।

भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त ऋण

69. समीक्षाधीन वर्ष में भी पिछले वर्षों की भांति रिजर्व बैंक से ऋण अल्प अवधियों के वास्ते लिए गए। 30 जून, 1976 को इस शीर्षक के अन्तर्गत कोई राशि बकाया नहीं थी।

विदेशी मुद्राओं में प्राप्त ऋण

70. 150 लाख जर्मन मार्क का एक और चौदहवां ऋण निगम को दिया गया। वर्ष के अन्त में उपरोक्त ऋण सहित निगम के पास पश्चिम जर्मन मार्क का कुल ऋण 1625.00 लाख मार्क हो गया है। निगम ने इनमें से 1562.5 लाख मार्क के उप-ऋण मंजूर किए। अब ये ऋण पूर्णतः संपरिवर्तनीय हैं, पूंजीगत माल, इंजीनियरिंग जानकारी और सेवाओं आदि के आयात के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है।

संयुक्त राज्य/भारत पूंजी निवेश अनुदान, 1975 के अन्तर्गत भारत सरकार ने 10.00 लाख पौंड का एक और ऋण आवंटित किया है इसको मिलाकर संयुक्त राज्य ऋणों की कुल राशि 55.0 लाख पौंड हो गई है। इसमें से वर्ष के अन्त तक 41.4 लाख पौंड के उप-ऋण मंजूर किए गए।

बैंक फ्रांसिस डु कामर्स एक्सटिरिये द्वारा निगम को दिए गए फ्रांसीसी ऋण का कुल मूल्य 150.0 लाख फ्रांसीसी फ्रांक था, जिसमें से 149.4 लाख फ्रांसीसी फ्रांक के उप-ऋण मंजूर किए गए।

सारणी 20
निधियों के स्रोत तथा उपयोग

(रुपए, करोड़ों में)

	1973–74	1974–75	1975–76	1948–76
क. निधियों के स्रोत :				
आन्तरिक स्रोत				
1. शेयर पूंजी	—	—	—	10.00
2. प्रारम्भ से नकदी और बैंक शेष	11.76	8.60	11.30	—
3. कराधान से पूर्व लाभ	5.54	4.59	4.18	59.15
4. उधार लेने वालों द्वारा ऋणों की अदायगी				
(क) रुपया ऋण	12.65	12.77	14.94	144.06
(ख) विदेशी मुद्रा उप-ऋण	3.43	3.37	3.49	24.49
5. निवेशों की बिक्री/विमोचन	4.05	0.83	1.08	12.15
6. गारंटी दायित्वों के रूप में वसूली	2.69	1.28	0.04	4.73*
उप-जोड़	40.12	31.44	35.03	254.58
	(70.2)	(45.8)	(46.4)	(42.1)

सारणी 20 (जारी...)

(रुपए, करोड़ों में)

	1973–74	1974–75	1975–76	1948–76
उधार				
7. बांड जारी करके बाजार से उधार	7.99	23.47	35.80	174.68
8. केन्द्रीय सरकार से उधार	1.94	1.80	2.09	111.17
9. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से	5.00	—	—	5.00
10. कुछ ऋणों से संबन्धित अधिकारों और हितों के हस्तांतरण द्वारा	—	9.98	—	9.98
11. विदेशी साख संस्थाओं से				
(क) संयुक्त राज्य अंतर्राज्यीय विकास एजेंसी से अमेरिकी डालर में ऋण	—	—	—	19.63
(ख) पश्चिमी जर्मनी के कदिस्तास्तल से जर्मनी मार्क में ऋण	1.95	1.70	2.10	26.32
(ग) पेरिस के बैंक फ्रांसिस डु कामर्ज एक्सटिरियें से फ्रांसिसी फ्रांक में ऋण	—	0.04	0.18	1.96
उप-जोड़	16.88	36.99	40.17	348.74
	(29.5)	(53.9)	(53.2)	(57.7)
12. सरकार से विशेष अनुदान**	0.18	0.21	0.30	0.90
	(0.3)	(0.3)	(0.4)	(0.2)
जोड़ : (क) निधियों के स्रोत	57.18	68.64	75.50	604.22
	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)
ख. निधियों के उपयोग :				
1. सहायता का संवितरण				
(क) रुपया ऋण	23.77	33.51	38.34	340.87
(ख) विदेशी मुद्रा उप-ऋण	3.53	2.51	2.99	51.77
(ग) हामीदारी दायित्वों के रूप में औद्योगिक इकाइयों के शेयरों/ डिबेंचरों में अभिदान	4.17	1.06	2.40	30.91
(घ) गारन्टी दायित्वों के रूप में अदा की गई रकम	1.45	—	0.24	9.77
उप-जोड़	32.92	37.08	43.97	433.32
	(57.6)	(54.0)	(58.2)	(71.7)
ऋणों की अदायगी				
2. केन्द्रीय सरकार को अदा किए गए ऋण	5.35	6.55	6.86	54.63
3. बांडों का विमोचन	—	6.00	—	28.24
4. विदेशी साख संस्थानों से प्राप्त ऋणों की अदायगी	2.32	2.47	2.40	24.36
5. अन्य ऋणों की अदायगी	—	0.89	1.93	2.82
उप-जोड़	7.67	15.91	11.19	110.05
	(13.4)	(23.2)	(14.8)	(18.2)

*इसमें दो संस्थाओं से संबंधित 2.66 करोड़ रुपए और 1.22 करोड़ रुपए सम्मिलित नहीं हैं जो पुर्नस्थापन योजनाओं के अधीन क्रमश: ऋण और शेयरों में संपरिवर्तन करके निपटाए गए।

**के० एफ० डब्ल्यू० ऋण करारों की शर्तों के अधीन ब्याज जन्य अन्तर निधियों में से।

सारणी 20 (जारी...)

(रुपए, करोड़ों में)

	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77
अन्य उपयोग				
6. वित्तीय/विकास संस्थानों की शेयर-पूंजी/प्रारंभिक पूंजी में अभिदान .	—	0.50	0.01	0.72
7. प्रबन्ध विकास संस्थान को आवंटन	0.17	0.21	0.30	0.90
8. आयकर के लिए व्यवस्था	2.29	1.99	1.48	27.80*
9. अधिलाभांश	0.60	0.60	0.60	6.66
10. निवल विविध उपयोग	4.93	1.05	3.56	10.38
उप-जोड़	7.99	4.35	5.95	46.46
	(14.0)	(6.4)	(7.9)	(7.7)
11. अन्त में नकदी और बैंक शेष	8.60	11.30	14.39	14.39
	(15.0)	(16.4)	(19.1)	(2.4)
जोड़ (ख) निधियों का उपयोग	57.18	68.64	75.50	604.22
	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)

*वास्तव में अदाय किया गया 26.18 करोड़ रुपए का आयकर सम्मिलित है।

नोट : कोष्टकों में दी गई संस्थाएं जोड़ के प्रतिशत का द्योतक हैं।

71. इस वर्ष का सकल लाभ 417.63 लाख रुपये हुआ कराधान के लिए 148.12 लाख लाख रुपये (निवल) की व्यवस्था करने के पश्चात निवल लाभ 1974-75 के 260.00 लाख रुपये की अपेक्षा 269.50 लाख हुआ। पिछले वर्ष के 199.00 लाख रुपये की तुलना में इस वर्ष आरिक्षित निधियों 209.00 लाख रुपये का विनियोजन किया गया। कर्मचारी कल्याण निधि को 50,000 रुपये का आबंटन किया गया।

अधिलाभांश

72. इस वर्ष के लाभों में से 75.00 लाख रुपये की राशि सामान्य आरक्षित निधि को अन्तरित करने से यह निधि 12.50 करोड़ रुपये हो गई। पिछले वर्ष की भांति निगम ने अपनी प्रदत्त पूंजी पर 30 जून, 1976 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 6 प्रतिशत का अधिलाभांश देने की घोषणा की।

रिजर्व

73. 30 जून, 1976 को निगम के पास आरक्षित निधियों की कुल राशि 24.16 करोड़ रुपये थी, जिसमें निम्नलिखित शामिल थे :—

(रुपये, करोड़ों में)

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 32 के अधीन सामान्य आरक्षित निधि	12.50
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 32 क के अधीन आरक्षित निधि	1.00
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि	5.51
संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि	4.10
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 32 ख के अधीन दातव्य आरक्षित निधि	1.05
कुल निधियां :	24.16

आरक्षित निधियों की राशि प्रदत्त पूंजी से 14.16 करोड़ रुपये अधिक हो गई है। निगम के पास विभिन्न आरक्षित निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

सामान्य आरक्षित निधि

वर्ष के दौरान हुए निगम के लाभों में से इस निधि को 75.00 लाख रुपये की राशि अंतरित कर देने से इस निधि की कुल राशि 1250.00 लाख रुपये हो गई है।

आरक्षित निधि

30 जून, 1976 को औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 32 क के अधीन इस निधि का कुल जोड़ 100.00 लाख रुपये हुआ जो अधिनियम के अनुसार अधिकतम स्वीकार्य राशि है।

विशेष रिजर्व

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अधीन चालू वर्ष के लाभ में से 42.00 लाख रुपये की राशि विशेष आरक्षित निधि को अन्तरित कर दी गई। यह राशि चालू वर्ष की दर निर्धारण आय के 10 प्रतिशत के बराबर है। इस प्रकार इस निधि की जमा रकम 550.78 लाख रुपये हो गई है

दातव्य आरक्षित निधि

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 32ख के अधीन समीक्षाधीन वर्ष के लाभों में से दातव्य आरक्षित निधि को 32.00 लाख रुपये की राशि अन्तरित कर दी गई है, जिसका उपयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा :—

(क) व्यावहार्यता अध्ययन, परियोजना रिपोर्टों, मार्केट तथा टेकनोइकनोमिक सर्वेक्षणों तथा ऐसे अन्य उद्देश्यों, जो औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन दें, के व्यय को पूरा करने के लिए,

(ख) विकास बैंकिंग तथा वित्तीय और औद्योगिक प्रबन्ध के क्षेत्रों में :—

(1) शोध करने तथा शोध को प्रोत्साहन देने के लिए।

(2) वित्तीय संस्थाओं के कर्मचारियों को भारत तथा बाहर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए।

(3) विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थाओं तथा शोध प्रतिष्ठानों में चेयरों की स्थापना करने के लिए।

(ग) व्यावसायिकों तथा नये उद्धमकर्ताओं द्वारा लगाई गई परियोजनाओं को सहायता देने के लिए :—

(1) उनको मंजूर ऋणों अथवा अग्रिमों पर निगम की सामान्य ब्याज दर में सहायता।

(2) उनके द्वारा प्रवर्तित परियोजनाओं, विशेष कर औद्योगिक रूप में कम विकसित क्षेत्रों में लगाई गई परियोजनाओं को तकनीकी तथा प्रबन्धकीय सहायता देना।

(घ) उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सहायक अथवा आकस्मिक सहायता प्रदान करना।

संदिग्ध ऋणों के लिए व्यवस्था

वर्ष के अन्त में ऋण खाते की समीक्षा संतोषजनक पाई गई। फिर भी, निगम के कार्य क्षेत्र के विस्तार, कुछ संस्थाओं के पुर्नस्थापना की योजनाओं के परिपक्व होने में लाने वाले अधिक समय को ध्यान में रखते हुए संचालकों ने दूरदर्शिता से काम लेकर समीक्षाधीन वर्ष के लाभ में से 60.00 लाख रुपये संदिग्ध ऋणों की आरक्षित निधि को अन्तरित करने का निर्णय किया है जो अब 409.80 लाख रुपये हो गई है।

आयकर के लिए व्यवस्था

74. 30 जून, 1972, 1973 तथा 1974 को समाप्त हुए लेखा वर्ष के लिए कर निर्धारण की कार्यवाही की वार्षिक लेखा बन्द होने के पूर्व अन्तिम रूप नहीं दिया गया था। अतः वर्ष के लेखे में इनका कोई समायोजन नहीं किया गया है। 30 जून, 1976 को समाप्त हुए लेखा वर्ष के लिए कर लेखे में 148.13 लाख रुपये (पिछले वर्षों) से सम्बन्धित 55.86 लाख रुपये की अधिक व्यवस्था/वापसी का समायोजन करने के बाद की व्यवस्था की गई है।

75. 30 जून, 1976 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण का सार सारणी 21 में दिया गया है।

सारणी 21

लाभ-हानि सार-1975-76

(रुपये लाखों में)

	इस वर्ष	पिछले वर्ष
इस वर्ष के कारोबार की सकल आय	1957.92	1782.32
सकल आय में से घटाने के बाद :		
बांडों और अन्य ऋणों पर अदा किया गया ब्याज	1283.89	1131.98
अन्य खर्चे तथा निवेशों की बिक्री से हानि	256.40	191.37
कर के लिए व्यवस्था (निवल)	148.13	198.97
वर्ष का निवल लाभ है :	269.50	260.00

	इस वर्ष	पिछले वर्ष
विनियोजन		
सामान्य आरक्षित निधि को अन्तरित	75.00	75.00
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अन्तर्गत विशेष आरक्षित निधि को अन्तरित	42.00	43.00
दातव्य आरक्षित निधि को अन्तरित	32.00	31.00
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि को अन्तरित	60.00	50.00
स्टाफ कल्याण निधि को अन्तरित	0.50	1.00
वर्ष के लिए 10.00 करोड़ रुपये की प्रदत्त शेयर पूंजी पर 6% वार्षिक दर से अधिलाभांश की अदायगी	60.00	60.00
	269.50	260.00

76. पिछले पांच वर्षों से कार्य परिणामों का ब्यौरा नीचे सारणी 22 में दिया गया है।

सारणी 22

पिछले पांच वर्षों का कार्य परिणाम

(रुपये लाखों में)

	30 जून को समाप्त हुए वर्ष के लिए				
	1972	1973	1974	1975	1976
उपार्जित ब्याज	1383.31	1356.97	1613.24	1683.38	1848.94
अन्य आय	114.81	141.20	163.28	98.94	108.98
कुल आय :	1498.12	1498.17	1776.52	1782.32	1957.92
अदा किया गया ब्याज	847.84	917.13	1006.52	1131.98	1283.89
बांडों पर बटटा और दलाली	3.26	7.61	3.68	33.06	51.47
स्थापना खर्चे जिसमें चिकित्सा शुल्क तथा खर्च और कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज भी शामिल है	61.33	71.03	89.20	103.50	138.31
राष्ट्रीय रक्षा कोष को दान	5.00	—	—	—	—
प्रबन्ध विकास संस्थान को अनुदान	—	—	5.00	5.00	5.00
निवेशों की बिक्री से हानि	56.10	1.29	71.60	—	9.07
अन्य खर्च :	41.01	49.18	46.87	49.81	52.55
कुल खर्च :	1014.54	1046.24	1222.87	1323.35	1540.29
	483.58	451.93	553.65	458.97	417.63
निवेशों के मूल्य में ह्रास के लिए व्यवस्था	48.00	—	—	—	—
कर के लिए व्यवस्था (निवल)	216.83	161.53	228.65	198.97	148.13
निवल लाभ :	218.75	290.40	325.00	260.00	269.50
आरक्षित निधियां	175.88	232.70	264.00	199.00	209.00
कर्मचारी कल्याण निधि	1.00	1.00	1.00	1.00	0.50
अधिलाभांश	41.87	56.70	60.00	60.00	60.00

रजत जयन्ती स्मृति व्याख्यान

77. तृतीय 'भारतीय औद्योगिक वित्त निगम रजत जयन्ती स्मृति व्याख्यान" ईरान के औद्योगिक और खनन विकास बैंक के प्रबन्ध निदेशक मि० अबोल गसेम खेरदजू ने 16 अक्तूबर, 1975 को दिया। उनके व्याख्यान का विषय था 'तीव्र विकसित अर्थव्यवस्था में विकास बैंक'। डा० बी० के० मदान, अध्यक्ष, प्रबन्ध विकास संस्थान ने समारोह की अध्यक्षता की तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट के भूतपूर्व अध्यक्ष मि० जेम्स एस० राज ने व्याख्यान पर टीका की।

अपने व्याख्यान के दौरान मि० खेरदजू ने ईरान जैसी तीव्र परिवर्तित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ईरान के औद्योगिक और खनन विकास बैंक के दायित्व का प्रतिपादन किया। मि० खेरदजू ने बताया कि विकास बैंक एक जीवित प्राणी की तरह है जो अपने सामाजिक-आर्थिक वातावरण पर प्रतिक्रिया करता है और इसकी सफलता इस पर निर्भर करती है कि वह प्रतिक्रिया उस वातावरण पर कितनी तीव्र है। मि० खेरदजू ने बताया कि 10 वर्षों, 1962 से 1972 में ईरान, की अर्थव्यवस्था का वास्तविक औसतन विकास लगभग 11% और उद्योग का विकास 13% था। 1973-74 और 1974-75 के दौरान मुद्रा-स्फीति को छोड़कर सकल राष्ट्रीय आय क्रमशः 34% और 40% बढ़ी। इस तीव्र परिवर्तनशील अर्थ-व्यवस्था से सुलझने के लिए ईरान के औद्योगिक और खनन विकास बैंक को प्रवर्तक के तौर पर बहुत बड़े दायित्व को निभाना पड़ा। मि० खेरदजू ने कहा कि निजी क्षेत्र जो उद्योग के लिए बिल्कुल नया था और जिसके पास बौद्धिक तथा वित्तीय मजबूती

की कमी थी, को विकास बैंकों ने पोषित किया। इन बैंकों में सबसे महत्वपूर्ण, ईरान का औद्योगिक और खनन विकास बैंक था, जो कि एक प्राइवेट कम्पनी है। परियोजनाओं की भारी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन्होंने न केवल सरकार तथा विश्व बैंक से प्राप्त होने वाली मदद का लाभ उठाया अपितु ये ऐसे प्रथम विकास बैंक थे जिन्होंने यरो-डालर और यरो-बांड बाजारों से भारी निधियां एकत्रित कीं। जनता को शेयर बेचकर भी इन्हें अपनी पूंजी बढ़ानी पड़ी। बड़ी परियोजनाओं की इक्विटी अथवा तीव्र विस्तार कार्यक्रमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए औद्योगिक विकास और खनन बैंक तेहरान स्टाक एक्सचेंज और मुद्रा बाजार को विकसित करना पड़ा। छोटे उद्योगों का प्रवर्तन करने की दृष्टि से औद्योगिक और खनन विकास बैंक ने स्थानीय विकास बैंकों की स्थापना की ताकि ये बैंक स्थानीय उद्यमकर्ताओं से सम्पर्क बनाये रखें और उत्यमकर्ताओं को आवश्यक पथ-प्रदर्शन तथा नेतृत्व प्रदान कर सकें। औद्योगिक और खनन विकास बैंक ने कृषि औद्योगिक कम्पनियों की स्थापना में भी योगदान दिया।

संस्थागत निर्माण में भी औद्योगिक और खनन विकास बैंक ने सक्रिय योगदान दिया। इसने प्रथम विशाल औद्योगिक इस्टेट की स्थापना की जिसमें एक सौ से अधिक मध्यम दर्जे की फैक्टरियां स्थित हैं और कुछ अन्यों का प्रवर्तन कर रहा है। तेहरान स्टाक एक्सचेंज का प्रवर्तन करने के अतिरिक्त औद्योगिक और खनन विकास बैंक ने ईरान की प्रथम प्रतिभूतियां कम्पनी स्थापित करने के लिए एक बड़े वाणिज्यिक बैंक के साथ सांझेदारी की है। व्याख्यान का कार्य-विवरण मुद्रित कराया जा चुक है।

संगठन

संचालक बोर्ड

78. 25 सितम्बर, 1975 को हुई निगम की वार्षिक साधारण सभा में औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 10 (1) (ग) के अधीन अनुसूचित बैंकों का प्रतिनिधित्व करने हेतु श्री सी० पी० शाह के स्थान पर श्री बी० के० बोरा को संचालक निर्वाचित किया गया। उसी बैठक में औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 10 (1) (घ) के अधीन बीमा संस्थाओं, निवेश-न्यासों और इस प्रकार की अन्य वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने हेतु श्री बी० सी० रणदेरिया को पुनः निर्वाचित किया गया तथा उक्त अधिनियम, की धारा 10 (1) (ङ) के अधीन सहकारी बैंकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए डा० डब्ल्यू० सी० श्री श्रीमल के स्थान पर श्री शामराव कदम को संचालक निर्वाचित किया गया। श्री एन० एस० सप्कल ने 8 मार्च, 1976 को निगम के संचालक पद से त्याग-पत्र दे दिया। श्री सप्कल के त्याग-पत्र से हुई रिक्ति को भरने के लिए श्री जसभाई यू० पटेल, उपाध्यक्ष, वि० गुजरात स्टेट सहकारी बैंक लि० अहमदाबाद को सहकारी बैंकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 24 मई, 1976 को हुई निगम की विशेष साधारण सभा में निर्वाचित किया गया।

बोर्ड श्री सी० पी० शाह, डा० डब्ल्यू० सी०, श्री श्रीमल, और श्री एन० एस० सप्कल द्वारा अपने कार्य-काल में की गई अमूल्य सेवाओं की अत्यधिक सराहना करते हैं तथा नये संचालकों का हार्दिक स्वागत करते हैं।

बोर्ड व अन्य समितियों की बैठकें

79. वर्ष के दौरान बोर्ड की तेरह बैठकें हुई जिनमें से नई दिल्ली में छः तथा एक-एक बैठक बंगलौर, गौहाटी, लखनऊ, कलकत्ता, गोआ, जयपुर तथा शिमला में हुई। पहले की भांति जहां भी दिल्ली से बाहर बोर्ड की बैठकें होती हैं, अध्यक्ष और बोर्ड के अन्य सदस्य राज्य सरकार तथा राज्यों की राजधानियों में आधारित अन्य वित्तीय तथा विकास संस्थानों के कर्मचारियों तथा स्थानीय व्यापार तथा उद्योग संघों या चैम्बरों के प्रतिनिधियों को मिलने का शुभ अवसर प्राप्त करते हैं ताकि राज्य अथवा क्षेत्र के औद्योगिक वातावरण और कुछ वित्तपोषित संस्थाओं की समस्याओं का यथोचित मूल्यांकन हो सके।

बोर्ड ने यह देखने के लिए कि क्या निगम की सलाहकारी समितियों के वर्तमान ढांचे में किसी परिवर्तन की आवश्यकता है या इसको कार्य करने के लिए कोई और ढंग अपनाना चाहिए, एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया।

वर्ष के दौरान बोर्ड की समितियों की भी तीन बैठकें हुईं।

सलाहकारी समितियां

80. वर्ष के दौरान विभिन्न सलाहकारी समितियों की बैठकों की संख्या नीचे दी गई है :—

सलाहकारी समिति का नाम	बैठकों की संख्या
रसायन प्रक्रिया और सम्बर्गीय	
उद्योग	12
इंजीनियरिंग	12
चीनी	9
वस्त्र	11
होटल	3
पटसन	1

इन बैठकों में कुल 102 संस्थानों से विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त हुए आवेदनों पर विचार किया गया।

वर्ष के दौरान निगम की स्थानीय सलाहकारी समिति की बैठकें बंगलौर, गोहाटी, कलकत्ता और अहमदाबाद में हुईं।

निगम ने पहले की भांति विभिन्न उद्योगों के तकनीकी विशेषज्ञों और सलाहकारों की एक नामिक रखी ताकि विभिन्न उद्योगों के लिए उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सके और अवसर की आवश्यकतानुसार नामिक में से सम्बन्धित समिति का सदस्य सहयोजित किया जा सके।

लेखा परीक्षक

81. 30 जून, 1976 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने मैसर्स ए० एफ० फरगूसन एण्ड कम्पनी, बम्बई को लेखा-परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया। 25 सितम्बर, 1975 को निगम के शेयरधारियों की वार्षिक साधारण सभा में

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को छोड़कर अन्य शेयरधारियों की ओर से उक्त अवधि के लिए मैसर्स हरिभक्ति एण्ड कम्पनी, बम्बई को लेखा परीक्षक चुना गया। मैसर्स हरिभक्ति एण्ड कम्पनी, वर्ष के अन्त में कार्य-निवृत हो जायेंगे, लेकिन वे फिर से चुने जाने के पात्र हैं।

निगम में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

82. कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को प्रोत्साहन देने की सरकारी नीति के अनुरूप निगम हिन्दी के प्रयोग की अभिवृद्धि करने के लिए प्रयत्नशील है। निगम में हिन्दी की प्रगति को देखने तथा प्रगामी प्रयोग सम्बन्धी उठाये गये कदमों पर सुझाव देने हेतु तीन राज-भाषा कार्यान्वयन समितियां प्रधान कार्यालय, बम्बई क्षेत्रीय कार्यालय तथा दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय प्रत्येक में एक-एक कार्य कर रही हैं। उन समितियों की बैठकों त्रैमासिक होती हैं। गृह मंत्रालय की हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन हिन्दी टाइपराइटिंग शार्टहैंड कक्षाओं सहित हिन्दी की कक्षाओं में प्रधान कार्यालय, हिन्दी क्षेत्रीय कार्यालय तथा बम्बई क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा भाग लिया जा रहा है। हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन अन्य कार्यालयों के कर्मचारियों ने भी सुविधाएं लेना प्रारम्भ कर दिया है। कर्मचारियों को हिन्दी सीखने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं निकाली हैं। राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों का पालन किया जा रहा है, जहां तक वे हमारे निगम पर लागू होते हैं। और तदनुसार सभी गजट सूचनाएं, प्रेस विज्ञप्तियां, विज्ञापन, सूचनाएं आदि हिन्दी औ अंग्रेजी दोनों में जारी की जाती हैं। हिन्दी में प्राप्त सभी का उत्तर हिन्दी में दिया जाता है। प्रधान कार्यालय में हिन्दी के टाइपराइटरों की व्यवस्था की गई है तथा दिल्ली और बम्बई क्षेत्रीय कार्यालयों में टाइपराइटरों की व्यवस्थाका कार्य हाथ में ले लिया गया है। निगम के सभी कार्यालयों में द्विभाषी पत्रशीर्षों का प्रयोग होता आ रहा है। निगम की वार्षिक रिपोर्ट तथा शेयरधारियों की साधारण सभा में अध्यक्ष के अभिभाषण का हिन्दी रुपांतर भी निकालता आ रहा है। भावी आवेदकों के लाभ के लिए निगम ने 'परिचालन सूचना' नामक विवरणिका हिन्दी में निकाली है। इस प्रकार की अन्य विवरणिकाओं को अनूदित करने के लिए कदम उठाये गये हैं।

कर्मचारियों का प्रशिक्षण

83. निगम प्रबन्ध विकास के विभिन्न पहलुओं की ओर काफी ध्यान देता आ रहा है। वर्ष के दौरान निगम के 58 अधिकारियों ने प्रबन्ध विकास संस्थान, नई दिल्ली, बैंकर्स ट्रेनिंग कालेज, बम्बई, नेशनल प्रोडक्टिविटी कौंसिल, नई दिल्ली आदि द्वारा आयोजित विभिन्न पाठ्यक्रमों में भाग लिया। एक अधिकारी ने एशियायी उत्पादिता संगठन, टोकियों, जापान के द्वारा आयोजित 'व्यावहार्यता अध्ययन' में भाग लिया। एक दूसरे अधिकारी ने वाशिंगटन, अमेरिका में विश्व बैंक के आर्थिक विकास संस्थान द्वारा आयोजित पाठ्यक्रम "औद्योगिक परियोजनाएं" में भाग लिया। प्रधान कार्यालय के कर्मचारियों के लिए 5-इन-कम्पनी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया तथा इन कार्यक्रमों में 129 अधिकारियों ने भाग लिया।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

अध्यक्ष ने कराकस (वेनीजुला) में औद्योगिक विकास वित्तीय संस्थानों के साथ साथ सहयोग पर संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संठन द्वारा आयोजित छठी बैठक में भाग लिया। उन्हें एशियायी विकास वित्तीय संस्थानों के प्रस्तावित संघ के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए तीन-व्यक्तियों की गठित समिति का सदस्य सहयोजित किया गया।

स्टाफ कल्याण निधि

85. वर्ष के दौरान निगम के कर्मचारियों के 13 बच्चों को छात्रवृतियां तथा तीन कर्मचारियों को अपने विकास के लिए स्टाफ कल्याण विधि से ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया। एक कर्मचारी को उसकी लम्बी बीमारी के कारण हुई कठिनाई से बचने के लिए अनुग्रहपूर्वक अदायगी दी गई। वर्ष के दौरान निगम के एक मृतक कर्मचारी के 3 बच्चों को पाठशाला शुल्क की प्रतिभूति की गई। प्रधान कार्यालय में मनोरंजन क्लब को अनुदान दिये गये।

स्टाफ कालोनी

86. गैर-व्यावसायिक भवनों के निर्माण पर लगा प्रतिबन्ध सरकार ने हाल ही में हटा दिया। तदनुसार ले आउट प्लान तथा भवन प्लान दिल्ली विकास प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए भेजे गये हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इन प्लानों के अनुमोदन के बाद कालोनी के निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित की जायेगी।

वरिष्ठ प्रबन्ध में परिवर्तन

श्री आर० बी० माथुर, जिन्हें महाप्रबन्धक के रूप में 10 अगस्त, 1976 से एक साल के लिऐ पुनर्नियुक्ति किया गया था, उनकी 10 अगस्त, 1976 से महाप्रबन्धक के रूप में एक साल की आगामी अवधि के लिए पुर्नियुक्ति की अवधि बढ़ा दी गई है।

कार्य-निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर श्री एम० एस० नागरथ, उपमहाप्रबन्धक 19 सितम्बर, 1976 को कार्य-निवृत हो जायेंगे लेकिन उन्हें 20 सितम्बर, 1976 से दो वर्ष की कुल अवधि के लिए उपमहाप्रबन्धक के रूप में पुनर्नियुक्त किया जायेगा।

कार्य-निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर श्री एन० पी० चक्रवर्ती 30 अप्रैल, 1976 को कार्य-निवृत्त हो गये हैं लेकिन उन्हें सहायक महाप्रबन्धक के रूप में एक वर्ष की अवधि के लिए 1 मई, 1976 से पुनर्नियुक्त किया गया है।

श्री आर० एन० शाहू को कलकत्ता क्षेत्रीय कार्यालय में 1 मार्च, 1976 से उक्त कार्यालय के क्षेत्रीय प्रबन्धक के पद के दर्जे को बढ़ाने के फलस्वरूप, सहायक महाप्रबन्धक के रूप में पदोन्नति की गई।

श्री पी० एस० गुरुंग को बम्बई क्षेत्रीय कार्यालय में उप-तकनीकी सलाहकार के रूप में 1 मार्च, 1976 से पदोन्नति की गई।

1 मार्च, 1976 से उप-विधि सलाहकार के पद का स्तर सहायक महाप्रबन्धक के बराबर कर दिया गया है। तथा श्री ए० के० घोष उपविधि सलाहकार के दर्जा बढ़ाये गये पद पर बने हुए हैं।

श्री डी० जी० रमैय्या को 1 मार्च, 1976 से मुख्य लेखापाल के पद पर पदोन्नति की गई। परिणास्वरूप, 1 मार्च, 1976 से श्री आर० रामाचन्द्रा राव को क्षेत्रीय प्रबन्धक का पद दे दिया गया है।

प्राप्त सहायता के लिए आभार प्रदर्शन

88. बोर्ड को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों राज्य सरकारों, राज्य स्तर की वित्तीय और विकास संस्थाओं से जो सहयोग और सहायता मिली है उसके लिए वह उनकी प्रशंसा करता है। जिन सदस्यों ने निगम की विभिन्न सलाहकारी समितियों में कार्य किया है, तथा जिन्होंने विभिन्न ऋणी संस्थाओं के संचालक बोर्डों में निगम के द्वारा नामित किए गए संचालकों के रूप में कार्य किया है, बोर्ड उनकी अमूल्य सहायता और सलाह के लिए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। बोर्ड कादिस्तास्तल फुर वाइड्रफब्लू के प्रबन्धकवर्ग और संयुक्त राज्य सरकार के समुद्र पार विकास मंत्रालय द्वारा निगम को निरंतर की गई मदद और सहयोग के लिए भी आभार प्रगट करता है। निगम के अधिकारियों एवं स्टाफ द्वारा वर्ष के दौरान वफादारी और निष्ठापूर्वक की गई सेवा के लिए बोर्ड उनकी सराहना करता है।

संचालकों की ओर से
बलदेव पसरीजा
अध्यक्ष

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम
नई दिल्ली

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अंशधारी

हम भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अधोहस्ताक्षरी कर्ता लेखा-परीक्षक निगम के 30 जून 1976 के तुलन-पत्र और लेखों के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

हमने सम्बन्धित वाऊचरों और लेखों तथा शाखा कार्यालयों से प्राप्त परीक्षित विवरणियों के साथ संलग्न तुलन-पत्र की जांच कर ली है। ये विवरणियां संलग्न तुलन-पत्र में शामिल कर ली गई हैं। हम इस बात की रिपोर्ट देते हैं कि हमने जहां कहीं भी कोई स्पष्टीकरण या जानकारी मांगी है। वह हमें सम्बन्धित स्पष्टीकरण या जानकारी दी गई है और वह संतोषप्रद रही है। हमारी राय में प्रस्तुत तुलन-पत्र पूर्ण और निष्कपट है और जो जहां तक हमें जानकारी और स्पष्टीकरण दिये गये है और जैसा कि निगम के वही-खातों से पता चलता है, यह तुलन-पत्र निगम के अधिनियम और नियमावली के अनुसार इस प्रकार उचित रीति से बनाया गया है कि इससे निगम के कार्यों का सच्चा और सही चित्र सामने आ जाता है।

हरिभति एण्ड कम्पनी
ए० एफ० फर्गूसन एण्ड कम्पनी
मनदी लेखापाल

स्थान: मद्रास
तारीख : 23 अगस्त, 1976

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

नई दिल्ली

30 जून, 1976 को तुलन-पत्र

देयताएं	अनसूची	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०	देयताएं	अनुसूची	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
शेयर पूंजी	क	10,00,00,000	10,00,00,000	रोकड़ और बैंक शेष	छ	14,39,14,207	11,29,58,573
रिजर्व और आरक्षित निधियां	ख	24,16,26,735	22,13,08,991	निवेश	ज	21,58,53,783	19,50,02,246
				ऋण तथा पेशगियां	झ	2,44,56,88,611	2,18,38,87,099
दीर्घकालीन ऋण	ग	229,94,15,591	1,99,21,81,286	स्थिर परिसम्पतियाँ	ल	57,71,001	57,70,339
चालू देयताएं तथा व्यवस्थाएं	घ	15,58,17,590	14,09,91,548				
				अन्य परिसम्पतियां	ट	6,65,96,065	5,57,70,190
अन्य देयताएं	ङ	8,09,63,751	9,89,06,622	दुतरफा मदों के अनुसार संघटक आभार	ठ	6,16,46,002	8,23,11,284
दुतरफा मदों के अनुसार आकस्मिक देयताएं		6,16,46,002	8,23,11,284				
		2,93,94,69,669	2,63,56,99,731			2,93,94,69,669	2,63,56,99,731

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

हरिभक्ति एण्ड कं०
बी० सी० रणदेरिया
सी० एस० वेंकट राव
ए० बी० मजुमदार
विष्णु बनर्जी
संचालक

ए० एफ० फरगूसन एण्ड कं०
सनदी लेखापाल

सी० टी० दास
डी० टी० लक्कड़वाला
वी० के० वोरा
जे० यू० पटेल
संचालक

आर० बी० माथुर
महाप्रबन्धक

बलदेव पसरीचा
अध्यक्ष

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम
नई दिल्ली

30 जून, 1976 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ-हानि लेखा

व्यय	रु०	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०	आय	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
बांडों तथा ऋणों पर ब्याज, आदि		12,83,88,930	11,31,97,319	ब्याज	18,48,93,925	16,83,37,688
विदेशी मुद्रा ऋणों पर वचनबद्धता प्रभार		2,02,346	1,82,514	कमीशन	16,35,954	13,67,824
बांडो पर दलाली		15,66,823	9,58,466	निवेशों की बिक्री से लाभ	23,47,733	3,05,575
निवेशों की बिक्री से हानि		9,07,498	—	परिसम्पतियों की बिक्री से लाभ	14,144	8,384
स्थापना व्यय		1,38,31,039	1,03,50,129			
संचालकों तथा समिति सदस्यों की फीस तथा खर्चे		4,55,456	3,53,008	शेयरों पर अधिलाभांश	21,63,564	31,28,136
				वचनबद्धता प्रभार	38,30,551	40,60,060
किराय, कर, बीमा तथा रोशनी		19,99,771	20,06,975			
डाक, तार, टिकटें तथा टेलीफोन		4,34,719	3,62,087	विविध आय	9,06,376	10,24,420
छपाई, लेखन सामग्री तथा विज्ञापन		5,22,779	4,42,687			
विधि प्रभार		8,512	46,479			
लेखा-परीक्षा फीस		38,000	32,000			
यात्रा तथा विराम व्यय		4,20,508	4,03,710			
अन्य व्यय		9,29,257	8,97,728			
ह्रास मूल्य		2,43,495	2,54,315			
प्रबन्ध विकास संस्थान को अनुदान		5,00,000	5,00,000			
बांड निर्गमन पर बट्टा		35,79,846	23,47,508			
कराधान के लिए व्यवस्था	2,03,99,567		2,14,46,533			
घटाइए : पिछले वर्षों से सम्बन्धित आयकर की वापसी तथा समायोजन	55,86,299		15,49,371			
		1,48,13,268	1,98,97,162			
वर्ष के लिए निवल लाभ नीचे ले जाया गया		2,69,50,000	2,60,00,000			
		19,57,92,247	17,82,32,087		19,57,92,247	17,82,32,087

30 जून, 1976 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ-हानि लेखा (जारी)

व्यय	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०	व्यय आय	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
सामान्य आरक्षित निधि को अन्तरित राशि	75,00,000	75,00,000	वर्ष के लिए निवल लाभ नीचे गया	2,69,50,000	2,60,00,000
विशेष रिजर्व [आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अधीन]	42,00,000	43,00,000			
दातव्य आरक्षित निधि	32,00,000	31,00,000			
कर्मचारी कल्याण निधि	50,000	1,00,000			
संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व	60,00,000	50,00,000			
प्रस्तावित अधिलाभांश	60,00,000	60,00,000			
	2,69,50,000	2,60,00,000		2,69,50,000	2,60,00,000

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

हरिभक्ति एण्ड कं०
वी० सी० रणदेरिया
सी० एस० वेंकट राव
ए० बी० मजुमदार
विष्णु बनर्जी
} संचालक

ए० एफ० फरगूसन एण्ड कं०
सनदी लेखापाल

सी० टी० दास
डी० टी० लक्कड़वाला
बी० के० वोरा
जे० यू० पटेल
} संचालक

संचालक

आर० बी० माथुर
महाप्रबन्धक

बलदेव पसरीचा
अध्यक्ष

अनुसूची क

शेयर पूंजी

30 जून, 1976 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विवरण	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
अधिकृत		
पांच-पांच हजार रुपये के 40,000 शेयर जारी अभिदत्त तथा प्रदत्त (धारा 5 के अन्तर्गत मूलधन की वापसी, अदायगी और न्यूनतम वार्षिक अधिलाभांशों की अदायगी के सम्बन्ध में भारत सरकार की गारन्टी प्राप्त)	20,00,00,000	20,00,00,000
(i) पूरी तरह से प्रदत्त पांच-पांच हजार रुपये के 10,000 शेयर	5,00,00,000	5,00,00,000
(ii) पूरी तरह से प्रदत्त पांच-पांच हजार रुपये के 4,000 शेयर (द्वितीय सिरीज)	2,00,00,000	2,00,00,000
(iii) पूरी तरह से प्रदत्त पांच-पांच हजार रुपये के 2,692 शेयर (तृतीय सिरीज)	1,34,60,000	1,34,60,000
(iv) पूरी तरह से प्रदत्त पांच-पांच हजार रुपये के 3,308 शेयर (चतुर्थ सिरीज)	1,65,40,000	1,65,40,000
	10,00,00,000	10,00,00,000

टिप्पणी : न्यूनतम वार्षिक अधिलाभांश की गारन्टी मद संख्या (i) के लिए $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत मद संख्या (ii) तथा (iii) के लिए 4 प्रतिशत और मद संख्या (iv) के लिए $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत है।

अनुसूची ख

रिजर्व और आरक्षित निधियां

30 जून, 1976 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विवरण	रु०	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
(i) सामान्य आरक्षित निधि (धारा 32 के अन्तर्गत)			
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष . .	11,75,00,000		11,00,00,000
लाभ-हानि लेखे से अन्तरित . .	75,00,000		75,00,000
		12,50,00,000	11,75,00,000
(ii) आरक्षित निधि (धारा 32क के अधीन) . . .		1,00,00,000	1,00,00,000
(iii) दातव्य आरक्षित निधि (धारा 32ख के अधीन)			
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष . .	79,51,008		77,36,515
लाभ-हानि लेखे से अन्तरित . .	32,00,000		31,00,000
	1,11,51,008		1,08,36,515
घटाइए : उपयोग की गई राशि	5,82,256		28,85,507
		1,05,68,752	79,51,008
(iv) विशेष आरक्षित निधि [आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन]			
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष . .	5,08,78,362		4,65,78,362
लाभ-हानि लेखे से अन्तरित . . .	42,00,000		43,00,000
		5,50,78,362	5,08,78,362
(v) संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व			
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष . .	3,49,79,621		2,99,79,621
घटाइए : वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए ऋण	—		—
	3,49,79,621		2,99,79,621
लाभ-हानि लेखे से अन्तरित .	60,00,000		50,00,000
		4,09,79,621	3,49,79,621
		24,16,26,735	22,13,08,991

अनुसूची ग

दीर्घकालीन ऋण

30 जून, 1976 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विवरण	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
1. बांड (आरक्षित)—धारा 21 के अधीन जारी—भारत सरकार द्वारा गारन्टी प्राप्त		
$4\frac{3}{4}$ प्रतिशत संपरिवर्तनीय बांड, 1976	4,45,50,000	4,45,50,000
$4\frac{3}{4}$ प्रतिशत बांड 1976	6,58,48,100	6,58,48,100
$5\frac{1}{2}$ प्रतिशत बांड 1977	2,00,00,000	2,00,00,000
$5\frac{1}{2}$ प्रतिशत बांड 1978	6,12,90,000	6,12,90,000
$5\frac{3}{4}$ प्रतिशत बांड 1979	8,24,86,700	8,24,86,700
$5\frac{3}{4}$ प्रतिशत बांड 1980	8,33,30,800	8,33,30,800
$5\frac{3}{4}$ प्रतिशत बांड 1981	5,50,00,000	5,50,00,000
$5\frac{3}{4}$ प्रतिशत बांड 1982	4,95,00,000	4,95,00,000
$5\frac{3}{4}$ प्रतिशत बांड 1983	8,80,08,800	8,80,08,800
$5\frac{3}{4}$ प्रतिशत बांड 1984	11,00,67,300	11,00,67,300
$5\frac{3}{4}$ प्रतिशत बांड 1985	13,16,67,800	13,16,67,800
6 प्रतिशत बांड 1986	7,99,08,000	7,99,08,000
6 प्रतिशत बांड 1984	11,00,12,000	11,00,12,000
6 प्रतिशत बांड 1985	12,47,37,800	12,47,37,80
6 प्रतिशत बांड 1985 (द्वितीय सिरीज)	16,54,79,200	—
6 प्रतिशत बांड 1986 (द्वितीय सिरीज)	19,25,05,400	—
	146,43,91,900	110,64,07,300
2. उधार		
(i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से [धारा 21 (4) के अधीन]	5,00,00,000	5,00,00,000
(ii) भारत सरकार से [धारा 21 (4) के अधीन]	55,64,06,509	60,71,46,465
(iii) अदिस्तांतल के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार भारत सरकार से	89,64,000	59,36,000
(iv) विदेशी मुद्राओं में विदेशी साख संस्थाओं से	21,96,53,182	22,26,91,521
	229,94,15,591	199,21,81,286

अनुसूची घ

चालू देयतायें तथा व्यवस्थायें

30 जून, 1976 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विवरण	रु०	रु०	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
1	2	3	4	5
क—चालू देयतायें				
(i) भारतीय रिजर्व बैंक से अल्प-कालीन ऋण—3.25 करोड़ रुपए के अंकित मूल्य के निगम द्वारा जारी किए गए रक्षित बांड [धारा 21(3)(ख) के अधीन]			—	80,50,000
(ii) फुटकर लेनदार			1,33,34,901	1,34,14,860
(iii) प्रोद्भूत ब्याज परन्तु अप्राप्य				
(क) उधार				
(i) भारत सरकार से	1,13,34,977			1,20,72,122
(ii) विदेशी मुद्राओं में विदेशी साख संस्थानों से	4,81,802			4,70,530
	1,18,16,779			1,25,42,652
(ख) बांडों पर	1,51,29,030			1,17,82,782
(iv) अग्रिम गारन्टी कमीशन			2,69,45,809	2,43,25,434
(v) विधिक प्रभारों के लिए प्राप्त अग्रिम			2,51,549	3,62,902
(vi) दावा किया न गया अधिलाभांश			1,74,050	1,55600
			14,746	654
(vii) विदेशी साख संस्थानों से विदेशी मुद्राओं में वचनबद्धता प्रभार			232	1,582
			4,07,21,287	4,63,11,032
ख—व्यवस्थायें			1,75,26,089	1,02,60,798
(i) विनिमय जन्य उचंत लेखे में अन्तर				
(ii) उचंत डाली गई रकमें				
(क) ब्याज	7,47,38,644			5,92,73,451
(ख) वचनबद्धता प्रभार	2,48,218			1,02,076
(ग) प्रासंगिक प्रभार	2,49,125			1,91,872
(घ) गारन्टी कमीशन	1,70,051			1,36,562
			7,54,06,038	5,97,03,961
(iii) कराधान के लिए व्यवस्था				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष		9,29,71,937		7,15,25,404
जोड़िये : वर्ष के लिए व्यवस्था		2,03,99,567		2,14,46,533
		11,33,71,504		9,29,71,937

अनुसूची घ—जारी

1	2	3	4	5
घटाइए : गत वर्षों के लिए समायोजन . .		22,00,000		—
		11,11,71,504		9,29,71,937
घटाइए : स्रोत पर काटा गया कर	1,05,96,076			92,84,187
अदा किया गया अग्रिम कर	8,44,11,252	9,50,07,328		6,49,71,993
				7,42,56,180
(iv) प्रस्तावित अधिलाभांश			1,61,64,176	1,87,15,757
			60,00,000	60,00,000
			11,50,96,303	9,46,80,516
			15,58,17,590	14,09,91,548

अनुसूची ङ

अन्य देयतायें

30 जून, 1976 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विवरण	रु०	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
(i) सरकार से विशेष अनुदान . . .			
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष . .	—	—	—
क्रेडिस्तांतल के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार अनुदान . . .	30,28,000		21,20,000
	30,28,000		21,20,000
घटाइए : उपयोग की गई राशि . .	30,28,000	—	21,20,000
(ii) स्टाफ कल्याण निधि :			
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष . .	4,35,452		3,64,947
घटाइए : उपयोग की गई राशि . .	27,191		29,495
	4,08,261		3,35,452
जोड़िए : लाभ-हानि लेखे से अन्तरित	50,000		1,00,000
		4,58,261	4,35,452
(iii) औद्योगिक वित्त निगम कर्मचारी भविष्य-निधि		89,23,490	75,33,170
(iv) धारा 21ख के अधीन अन्तरित ऋणों तथा अग्रिमों में अधिकार एवं हित के सम्बन्ध में देयता		7,15,82,000	9,09,38,000
		8,09,63,751	9,89,06,622

अनुसूची च

दुतरफा मदों के अनुसार आकस्मिक देयतायें

30 जून, 1976 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विवरण	रु०	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
(i) गारंटियां [धारा 23 (1) (ख) के अधीन]		2,40,48,779	3,51,97,769
(ii) विदेशी ऋण गारंटियां [धारा 23(1) (ग) के अधीन]		3,10,09,615	4,06,02,159
(iii) मूलधन की राशि के लिए आस्थगित फ्रांसिसी ऋण		65,67,608	65,11,356
(iv) हामीदारी संविदा [धारा 23 (1) (घ) के अधीन] (पिछले वर्ष रु० 45,80,000)	22,50,000		
(v) धारा 23 (1) (घ) तथा धारा 23 (1) (च) के अधीन निवेश के रूप में अंशतः प्रदत्त शेयरों के लिए दावा न की गई राशि (पिछले वर्ष रु० 21,26,692)	52,05,538		
		6,16,46,002	8,23,11,284

अनुसूची छ

रोकड़ तथा बैंक में शेष

30 जून, 1976 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विवरण	रु०	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
(i) प्रधान कार्यालय तथा शाखाओं में रोकड़ तथा स्टैम्प हाथ में		22,358	19,127
(ii) चैक हाथ में तथा वसूली के अधीन		1,33,20,302	2,40,11,112
(iii) बैंकों में शेष			
(क) चालू खाते में			
भारत में	1,59,56,010		1,15,82,685
विदेशों में	15,537		45,649
	1,59,71,547		1,16,28,334
(ख) जमा खाते में	11,46,00,000		7,73,00,000
		13,05,71,547	8,89,28,334
		14,39,14,207	11,29,58,573

अनुसूची ज

निवेश (लागत पर)

30 जून, 1976 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विवरण	रु०	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
(i) धारा 20 के अधीन			
कुछ वित्तीय संस्थानों की प्रारम्भिक पूंजी/शेयर		71,00,000	71,00,000
(ii) धारा 23(1) (घ) के अधीन			
(क) औद्योगिक संस्थाओं के स्टाक, बांड तथा डिबेंचर	16,56,77,848		15,48,75,618
(ख) शेयरों, डिबेंचरों आदि पर आवेदन मुद्रा	—		9,78,250
		16,56,77,848	15,58,53,868
(iii) धारा 23(1) (च) के अधीन			
(क) शेयर	3,16,52,795		2,36,83,378
(ख) शेयरों के लिए अदा की गई आवेदन मुद्रा	3,06,250		—
		3,19,59,045	2,36,83,378
(iv) धारा 23 (1) (छ) के अधीन			
धारा 23 (1) (i) के उपबन्ध के अधीन डिबेंचर	17,40,000		66,85,000
शेयर	93,76,890		16,80,000
		1,11,16,890	83,65,000
		21,58,53,783	19,50,02,246
(क) कथित निवेश			
पुस्तक मूल्य . . .		9,00,35,200	13,01,45,914
बाजार मूल्य . . .		8,66,74,560	11,73,56,673
(ख) निवेश, जिनके लिए मूल्य विवरण उपलब्ध नहीं है। . . .			
पुस्तक मूल्य		12,58,18,583	6,48,56,332

अनुसूची झ

ऋण तथा अग्रिम

30 जून, 1976 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विवरण	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
ऋण तथा अग्रिम		
भारतीय मुद्रा में	2,18,06,05,687	1,91,45,66,573
विदेशी मुद्राओं में	26,50,82,924	26,93,20,526
	2,44,56,88,611	2,18,38,87,099
टिप्पणियां		
(क) संस्थाओं से प्राप्त ऋण जिनमें निगम के संचालक नामित संचालक की हैसियत से संचालक के रूप में हितबद्ध हैं। . . .	2,15,78,496	1,54,34,470
(ख) वर्ष के दौरान उन संस्थाओं को संवितरित ऋण की कुल रकम जिनमें निगम के संचालक नामित संचालक की हैसियत से संचालक के रूप में हितबद्ध हैं।	50,00,000	शून्य
(ग) उन संस्थाओं से या मूलधन अथवा ब्याज की अतिदेय रकम जिनमें निगम के संचालक, संचालक के रूप में हितबद्ध हैं। . . .	शून्य	शून्य

अनुसूची ञ

स्थिर परिसम्पत्तियां

30 जून, 1976 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विवरण	रु०	रु०	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
1. भूमि पट्टे पर				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार मूल्य वर्ष के दौरान वृद्धियां . .		13,60,816		13,16,306
		80,001		44,510
			14,40,817	
2. निष्कर भूमि तथा भवन				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार मूल्य		31,50,063		14,87,798
वर्ष के दौरान वृद्धियां .		1,926		16,62,265
		31,51,989		31,50,063
घटाइए : ह्रास मूल्य—				
पिछले साल तक . .	98,142			37,195
वर्ष के लिए . .	51,096	1,49,238		60,947
			30,02,751	98,142
			44,43,568	30,51,921
3. मोटर कारें, साइकिल, फर्निचर, जुड़नार, फिटिंग आदि . .				
पिछले तुलन-पत्रके अनुसार मूल्य		24,71,988		22,98,898
वर्ष के दौरान वृद्धियां/समायोजन		1,81,845		2,17,166
		26,53,833		25,16,064
घटाइए : बेची गई/फेंकी गई		48,960		44,076
		26,04,873		24,71,988
घटाइए : ह्रास मूल्य—				
पिछले वर्ष तक . .	11,14,386			9,52,406
वर्ष के लिए . .	1,92,399			1,93,368
	13,06,785			11,45,774
घटाइए : बेची गई/फेंकी गई परिसम्पत्तियों पर	29,345			31,388
		12,77,440		11,14,386
			13,27,433	13,57,602
			57,71,001	57,70,339

अनुसूची ट

अन्य परिसम्पत्तियां

30 जून, 1976 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विवरण	रु०	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
(क) प्रोद्भूत ब्याज परन्तु अप्राप्य :			
(i) बैंकों में जमा रकमों पर	8,28,329		2,22,769
(ii) डिबेंचरों पर	14,46,657		14,96,253
(iii) ऋणों तथा अग्रिमों पर	4,15,32,637		3,30,79,369
(iv) अन्य	5,54,153		4,34,356
		4,43,61,776	3,52,32,747
(ख) वचनबद्धता तथा अन्य प्रोद्भूत प्रभार		20,43,783	18,45,063
(ग) फुटकर ऋणी		1,60,05,380	1,53,20,081
(घ) कर्मचारियों को अग्रिम		33,99,976	27,03,324
(ङ) लेखन सामग्री का स्टाक		1,26,580	1,17,194
(च) टेलीफोन जमा		37,036	40,037
(छ) पूर्वदत्त खर्चे		77,768	1,08,549
(ज) प्रोद्भूत एजेंसी कमीशन		1,35,505	67,743
(झ) स्टाफ कल्याण निधि की असल परिसम्पत्तियां		4,08,261	3,35,452
		6,65,96,065	5,57,70,190

अनुसूची ठ

दुतरफा मदों के अनुसार संघटक आभार

30 जून, 1976 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विवरण	इस वर्ष रु०	पिछले वर्ष रु०
(क) गारंटियां [धारा 23 (1) (ख) के अधीन]	2,40,48,779	3,51,97,769
(ख) विदेशी ऋण गारंटियां [धारा 23 (1) (ग) के अधीन]	3,10,09,615	4,06,02,159
(ग) आस्थगित फ्रांसिसी ऋण मूलधन के लिए	65,87,608	65,11,356
	6,16,46,002	8,23,11,284

तुलन-पत्र पर टिप्पणियां

1. निगम द्वारा गृहित निवेशों के मूल्य के लिए उचित व्यवस्था नहीं की गई है क्योंकि निगम का विचार है कि विकास बैंक के कार्य में इस प्रकार का ह्रास सामान्य रहता है।

2. धारा 23(1) (घ) के अन्तर्गत तीन कम्पनियों (पिछले वर्ष एक कम्पनी) के 21,66,900 रु० (पिछले वर्ष 1,97,900 रु०) साधारण पूंजी के रूप में नियोजित राशि शामिल है, कम्पनियों ने ऐच्छिक परिसमापन कर दिया है और संभवत: निगम की नियोजित पूरी राशि वसूल न की जा सकेगी। इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

3. ऋणों और अग्रिमों में 7,02,87,447 रु० (पिछले वर्ष 9,09,38,000 रु०) शामिल हैं जिनमें सम्बन्धित अधिकार तथा हित धारा 21ख के अधीन हस्तांतरित किए गए।

4. जिन कुछ कोयला, कोक, खनन और वस्त्र कम्पनियों का केन्द्रीय सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है उनसे तुलन-पत्र की तारीख के दिन 3,68,58,040 रुपये (पिछले वर्ष 3,40,77,850 रु०) बकाया थे। अभी तक यह निश्चित नहीं हो पाया है कि मुआवजे की राशि अथवा गारंटियों से कितनी राशि वसूल की जा सकेगी। उचंत लेखे में पड़ी रकमों, निवल कर आधार पर संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित राशियों को देखने के बाद ऐसा माना गया है कि संदिग्ध ऋणों, अग्रिमों और फुटकर देनदारों के लिए उचित व्यवस्था है।

5. पहले से चली आ रही व्यवस्था के अनुसार प्राप्त किए गए विदेशी मुद्रा ऋणों और उप-ऋणों के रूप में मंजूर किए गए ऋणों की रुपये के बराबर राशि पौंड स्टर्लिंग को छोड़कर सभी मुद्राओं में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की लागू दरों, अर्थात् 1.00 डालर=7.50 रु०, 1.00 ज० मा०=2.05 रु०, 1.00 फ्रा० फ्रा०=1.35 रु० के बराबर संपरिवर्तन किया जाता है। पौंड स्टर्लिंग का संपरिवर्तन ऋणों के संवितरण की तारीखों को लागू विनिमय दरों के हिसाब से किया जाता है। यदि इन मुद्राओं का संपरिवर्तन 30 जून, 1976 को लागू टेलीग्राफिक ट्रांसफर विक्रय दरों पर किया जाये तो विदेशी वित्तीय संस्थाओं से विदेशी मुद्राओं में ऋणों और पेशगियों की राशि क्रमशः 39.39 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 40.78 करोड़ रुपये) तथा 36.62 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 38.07 करोड़ रुपये) बकाया है।

6. विनिमय अन्तर संदिग्ध लेखा तुलन-पत्र की तारीख को वास्तव में हुए विनिमय अन्तर का द्योतक है। औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 27(4) (क) के अनुसार विदेशी मुद्रा उप-ऋण की अवधि के दौरान विनिमय लाभ अथवा हानि ऋण प्राप्तकर्ता को उठानी पड़ती है। 30 जून, 1976 तक अधिनियम की धारा 27(4) (क) के अधीन 7,55,623 रुपये की विनिमय हानि हुई है जो निगम ने उप-ऋण प्राप्तकर्ताओं से पूरी करनी है। अतः यह निश्चित किया गया है कि जब ये रकमें वास्तव में वसूल हों इन्हें विनिमय अन्तर संदिग्ध लेखा के अन्तर्गत जोड़ दिया जाता है। अधिनियम की धारा 27 (4) (ख) के अधीन अर्जित लाभ अथवा उठाई गई हानि का अनुमान अथवा समायोजन तभी किया जायेगा जब कि एक विशेष विदेशी ऋण के सभी उप-ऋण निगम को पूरी तरह अदा हो जायेंगे।

7. वचनबद्धता और प्रभारों में शामिल है :—आठ संस्थाओं (पिछले वर्ष तीन संस्थायें) से बकाया 2,48,218 रुपये (पिछले वर्ष 65,185 रु०) इनको अदायगी संदिग्ध है और उचंत खाते में डाले गए।

8. फुटकर ऋणों में एक राज्य सरकार से ली जाने वाली 1,25,000 रुपये (पिछले वर्ष 1,25,000 रु०) की राशि जो पुनःस्थापन योजना के कारण वित्तपोषित संस्था के शेयरों के बेचने से देय है। यह राशि सितम्बर, 1976 से प्रारम्भ होकर छः वार्षिक किस्तों में अदा की जायेगी।

9. तुलन-पत्र की तारीख के दिन उन मामलों में निगम की वचनबद्धता निम्नलिखित अनुसार थी जिनमें कि शेयरों का पब्लिक निर्गमन पहले ही पूरा किया जा चुका है।

10. हामीदारी संविदाओं के अधीन निगम की देयता 5,00,280 रु० आयकर विभाग के संकेत पर जिन मामलों में निगम के पक्ष में फैसला हुआ है, ट्रिब्युनल/उच्च न्यायालय में अपील/संदर्भ किया गया है। ट्रिब्युनल/उच्चन्यायालय में किया विचाराधीन इन अपीलों/संदर्भों में तुलन-पत्र की तारीख को सम्बन्धित राशि 45.45 लाख रुपये है।

11. आवश्यकतानुसार पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः एकत्रित किया गया है।

लाभ-हानि लेखे पर टिप्पणियां—

1. वर्ष के दौरान, कई वर्षों से बाकीदारी में चल रही एक संस्था के पुनर्स्थापन की योजना को अन्तिम रूप दिया गया। योजना के अधीन, निगम के पास उस संस्था के कुछ शेयर 9,07,498 रुपये (पिछले वर्ष शून्य) के घाटे पर बेचे गए। उस संस्था के नाम खाते के बकाया में से 60,59,890 रुपये (पिछले वर्ष शून्य) जोकि पिछले वर्षों के सम्बन्धित ब्याज का दावा होने से ब्याज उचंत लेखे में डाले गए थे, को छोड़ना पड़ा। अतः वित्तपोषित संस्था को ब्याज उचंत लेखे की राशि से जमा कर दिया गया।

2. 41,79,858 रुपये (पिछले वर्ष 25,87,001 रु०) की राशि उचंत ब्याज लेखे से ब्याज लेखे को अन्तरित कर दी गई क्योंकि पिछले वर्षों में इस शीर्षक में जमा की गई राशि वसूल हो गई।

3. ब्याज में 2,57,43,714 रुपये (पिछले वर्ष 1,79,82,832 रु०) नहीं दिखाये गए हैं। जिनकी वसूली संदिग्ध समझी गई है। यह उचंत लेखे में डाले गए हैं और 64,13,840 रुपये (पिछले वर्ष 28,32,719 रु०) ऋणों और पेशगियों का ब्याज है, धारा 21ख के अधीन निगम के अधिकार तथा हित हस्तांतरित कर दिए गए हैं।

4. कुछ खातों पर ब्याज आधारित नहीं किया गया है जिनमें न्यायालय से डिक्री प्राप्त की है अथवा निगम ने ब्याज न लेने का फैसला किया है।

5. कमीशन में 33,490 रुपये (पिछले वर्ष 54,494 रु०) शामिल नहीं हैं जिनकी अदायगी संदिग्ध समझी गई है तथा उचंत लेखे में डाले गए।

6. हामीदारी प्रभार में 1,57,937 रुपये (पिछले वर्ष 65,185 रु०) शामिल नहीं हैं, जिनकी वसूली संदिग्ध समझी गई है तथा उचंत लेखे में डाले गए।

7. विविध आय में 57,253 रुपये (पिछले वर्ष 1,91,872 रु०) शामिल नहीं हैं जो प्रासंगिक प्रभार होने से वसूली में संदिग्ध समझे गए तथा उचंत लेखे में डाले गए।

8. आवश्यकतानुसार पिछले वर्ष के आंकड़ों को तुलनात्मक बनाने के लिए पुनर्गणन किया गया है।

परिशिष्ट

1 जुलाई, 1975 से 30 जून, 1976 तक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

क्रम सं० संस्था का नाम तथा परियोजना का स्थान	परियोजना लागत	वित्त के साधन					
		शेयर पूंजी		ऋण	आस्थगित अदायगी	अन्य (आन्तरिक प्रौद्भूत को मिलाकर	जोड़
		साधारण शेयर	अधिमान शेयर				
1 2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश							
1. आन्ध्र प्रदेश स्कूटर्स लि० पटनचेरू जिला मेडक, (अधिसूचित पिछड़ा जिला). प्रबन्ध निदेशक : एस० डी० राव	223.00	80.00	—	128.00	—	15.00	223.00
2. मै० आन्ध्र प्रदेश टेन्नीज लि०, विजयानगरम्, जिला : विशाखापटनम् अध्यक्ष : एम० वेंकटारतनम्, आई० ए० एस० प्रबन्ध निदेशक : टी० राजगोपालाराव	153.00	60.00	—	93.00	—	—	153.00
3. मै० आन्ध्र शुगर्स लि०, जिला : पश्चिमी गोदावरी अध्यक्ष : एम० टिम्मराजू प्रबन्ध निदेशक : एम० हरिशचन्द्र प्रसाद	410.00	—	—	100.00	—	310.00	410.00
4. मै० कोरोमण्डल अग्रो प्रौडक्टस् एण्ड आयल्स लि०, जन्द्रापेट, चिराला के समीप, जिला : प्रकाशम, (अधिसूचित पिछड़ा जिला) . प्रबन्ध निदेशक : कैप्टन (निवृत्त) जे० राम राव	170.00	59.00	6.00	105.00	—	—	170.00
5. मै० डैटूजेन्टस् इण्डिया लि०, कोडूर, जिला : हुडप्पा (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : वी० प्रताप रेड्डी, आई० ए० एस० प्रबन्ध निदेशक: जी० हरिशचन्द्र रेड्डी	250.00	86.00	—	164.00	—	—	250.00
6. मै० डाल्फिन होटल्स लि०, विशाखापटनम, . प्रबन्ध निदेशक : रामोजी राव चौ०	116.00	40.00	5.00	65.00	—	6.20	116.20

ज० मा० : जर्मन मार्क

क

द्वारा मंजूर की गई वित्तीय सहायता का विवरण

(रुपए, लाखों में)

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मंजूर की गई वित्तीय सहायता (सकल)						परियोजना विवरण अथवा सहायता का प्रयोजन
रुपया ऋण	विदेशी मुद्रा ऋण (रुपए के बराबर)	हामीदारियां		डिबेंचर	जोड़	
		साधारण शेयर	अधिमान शेयर			
10	11	12	13	14	15	16
27.50	–	5.00	–	–	32.50	प्रतिवर्ष 30,000 दो पहियों स्कूटरों का निर्माण करने के लिए नई परियोजना लागत।
–	22.88 (ज० मा०)	5.00	–	–	27.88	प्रतिवर्ष 2.1 लाख रंगे हुए गाय के चमड़े के टुकड़ों को तैयार करके 50.40 लाख वर्ग फुट चमड़ा बनाने के लिए नई परियोजना।
30.00	–	–	–	–	30.00 (अति०)	3,000 टन से 5,500 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता में विस्तार।
25.00	–	5.00	1.00	–	31.00	बढ़िया किस्म का बिनौला तेल निकालने तथा उप-उत्पाद बनाने के लिए प्रति-दिन 100 टन बिनौलों का अभिसंस्कार करने के लिए नई परियोजना लगाना।
30.00	–	5.00	–	–	35.00	प्रतिवर्ष 20,000 टन कृत्रिम डेट्-जेन्टसों का उत्पादन करने के लिए नई परि-योजना लगाना।
30.00	–	3.00	–	–	33.00	72 दोहरे कमरों वाले नये तीन स्टार होटल का निर्माण।

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	मै० नागर्जुना स्टील्स लि०, पट्टनचेरू, जिला : मेढक (अधिसूचित पिछड़ा जिला) . अध्यक्ष : एम० वेंकटारत्नम्, आई० ए० एस० प्रबन्ध निदेशक : के० वी० के० राजू	510.00	147.00	23.00	323.47	—	16.53	510.00
8.	मै० निजाम शुगर फैक्टरी लि०, मियलिगुडा, जिला : नागालैंड (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : ई० वी० राम रेड्डी, आई० ए० एस० उपाध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक : पी० के० डोरेस्वामी, आई० ए० एस०, (आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार की कम्पनी)	460.00	161.92	—	293.00	—	5.08	460.00
9.	मै० आर० जी० फाउण्ड्री फोर्ज लि०, जेदोमेटला औद्योगिक विकास क्षेत्र जिला : हैदराबाद . प्रबन्ध निदेशक: के०के० गुप्ता	100.00	40.00	—	60.00	—	—	100.00
10.	मै० साहनी पेरिस रोने लि०, पट्टनचेरू जिला : मेढक, (अधिसूचित पिछड़ा जिला) . प्रस्तावित प्रबन्ध निदेशक : भूपेन्द्र सिंह साहनी	188.52	55.00	15.00	103.52	—	15.00	188.52
11.	मैं श्री विजयारामा गजपति कोप० सुगर्स लि०, कुमारम, एस०कोटा तालुक जिला : विशाखापटनम् प्रबन्ध निदेशक: जे० राम० बाबू, आई० ए० एस०	435.00	80.00	90.00	265.00	—	—	435.00
12.	मै० टैन्ट केप इलेक्ट्रानिक्स लि०, पट्टनचेरू, जिला : मेढक (अधिसूचित कम पिछड़ा जिला) . .	125.00	37.50	2.50	70.00	—	15.00	125.00
13.	मै० विद्युत् स्टील्स लि०, पट्टेमचेरू, जिला : मेढक (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : वी० पी० रामा राव, आई० ए० एस० प्रस्तावित प्रबन्ध निदेशक : ए० सुरेन्द्र	185.00	64.00	—	106.00	—	15.00	185.00

* भारतीय औद्योगिक साख तथा निवेश निगम लि० और जीवन बीमा निगम के योगदान की राशि कम की जानी है।

क—जारी

(रुपए, लाखों में)

10	11	12	13	14	15	16
35.00	—	5.50	2.00	—	42.50	प्रतिवर्ष 13,500 टन की विस्थापित क्षमता से रोल्ड रील्ड इस्पात पत्तियों के निर्माण के लिए नई परियोजना लगाना।
70.00	—	—	—	—	70.00	1,250 टन दैनिक गन्ना पेरने वाली क्षमता को नई चीनी फैक्टरी लगाकर विस्तार।
40.00	—	5.00	—	—	45.00	प्रतिवर्ष 2,000 टन इस्पात को ढलवा वस्तुओं के उत्पादन के लिए लगाना।
10.00	7.93 (ज० मा०) 7.19 (फ्र० फ्रा०) 1.14 (पो० स्टू०)	4.00	—	—	30.26	प्रतिवर्ष 70,000 की विस्थापित क्षमता से (1) स्टार्टर मोटरों (2) जेनरेटरों/अलेट्रोमिटरों (3) वोल्टेज रेगुलेटरों का निर्माण करने के लिए नई परियोजना।
50.00	—	—	—	—	50.00	प्रतिदिन 1,250 टन गन्ना पेरने की क्षमता वाली चीनी फैक्टरी लगाना।
45.00*	—	7.00	—	—	52.00	प्रतिवर्ष 100 लाख ठोस टेन्ट्रालय ड्रिफ्ड केपिसेटर्स बनाने के लिए नई परियोजना लगाना।
30.00	—	5.00	—	—	35.00	प्रतिवर्ष 2,000 टन मैगनीज स्टील कास्टिंगों और 450 टन नी-हार्ड कास्टिंगों का उत्पादन करने के लिए नई परियोजना लगाना।

फ्रा० फ्रा० : फ्रांसिसी फ्रांक ज० मा० जर्मन मार्क

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9
असम								
14.	मै० अशोक पेपर मिल्स लि०, (1) जोगीघोपा, जिला-गोलपारा, (2) रामेश्वर नगर जिला : दरभंगा, बिहार (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रबन्ध निदेशक : ए० डी० अधिकारी	395.00 (अति-व्यय)	—	—	300.00	—	95.00	395.00
15.	मै० आसाम गैस कं० लि०, डुलियाजन, जिला : डिबरूगढ़ अध्यक्ष : एन० एम०फक्कन, आई० ए० एस० (निवृत्त) प्रबन्ध संचालक : सी० डी० फेने, आई० ए० एस०, (असम सरकार की कम्पनी)	400.00	195.00	—	205.00	—	—	400.00
16.	मै० असम पेट्रोकैमिकल्स लि०, नामरूप, जिला : डिबरुगढ़, प्रबन्ध निदेशक : जी० एस० हर्नल (असम राज्य सरकार की कम्पनी)	258.00 (अति-व्यय)	82.00	—	156.30	—	19.70	258.00
17.	म० कछार सुगर मिल्स लि०, चारगोला, जिला : कछार (अधिसूचित पिछड़ा जिला) निदेशक : डी० एन० बरुआ (असम राज्य सरकार की कम्पनी)	540.00	150.00	50.00	325.00	—	15.00	540.00
बिहार								
18.	मै० इण्डियन ट्यूब कं० लि०, जमशेदपुर, जिला: सिंघभूम अध्यक्ष : एस० के० नानावती प्रबन्ध निदेशक : एस० एल० दास (टाटा ग्रुप)	1244.00	—	—	800.00	—	444.00	1244.00

क—(जारी)

(रुपये लाखों में)

10	11	12	13	14	15	16
34.00	—	—	—	—	34.00 (अति०)	जोगीघोपा के संयंत्र के लिए 90 टन दैनिक कागज तथा 120 टन दैनिक बांस आधारित गद्दा तैयार करने के लिए परियोजना पुनर्स्थापन की लागत के कुछ भाग को पूरा करने एवं रामेश्वर नगर बिहार के संयंत्र में चीथड़ों पर आधारित 7.5 टन दैनिक विशेष कागज के उत्पादन के लिए।
37.50	—	—	—	—	37.50	राज्य के विभिन्न गैस प्राप्त करने वाले केन्द्रों में पाइप लाइनें बिछाने और प्राकृतिक गैस के प्रसारण के लिए सुविधाएं उपलब्ध करने की विस्तार योजना।
20.00	—	—	—	—	20.00 (अति०)	प्रतिवर्ष 7000 टन मेथीनील (ii) 12000 फर्मलडेहाइड (iii) फर्मलडेहाइड सरेस (चिपचिपा) 1000 टन फर्मलडेहाइड वाडलिंग पाउडर उत्पादन करने के लिए नई परियोजना लागत के अति-व्यय को पूरा करना।
110.00	—	—	15.00	—	125.00	1250 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता वाली नई चीनी फैक्टरी लगाना।
75.00	—	—	—	—	75.00	प्रतिवर्ष संकलित प्रकार की 40000 मि० टन से 50000 मि० टन विस्थापित क्षमता से पुनर्स्थापन व विस्तार योजना।

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9
गुजरात								
19.	मै० अनूप इंजीनियरिंग लि०, ओधव रोड, अहमदाबाद अध्यक्ष : अरविन्द नरोतम प्रबन्ध निदेशक : अरुण पो० शेठ	103.45	—	—	57.50	—	45.95	103.45
20.	मै० बड़ौदा रेयन कारपोरेशन लि०, उधना अध्यक्ष : एफ० पी० गायकवाड़, प्रबन्ध निदेशक : विनय के० शाह	1450.00	—	120.00	830.00	—	500.00	1450.00
21.	मै० सिट्रगिआ बायो-केमिकल्स लि०, पंडेसरा इंडस्ट्रियल इस्टेट, जिला : सूरत अध्यक्ष : नेवोले एन० वाडिया प्रबन्ध निदेशक : डी० एन० पुनेगर	780.00	300.00	—	480.00	—	—	780.00
22.	मै० गजकेम डिस्टलर्स इण्डिया लि०, अंकलेश्वर, जिला : बड़ौच (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रबन्ध निदेशक : लक्ष्मीकांत भागूभाई	174.00	—	—	105.00	—	69.00	174.00
23.	मै० पोलेमर कारपोरेशन आफ गुजरात लि०, जवाहरलाल इंडस्ट्रियल एरिया, बड़ौदा अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक जे० जे० मेहता	1400.00	500.00	60.00	840.34	—	—	1400.34
हरियाणा								
24.	मै० अमेरिकन यूनिवर्सल इलेक्ट्रिक (इण्डिया) लि०, फरीदाबाद, जिला : गुड़गांव, प्रधान तथा प्रबन्ध निदेशक : के० पी० सिंह	49.50	10.00	—	33.00	—	6.50	49.50

क—(जारी)

(रुपये, लाखों में)

10	11	12	13	14	15	16
—	17.12 (ज०मा०)	—	—	—	17.12 (अति०)	प्रतिवर्ष तथा आकार सिरे की उत्पादन क्षमता 1900 से 3000 टन बढ़ाने के लिए विस्तार योजना।
50.00	—	—	10.00	—	60.00 (अति०)	प्रतिवर्ष 2000 टन (जिसमें से 1000 टन तन्तुओं से बदला जाएगा) नाइलोन-6 धागे का उत्पादन करने के लिए सन्यन्त्र लगाकर विस्तार करने की योजना।
50.00	—	5.00	—	—	55.00	प्रतिवर्ष 3000 टन सिटरीक एसिड का उत्पादन करने के लिए विस्तार योजना बनाना।
50.00	—	—	—	—	50.00	प्रतिवर्ष 3000 टन एसेटिक एसिड का उत्पादन करने के लिए नई इकाई लगाकर विस्तार।
90.00	8.92 (अ० मा०)	20.00	—	—	118.92	प्रतिवर्ष 5000 टन मेथिल मेथाक्रालेट मोनोमर 2000 टन पोलिमेथल मेथाक्राइलेट, सीटों और 1500 टन पोलिमेथल मेथोक्राइलेट पेलेटसों का उत्पादन करने के लिए नई परियोजना लगाना।
33.00	—	—	—	—	33.00 (अति०)	इसकी वर्तमान फैक्टरी में कुछ आयातीत तथा देशी यन्त्र लगाने के लिए आधुनिकीकरण योजना।

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	हरियाणा सीट ग्लास लि०, सेवली, जिला : सोनीपत, तकनीकी निदेशक : एन० सी० गुप्ता	165.00	60.00	—	105.00	—	—	165.00
26.	मै० हरियाणा स्टेट कोप० सप्लाई एण्ड मार्किटिंग फैडरेशन लि०, हांसी, जिला : हिसार (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : चौ० मान सिंह प्रबन्ध निदेशक : आर० डी० गर्ग	484.00	227.00	—	257.00	—	—	484.00
27.	मै० करनाल कोप० सुगर मिल्स लि०, करनाल कस्बा, जिला : करनाल अध्यक्ष : सुखदेव प्रसाद	580.00	66.45	140.00	370.00	—	4.05	580.50
28.	मै० मिल्टन साइकिल इंडस्ट्रीज लि०, सोनीपत अध्यक्ष : विशम्भर दास कपूर प्रधान : जगदीश चन्द्र कपूर	31.50	—	—	18.00	—	13.50	31.50
29.	मै० पंचकुला मिल्स लि०, पंचकुला, जिला : अम्बाला अध्यक्ष : ललित एम० थापर प्रबन्ध निदेशक : तणजीत एस० प्रताप	82.00	34.00	—	48.00	—	—	82.00
30.	मै० सेहगल पेपर्स लि०, डारुहेरा, जिला : महेन्द्रगढ़, (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रबन्ध निदेशक : एम० एम० सहगल	348.00	135.00	—	213.00	—	—	348.00
31.	मै० सोनीपत कोप० सुगर मिल्स लि०, सोनीपत अध्यक्ष : एम० डी० अस्थाना, आई० ए० एस०	555.00	55.00	140.00	360.00	—	—	555.00

क—(जारी)

(रुपये लाखों में)

10	11	12	13	14	15	16
30.00	—	5.00	—	—	35.00	प्रतिवर्ष 28.1 लाख वर्ग मीटर की विस्थापित क्षमता से काच की चादरों का निर्माण करने के लिए नई परियोजना लगाना ।
100.00	—	—	—	—	100.00	25080 पूरक तकुओं वाली नई सूती वस्त्र मिल लगाना ।
90.00	—	—	—	—	90.00	प्रतिदिन 1250 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता वाली नई चीनी फैक्टरी लगाना ।
18.00	—	—	—	—	18.00 (अंति)	प्रतिवर्ष 12 लाख फी विलों, 18 लाख चैनों, 7.2 लाख बी० बी० कपों, 7.2 लाख बी० बी० एक्सलों का उत्पादन करने के लिए और प्रतिवर्ष 7.2 लाख की विस्थापित क्षमता से स्क्रयू रेसों, एक्सपेंडर बेल्ट नटों और चैक नटों का उत्पादन करने के लिए विस्तार योजना ।
18.00	—	5.00	—	—	23.00	प्रतिवर्ष जौ से 4200 टन माल्ट बनाने के लिए नई परियोजना लगाना ।
50.00	—	15.00	—	—	65.00	प्रतिदिन 30 टन लिखाई और छपाई कागज का उत्पादन करने के लिए नई परियोजना लगाना ।
90.00	—	—	—	—	90.00	प्रतिदिन 1250 टन गन्ना पेरने की क्षमता वाली चीनी फैक्टरी लगाना ।

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9
हिमाचल प्रदेश								
32.	मै० हिमाचल वूल प्रोसेसर्स लि०, नालागढ़, जिला : सोलन (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : यू० एन० शर्मा, आई० ए० एस० (हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की कम्पनी)	245.00	95.00	—	135.00	—	15.00	245.00
33.	मै० हिमाचल वस्टर्ड मिल्स लि०, नालागढ़, जिला : सोलन, अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : यू० एन० शर्मा, आई० ए० एस० प्रबन्ध निदेशक : एस० के० चौहान, आई० ए० एस० (हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की कम्पनी)	234.00	92.00	—	127.00	—	15.00	234.00
34.	मै० स्पेन मोटल्स प्राइवेट लि०, कट्रेन जिला : कुल्लू, (अधिसूचित पिछड़ा जिला)	6.00 (अति व्यय)	0.50	—	5.50	—	—	6.00
35.	मै० थिरानी कैमिकल्स लि०, प्योन्ता जिला: सिरमुर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रबन्ध निदेशक : ए० के० थिरानी	59.00	22.00	—	27.05	—	9.95	59.00
जम्मू और काश्मीर								
36.	मै० बिरला काटन, स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०, कथुआ (अधिसूचित पिछड़ा जिला) . अध्यक्ष : के० के० बिरला	255.00	—	—	150.00	—	105.00	255.00

क—(जारी)

(रुपये लाखों में)

10	11	12	13	14	15	16
30.00	—	7.00	—	—	37.00	2800 पूरक तकुओं वाले नए ऊन कताई मिल लगाना ।
30.00	—	10.00	—	—	40.00	2400 पूरक तकुओं वाली नई वर्स्टेड कताई मिल लगाना ।
5.50	—	—	—	—	5.50 (अति)	24 कमरों वाले नये होटल की लागत के एक भाग को पूरा करना ।
—	—	2.50	—	—	2.50	प्रतिवर्ष 3465 टन अवक्षेपित और 1485 टन सक्रियित कैल्शियम कारबोनेट का उत्पादन करने के लिए नई परियोजना लगाना ।
40.00	–	–	–	–	40.00	तकुओं की संख्या 12600 से 25000 बढ़ाने के लिए विस्तार योजना ।

परिशिष्ट क

1	2	3	4	5	6	7	8	9
कर्नाटक								
37.	मै० इस्कोर्टस लि०, (1) बंगलोर (2) पटियाला पंजाब अध्यक्ष तथा प्रबंधक निदेशक : एच० पी० नन्दा उपाध्यक्ष तथा संयुक्त प्रबन्ध निदेशक : रंजन नन्दा (इस्कोर्टस ग्रुप)	1698.00	—	—	1241.00	—	457.00	1698.00
38.	मै० गंगावती सुगर्स लि०, मुरली गंगावती तालुक जिला : रायचूर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : टी०शमन्ना, आई०ए०एस० प्रबन्धक निदेशक : एन० चन्द्राप्पा और एच० आर० बासवराज	204.00 (अति व्यय)	25.00	—	149.00	30.00	—	204.00
39.	मै० मैसूर पेट्रोकेमिकल्स लि०, ड्येसागर, जिला : रायपुर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : टी०शमन्ना, आई०ए०एस० प्रबन्धक संचालक : एस०एस०धनुका	70.00 (अति व्यय)	—	—	59.00	—	11.00	70.00
40.	मै० रायबाग सहकारी शक्कर कारखाना नियमित, रायबाग जिला : बेलगांव (अधिसूचित पिछड़ा जिला)** प्रबन्ध निदेशक :एच०एल० कन्हया	—	—	—	—	—	—	
41.	मै० सुन्दर मैंगनीज एण्ड आयरन ओर्स लि०, व्यासनकोर (होसपट के समीप) जिला : बेलारी अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक : वाई० आर० घोरपाडे	378 (अति व्यय)	—	73.00	—	305.00	—	378.00
42.	मै० ट्रिटोन वाल्स लि०, मसूर बेल्वादी औद्योगिक क्षेत्र जिला : मैसूर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रस्तावित प्रबन्ध निदेशक : एम० वी० गोकर्न	110.00	32.02	8.00	70.00	—	—	110.02
43.	मै० विश्वेश्वर्या आयरन एण्ड स्टील लि०, भदरावती जिला : शिमोगा अध्यक्ष : एस० एम० कृष्णा उपाध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक : एम० के० वारियर, आई० ए०एस०, कर्नाटक राज्य सरकार की कम्पनी)	1665.00	352.00	—	723.70	—	589.30	1665.00

साधारण शेयरों में अभिदान ।.

--(जारी)

(रुपये लाखों में)

10	11	12	13	14	15	16
125.00	–	–	–	–	125.00 (अति०)	बंगलौर की इकाई में 10 लाख पिस्टन और पिनों का उत्पादन (2) परियोजना की इकाई में कुछ पुरानी मशीनरी का पुनर्स्थापन ।
20.00	–	1.34*	–	–	21.34 (अति)	प्रतिदिन 2500 टन गन्ना पेरने की क्षमता वाली चीनी फैक्टरी लगाने के लिए अति-व्यय का कुछ भाग पूरा करना ।
10.00	–	–	–	–	10.00 (अति०)	प्रति वर्ष 6000 टन पथालिक अनहाइड्राईड उत्पादन करने के लिए नये परियोजना लागत में आये अति-व्यय के कुछ भाग को पूरा करना ।
7.50	–	–	–	–	7.50 (अति०)	प्रतिदिन 1250 टन गन्ना पेरने वाली क्षमता की नई चीनी फक्टरी लगाना ।
–	21.25 (जमा)	–	–	–	21.25 (अति०)	प्रतिवर्ष 24000 टन फेरों सिलिकोन का उत्पादन करने के लिए नई इकाई द्वारा विस्तार में हुआ अति-व्यय का कुछ भाग ।
14.00	–	5.00		–	19.00	प्रतिवर्ष 40 लाख आटोमोबाइल टायर ट्यूबों के वाल्व स्टेरों और 60 लाख कैपो को विस्थापित क्षमता से उत्पादन करने के लिए नई परियोजना लगाना ।
100.00	–	–	–	–	100.00	प्रतिवर्ष 5350 टन की क्षमता से उच्च गार्ल इस्पात अलाय और कार्बन टूल इस्पात, कार्बन संरचना इस्पात और 2900 टन की उप-उत्पादकों का निर्माण करने के लिए विस्तार तथा विशाखन ।

*परियोजना लागत का गणन 1974-75 में किया जा चुका है ।

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9
केरल								
44.	मै० ट्रान्सफोमर्स एण्ड इलेक्ट्रीकल्स केरला लि०, अंगामली, जिला : एर्नाकुलम अध्यक्ष : जार्ज थाम्स, आई० ए० एस०, प्रबन्धक निदेशक : के० जी० सेशन	563.46	18.17	—	249.00	—	131.00	564.17
45.	मै० वंजीनाड लैदर्स लि०, थिन्कानापुरम, जिला : मालापुरम्, अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रबन्ध निदेशक : टी०पी० चंडी	165.00	60.00	—	90.00	—	15.00	165.00
मध्य प्रदेश								
46.	बिलासपुर स्पिनिंग मिल्स एण्ड इंडस्ट्रीज लि०, बिलासपुर (अधिसूचित कम विकसित जिला) प्रबन्ध निदेशक : बी० के० नेपानी	103.00 (अति व्यय)	24.55	—	35.00	20.40	23.05	103.00
47.	मै० गजरा बेवल गियर्स लि०, देवस (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : एम० एल० आंप्टे प्रस्तावित प्रबन्धक निदेशक : आई० एस० गजरा	480.00	190.00	—	290.00	—	—	480.00
48.	मै० इस्को स्टेनटन पाईप एण्ड फाउन्ड्री ०कं लि०, देवरु रोड, उज्जैन, अध्यक्ष : एच० भाया महाप्रबन्धक : ब्रिगे० एस० सी० भट्टाचार्य	793.00	—	—	350.00	—	443.00	793.00
49.	मै० मध्य प्रदेश इण्डस्ट्रीज लि०, गोविन्दपुरा इण्डस्ट्रियल एरिया, भोपाल जिला : सेहोर (अधिसूचित कम पिछड़ा जिला) (जे० के० सिंघानिया ग्रुप)	86.00 (अतिव्यय)	—	—	56.00	—	30.00	86.00
50	मै० मध्य प्रदेश विद्युत यंत्र लि०, गोशालपुर, सिहारा तह० जिला : जबलपुर अध्यक्ष : एम० के० चतुर्वेदी, आई० ए० एस० प्रबन्ध निदेशक : एम० वी० तम्बाकड	110.00	50.00	—	60.00	—	—	110.00
महाराष्ट्र								
51.	मै० कार्बन कारपोरेशन लि०, सतपुर इण्डस्ट्रियल एरिया नासिक प्रस्तावित प्रबंध निदेशक : मुकुल हरकिशन दास	490.00	180.00	—	310.00	—	—	490.00

क–(जारी) (रुपये लाखों में)

10	11	12	13	14	15	16
40.00	–	10.00	–	–	50.00	प्रतिवर्ष 1080 एम० बी० ए० बिजली ट्रांसफार्मरों से 3000 एम० वी० ए० ट्रांससफार्मरों, करन्ट और पोटेंशियल ट्रान्सफार्मरों, की 600 से 1000 उत्पादन करने और आन्तरिक उपयोग के लिए बशिंगों और आनलोड टेप चेंजरों का उत्पादन करने के लिए विशाखन।
–	13.84 (ज० मा०)	5.00	–	–	18.84	1.50 लाख गाय की खालों के टुकड़े और 3.00 लाख बकरों की खाल के टुकड़ों की अधिसंस्कार करके प्रतिवर्ष 48 लाख वर्ग मीटर चमड़ा तैयार करने के लिए नई परियोजना।
15.00	–	–	–	–	15.00 (अति०)	तकुओं की संख्या 12064 से 25024 बढ़ाने के लिए लागत में आये अति-व्यय को पूरा करना।
–	43.95 (ज० मा०)	10.00	–	–	53.95	प्रतिवर्ष 800 टन क्राउन विलों और पिनियन सेटों तथा डिफ्रनशियल गियर किटों का उत्पादन करने के लिए नई परियोजना लगाना।
50.00	–	–	–	–	50.00	प्रतिवर्ष 60,000 से 1,20,000 टन की क्षमता से ढलवा लोहे के गोल नल बनाने के लिए विस्तार योजना।
10.00	–	–	–	–	10.00 (अति०)	प्रतिवर्ष 600 लाख ड्राईसेल बैटरियां बनाने के लिए परियोजना लागत में आये अति-व्ययय, को पूरा करना।
20.50	–	5.00	–	–	25.50	प्रतिवर्ष वर्ष 400 एम० वी० ए० की विस्थापित क्षमता से वितरण ट्रांसफार्मरों का उत्पादन करने के लिए नई परियोजना लगाना।
17.04	16.05 (ज० मा०)	5.00	–	–	38.09	प्रतिवर्ष 38000 टन ग्रेफाइट अनोडों का उत्पादन करने के लिए नई परियोजना लगाना।

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52.	मै० डिल्को मेटल कार्बाइड्स लि० अहमद नगर . . प्रबन्ध निदेशक : एच०सेखरी	210.00	74.00	–	136.90	–	–	210.90
53.	मै० जी० एल० होटल्स लि०, औरंगाबाद, (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : श्रीमती पृथ्वी वीर कौर निदेशक : पी० एल० लांबा और आई० के० घई	43.54 (अति-व्यय)	–	–	27.00	–	16.54	43.54
54.	मै० ग्लोब स्टियरिंग्ज लि०, मुलुन्द, बम्बई प्रबन्ध निदेशक : सी० जे० तलसानिया	10.50 (अति-व्यय)	–	–	11.50	–	2.00	13.50
55.	मै० गोगते स्टील्स लि०, तारापुर, जिला : थाना अध्यक्ष : बी० एस० गोगते प्रबन्ध निदेशक : सुबीर सेन	80.00	17.00	–	52.00	6.00	5.00	80.00
56.	मै० ग्राह्म फर्ग स्टील्स प्रोडक्टस (इण्डिया) लि०, गोरेगांव (पूर्व) बम्बई अध्यक्ष : डा० प्राणलाल जे० पटेल	0.99	–	–	0.99	–	–	0.99
57.	मै० ग्रीव्स लोम्बरदिनी लि०, चिकलथाना, जिला: औरंगाबाद, (अधिसूचित पिछड़ा जिला) . निदेशक : एम० वी० वागले	886.00	220.00	50.00	501.00	–	115.00	886.00
58.	इछलकरंजी कोप० स्पिनिंग मिल्स लि०,सिरदवाड, जिला : कोल्हापुर अध्यक्ष : कल्लप्पा बाबूराव अवाडे प्रबन्ध निदेशक: एस० जे० निम्बलकर	396.00	84.00	84.00	228.00	–	–	396.00
59.	मै० नेशनल मशीनरी मैन्यूफैक्चरिंग लि०, (i) कल्वे, जिला : थाना (ii) बड़ोदा, गुजरात अध्यक्ष : अरविंद एम० मफतलाल उपाध्यक्ष : सी० सी० चौकसी	265.00	–	80.00	–	–	185.00	265.00
60.	मै० परावारा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, परावारा नगर, जिला : अहमद नगर . प्रबन्ध निदेशक : एम० के० पाटिल	425.00	50.00	–	250.00	–	125.00	425.00

क—(जारी)

(रुपये, लाखों में)

10	11	12	13	14	15	16
10.00	12.21 (ज० मा०)	5.00	–	–	27.21	प्रतिवर्ष 24 टन टगस्टन कार्बाइड उत्पादों 1,00,000 ड्रिलिंग राडों और 5,000 ड्रिलिंग किटों का उत्पादन करने के लिए नई परियोजना लगाना।
9.00	–	–	–	–	9.00 (अति०)	72 कमरों वाले तथा 3 सेटों वाले अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के होटलों के निर्माण में आये अति-व्यय के कुछ भाग को पूरा करना।
3.50	–	–	–	–	3.50 (अति०)	प्रति वर्ष 25,000 स्टियरिंग गियरों का उत्पादन करने के लिए नई परियोजना लागत में आये अति-व्यय को पूरा करना।
10.00	–	–	–	–	10.00 (अति०)	प्रति वर्ष 44,000 टन की विस्थापित क्षमता से नरम इस्पात, कार्बन इस्पात, लोचदार इस्पात सिलें बनाने के लिए नई परियोजना लागत में आये अतिव्यय को पूरा करना।
–	0.57 (ज० मा०)	–	–	–	0.57 (अति०)	धातु की चादरों को टेस्ट करने के लिए एक मशीन का आयात।
25.00	45.92 (पौ० स्ट्र०)	10.00	–	–	80.92	प्रति वर्ष 52,000 उच्च प्रति डीजल इंजनों का निर्माण करने के लिए नई परियोजना लगाना।
75.00	–	–	–	–	75.00	25,080 पूरक तकुओं वाली नई सूती वस्त्र मिल लगाना।
–	–	–	5.00	–	5.00	वस्त्र मशीनरी का निर्माण करने वाली दो इकाइयों का आधुनिकीकरण तथा सन्तुलन।
60.00	–	–	–	–	60.00 (अति०)	2,500 टन से 3,500 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता बढ़ाने के लिए विस्तार।

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61.	मै० प्रीमियर सिन्थेटिक प्रोसेसर्स लि०, ट्रांस थाना क्रीक औद्योगिक क्षेत्र पावने, जिला थाना प्रबन्ध निदेशक : वी० के० झुनझुनवाला	3.80	—	—	3.80	—	—	3.80
62.	मै० रूबी मिल्स लि०, बम्बई अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक : मनोहर लाल चुन्नी लाल शाह	12.82	—	—	8.72	—	4.10	12.82
63.	मै० सेवन सीज ट्रांस-पोर्टेशन लि०, बम्बई अध्यक्ष : गोपाल कृष्ण सिंघानिया (जे० के० सिंघानिया ग्रुप)	3000.00	90.00	30.00	2880.00	—	—	3000.00
64.	श्री ददगंगा वेद गंगा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, विदोरी, कागल, जिला : कोल्हापुर प्रभारी प्रबन्ध निदेशक : ए० एस० जोशी	475.00	75.00	—	250.00	—	150.00	475.00
65.	मै० स्पुन्डिस इंजीनियर्स प्रा० लि०, थाना, प्रबन्ध निदेशक: अशोकप्रसाद	94.85	26.35	—	59.80	—	8.70	94.85
66.	मै० योतमल जिला सहकारी सूत व कपास गिरनी लि०, पुसड, जिला : योमतल (अधि-सूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष: एस० के० असेगोंकर प्रबन्ध निदेशक : वी० ए० अकुंला	165.00	23.00	46.00	91.00	—	5.00	165.00
मेघालय								
67.	मै० मामुल्ह चेरा सीमेंट्स लि०, मामुल्ह, जिला : खासी हिल्स, (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : स्टेन्ले निकोल्स रोय (मेघालय राज्य सरकार की कम्पनी)	980.00	253.00	—	650.00	—	77.00	980.00
68.	मै० मेघालय फिटो केमिकल्स लि०, वादापानी,-शिलांग के पास जिला : खासी हिल्स (अधिसूचित कम पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : वी० हिमतसिंघका, प्रबन्ध निदेशक : श्रीमती ऊमा सिं हिमतसिंधका	98.00	40.00	10.00	42.00	—	6.00	98.00

क—(जारी) (रुपए लाखों में)

10	11	12	13	14	15	16
1.80	–	–	–	–	1.80 (अति०)	एक बीम रंगाई मशीन और दो गियरों की
–	4.91 (ज० भा०)	–	–	–	4.91 (अति०)	एक आटोकोनर का आयात ।
–	–	–	3.61*	–	3.61 (अति०)	लगभग 1.25 लाख डी० डब्ल्यू० टी० की क्षमता के एक अथवा दो समुद्री जहाज खरीद कर विस्तार।
60.00	–	–	–	–	60.00 (अति०)	1,750 टन से 3,000 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता में विस्तार।
–	12.24 (ज० भा०)	–	–	–	12.24	2,600 टन वार्षिक की क्षमता से डिसाड और फ्लेड सिरों के बनाने के लिए नई परियोजना लगाना।
31.00	–	–	–	–	31.00 (अति०)	11,772 से 24,972 तकुओं की संख्या बढ़ाने के लिए विस्तार।
175.00	–	–	–	–	175.00 (अति०)	पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन 0.83 लाख से 2.83 लाख वार्षिक बढ़ाने के लिए विस्तार योजना।
10.00	–	4.00	–	–	14.00	प्रतिवर्ष 100 टन फैटो रसायनों का उत्पादन करने के लिए नई परियोजना लगाना।

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9
उड़ीसा								
69.	मै० उड़ीसा टायर्स लि०, मंचेश्वर, भुवनेश्वर के समीप, जिला : पुरी अध्यक्ष : वी० वेंकटारमन प्रस्तावित प्रबन्ध निदेशक: एस० एन० अग्रवाल	3359.00	1075.00	—	2109.00	—	175.00	3359.00
पंजाब								
70.	मै० पंजाब देहली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कं० लि०, असरी, जिला : होशियारपुर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक : डा० भरतराम प्रबन्ध निदेशक : डा० चरतराम (श्रीराम ग्रुप)	1450.00	—	—	1032.00@	—	418.00	1450.00
71.	मै० ओरियन्टल कार्पेट मैन्यूफैक्चरर्स (इण्डिया) लि०, छहराता, जिला : अमृतसर, प्रबन्ध निदेशक : जे० एल० मेहरा	110.00	8.00	—	50.00	12.68	39.32	110.00
72.	मै० स्टेपन केमिकल्स लि०, राजपुरा, जिला : पटियाला अध्यक्ष : एस० एल० कपूर, आई० ए० एस०	500.00	190.00	10.00	300.00	—	—	500.00
73.	मै० स्टर्लिंग स्टील्स एण्ड वायर्स लि०, योहल, जिला होशियारपुर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) पुस्तावित प्रबन्ध संचालन आई० पी० आनन्द	258.00	90.00	—	153.00	—	15.00	258.00
राजस्थान								
74.	मै० भीलवाड़ा प्रोसेसर्स लि० भीलवाड़ा (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : एस० एल० शरोफ	124.00	35.00	10.00	64.00	—	15.00	124.00

*साधारण शेयरों में अभिदान

*कुछ रुपया ऋण तथा विदेशी मुद्रा। सही विभाजन बाद में निश्चय किया जाएगा।

क—(जारी) (रुपये लाखों में)

10	11	12	13	14	15	16
100.00*	—	30.00	—	—	130.00	प्रतिवर्ष 5 लाख टायर और ट्यूबों का उत्पादन करने के लिए नई परियोजना लगाना।
—	—	—	—	100.00**	100.00 (अति०)	12,000 टन वार्षिक की दर से उच्च ड्यूटी इस्पात फाउंडरों लगाने के लिए विशाखन योजना।
48.69	0.76 (ज० मा०)	—	—	—	40.45	1,200 वर्स्टेड तकुओं तथा 20 खडडिया लगाने के लिए विस्तार तथा आधुनिकीकरण योजना।
40.00	—	10.00	—	—	50.00	प्रति वर्ष कृत्रिम घोलक, टायलेट साबुन और ग्लैसरीन क्रमशः 10000 टन, 7200 टन और 450 टन की क्षमता से उत्पादन करने के लिए नई परियोजना।
50.00	—	7.50	—	—	57.50	प्रतिवर्ष 7000 टन कार्बन, नरम और अलाय तारें बनाने के लिए नई परियोजना लगाना।
37.00	—	5.00	—	—	42.00	प्रति दिन 2800 मीटर टुकड़े रंगने और 1200 मीटर टेरी-विसकोस सूट के कपड़ों की रंगाई के लिए नया अभिसंस्कार हाउस बनाना।

**निजी डिबेंचरों में अभिदान।

@निजी डिबेंचरों से प्राप्त की गई 900.00 लाख रुपए की रकम शामिल है।

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75.	मै० जयपुर उद्योग लि०, सवेमाधोपुर, अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक: ए० पी० जैन	525.89	—	—	365.42	—	160.47	525.89
76.	मै० राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०,							
	(1) भीलवाड़ा .	38.16	—	—	17.93	—	20.23	38.16
	(2) खरीग्राम . जिला : भीलवाड़ा (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रबन्ध निदेशक : एल० एन० झुनझुनवाला	250.00	—	—	185.00	—	65.00	250.00
तमिलनाडु								
77.	मै० अल्काली एण्ड केमिकल कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०, (1) इन्नौर, जिला चिंगलेपुट (2) रिसरा, जिला : हुगली (अधिसूचित पिछड़ा जिला) पश्चिमी बंगाल अध्यक्ष : डी० जी० ओवेन प्रबन्ध निदेशक : के० वी० राघवन (आई० सी० आई० ग्रुप)	1702.58	75.58	—	995.00	—	632.00	1702.58
78.	मै० फेसिट एशिया लि०, पेरुनगुडी, सेवापेट तालुक जिला : चिंगलेपुट अध्यक्ष : एफ० एच० केम्पले, निदेशक : जी० रंडबर्ग	214.69	61.00	—	112.16	16.27	25.52	214.95
79.	मै० ओरियन्टल होटल्स लि०, मद्रास प्रबन्धक निदेशक : डी० सुब्बारामा रेड्डी	50.00 (अति व्यय)	10.00	—	30.00	—	10.00	50.00
80.	मै० शेषासायी पेपर एण्ड बोर्डस लि० इरोड, जिला : सेलम अध्यक्ष : एस० नारायणास्वामी, प्रबन्ध निदेशक : एस० विश्वानाथन (शेषासायी ग्रुप)	2000.00	—	100.00	1500.00	—	400.00	2000.00
81.	मै० स्वामीजी मिल्स लि०, शिवकासी, सेत्तुर तालुक जिला : रामानाथापुरम् (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : डा० के० पद्मानाभन प्रबन्ध निदेशक : ए० सम्भुराज	76.50	3.00	—	48.00	—	25.50	76.50

*प्रत्यक्ष अभिदान ।

क—जारी (रुपये, लाखों में)

10	11	12	13	14	15	16
75.00	—	—	—	—	75.00	पोर्ट लैंड सीमेंट के उत्पादन की 8.49 लाख की दर का वार्षिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पुर्नस्थापन एवं संतुलन ।
—	10.36 (ज० मा०)	—	—	—	10.36 (अति०)	मर्सेराइजिंग संयंत्र का आयात ।
25.00	—	—	—	—	25.00 (अति०)	8640 तकुओं से 17280 बढ़ाने के लिए विस्तार योजना ।
75.00	80.00 (पो० स्ट्)	17.34*	—	—	172.34	इन्नोर में दो नई इकाइयां लगाकर विशाखन— एक दवाइयों के उत्पादन तथा घोल मिलाने के लिए और दूसरी 2500 कि० ली० ग्रामोकसोन के उत्पादन के लिए तथा एक सिरसरा की इकाई में प्रतिवर्ष 3200 टन से 6000 टन रबर रसायनों का उत्पादन करने के लिए ।
10.00	22.21 (ज० मा०)	—	—	—	32.21	प्रतिवर्ष 20000 मशीनरी टाइपराइटर बनाने के लिए विशाखन योजना ।
7.50	—	—	—	—	7.50 (अति०)	238 वातानकूलित दोहरे कमरों वाले 5 स्टार डीलक्स होटल के निर्माण में आया अति-व्यय ।
75.00	—	—	—	—	75.00	प्रतिवर्ष कागज तथा गत्ते का उत्पादन 35000 टन से 55000 टन की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विस्तार ।
33.00	—	—	—	—	33.00	तकुओं की संख्या 11880 से 25112 बढ़ाने के लिए विस्तार योजना ।

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82.	मै० तिरुपत्तूर कोप० सुगर मिल्स लि०, केसनवापत्ती वनियमवडी तालुक, जिला : उत्तरी अरकोट अधिसूचित कम पिछड़ा जिला) प्रबन्ध निदेशक : के० नटराजन	649.35	50.00	160.00	415.00	—	25.71	650.71
83.	मै० वेलौर कोप० सुगर मिल्स लि०, तिरुवलम, गुडियाथम तालुक, जिला : उत्तरी अरकोट (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रबन्ध निदेशक : एम० एन० बालासुब्रह्मनियन उत्तर प्रदेश	615.76	50.00	160.00	400.00	—	6.16	616.16
84.	मै० अलायड इन्टरनेशनल प्रोडक्ट्स लि०, अनुग्रहनगर, जिला : मुरादाबाद (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : आर० एन० बैनर्जी, आई० ए० एस० (निवृत्त) प्रबन्ध निदेशक : डी० एन० सिन्हा	110.00 (अति व्यय)	16.00	—	79.00	15.00	—	110.00
85.	मै० अल्मोडा मेगनेसाइट लि०, जिला : अल्मोड़ा (अधिसूचित कम पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : महमूद बट्ट, आई०ए०एस०, प्रबन्ध निदेशक : डा० एस० एस० घोष, (उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की कम्पनी)	382.00	140.00	—	237.00	—	5.00	382.00
86.	मै० बसन्त पेपर मिल्स लि०, पटनवा, जिला : वाराणसी प्रस्तावित प्रबन्ध निदेशक : एन० एल० डालमिया	300.00	105.00	15.00	180.00	—	—	300.00
87.	मै० होटल पिंक सिटी (प्राइवेट) लि०, आगरा प्रबन्ध निदेशक : एन० वी० लक्ष्मण	47.00	18.25	—	24.50	—	4.25	47.00
88.	मै० किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, सथा, जिला—अलीगढ़, महाप्रबन्धक : पृथ्वी सिंह	539.00	29.00	160.00	350.00	—	—	539.00

*साधारण शेयरों में अभिदान ।

—जारी (रु० लाखों में)

10	11	12	13	14	15	16
115.00	—	—	—	—	115.00	1250 टन दैनिक गन्ना पेरने वाली नई चीनी फैक्टरी लगाना ।
110.00	—	—	—	—	110.00	1250 टन दैनिक गन्ना पेरने वाली क्षमता वाली नई चीनी फैक्टरी लगाना ।
39.50	—	3.91*	—	—	43.41 (प्रति०)	प्रतिवर्ष 2400 टन प्रौसिजन औद्योगिक फास्टनर्स बनाने के लिए नई परियोजना लागत के प्रति-व्यय को पूरा करना ।
40.00	—	—	—	—	40.00	प्रतिवर्ष 30000 टन डेड बर्न्ट मैगनेसाइट का उत्पादन करने के लिए नई परियोजना लगाना ।
30.00	—	7.00	—	—	37.00	प्रति वर्ष 5940 टन क्राफ्ट कागज का उत्पादन करने के लिए नई परियोजना लगाना ।
24.50	—	—	—	—	24.50	40 कमरों वाला एक नया तीन स्टार होटल बनाना ।
90.00	—	—	—	—	90.00	1250 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता वाली नई चीनी फैक्टरी लगाना ।

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89.	मैं० किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, नदेही, जिला : नैनीताल, महाप्रबन्धक : वी० पी० परासरी	787.50	85.00	190.00	500.00	—	12.50	787.50
90.	मैं० किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, तहसील : अनूपशहर, जिला : बुलन्दशहर, (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : डी० एम० मिश्रा महाप्रबन्धक : करण सिंह	644.00	65.00	160.00	419.00	—	—	644.00
91.	म० किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, शिल्खुपुर, जिला : बदायूं (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : देवीदयाल, आई०ए०एस०, महाप्रबन्धक : आर०एन० ओबराई,	755.00	75.00	190.00	490.00	—	—	755.00
92.	मैं० मोदी रबर लि०, मोदीपुरम, जिला : मेरठ अध्यक्ष : के० एन० मोदी उपाध्यक्ष: वी० के० मोदी	730.00 (अति-व्यय)	—	100.00	175.00	—	355.00	730.00
93.	मैं० स्प्रिंग्ज इण्डिया लि० साहिबाबाद, जिला : मेरठ प्रस्तावित अध्यक्ष : डी० एन० पटोदिया प्रस्तावित महाप्रबन्धक : वी० एन० पटोदिया	160.00	58.00	7.00	95.00	—	—	160.00
94.	मैं० सिवालिक सेलुलोज प्रा० लि०, (पब्लिक लिमिटेड कम्पनी में बदली जानी है) गजरोला जिला : मुरादाबाद (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रस्तावित प्रबन्ध निदेशक : इन्द्र पी० चौधरी	312.59	108.00	—	202.00	2.59	—	312.59
95.	मैं० उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेंट कारपोरेशन लि०, (i) डल्ला, (ii) चुनार जिला मिर्जापुर. अध्यक्ष : पी० के० कौर, आई० ए० एस० प्रबन्ध निदेशक : शिरोमणि शर्मा, आई० ए० एस० (उत्तर प्रदेश सरकार की कम्पनी)	7200.00	1700.00	—	4700.00	—	800.00	7200.00

—क (जारी) (रुपये लाखों में)

10	11	12	13	14	15	16
90.00	—	—	—	—	90.00	1250 टन दैनिक गन्ना पेरनी की क्षमता वाली नई चीनी फैक्टरी लगाना ।
115.00	—	—	—	—	115.00	1250 टन की दैनिक क्षमता से गन्ना पेरने के लिए नई चीनी फैक्टरी लगाना।
150.00	—	—	—	—	150.00	1250 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता वाली नई चीनी फैक्टरी लगाना ।
30.00	–	–	–	–	30.00 (अति०)	प्रति वर्ष (5 लाख टायर और ट्यूबों का उत्पादन करने के लिये परियोजना के अति-व्यय के कुछ भाग को पूरा करना।
–	14.42 (ज० मा)	5.00	–	–	19.42	प्रति वर्ष 540 टन धातु स्प्रिंग बनाने के लिए नई परियोजना बनाना ।
45.00	–	10.00	–	–	55.00	प्रतिदिन 20 टन लिखाई तथा छपाई का कागज बनाने के लिए नई परियोजना लगाना।
300.00	–	–	–	–	300.00	प्रतिवर्ष 16.80 लाख टन पोर्टलैंड भट्टी के लिए सीमेंट के टुकड़े बनाने के लिए डल्ला और चुनार में इकाई लगाकर विस्तार ।

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96.	मैं० यूनिवर्सल ग्लास लि०, साहिबाबाद, जिला : मेरठ अध्यक्ष : एल० पी० जयसवाल प्रबन्ध निदेशक: जगतजीत जयसवाल	600.00 (अति-व्यय)	—	20.00	40.00	—	—	60.00
97.	मैं० यू० पी० स्टेट स्पिनिंग मिल्स कं० (नं० 1) लि०,							
	(1) रायबरेली	484.00	203.00	—	235.00	—	46.00	484.00
	(2) लोरपुर मोरेलाज जिला- फैजाबाद	450.00	190.00	—	217.00	—	43.00	450.00
	(3) अमोनाथ भंजन जिला- आजमगढ़ (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : टी० एन० शर्मा प्रबन्ध निदेशक : ओ० एन० वैद्य (उत्तर प्रदेश सरकार की कम्पनी)	475.00	207.00	—	237.00	—	31.00	475.00
98.	मैं० खिलार्ड इण्डिया लि०, सिकन्दराबाद, औद्योगिक क्षेत्र, जिला: बुलंदशहर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रबन्ध निदेशक : के० पी० सिंह	98.51 (अति-व्यय)	25.00	10.00	49.00	—	14.51	98.51
पश्चिमी बंगाल								
99.	मैं० ब्राइट वायर्स लि०, मध्यग्राम जिला : 24 परगना प्रबन्ध निदेशक : एस० एन० अग्रवाल	88.00 (अति-व्यय)	12.00	—	65.00	1.00	10.00	88.00
100.	इण्डिया पेपर पल्प पेपर कं० लि०, हाजीनगर नैहाटी जिला-24 परगना प्रबन्ध निदेशक : एम० एल० जुत्सी	150.00	—	—	150.00	—	—	150.00
101.	मैं० इण्डियन रिकार्ड मैन्युफैक्चरिंग (प्रा०) लि०, (पब्लिक लिमिटेड कम्पनी में बदली जानी है) ताराजल्ला औद्योगिक क्षेत्र कलकत्ता प्रस्तावित प्रबन्धक निदेशक : एन० सी० दत्ता	56.00	14.50	4.50	35.50	—	1.50	56.00

*साधारण शयरों में अनभिदा

क—जारी (रुपये, लाखों में)

10	11	12	13	14	15	16
15.00	–	–	–	–	15.00 (अति०)	प्रतिवर्ष 18000 टन खोखले बर्तन बनाने के लिए नई परियोजना लागत के लिए अति-व्यय ।
75.00	–	–	–	–	75.00	250 तकुओं वाली नई सूती वस्त्र मिल लगाना।
75.00	–	–	–	–	75.00	24960 तकुओं वाली नई सूती वस्त्र मिल लगाना ।
77.00	–	–	–	–	77.00	250 तकुओं वाली नई सूती वस्त्र मिल लगाना ।
–	–	–	3.27*	–	3.27 (अति०)	प्रतिवर्ष 1,40,000 लीड एसिड स्टोरेज बैटरियों तथा हिस्सों के बनाने के लिए नई परियोजना लागत में हुआ अति-व्यय ।
10.00	–	–	–	–	10.00 (अति०)	प्रतिवर्ष 23,100 टन जस्तीकृत तथा अजस्तीकृत इस्पात तारें बनाने के लिए नई परियोजना लागत में आया अति-व्यय ।
50.00	–	–	–	–	50.00 (अति०)	कम्पनी के कागज संयंत्र को आधुनिकीकरण/ पुनर्वास योजना तथा कागज और कागज के गत्ते के उत्पादन 19000 से 21000 टन प्रतिवर्ष बढ़ाना ।
5.00	–	4.00**	–	–	9.00	प्रतिवर्ष 15 लाख ग्रामोफोन रिकार्ड बनाने के लिए नई परियोजना लगाना ।

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9
102.	मैं० प्रोद्दार प्रोजेक्टस लि० किदेरपुर डाक क्षेत्र, कलकत्ता अध्यक्ष : बी० पी० पोद्दार प्रबन्ध निदेशक : एस० के० पोद्दार	22.75	—	—	9.97	—	12.78	22.75
103.	मैं० एस० पी० जयसवाल इस्टेट्स प्रा०लि० कलकत्ता संधालक : आर० के० जयसवाल	33.90	—	—	24.00	—	9.90	33.90
104.	मैं० वेबेस्टर लि०, दुर्गापुर, जिला : बर्दमान (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : ए० एन० हक्सर	3250.00	1000.00	—	2000.00	—	250.00	3250.00
105.	मैं० यूनिवर्सल पेपर मिल्स लि० , खरग्राम, जिला : मिदनापुर (अधिसूचित पिछड़ा जिला) अध्यक्ष : जे० पी० कनोरिया प्रस्तावित प्रबन्ध निदेशक : ए० के० खेमका दिल्ली	290.00	95.00	15.00	167.00	—	13.00	290.00
106.	मैं० आर्यवर्ता प्लाइवुड्स लि०, बदली औद्योगिक क्षेत्र (दूसरी फेस) दिल्ली अध्यक्ष : डा० ए० एन० नायर गोआ, दमन और दिऊ	102.00	39.00	—	63.00	—	—	102.00
107.	मैं० चौगुल मेटल इंडस्ट्रीज लि०, सन कोले, गोआ (अधिसूचित पिछड़ा जिला) निदेशक : वी० डी० चौगुल वाई० डी० चौगुल	4282.52	765.00	200.00	1145.29	2238.73	15.00	4364.02
108.	मैं० मेबरेस्टर होटल्स प्रा० लि०, पंजिम, गोआ (अधिसूचित पिछड़ा जिला) प्रबन्ध निदेशक : जोडे ड्यूस वस वास्को कोरवेल्डो	18.00 (अति-व्यय)	6.00	—	10.00	—	2.00	18.00
	जोड़ :	60978.53	11587.79	2471.00	36547.86	2342.67	8117.50	61066.82*

*चार संस्थाओं को पहले वर्षों में मंजूर सहायता का एक सुविधा से दूसरी में संपरिवर्तन करने से मंजूर राशि--6.35 लाख रुपये (रुपया ऋण) 37.35 लाख रुपये (जर्मनी मार्क में)

**प्रत्यक्ष अभिदान @ बाद में रद्द कर दी गई ।

क—जारी

रुपए लाखों में

10	11	12	13	14	15	16
–	5.57 (ज० मा०)	–	–	–	5.57 (अति०)	तीन वर्ष बुनाई मशीनों का पुर्जे सहित आयात
24.00	–	–	–	–	24.00@	वर्तमान होटल में 56 कमरों तथा 3 सेटों की वृद्धि करने के लिए विस्तार योजना।
100.00	–	30.00	–	–	130.00	प्रतिवर्ष 5 लाख आटोमोबाइल टायरों और ट्यूबों का निर्माण करने के लिए नई परियोजना लगाना।
25.00	–	2.50	–	–	27.50	प्रतिवर्ष 5940 टन एम० जी० क्राफ्ट कागज का उत्पादन करने के लिए नई परियोजना लगाना।
15.00	13.53 (ज० मा०)	6.00	–	–	34.53	प्रतिवर्ष 9.67 लाख वर्गमीटर की विस्थापित क्षमता से कमर्शियल प्लाइवुड बनाने के लिए नई परियोजना लगाना।
–	–	25.00	10.00	–	35.00	18 लाख टन की वार्षिक विस्थापित क्षमता से नया लोहा धातु भराई संयंत्र लगाना।
10.00	–	–	–	–	10.00 (अति०)	75 कमरों वाले 3 स्टार होटल की लागत में आये अति-व्यय के कुछ भार का पूरा करना।
4609.03	382.97	342.59	49.88	100.00	5484.47	

टिप्पणियां

(1) कुछ संस्थाओं के सामने जो "औद्योगिक समूह का नाम दिया गया है वे उन उप-क्रमों से सम्बन्धित हैं जो एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अधीन पंजीकृत हैं, ये आंकड़े निगम को प्राप्त नवीनतम जानकारी पर आधारित हैं।

(2) प्रत्येक संस्था के आगे वर्तमान/प्रस्तावित अध्यक्षों/प्रबन्ध संचालकों आदि के जो नाम दिये गये हैं वह वित्तीय सहायता मंजूर करते समय थे।

(3) परियोजना लागत तथा वित्तीय साधन के आंकड़े वित्तीय सहायता मंजूर करते समय लगाये गये अनुमान पर निर्भर हैं।

परिशिष्ट ख

30 जून 1976 तक (रद्द की गई/वापिस ली गई मंजूरियों का समायोजन करने के बाद) मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता का राज्य/क्षेत्रवार वितरण

(रुपये लाखों में)

राज्य/क्षेत्र	मंजूरियां						
	परियोजनाओं की संख्या	रुपया ऋण	विदेशी मुद्रा उप-ऋण	हामीदारियां तथा प्रत्यक्ष अभिदान	मशीनरी की आस्थगित अदायगियां और विदेशी ऋणों के लिए गारंटियां	जोड़	कुल का प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	57	2348.57	250.55	252.60	925.82	3777.54	6.8
असम	10	610.43	115.86	375.00	—	1101.29	2.0
बिहार	33	1818.91	216.29	318.50	329.75	2683.45	4.8
गुजरात	58	2814.70	493.05	292.71	130.97	3731.43	6.7
हरियाणा	46	1741.38	315.18	153.77	19.08	2229.41	4.0
हिमाचल प्रदेश	5	94.50	—	24.50	—	119.00	0.2
जम्मू और कश्मीर	1	40.00	—	—	—	40.00	0.1
कर्नाटक	67	3102.44	329.20	378.44	221.52	4031.60	7.2
केरल	25	1282.00	302.06	102.00	172.47	1858.53	3.3
मध्य प्रदेश	20	826.32	194.20	273.25	39.82	1333.59	2.4
महाराष्ट्र	161	9143.05	1161.99	786.57	375.93	11467.54	20.5
मेघालय	2	280.00	—	4.00	—	284.00	0.5
नागालैंड	1	50.00	—	—	—	50.00	0.1
उड़ीसा	17	1031.23	219.27	125.00	—	1375.50	2.4
पंजाब	20	831.28	169.01	167.50	9.96	1177.75	2.1
राजस्थान	19	1143.95	158.67	82.25	786.07	2170.94	3.9
तमिलनाडु	81	4487.55	812.76	657.92	1281.31	7239.54	12.9
उत्तर प्रदेश	74	4371.08	667.78	405.63	353.59	5798.08	10.4
पश्चिमी बंगाल	84	3003.31	653.31	273.50	532.13	4462.25	8.0
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1	11.00	—	—	—	11.00	—
दिल्ली	5	232.98	85.45	40.75	83.33	442.51	0.8
गोआ	6	325.00	—	110.00	—	435.00	0.8
पांडिचेरी	1	52.00	—	—	8.16	60.16	0.1
जोड़	794	39641.68	6144.63	4823.89	5269.91	55880.11	100.0

परिशिष्ट ग

30 जून, 1976 तक (रद्द की गई/वापस ली गई मंजूरियों के समायोजन के बाद) राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता का वियरण

(रुपये, लाखों में)

रा०औ०व० कोड संख्या	उद्योग समूह	मंजूरियां						
		परि-योज-नाओं की संख्या	रुपया ऋण	विदेशी मुद्रा उप-ऋण	हमीदारियां तथा प्रत्यक्ष अभिदान	मशीनरी की आस्थगित अदायगियों की और विदेशी ऋणों के लिए गारंटियां	जोड़	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	खनन और खदान :							
100	—कोयला खनन	3	120.00	—	—	—	120.00	0.2
110	—कच्चा पैट्रोलियम	1	—	—	350.00	—	350.00	0.6
120, 125, 127	—धातु खनन	4	210.00	—	35.00	—	245.00	0.5
	खाद्य उत्पाद :							
206	—चीनी उत्पाद	131	12064.03	7.86	85.34	—	12157.23	21.8
202, 210, 211, 212, 219, 222	—अन्य खाद्य उत्पाद	8	90.50	9.00	18.90	—	118.40	0.2
231, 232, 241, 244, 247, 248	—वस्त्र	121	5487.72	168.96	254.50	306.93	6218.11	11.1
251	पटसन उत्पाद	14	744.76	0.81	—	—	745.57	1.3
270, 278	लकड़ी उत्पाद	7	117.26	138.31	20.50	—	276.07	0.5
280, 281	कागज तथा कागज: उत्पाद	38	1836.63	726.27	239.08	551.16	3353.14	6.0
290	चमड़ा उत्पाद	4	47.00	36.72	17.00	—	100.72	0.2
300 से 303	रबर उत्पाद	19	1487.78	289.31	269.67	315.61	2362.37	4.2
	रसायन और रसायन उत्पाद :							
310	—मूल औद्योगिक संगठित तथा विघटित रसायन और गैसें	33	1820.22	653.40	243.75	431.36	3148.73	5.6
311	—उर्वरक और कीट-नाशक	15	1526.00	41.36	400.93	1278.86	3247.15	5.8
316	—कृत्रिम तथा मानव निर्मित रेशे	17	781.00	548.13	170.45	46.02	1545.60	2.8
316	—कृत्रिम रेसिन्स तथा प्लास्टिक उत्पाद	9	355.00	234.76	90.00	—	679.76	1.2

परिशिष्ट ग (जारी)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
305, 312, 313, 314, 315, 318, 319	—अन्य रसायन तथा रसायन उत्पाद	25	471.00	144.46	118.19	—	733.65	1.3
	अधातु खनिज उत्पाद :							
321	—कांच तथा कांच उत्पाद	15	465.73	87.56	43.00	—	596.29	1.1
324, 328	—सीमेंट	28	2077.00	346.16	215.89	18.54	2659.59	4.8
320, 323, 329	—अन्य अधातु खनिज उत्पाद	21	730.09	268.96	113.00	—	1112.05	2.0
	मूल धातु तथा अलाय उद्योग :							
330 से 332	—लोहा तथा इस्पात एवं फेरी-अलाय	58	2507.05	581.75	616.79	103.26	3908.85	7.0
333 से 336, 339	—अलौह धातु उद्योग	12	776.95	9.47	308.00	1945.65	3040.07	5.5
340, 341, 343 344, 349	धातु उत्पाद सिवाय मशीनरी तथा परिवहन संयंत्र	34	730.94	237.22	234.69	62.78	1265.63	2.3
	मशीनरी सिवाय बिजली मशीनरी :							
350	—कृषि यंत्र तथा कल पुर्जे	7	283.00	101.03	55.50	—	439.53	0.8
351 से 359	— मशीनरी और कल पुर्जे	54	1269.72	682.06	240.30	103.76	2295.84	4.1
360 से 364 367, 369	—बिजली मशीनरी, उपस्कर कल पुर्जे	45	1281.36	352.06	215.51	—	1848.93	3.3
	परिवहन उपस्कर तथा पुर्जे :							
371, 372	—लोकोमोटिव, रेलवे वैगन तथा कोच	4	105.00	—	10.00	—	115.00	0.2
374	—मोटर गाड़ियां तथा कल-पुर्जे	20	573.08	358.37	196.59	—	1128.14	2.0
375	—मोटर साइकिल, आटोसाइकिल, स्कूटर तथा पुर्जे	11	460.94	103.45	37.50	26.95	628.84	1.1
376	—अन्य परिवहन उपस्कर	3	216.20	8.85	—	—	225.05	0.4
380, 382, 385	विविध निर्माण उद्योग	3	7.10	6.34	—	—	13.44	—
40, 41	बिजली और गैस	8	155.50	—	65.00	—	220.50	0.4
691	होटल उद्योग	21	843.12	—	45.10	79.03	967.25	1.7
710	जहाजरानी	1	—	—	13.61	—	13.61	—
	जोड़	794	39641.68	6144.63	4823.89	5269.91	55880.11	100.0

परिशिष्ट घ

वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों का निपटान

(रुपये, लाखों में)

राज्य/क्षेत्र	संस्थाओं की संख्या जिनसे आवेदन पत्र वर्ष के प्रारम्भ में विचाराधीन थे (1-7-1975)		संस्थाओं की संख्या जिनसे वर्ष के दौरान आवेदन प्राप्त हुए		संस्थाओं की संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान आवेदन वापिस ले लिए		संस्थाओं की संख्या जिन्हें वर्ष के दौरान सहायता (सकल) मंजूर की गई		संस्थाओं की संख्या जिनसे आवेदन वर्ष के अन्त (30-6-76) में विचाराधीन थे	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
आन्ध्र प्रदेश	4	894.52	17	6005.27	1	61.00	13	514.14	7	4737.35
असम	1	75.00	5	1077.50	—	—	4*	216.50	2	302.50
बिहार	1	942.00	6	2453.74	—	—	1	75.00	6	2596.74
गुजरात	—	—	9	5880.50	—	—	5	301.04	4	3123.00
हरियाणा	4	268.00	9	1202.20	1	70.00	8	454.00	3	413.20
हिमाचल प्रदेश	1	2.50	3	355.50	—	—	4	85.00	—	—
जम्मू और कश्मीर	1	340.00	2	1400.00	1	340.00	1	40.00	1	1250.00
कर्नाटक	1	20.00	12	4096.98	—	—	7	304.09	6	2745.98
केरल	1	215.83	3	681.40	—	—	2	68.84	2	262.00
मध्य प्रदेश	3	456.00	4	471.50	—	—	5	154.45	2	337.00
महाराष्ट्र	12	3204.23	23	4269.27	2	482.00	16	422.85	18	4932.40
मेघालय	—	—	2	664.00	—	—	2	189.00	—	—
उड़ीसा	1	2141.00	4	1362.50	—	—	1	130.00	4	1362.50
पंजाब	1	413.80	5	1453.64	1	20.00	4	256.95	1	270.64
राजस्थान	—	—	9	2207.01	—	—	3	152.36	6	1543.66
तमिलनाडु	5	1676.94	12	4915.40	2	202.00	7*	545.05	8	3067.44
उत्तर प्रदेश	4	1534.00	28	8618.73	1	50.00	17	1239.60	14	5740.89
पश्चिमी बंगाल	3	252.00	10	3764.43	1	35.00	7@	256.07	5	1039.46
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	1	40.00	—	—	—	—	1	40.00
दिल्ली	—	—	2	467.70	—	—	1	34.53	1	370.00
गोआ, दमन तथा दीव	—	—	2	53.00	—	—	2	45.00	—	—
पांडिचेरी	—	—	1	265.00	—	—	—	—	1	265.00
त्रिपुरा	—	—	1	410.00	—	—	—	—	1	410.00
जोड़	43	12935.82	170	52115.27	10	1260.00	110	5484.47	93	35109.76

टिप्पणियां : (1) खाना 2, 4, 6, 8 और 10 में दी गई संस्थाओं की संख्या में वे संख्याएं भी सम्मिलित हैं जिन्होंने अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ संयुक्त रूप से सहायता के लिए आवेदन किया है

(2) खाना 3, 5, 7 और 11 में दी गई राशियों में अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ संयुक्त रूप से ली गई सहायता शामिल है।

*इसमें एक ऐसी संस्था शामिल है जिसने एक से अधिक राज्यों में परियोजनाएं लगाई हैं।

@इसमें एक ऐसी संस्था शामिल है जिसे ऋण मंजूर किया गया लेकिन बाद में इसने इसे नहीं लिया अतः रद्द माना गया।

परिशिष्ट

30 जून, 1976 तक प्रत्येक राज्य में (रद्द की गई/वापस ली गई मंजूरियों का समायोजन

रा० औ० व० कोड संख्या	उद्योग समूह	आन्ध्र प्रदेश	असम	बिहार	गुजरात	हरियाणा
1	2	3	4	5	6	7
	खनन और खदान :					
100	—कोयला खनन	—	—	50.00	—	—
110	—कच्चा पैट्रोलियम	—	350.00	—	—	—
120, 125, 127	—धातु खान खनन	—	—	—	—	—
	खाद्य उत्पाद :					
206	—चीनी	1005.00	185.00	191.50	600.50	286.00
202, 210, 211, 212, 219, 222	—अन्य खाद्य उत्पाद	—	—	18.00	—	26.90
231, 232, 241, 244, 247, 248	—वस्त्र	395.44	26.17	127.70	525.70	335.23
251	—पटसन उत्पाद	98.00	78.50	34.00	—	—
270, 278	—लकड़ी उत्पाद	37.47	100.74	—	7.00	—
280, 281	—कागज तथा कागज उत्पाद	138.10	197.00	529.97	278.23	155.77
290	—चमड़ा उत्पाद	27.88	—	—	—	—
300 से 303	—रबर उत्पाद	—	—	21.64	—	—
	रसायन तथा रसायन उत्पाद :					
310	—मूल औद्योगिक संघठित तथा विघटित रसायन तथा गैसें	237.45	—	—	442.17	—
311	—उर्वरक और कीटनाशक	963.29	36.38	—	520.00	—
316	—कृत्रिम तथा अन्य मानव निर्मित रेशे	—	—	—	740.96	23.00
316	—कृत्रिम रेसिन्ज तथा प्लास्टिक सामान	162.24	90.00	—	13.22	—
305, 312 से 315, 318, 319	—अन्य रसायन तथा रसायन उत्पाद	66.00	—	—	10.64	12.00
	अधातु खनिज पदार्थ :					
321	—कांच तथा कांच उत्पाद	47.50	—	114.93	—	96.87
324, 328	—सीमेंट	144.89	—	429.76	142.30	—
320, 323, 329	—अन्य अधातु खनिज उत्पाद	—	—	212.75	70.00	101.98
	मूल धातु तथा अलाय उद्योग :					
330 से 332	—लोहा तथा इस्पात और फेरो अलायज	172.50	—	771.34	—	410.67
333 से 336, 339	—अलौह धातु उद्योग	—	—	—	—	—
340, 341, 343, 344, 349	—धातु उद्योग सिवाय मशीनरी तथा परिवहन उपस्कर	—	—	—	47.00	206.50
	मशीनरी सिवाय बिजली मशीनरी :					
350	—कृषि यंत्र तथा पुर्जे	—	—	—	—	110.69
351 से 359	—मशीनरी और हिस्से	5.89	—	87.86	268.71	85.37
360 से 364, 367 369	—बिजली मशीनरी उपस्कर, कल पुर्जे	82.26	—	12.00	—	166.92

ङ

करने के बाद मंजूर की गई निवल आर्थिक सहायता का उद्योगवार वितरण

(रुपये, लाखों में)

हिमाचल प्रदेश	जम्मू और कश्मीर	कर्नाटक	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	मेघालय	नागालैंड	उड़ीसा
8	9	10	11	12	13	14	15	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	50.00	—	—	—	—	—	75.00
—	—	1075.59	180.00	80.00	5149.20	—	50.00	205.00
—	—	30.00	—	—	—	—	—	—
77.00	40.00	460.33	41.68	363.96	1057.10	—	—	232.88
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	65.33	—	—	—	—	—
—	—	649.80	117.34	—	192.79	—	—	252.08
—	—	—	18.84	—	—	—	—	—
—	—	90.00	168.33	—	131.80	—	—	130.00
—	—	113.00	140.00	—	691.97	—	—	29.29
20.00	—	201.00	306.00	—	31.50	—	—	—
—	—	—	46.76	96.25	143.03	—	—	—
—	—	15.00	—	—	294.30	—	—	—
2.50	—	52.58	119.00	22.38	41.85	14.00	—	—
—	—	1.50	40.00	—	54.83	—	—	—
—	—	48.00	—	329.59	—	270.00	—	100.00
—	—	2.85	—	160.00	84.09	—	—	156.25
—	—	246.25	48.27	98.71	1063.09	—	—	195.00
—	—	215.00	309.10	—	65.27	—	—	—
—	—	60.41	—	—	107.10	—	—	—
—	—	32.50	—	—	83.39	—	—	—
—	—	179.35	—	40.00	763.41	—	—	—
—	—	217.94	257.88	88.75	388.32	—	—	—

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7
	परिवहन उपस्कर तथा पुर्जे :					
371, 372	—लोकोमोटिव ,रेलवे वैगन तथा कोच	—	—	15.00	—	—
374	—मोटर गाड़ियां तथा पुर्जे	—	—	25.00	—	—
375	—मोटर साइकल, आटोसाइकल, स्कूटर तथा पुर्जे	44.29	—	—	—	125.66
376	—अन्य परिवहन उपस्कर	—	—	—	—	85.85
380, 382, 385	—विविध निर्माण उद्योग	6.34	—	—	—	—
40, 41	—बिजली और गस	—	37.50	—	65.00	—
691	—होटल उद्योग	143.00	—	42.00	—	—
710	—जहाजरानी	—	—	—	—	—
	जोड़ :	3777.54	1101.29	2683.45	3731.43	2229.41
	राज्यवार परियोजनाओं की संख्या . .	(57)	(10)	(33)	(58)	(46)

ङ—जारी

(रुपये लाखों में)

8	9	10	11	12	13	14	15	16
—	—	70.00	—	—	—	—	—	—
—	—	187.50	—	53.95	576.04	—	—	—
—	—	—	—	—	157.05	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	6.20	—	—	—
—	—	—	—	—	115.00	—	—	—
19.50	—	33.00	—	—	256.60	—	—	—
—	—	—	—	—	13.61	—	—	—
119.00	40.00	4031.60	1858.53	1333.59	11467.54	284.00	50.00	1375.50
(5)	(1)	(67)	(25)	(20)	(161)	(2)	(1)	(17)

परिशिष्ट

रा० ग्रौ० व० कोड़ संख्या	उद्योग समूह	पंजाब	राजस्थान
	खनन ग्रौर खदान :		
100	—कोयला खनन	—	—
110	—कच्चा पैट्रोलियम	—	—
120, 125, 127	—धातु खान खनन	—	—
	खाद्य उत्पाद :		
206	—चीनी	315.00	95.00
202,210,211, 212,219,222	—ग्रन्य खाद्य उत्पाद	—	—
231,232,241, 244,247,248	—वस्त्र	278.30	439.58
251	—पटसन उत्पाद	—	—
270, 278	—लकड़ी उत्पाद	—	—
280, 281	—कागज तथा कागज उत्पाद	—	—
290	—चमड़ा उत्पाद	—	—
300 से 303	—रबर उत्पाद	—	135.00
	रसायन तथा रसायन उत्पाद :		
310	—मूल ग्रौद्योगिक संघठित तथा विघटित रसायन तथा गैसें	—	—
311	—उर्वरक ग्रौर कीटनाशक	—	253.98
316	—कृत्रिम तथा ग्रन्य मानव निर्मित रेशे	—	55.80
316	—कृत्रिम रेसिन्ज तथा प्लास्टिक सामान	—	—
305, 312 से 315, 318, 319	—ग्रन्य रसायन तथा रसायन उत्पाद	50.00	—
	ग्रधातु खनिज पदार्थ :		
321	—कांच तथा कांच उत्पाद	—	—
324, 328	—सीमेंट	—	125.00
320,323,329	—ग्रन्य ग्रधातु खनिज उत्पाद	—	—
	मूल धातु तथा ग्रलाय उद्योग :		
330 से 332	—लोहा तथा इस्पात ग्रौर फेरो ग्रलायज	175.00	102.73
333 से 336, 339	—ग्रलौह धातु उद्योग	—	668.35
340,341,343 344, 349	—धातु उद्योग सिवाय मशीनरी तथा परिवहन उपस्कर	57.50	65.26
	मशीनरी सिवाय बिजली मशीनरी :		
350	—कृषि यंत्र तथा पुर्जे	107.95	—
351 से 359	—मशीनरी ग्रौर हिस्से	—	—
360 से 364, 367, 369	—बिजली मशीनरी उपस्कर, कल पुर्जे	60.28	192.74
	परिवहन उपस्कर तथा पुर्जे:		
371, 372	—लोकोमोटिव, रेलवे वैगन तथा कोच	—	—
374	—मोटर गाड़ियां तथा पुर्जे	133.72	—
375	—मोटर साइकल, ग्राटोसाइकल, स्कूटर तथा पुर्जे	—	37.50
376	—ग्रन्य परिवहन उपस्कर	—	—
380,382,385	—विविध निर्माण उद्योग	—	—
40, 41	—बिजली ग्रौर गैस	—	—
691	—होटल उद्योग	—	—
710	—जहाजरानी	—	—
	जोड़ :	1177.75	2170.94
	राज्यवार परियोजनाग्रों की संख्या	(20)	(19)

(ङ) —जारी

(रुपये, लाखों में)

तमिलनाडु	उत्तर प्रदेश	पश्चिमी बंगाल	केन्द्र प्रशासित क्षेत्र	जोड़	परियोजनाओं की संख्या
—	—	70.00	—	120.00	3
—	—	—	—	350.00	1
85.00	—	—	35.00	25.00	4
1234.44	1355.00	—	150.00	12157.23	131
—	38.24	5.26	—	118.40	8
473.89	917.17	296.52	129.46	6218.11	121
—	—	585.07	—	745.57	14
—	—	20.00	45.53	276.07	7
75.00	402.73	364.33	—	3353.14	38
37.00	—	17.00	—	100.72	4
468.82	441.44	675.34	100.00	2362.37	19
1031.65	244.13	219.07	—	3148.73	33
395.00	445.00	—	75.00	3247.15	15
161.20	278.60	—	—	1545.60	17
105.00	—	—	—	679.76	9
255.45	42.25	45.00	—	733.65	25
—	120.65	120.01	—	596.29	15
770.05	300.00	—	—	2659.59	28
3.00	40.00	381.13	—	1112.05	21
165.07	285.22	175.00	—	3908.85	58
1188.50	75.00	518.85	—	3040.07	12
38.00	273.00	410.86	—	1265.63	34
15.00	90.00	—	—	439.53	7
365.75	40.00	413.06	46.44	2295.84	54
40.88	116.82	103.55	120.59	1848.93	45
—	—	30.00	—	115.00	4
30.00	101.93	20.00	—	1128.14	20
189.34	75.00	—	—	628.84	11
—	—	139.20	—	225.05	3
—	0.90	—	—	13.44	3
—	—	3.00	—	220.50	8
111.50	115.00	—	246.65	967.25	21
—	—	—	—	13.61	1
7239.54	5798.08	4462.25	948.67	55880.11	794
(81)	(74)	(84)	(13)	(794)	

परिशिष्ट च

वर्ष 1976 के दौरान देश के चुने हुए उद्योगों की कुल विस्थापित क्षमता और औद्योगिक क्षमता उत्पादन तथा उसमें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से सहायता प्राप्त औद्योगिक संस्थाओं का योगदान

	सम्पूर्ण देश के सम्बन्ध में				भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से सहायता प्राप्त औद्योगिक संस्थाओं के सम्बन्ध में			
	1974		1975		1974		1975	
	इकाइयों की संख्या	प्रतिशत उपयोग क्षमता	इकाइयों की संख्या	प्रतिशत उपयोग क्षमता	इकाइयों की संख्या	प्रतिशत उपयोग क्षमता	इकाइयों की संख्या	प्रतिशत उपयोग क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. रसायन तथा रसायन उत्पाद :								
—कास्टिक सोडा	30	78.5	31	72.2	2	46.5	3	47.9
—तरल क्लोरिन	23	54.2	24	54.7	2	38.6	2	45.5
—सोडा एश	4	83.8	4	85.6	1	75.3	2	88.2
—सल्फ्यूरिक एसिड	68	62.1	70	55.2	4	60.9	1	78.6
2. उर्वरक :								
(क) नाइट्रोजन	24	60.2	26	56.6	1	87.0	4	36.7
(ख) फास्फेटिक	34	57.5	38	46.2	1	62.5	3	31.0
3. सीमेंट :	51	71.8	54	77.0	11	74.7	8	80.9
4. कागज तथा कागज उत्पाद	68	84.4	74	79.7	12	78.8	12	72.8
5. लोहा तथा इस्पात एवं फेरो अलाय								
—अलाय और विशेष इस्पात	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	1	116.7	1	100.0
—इस्पात की ढलवां वस्तुएं	46	43.6	51	39.4	4	56.0	3	60.0
—लोहे की ढलवां वस्तुएं	78	43.8	78	43.6	1	50.0	1	50.0
—लोहे की लोचदार ढलवां वस्तुएं	12	76.9	12	73.9	2	66.7	1	53.3
—इस्पात की सिल्लियां तथा बिल्टें	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	7	22.0	6	40.6
—इस्पात नल और ट्यूब	—	—	—	—	1	29.9	2	34.9
—शीतकृत पत्तियां	—	—	—	—	2	27.3	2	36.4
6. मशीनरी :								
—कृषि ट्रैक्टर	10	60.5	11	64.0	1	56.9	2	56.4
—शक्ति टिलर्स	4	20.0	4	18.8	1	22.4	2	15.7
7. रबर उत्पाद :								
—आटोमोबाइल टायर	10	85.9	13	90.6	3	64.2	5	62.8
—आटोमोबाइल ट्यूब	10	78.6	13	71.8	3	62.9	5	57.9
—बाइसिकिल टायर	20	80.1	20	81.8	1	72.3	1	57.2
—बाइसिकिल ट्यूब	20	59.6	20	60.5	1	76.1	1	24.9
8. बिजली मशीनरी तथा उपस्कर :								
—बिजली मीटरें	35	52.3	35	50.8	2	78.5	2	70.1
—ट्रांसफार्मर	33	61.8			3	61.2	3	64.4
—पी० आई० एल०सी० पावर तारें —पी० वी० सी० पावर तारें	18	68.9	18	67.4	2	36.9	2	45.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. आटोमोबाइल उद्योग :								
—मोटर साइकिलें —स्कूटर —तिपहिए —मोपेड	12	73.1	13	58.4	5	56.2	6	67.6
10. कृत्रिम रेशे :								
—नाइलोन फिलामेंट धागा	8	64.5	8	86.3			3	75.0
—पोलेस्टर फिलामेंट धागा	4	68.5	5	103.1	4	57.4	3	98.5
—पोलेस्टर तन्तु रेशे	5	31.3	5	56.6	1	48.0	1	71.2
11. चीनी :								
—सहकारिताएं	97		104		52	102.6	46	99.1
—अन्य	154	106.0	156	90.6@	6	77.1	7	52.3
12. सूती वस्त्र :								
—धागा	691**	188.57 (लाख तकुए) 10070 (धागा लाख किलो)	698***	195.44 (लाख तकुए) 9893 (धागा लाख किलो)	39*	11.90 (लाख तकुए) 533 (धागा लाख किलो)	47*	13.03 (लाख तकुए) 712 (धागा लाख किलो)
—कपड़ा		2.07 (लाख खड्डियां) 43164 (कपड़ा) (लाख मीटर)		2.08 (खड्डियां) 40323 (कपड़ा) (लाख मीटर)		0.07 (लाख खड्डियां) 1766 (कपड़ा) (लाख मीटर)		0.06 1565 (कपड़ा) (लाख मीटर)

1975-76 के मौसम के लिए 7 अगस्त, 1976 को उत्पादन पर आधारित (अनन्तिम)।

**288 संयुक्त मिल्स ***289 संयुक्त मिल्स *8 संयुक्त मिल्स

टिप्पणियां : 1. खाना 2, 3, 4 और 5 में दी गई संख्याएं उद्योग तथा सिविल आपूर्ति, रसायन तथा उर्वरक, पैट्रोलियम मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्टों गाइडलाइन्स फार इन्डस्ट्रीज, 1976-77 वस्त्र आयुक्त, बम्बई, चीनी तथा वनस्पति निदेशालय से प्राप्त सूचना पर आधारित हैं। सूती वस्त्र से सम्बंधित संख्याएं वास्तविक हैं।

2. खाना 6, 7, 8 और 9 में दी गई सूचना निगम की वित्तपोषित इकाईयों से प्राप्त प्रश्नावली पर आधारित हैं।

परिशिष्ट

30 जून, 1976 तक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मंजूर की गई निवल

(प्रत्येक औद्योगिक संस्था के लिए मंजूर

	सहकारिताएं		पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां		
	संस्थाओं की संख्या	ऋण	संस्थाओं की संख्या	ऋण	हामीदारियां प्रत्यक्ष अभिदान
1. रकमें, जो दस लाख रु० से अधिक न हो	—	—	88	278.95	232.25
2. रकमें, जो दस लाख रु० से अधिक पर 20 लाख रु० से अधिक न हों	1	20.00	55	669.22	208.49
3. रकमें, जो 20 लाख रु० से अधिक पर 30 लाख रुपये से अधिक न हों	3	75.20	52	1194.22	156.20
4. रकमें, जो 30 लाख रु० से अधिक पर 40 लाख रु० से अधिक न हों	11	406.50	68	2014.06	393.00
5. रकमें, जो 40 लाख रु० से अधिक पर 50 लाख रु० से अधिक न हों	9	418.00	70	2860.76	358.17
6. रकमें, जो 50 लाख रु० से अधिक पर 60 लाख रुपये से अधिक न हों	12	673.75	38	1886.28	196.39
7. रकमें, जो 60 लाख रु० से अधिक पर 70 लाख रु० से अधिक न हों	8	519.50	33	1935.95	165.60
8. रकमें, जो 70 लाख रु० से अधिक पर 80 लाख रु० से अधिक न हों	12	925.00	27	1714.50	301.24
9. रकमें, जो 80 लाख रु० से अधिक पर 90 लाख रुपये से अधिक न हों	33	2916.39	22	1731.28	173.34
10. रकमें, जो 90 लाख रु० से अधिक पर एक करोड़ रु० से अधिक न हों	11	1088.00	16	1339.72	134.35
11. रकमें, जो एक करोड़ रु० से अधिक हों	37	5776.81	110	17342.22	2504.86
जोड़ : . .	137	12819.15	579	32967.16	4823.89

छ

वित्तीय सहायता का धनराशि के अनुसार वर्गीकरण

की गई रकमों के अनुसार)

(रुपये, लाखों में)

					जोड़	
मशीनरी की आस्थगित अदायगियों और विदेशी ऋणों के लिए गारंटियां	जोड़	संस्थाओं की संख्या	ऋण	हामिदारियां/ प्रत्यक्ष अभिदान	मशीनरी की आस्थगित अदायगियों और विदेशी ऋणों के लिए गारन्टियां	जोड़
—	511.20	88	278.95	232.25	—	511.20
—	877.71	56	689.22	208.49	—	897.71
3.71	1354.13	55	1269.42	156.20	3.71	1429.33
25.28	2432.34	79	2420.56	393.00	25.28	2838.84
38.68	3257.61	79	3278.76	358.17	38.68	3675.61
—	2082.67	50	2560.03	196.39	—	2756.42
58.75	2160.30	41	2455.45	165.60	58.75	2679.80
24.99	2040.73	39	2639.50	301.24	24.99	2965.73
—	1904.62	55	4647.67	173.34	—	4821.01
79.65	1553.72	27	2427.72	134.35	79.65	3641.72
5038.85	24885.93	147	23119.03	2504.86	5038.85	30662.74
5269.91	43060.96	716	45786.31	4823.89	5269.91	55880.11

परिशिष्ट ज

रियायती दरों पर वित्त प्रदान करने की शर्तें

(30 जून, 1976 को)

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने देश के कम विकसित भागों में उद्योगों का प्रसार करने की दृष्टि से उद्यमकर्ताओं को अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए जुलाई, 1970 तथा जनवरी, 1972 में की गई पूर्व घोषणाओं के अतिक्रमण में इन क्षेत्रों की परियोजनाओं को रियायती दरों पर वित्त प्रदान करने की योजना के क्षेत्र को और भी अधिक उन्मुक्त तथा विस्तृत किया है। यह योजना अब निगमित तथा सहकारी क्षेत्र की सभी प्रकार की परियोजनाओं, जैसे नई, विस्तार अथवा विशाखन पर लागू होंगी, चाहे उनकी पूंजी लागत कुछ भी हो। कम विकसित जिलों/क्षेत्रों की इकाइयों को रियायती दरों पर वित्त प्रदान करने की इस संशोधित योजना की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

1. स्थिति :

यह सहायता केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न राज्यों अथवा केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के चुने हुए जिलों में स्थापित/स्थापित की जाने वाली सभी औद्योगिक परियोजनाओं को उपलब्ध हो सकेगी।

2. योजना का क्षेत्र :

रियायती वित्त निगमित (लिमिटेड कम्पनियों) तथा सहकारी क्षेत्र की सभी प्रकार की औद्योगिक परियोजनाओं नई, विस्तार परियोजनाओं पर लागू होंगी। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अधिसूचित कम विकसित जिलों की परियोजनाओं को पुर्नस्थापना के लिए भी उन्हीं शर्तों पर वित्त प्रदान करता है जिन शर्तों पर नई तथा विस्तार परियोजनाओं को रियायती वित्त प्रदान किया जाता है।

3. सहायता की सीमा :

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा अकेले रियायती दरों पर वित्त प्रदान करने की समग्र सीमा, अन्य वित्तीय सस्थाओं के साथ सामानुपातिक आधार पर 2.00 करोड़ रुपये तथा वैसे 1.00 करोड़ रुपये होगी। इस 1.00 करोड़ रुपये की सीमा में पहले के बकाया रियायती शर्तों पर मंजूर रुपया ऋणों, यदि कोई है, का गणन किया जायेगा। निगम सहित अन्य दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली वित्तीय सस्थाओं द्वारा रियायती शर्तों पर प्रदान की जाने वाली हामीदारी सहायता की सीमा 1.00 करोड़ रुपये होगी, चाहे परियोजना की लागत कुछ भी है।

4. शर्तें :

ब्याज दर

रुपया ऋणों तथा विदेशी मुद्रा ऋणों पर वर्तमान ब्याज की दर 12% (ब्याज तथा मूलधन की किस्तें समय पर अदा करने से एक प्रतिशत की छूट) से कम ब्याज दर अर्थात् क्रमशः 10.50% और 11% (एक प्रतिशत की छूट होगी) :

ऋणों की अदायगी अवधि

निगम की सामान्य पद्धति रही है कि सहायता प्राप्त करने वाली संस्था को ऋण अदायगी में मूलधन की प्रथम किस्त अदा करने के लिए 3 वर्ष का समय दिया जाता है। कम विकसित क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं के लिए प्रत्येक मामले की लाभ संभावनाओं और साधन तथा स्रोतों की स्थिति को देखते हुए यह अवधि ऋण के समय सवितरण की तारीख से 5 वर्ष तक बढ़ा दी जायेगी। कम विकसित क्षेत्रों की परियोजनाओं के मामले में प्रत्येक के गुणावगुणों के आधार पर उनकी लाभ क्षमता और नकद बहाव स्थिति को देखते हुए ऋण अदायगी की सामान्य स्वीकृत अवधि बढ़ाई जा सकती है।

प्रवर्तकों का योगदान तथा इक्विटी-ऋण अनुपात

प्रत्येक मामले के गुणावगुणों के आधार पर प्रवर्तकों का वित्तीय स्तर तथा ख्याति, योजना विशेष की परिपक्कव अवधि, अन्य सम्बन्धित तत्व तथा लाभ क्षमता को देखते हुए परियोजना लागत में प्रवर्तकों के सामान्य योगदान से कम योगदान तथा अधिक उन्मुक्त इक्विटी-ऋण अनुपात पर विचार किया जायेगा।

साधारण और अधिमान पूंजी में सांझेदारी

प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर निगम अन्य जिलों/क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं की तुलना में कम विकसित क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं के लिए हामीदारी अथवा शेयर पूंजी में अधिक योगदान देने पर विचार करने को तत्पर रहेगा।

अन्य प्रभारों में कटौती

रुपया ऋणों के मामले में, निगम के सामान्य प्रभारों, हामीदारी प्रभार, आवेदनों की जांच के लिए अप्रतिदेय शुल्क, तथा विधिक प्रभारों में 50 प्रतिशत तथा आस्थगित अदायगी कमीशन की निवल प्रभारी दर में 25% की कटौती कर दी जायेगी। निगम के हामीदारी कमीशन सामान्य प्रभारों में भी 50% कटौती की जायेगी।

परिशिष्ट क

सरकारी वित्तीय संस्थाओं से रियायती दर पर वित्तीय सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पात्र जिलों/क्षेत्रों की समेकित सूची

(24 मई, 1976 को)

राज्य	चुने हुए जिले
1. आन्ध्र प्रदेश	अनन्तपुर, चितूर, कुड्डपा, करीमनगर, खम्माम, कुरंनूल, महबूबनगर, मेढक, नालगोंडा, नेलौर, निजामाबाद, प्रकाशम, श्रीकाकुलम* और वारंगल।
2. असम	कछार, गोलपारा*, कामरूप*, मिकिर हिल्स*, उत्तरी कछार हिल्स, नवगंग*, तथा नया लाखिमपुर जिला*।
3. बिहार	औरंगाबाद, बेगुसराय, भागलपुर*, भोजपुर, चम्पारन*, दरभंगा, गया, मुंघर, मुज्जफरपुर नवदा, नालन्दा, पालमाऊ, पूर्णिया, सहरसा*, संथाल परगना* और सारन।
4. गुजरात	अमरेली, बंसकण्ठ, भावनगर, भड़ोच*, जूनागढ़, कच्छ, मेहसाना, पंचमहल्स*, सावरकंठ तथा सुरेन्द्रनगर*।
5. हरियाणा	भिवानी, हिसार, जींद तथा महेन्द्रगढ़।
6. हिमाचल प्रदेश	चम्बा*, कांगड़ा*, किन्नौर, कुल्लू*, लाहौल तथा स्पिति, सिरमूर*, और सोलन*।
7. जम्मू और कश्मीर	अनन्तनाग*, बारामूला*, डोडा*, जम्मू, कथुवा, लद्दाख, पूंछ*, राजौरी, श्रीनगर*, तथा उधमपुर।
8. कर्नाटक	बेलगांव, बिदार, बीजापुर, धारवाड़*, गुलबर्गा, हसन, मैसूर*, उत्तरी कनारा, रायचुर,* दक्षिणी कनारा तथा टुंकुर।
9. केरल	ऐलेपी*, कन्नानौर*, मालापुरम*, त्रिचुर तथा त्रिवेन्द्रम्।
10. मध्य प्रदेश	बालाघाट, बस्तर, बेतुल, बिलासपुर, भींड, छत्तरपुर, छिन्दवाड़ा, दमोह, दतिया, धार, देवास, गूना, होशंगाबाद, झबुआ, खरगांव, मांडला, मंदसौर, मोरेणा, नूरसिंहपुर, पन्ना, रायगढ़, रायपुर, रायसन, राजगढ़, राजनंदगाव, रतलाम, रीवा, सागर, स्योनी, साजदुर, शिवपुरी, सिद्धी, सरगूजा, टिक्कमगढ़, विदिशा तथा सिहोर।
11. महाराष्ट्र	औरंगाबाद*, भंडारा, भीर, बुल्डाना, चन्द्रपुर*, कोलावा, धुलिया, जलगांव, नांदेद, औसमानाबाद, प्रभानी, रत्नगिरि*, और योतमल।
12. मणिपुर	सभी पांचों जिले।
13. मेघालय	गारोहिल्स*, तथा संयुक्त खासी तथा जयन्तिया हिल्स*।
14. नागालैंड	कोहिमा*, मोकोकचुंग*, तथा तेनसंग*।
15. उड़ीसा	बालासोर, बोलगीर*, धेनकनल*, कालाहांडी*, क्योनझर*, कोरापुट*, मयूरभंज* तथा फुलबानी।
16. पंजाब	भटिंडा*, गुरदासपुर, होशियारपुर*, संगरूर* और फिरोजपुर।
17. राजस्थान	अलवर*, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा*, चुरु,* डुंगरपुर, जयसलमेर, जेलौर, झुनझुनू, झालवाड़, जोधपुर*, नागौर*, सीकर, सिरोही, टौंक तथा उदयपुर*।
18. सिक्किम	गंगटोक, गयालसिंग*, मंगा*, एवं नमची* के सभी चारों जिले।

राज्य	चुने हुए जिले
19. तमिलनाडु	धर्मापुरी, कन्याकुमारी, मदुरई, उत्तरी अरकोट, पुडुकोटाई, रामानाथापुरम, दक्षिणी अरकोट, तंजावुर और तिरुचेरापल्ली ।
20. त्रिपुरा	सभी तीनों जिले* ।
21. उत्तर प्रदेश	अल्मोड़ा*, आजमगढ़, बदायूं, बहेंच, बलिया*, बांदा, बाराबंकी, बस्ती*, बुलंदशहर, चमोली, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद*, फरुखाबाद, फतेहपुर, गढ़वाल,, गाजीपुर, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, जालोन, जौनपुर, झांसी*, ललितपुर मैनपुरी, मथुरा, मुरादाबाद, पीलीभीत, प्रिथौरागढ़, प्रतापगढ़, रायबरेली*, रामपुर, शाहजहानपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, टिहरी गढ़वाल, उन्नाव तथा उत्तरकाशी ।
22. पश्चिमी बंगाल	बांकुरा, बिरभुम, बर्दवान, कूचबिहार, दार्जिलिंग, हुगली, जलपाईगुड़ी, मालदा, मिदनापुर*, मुर्शिदाबाद, नदिया*, पुरुलिया*, तथा पश्चिमी दिनाजपुर ।
केन्द्र प्रशासित क्षेत्र	
1. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह*	सम्पूर्ण क्षेत्र
2. अरुणाचल प्रदेश*	सम्पूर्ण क्षेत्र
3. दादरा और नागर हवेली*	सम्पूर्ण क्षेत्र
4. गोआ, दमन और दीव*	सम्पूर्ण क्षेत्र
5. लक्षद्वीप*	सम्पूर्ण क्षेत्र
6. मिजोरम*	सम्पूर्ण क्षेत्र
7. पांडिचेरी*	सम्पूर्ण क्षेत्र

*ये जिले/क्षेत्र केन्द्रीय सरकार की निवेश आर्थिक सहायता के पात्र हैं ।

टिप्पणियां : (i) आन्ध्र प्रदेश : श्रीकाकुलम जिला और 5 क्षेत्र :

रायलसीमा खण्ड के 22 ब्लाकों वाले दो क्षेत्र, अर्थात् चित्तूर% बंगारुपेलम%, पुलीचेरला% पुतुर% चन्द्रगिरी तथा कालास्थी%, (चित्तूर जिले से) और कोडुर, राज पेट, सिद्धौत, कुडुपा, कमलापुरम, प्रोदत्तर और पुलिवेंडला (कुडुपा जिले से) । रायलसीमा खण्ड के 9 ब्लाकों वाला अन्य क्षेत्र, अर्थात्, तदपत्तरी%, सिंहमाला% गुट्टी%, कुडेर (अनन्तपुर जिले से) और धोन%, कुरनूल%, बंगानपल्ली, नन्दल अर गिदालूर (कुरनूल जिले से) । तेलंगना क्षेत्र से 43 ब्लाकों वाले 3 क्षेत्र, अर्थात् मेहबूबनगर%, जदचेरला%, शादनगर%, कल्वाकुर्ति और अर्यगल (महबूब नगर जिले से) और नालगोंडा, मंगदों, नकराफल, सूच सूर्यपेट, कोडाद%, कुजूरंगर%, मिरगलगुडा%, पेडालवोरा%, तथा देवरकोंडा%, (नालगोंडाजिले से), तेलंगाना क्षेत्र से 14 ब्लाकों वाला अन्य क्षेत्र, अर्थात् खम्मभ, तिरुमलइपेलम%, कुल्लूर, चुलंडु कोदागुडम, अश्रावतेट, बुर्गापद, भद्रचेलम (खम्मभ जिले से) और मेहबूबाबाद%, नरसापेट%, हनमकोंडा%, घनापुर, जगाँव और मुलुक (वारागल जिले से) अन्य क्षेत्र अर्थात जहीराबाद, पतनचेस्बु, नरसारपुर, मेहक, सिद्धोपेट (मेढक जिले से), मेदापल्ली , निजामाबाद, कमारेड्डी, और दमोकोडा, (निजामाबाद जिले से) और सिरिसिल्ला, करीमनगर%, सुल्तानाबाद%, पेडापल्ली%, मंथानी और हजूराबाद (करीमनगर जिले से) केन्द्रीय सरकार सहायता के पात्र हैं ।

(ii) हरियाणा

महेन्द्रगढ़ का पुनर्गठित जिला भिवानी जिला और आठ ब्लाकों वाला एक क्षेत्र, अर्थात्—हिसार ब्लाक नं० 1 बड़नाला ब्लाक (हिसार तहसील से) हांसी ब्लाक नं० 1 (हांसी तहसील से), बहुना ब्लाक (फतेहाबाद तहसील से), ठेहाणा ब्लाक/तहसील (टेहाणा तहसील से), जींद जिले से जींद ब्लाक और जलाणा ब्लाक (जींद तहसील से) उचाना ब्लाक (नरवाणा तहसील) केन्द्रीय सरकार सहायता के पात्र हैं ।

(iii) मध्य प्रदेश

पूर्वी खण्ड से 12 ब्लाकों वाला एक क्षेत्र अर्थात् कोरबा, बलौदा, चम्पा, कोटा, मस्तूरी और बिल्हा (बिलासपुर) ब्लाक (बिलासपुर जिले से), भटपारा, सिंगा, तिल्दा, धारसीवा (रायपुर) अभनदुर और राजीम ब्लाक (रायपुर जिले से), उत्तरी खण्ड से 9 ब्लाकों वाला क्षेत्र, अर्थात् शिवपुरी, एवं करेरा (शिवपुरी जिले से)

दतिया और स्योंदा (दतिया जिले से), भिंड, मेगांव और गोहद (भिंड जिले से) और मोरेना और जोरा, (मोरेना जिले से) पश्चिमी खण्ड से 10 ब्लाकों वाला क्षेत्र अर्थात् देवस, और टौंक खुर्द (ब्लाक (देवस जिला से), गुलाना, सुजालपुर तथा साजापुर ब्लाक (साजापुर जिले से), पंचौर (सारंगपुर) और मियोरा ब्लाक (राजगढ़ जिले से) और चाचौरा, राघोगढ़, और गुना ब्लाक (गुना जिले से) मध्य क्षेत्र से 11 ब्लाकों क्षेत्र अर्थात् बीमा, इटावा, खुरी, बांदा (बिनैका), राहतगढ़, सागर, साहगढ़ (अमरमाऊ) (सागर जिले से) टिक्कमगढ़, और बलदेवगढ़ (टिक्कमगढ़ जिले से) बिदिशा और गयारसपुर (बिदिशा जिले से) और छत्तरपुर (छत्तरपुर जिला), पश्चिमी खण्ड-11 से 12 ब्लाकों वाला क्षेत्र, अर्थात् पोटलवाड़, एवं मेघनगर, (झबुआ जिले से) बदनावर, धार और नालचा (धार जिले से) महेश और बरवाहा (खरगांव जिले से) रतलाम और जोरा (रतलाम जिले से), मंदसौर, मल्हारगढ़ और नीमच, (मदसौर जिले से), उत्तर पूर्वी खण्ड से 11 ब्लाकों वाला क्षेत्र अर्थात् रिवा और रायपुर (गढ़ 8), (रिवा जिले से) मझौली, सिद्धि, दयोसर और वैधान (सिद्धि जिले से) सोंबत, बैकुंठपुर, महेन्द्रगढ़, सुरजपुर और अम्बिकापुर (सरगूजा जिले से) केन्द्रीय सरकार सहायता के पात्र हैं।

तमिलनाडु

उपतालुकाओं सहित 11 तालुकों वाला क्षेत्र, अर्थात् रामानाथुपुरम मदुकुलातुर, शिवगंगा परमाकुडी, तिरुवदनी एवं तिरुपतुर, तालुके (रामानाथापुरम जिले से) मेलूर तालुका (मदुरई जिले से) पडुकोटई, तिरुमयम, अलांगुडी कालाबुर और दो तालुकों (पडुकोटई जिले से), दो खंड, धर्मपुरी, होसूर, कृष्णागिरी, उथनगिरई, हरूर (धर्मपुरी जिले से) तिरुपतुर, बनियमबदी, वेल्लूर, वल्जापेट (उत्तरी अरकोट जिले से) तालुकों वाला एवं क्षेत्र तथा अरुपकोटई, सत्तूर, श्रीविलीपुतुर रामानाथापुरम जिले का पश्चिमी रामानाथापुरम), तिरुमंगलम, उसिलमपर्ती, निलाकोटई, डिंडीगुल, बेदांसंदुर (मदुरई जिले से) तालुकों वाला अन्य खण्ड।

क्रम संख्या 4 और 7 के केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में उनकी राजधानियों की नगरपालिका सीमाओं के भीतर भाग को छोड़कर सम्पूर्ण जिले केन्द्रीय सरकार से आर्थिक सहायता के लिए पात्र हैं।

%तालुकों/ब्लाकों/तहसीलों/उप-खण्डों का द्योतक है।

परिशिष्ट ञ

प्रबन्ध विकास संस्थान द्वारा आयोजित कार्य-क्रमों की सूची—1976

1. भारत में कार्य शोध का क्षेत्र और व्यावहार्यता।
2. प्रबन्धकीय वित्त के मूल तत्व।
3. दीर्घकालीन ऋण में पाठ्यक्रम—पंजाब नेशनल बैंक के लिए इन-कम्पनी कार्य-क्रम।
4. औद्योगिक परियोजनाओं का अभिज्ञान, प्रवर्तन तथा कार्यान्वियन (उत्तर प्रदेश)।
5. प्रबन्धकों का प्रबन्ध : अधीक्षक और प्रबन्धकीय कार्मिकों का प्रबन्ध।
6. मन्दी तथा समुत्थान के दौरान हल्के इंजीनियरिंग उद्योग का प्रबन्ध।
7. औद्योगिक वित्तीयकरण——यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के लिए कम्पनी कार्यक्रम।
8. सूत कताई मिलों में लागत और लागत नियंत्रण।
9. खनन उद्योग का प्रबन्ध।
10. कम विकसित क्षेत्र विकास : दांव पेंच और नीतियां।
11. उन्नत प्रबन्ध कार्यक्रम : चुनौतियां और परिवर्तन का प्रबन्ध।
12. योजना प्रबन्ध और व्यवस्था नियंत्रण (निगम के लिए कम्पनी कार्य-क्रम)।
13. निगमित कर व्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू।
14. औद्योगिक परियोजनाओं का अभिज्ञान, प्रवर्तन तथा कार्यान्वियन (पश्चिमी बंगाल)।
15. चीनी उद्योग और गन्ना विकास का प्रबन्ध।
16. औद्योगिक परियोजनाओं के लिए नकदी बहाव तकनीकें और लागत लाभ विश्लेषण।
17. चीनी उद्योग का लेखांकन और वित्तीय प्रबन्ध।
18. कम्पनी सचिवों का योगदान : कार्य और दायित्व।
19. प्रबन्धकीय वित्त के मूल तत्व।
20. उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रबन्ध में हिस्सेदारी।

21. विकास बैंकिंग पर सामान्य पाठ्यक्रम ।
22. परिणामों का प्रसारण —निगम के लिए कम्पनी कार्यक्रम ।
23. कार्यकारी पूंजी का प्रबन्ध ।
24. चीनी उद्योगों में लागत नियंत्रण ।
25. माल प्रबन्ध के मूल क्षेत्र ।
26. त्वरित कैरियर विकास के लिए सामान्य प्रबन्ध के मूल क्षेत्र ।
27. निर्यात वित्तीयकरण ।
28. विकास और वाणिज्यिक बैंकों के लिए प्रशिक्षण और मानव शक्ति विकास ।
29. मानव शक्ति उत्पादिकता और उत्प्रेरक तत्व ।
30. वित्तीय प्रबन्ध में महत्वपूर्ण पहलू ।
31. होटल उद्योग का प्रबन्ध ।
32. संयुक्त क्षेत्र परियोजनाओं का प्रबन्ध ।
33. मार्किटिंग और बिक्री के आवश्यक तत्व ।
34. विकास बैंकिंग के विधिक पहलू ।
35. प्रबन्धकीय वित्त के मूल तत्व ।

टिप्पणी : क्रम संख्या 27 से 35 तक उल्लिखित कार्य-क्रम 1976 की अंतिम तिमाही में आयोजित किए जाएंगे ।

STATE BANK OF INDIA

NOTICE

New Delhi-110001, the 10th November 1976

No. OMD/8663.—1. Shri S. L. Sikka, Staff Officer Grade III, has taken over charge as Manager, Regional Stationery Department *vice* Shri N. P. Thareja Staff Officer Grade III w.e.f. 10th June 1974 (Commencement).

2. Shri T. D. Chawla, Staff Officer Grade I, has taken over charge as Chief Vigilance Officer *vice* Shri U. R. Soni, Staff Officer Grade I on 13th October 1975 (Commecement).

4. Shri B. L. Chadha, Staff Officer Grade I, has taken over charge as Regional Manager, Region V, *vice* Shri A. K. Bhattacharya, Staff Officer Grade I w.e.f. 19th October 1976 (Commencement).

K. S. T. PANI
General Manager (Planning).

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

INDRAPRASTHA MARG

New Delhi-1, the 29th October 1976

No. 8CA(1)/13/76-77.—In pursuance of Clause (iii) of Regulation 10(1) of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members shall stand cancelled for the period mentioned against their names, as they do not desire to hold their Certificate of Practice.

S.No.	Membership No.	Name and Address	Period from which the Certificate shall stand Cancelled
1.	11852	Shri S. V. Joshi, A. C. A., 12, Pushpa Mangal Bldgs., 1631, Sadashiv Peth, Poona-411030.	1-7-1976
2.	15153	Shri P. N. Shah, A. C. A., C/o C. S. Shah, "Shreyash" Lamba Pada's pole, Raipur Darwaja, Ahmedabad.	1-7-1976
3.	16060	Shri B. K. Roy, A. C. A., C/o Bangasree, Station Road, Sodepur, 24-Parganas-W.B.	1-7-1976
4.	16069	Shri A. K. Trivedi, A. C. A., Asstt. Accounts Officer, Accounts Deptt., TELCO, Jamshedpur-831010.	1-7-1976
5.	16231	Shri S. Lakshminarayanan, A. C. A., C/o International Book House (P) Ltd., Indian Mercantile Mansion (Extn.) Madame Came Road, Bombay-39.	1-7-1976
6.	17317	Shri S. N. Maitra, A. C. A., 6, Deshbandhu Road, Baghajatin, P. O. Garia Dist. 24-Parganas (W.B.).	1-7-1976
7.	17469	Shri S. C. Gupta, A. C. A., 417, Laxmi Bai Nagar, New Delhi 110023.	1-7-1976
8.	50012	Shri Kanhaiya Singh, A.C.A., 7, Shambhu Chatterjee Street, Calcutta- 700007.	15-10-1976 to 28-2-1177

The 29th October 1976

No. 4-CA(1)/22/76-77.—In pursuance of Regulation 16 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-Section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, has removed from the Register of Members of this Institute on account of death, with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen :—

S.No.	Membership No.	Name and Address	Date of Removal
1.	601	Shri A. V. Deshpande, 95, Parijat, Marine Drive, Bombay-400003.	3-6-1976
2.	6882	Shri K. Sivaramakrishnan, G. Sankar & Co., 22, Swarnamlugat Agraham, Salem-1.	13-10-1976

P. S. GOPALAKRISHNAN,
Secy.

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

Ahmedabad-14, the 2nd November 1976

No. G/ADM/228(Consti)/76.—It is hereby notified that the Local Committee for Cambay area re-constituted *vide* this office notification No. G/ADM/(Consti)/74, dated 26th June 1974 under Regulation 10-A of Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 has been re-constituted with effect from the date of notification with the following members :

1. Deputy Collector, Petlad	Chairman
2. Government Labour officer, Nadiad.	Representative nominated by the State Government of Gujarat.
3. Administrative Medical Officer I/c, ESI Scheme, D-1, Dispensary, Cambay.	Representative nominated by the Director of Medical Services, ESI Scheme, Ahmedabad-14.
4. Shri Iraghupathy, Works Manager, Raj Prakash Spg. Mills Ltd., Cambay.	Employers' Representative
5. Shri Deepak Nandy Works Manager, Choonilal Foundry & Engineering Co. Kansari Road, Cambay.	Do.
6. Shri Parmanand Somalal Shah, Secretary, Textile Labour Union, Station Road, Cambay.	Employee's Representative
7. Shri Baburao Ramrao Nahate, Secretary, Cambay Textile Mazdoor Union, Congress(R), Rubi House, Station Road, Cambay.	Do.
8. Manager, Local Office, ESI Corporation, Cambay.	Secretary

No. G/ADM/233(Consti)/73.—It is hereby notified that the Local Committee re-constituted *vide* this office Notification No. G/ADM/233(Consti)/73, dated 14th December, 1973 for *Morvi* area under Regulation 10-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations 1950 has been re-constituted with the following members, with effect from the date of notification.

1.	Deputy Collector, Morvi	Chairman
2.	Government Labour Officer, Rajkot.	Representative nominated by the State Government of Gujarat.
3.	Insurance Medical Officer I/c E. S. I. Scheme, D 1, Morvi.	Representative nominated by the Director of Medical Services, E. S. I. Scheme, Ahmedabad.
4.	Shri N. B. Vora, Factory Manager, Arunodays Mills Ltd., P. O. Box No. 40, Morvi.	Employers' Representative
5.	Shri S. L. Hardikar, Personnel Officer The Parsuarm Pottery Works Co. Ltd., Morvi-2.	Employees Representative
6.	Shri Jagjivan Tribhovan Vyas, (Rep. Morvi Textile Workers' Union) R. No. 3, Gujarai Housing Board Colony, Morvi.	Do.
7.	Shri Madhavjibhai M. Patel C/o Majoor Mahajan Sangh, Abbas Manzil Morvi.	Do.
8.	Manager, Local Office E. S. I. Corporation Morvi,	Secretary

By Order
S. SAHAI,
Regional Dir., and Secy

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

28TH ANNUAL REPORT

New Delhi, the 30th June 1976

NOTICE

Industrial Finance Corporation of India New Delhi

Notice is hereby given that the TWENTY-EIGHTH ANNUAL GENERAL MEETING of the shareholders of the INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA will be held on Thursday, the 23rd September, 1976 at 4.00 P.M. (Standard Time) at Hotel Imperial, Janpath, New Delhi to transact the following business :

(1) To read and consider the Balance Sheet of the Corporation and the profit and Loss Account for the year ended the 30th June, 1976 together with the Report by the Board on the working of the Corporation for the year and the Auditors' Report on the said Balance Sheet and Accounts.

(2) To elect under Section 34 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948, one Auditor duly qualified to act as Auditor of Companies under Section 226 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) by the parties mentioned in sub-section (3) of Section 4 of the Industrial Finance Corporation Act, namely scheduled banks, insurance companies, investment trusts and other like financial institutions, and co-operative banks, in place of Messrs. Haribhakti & Company, Chartered Accountant, Bombay, who retire but are eligible for re-election.

R. B. MATHUR
General Manager

2nd July, 1976

BOARD OF DIRECTORS

BALDEV PASRICHA
Chairman

R. V. RAMAN
M. K. VENKATACHALAM
Nominated by the Central Government.

C. S. VENKAT RAO
BISHNU BANERJEE
C. T. DAS

PROF. D. T. LAKDAWALA
Nominated by the Industrial Development Bank of India.

A. B. MAJUMDAR
B. K. VORA
Elected to represent Scheduled Banks.

R. M. MEHTA
B. C. RANDERIA
Elected to represent Insurance concerns, Investment Trusts and other like financial institutions.

SHAMRAO KADAM
JASHBHAI U. PATEL
Elected to represent Cooperative Banks.

BANKERS

Reserve Bank of India

AUDITORS

M/s. A. F. Ferguson & Co.
Chartered Accountants

M/s. Haribhakiti & Co.
Chartered Accountants

ADVISORY COMMITTEES

CHEMICAL PROCESS & ALLIED INDUSTRIES

Baldev Pasricha, *Chairman*
R. M. Mehta
B. K. Vora
S. P. Varma
N. C. Krishnamurthy
P. Jayantha Rao
K. C. Sharma
C. I. Dadachanji
R. V. Ramani
Jayant J. Mehta
D. M. Trivedi
A. Seetharamiah

ENGINEERING

Baldev Pasricha, *Chairman*
Bishnu Banerjee
C. T. Das
D. T. Lakdawala
S. K. Sinda
Hari Bhushan
N. K. Mitra
S. R. Tata
Pranlal Patel
P. R. Deshpande
B. D. Panda
D. S. Mulla
N. T. Gopala Iyengar
K. B. Rao

TEXTILES

Baldev Pasricha, *Chairman*
Bishnu Banerjee
R. M. Mehta
Shamrao Kadam
A. Das
K. I. Narasimhan
M. S. Gill
Praful Anubhai
S. A. Kher
T. N. Sharma
N. S. Sharma
I. B. Dutt

SUGAR

Baldev Pasricha, *Chairman*
Shamrao Kadam
Jashbhai U. Patel
S. V. Sampath
M. S. Gill
D. Sridharan
A. Das
N. A. Ramaiah
P. S. Rajagopal Naidu
S. N. Gundu Rao
M. Lakshmikantham
Kishan Singh

HOTELS

Baldev Pasricha, *Chairman*
C. T. Das
B. K. Vora
B. S. Gidwani
M. S. Sethi
Miss Thangam E. Philip
Nari H. Dastur
J. T. Sataravala
Pesi M. Shaw
Duleep C. Matthai
Ajit Kerkar

JUTE

Baldev Pasricha, *Chairman*
Bishnu Banerjee
S. N. Chakravartee
K. Ramanujam
S. N. Agarwal
Gautam Ukil
S. P. Sen Gupta
Gourilal Mehta
L. M. Roy

OUTLINE OF IFCI

INCORPORATION AND PURPOSE

The Industrial Finance Corporation of India (IFCI) was established in 1948 under an Act of the Indian Parliament with the object of making medium and long-term credits to industrial concerns in India.

CAPITAL

The authoised capital of IFCI is Rs. 20 crores. Fifty per cent of the paid-up capital now standing at Rs. 10 crores is held by the Industrial Development Bank of India (IDBI). The remaining 50% is held by scheduled banks, cooperative banks, insurance concerns and investment trusts, etc.

MANAGEMENT

The Board of Directors consists of a wholetime Chairman and twelve directors. The Chairman is appointed by the Central Government after consultation with IDBI. Two directors are nominated by the Central Government and four by IDBI. Six directors are elected by shareholders other than IDBI.

FUNCTIONS AND LENDING POLICIES

Any limited company or cooperative society incorporated and registered in India which is engaged, or proposes to engage itself, in the manufacture, preservation or processing of goods, or in the shipping, mining or hotel industry or in the generation or distribution of electricity or any other form of power, is eligible for financial assistance.

Public sector projects are also eligible for financial assistance from the Corporation on the same basis as industrial projects in the private sector.

Assistance may take the form of long-term loans—both in rupees and foreign currencies, under-writing of equity, preference and debenture issues; subscribing to equity, preference and debenture capital; guaranteeing of deferred payments in respect of machinery imported from abroad or purchased in India and guaranteeing of loans raised in foreign currency from foreign financial institutions. Financial assistance from the Corporation is available for the setting-up of new industrial projects as also for the expansion, diversification, renovation or modernisation of existing ones.

Financial assistance, on concessional terms, is available for setting up industrial projects in certain industrially less developed districts in the States/Union Territories notified by the Central Government.

SOURCES OF FUNDS

The main sources of funds of the Corporation other than its own capital, retained earnings, repayment of loans and sale of investments, are borrowings from the market by the issue of bonds, loans from the Central Government and foreign credits.

SUMMARY OF OPERATIONS

(Rs. Crores)

	1975-76			1948-76		
	Sanctions No.	Amount	Amount disbursed	Amount sanctioned	Amount disbursed	Amount outstanding as on June 30, 1976
Loans						
Rupee	93	45·85	38·58	396·91	350·64	218·06
Foreign currency	20	3·83	2·99	61·45	51·77	26·51
Total	113	49·68	41·57	457·86	402·41	244·57
Underwritings						
Equity shares	40	3·16	1·34	21·90	10·88	8·20
Preference shares	6	0·43	0·12	9·70	7·27	4·90
Debentures	—	—	—	10·13	8.55	3·47
Total	46	3·59	1·46	41·73	26·70	16·57
Direct Subscriptions						
Equity shares	4	0·26	0·87	3·37	2·09	3·32
Preference shares	2	0·07	0·07	0·32	0·30	0·82 *
Debentures	1	1·00	—	2·82	1·82	0·17
Total	7	1·33	0·94	6·51	4·21	4·31
Guarantees						
For deferred payments	—	—	—	28·87	28·76	2·40
For foreign loans	—	—	—	23·83	23·33	3·10
Total	—	—	—	52·70	52·09	5·50
Grand Total	166@	54·60	43·97	558·80	485·41	270·95

*Includes Rs. 0·87 crore representing part of outstanding loans (overdue interest etc.) of 5 concerns converted into shares. Rs. 0·16 crore of convertible debentures of two concerns converted into equity shares and also Rs. 0·84 crore of outstanding loan amount converted into equity shares in respect of nine concerns, where the condition of right of conversion was stipulated at the time of sanction of loan assistance.

@These sanctions were made to 107 concerns

As on June 30, 1976

SPREAD OF ASSISTANCE

INDUSTRY			STATE/TERRITORY		
Amount sanctioned (Rs. Crores)	No. of projects			Amount sanctioned (Rs Crores)	No. of projects
		Sugar :	Andhra Pradesh	37·78	57
106·39	105	Cooperatives	Assam	11·01	10
15·18	26	Others	Bihar	26·83	33
			Gujarat	37·31	58
121·57					
			Haryana	22·29	46
		Chemicals :	Himachal Pradesh	1·19	5
32·47	14	Fertilisers	Jammu & Kashmir	0·40	1
31·49	33	Basic chemicals	Karnataka	40·32	67
22·25	26	Synthetic fibres & resins			
7·34	26	Other chemicals	Kerala	18·59	25
			Madhya Pradesh	13·34	20
93·55					
			Maharashtra	114·68	161
		Textiles :			
62·18	121	Cotton	Meghalaya	2·84	2
7·46	14	Jute	Nagaland	0·50	1
			Orissa	13·75	17
69·64					
			Punjab	11·78	20
39·09	58	Iron & steel	Rajasthan	21·71	19
33·53	38	Paper			
30·40	12	Non-ferrous metals	Tamil Nadu	72·40	81
27·35	61	Machinery	Uttar Pradesh	57·98	74
26·60	28	Cement	West Bengal	44·62	84
23·62	19	Rubber products			
20·97	38	Transport equipment	Andaman & Nicobar Islands	0·11	1
18·49	45	Electrical machinery and appliances	Delhi	4·42	5
12·66	34	Metal products	Goa	4·35	6
9·67	21	Hotel			
31·66	75	Others	Pondicherry	0·60	1
558·80	794	TOTAL	TOTAL	558·80	794

FINANCIAL SUMMARY

As on June 30, 1976

	Rs. Crores	US $ Million Equivalent*
CAPITAL AND RESERVES		
Authorised capital	20·00	26·67
Paid-up capital	10·00	13·33
Reserves	24·16	32·21
Paid-up capital and reserves	34·16	45·54
BORROWINGS		
Bonds	146·44	195·25
From foreign credit institutions	21·97	29·29
From Industrial Development Bank of India	5·00	6·6
From Government		
Interest Differential Funds under KfW lines of credit	0·90	1·20
Other loans	55·64	74·19
Total Borrowings	229·95	306·60
EARNINGS **1975-76**		
Gross income	19·58	26·11
Gross profit before taxation	4·18	5·57
Provision for taxation	1·48	1·97
Net profit	2·70	3·60
Dividend	0·60	0·80

*Rupee amount converted @Rs. 7·50/US $.

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

For the year ended June 30, 1976

Under Section 35 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948, (15 of 1948).

THE YEAR REVIEWED

The Board of Directors present herewith their Twenty-Eighth Report on the operations of the Corporation, together with the audited Statement of Accounts for the year ended June 30, 1976.

2. The economy of the country during the year presented a picture of confidence. There was an overall improvement in production especially in the key sectors of the economy like agriculture, industry and power. The prices showed a downward trend and industrial relations improved. The determined steps taken during the year by Government for enforcing economic discipline and combating the forces of inflation on the one hand and boosting exports on the other, have changed the entire climate for development in the country which is now very conducive to further accelerated growth. The Indian economy is poised to absorb significant increases in Plan investments. Barring unforeseen developments, one could hopefully look forward to a satisfactory rate of growth both in agriculture and industry. The New Economic Programme announced by the Prime Minister in July 1975 has given a purposeful direction to the economy and gives a framework for economic progress with social justice. The health of a few industries notably cotton textiles, jute, automobiles and consumer durables has been a source of concern, partly for reasons beyond control, but it is hoped that before long, it will return to normal with the economy adjusting itself to new para-meters and with the various measures which have already been initiated by Government to remedy the situation. It is in this scenario that the functioning of development banks in the country including the Corporation during the year gone by has to be viewed.

REVIEW OF OPERATIONS DURING THE YEAR

3. Gross financial assistance sanctioned by the Corporation during the year amounted to Rs. 54.84 crores and after accounting for cancellations to the extent of Rs. 0.24 crore, the net financial assistance sanctioned was Rs. 54.60 crores spread over 116 projects representing an increase of 48.1% over the previous year's sanctions which aggregated Rs. 36.86 crores. The total cost of the projects assisted during the year was estimated at Rs. 609.45 crores as against Rs. 486.66 crores relating to projects approved last year.

4. Financial assistance disbursed during the year under review amounted to Rs. 43.97 crores as against Rs. 37.42 crores during the previous year; this represented an increase of 17.5% over the prevous year. It may be noted that the level of sanctions and disbursements during the year were the highest achieved by the Corporation since its inception in 1948.

5. Of the 116 projects which were sanctioned assistance during the year, 54 were located in the notified less developed districts. The net assistance sanctioned for these projects aggregated Rs. 26.22 crores which represents 48.0% of the total assistance sanctioned.

6. The details of assistance sanctioned during the year for projects in a wide variety of industries, are given in Appendix 'A' along with a brief description of the assisted projects.

Assistance to Priority Industries

7. During the year, projects in industries of high national priority viz., Sugar, textiles, cement and paper were sanctioned financial assistance amounting to Rs. 27.78 crores, which accounted for 50.9% of the total.

Further, industries of basic, critical and strategic importance in the context of the approach to the Fifth Plan i.e. core industries of importance to the national economy in the future, industries having direct linkage with such core industries and industries with a long term export potential, which are specified as such in the notification dated the 2nd February, 1973, on 'Industrial Policy : Government Decisions' issued by Ministry of Industrial Development, Government of India, accounted for another 27.9% of total sanctions. The aforementioned two categories of industries of national importance claimed about 79% of total sanctions. The distribution of financial assistance sanctioned during the year under review as also financial assistance disbursed during the year, to projects of high national priority and in industries of basic, critical and strategic importance are shown in Table 1.

TABLE 1

Sanctions and Disbursements to Industries of High National Priority and of Basic, Critical and Strategic Importance—1975-76

(Rs. Lakhs

Industry	Sanctions					Disbursements
	No. of projects	Percentage of total sanctions	Loans	Underwritings/ Direct Subscriptions	Total	
I. INDUSTRIES OF HIGH NATIONAL PRIORITY						
Sugar	16	23·3	1257·50	16·34	1273·84	1181·30
Cotton textiles	15	11·2	605·64	5·00	610·64	564·83
Cement	4	10·1	550·00	—	550·00	142·00
Paper	8	6·3	309·00	34·50	343·50	189·08
Fertilisers	—	—	—	—	—	65·00
Sub-total—I	43	50·9	2722·14	55·84	2777·98	2142·21
II. INDUSTRIES OF BASIC CRITICAL AND STRATEGIC IMPORTANCE						
Ferro-alloys	1	0·4	21·25	—	21·25	39·02
Steel castings and forgings	3	3·3	70·00	110·00	180·00	—
Special steels	2	2·0	110·00	—	110·00	288·28
Boilers	—	—	—	—	—	75·00
Internal combustion engines	—	—	—	—	—	5·00
Electrical equipment	4	2·9	131·76	26·00	157·76	67·67
Commercial vehicles	—	—	—	—	—	50·00
Industrial machinery	6	2·6	122·49	20·00	142·49	70·43
Agricultural machinery	—	—	—	—	—	58·31
Chemicals (other than fertilisers)	12	7·6	358·92	56·50	415·42	569·13
Drugs and pharmaceuticals	1	3·2	155·00	17·34	172·34	—
Automobile tyres and tubes	3	5·3	230·00	60·00	290·00	241·48
Sheet glass	1	0·6	30·00	5·00	35·00	5·00
Refractories	—	—	—	—	—	40·69
Sub-total—II	33	27·9	1229·42	294·84	1524·26	1510·01
III. OTHER INDUSTRIES	40	21·2	1016·44	141·79	1158·23	745·07
TOTAL	116	100·0	4968·00	492·47	5460·47	4397·29

The sugar industry was the major beneficiary of the Corporation's assistance. Sixteen projects in the industry were sanctioned assistance amounting to Rs. 12.74 crores which formed 23.3% of the total net sanctions. Of these projects, 12 were in the cooperative sector. Further, 8 projects were located in the notified less developed districts. One of the projects being assisted, is being set up by the Cachar Sugar Mills Ltd., a company promoted by the Assam Industrial Development Corporaion Ltd. This project envisages the setting-up of a sugar factory with an installed capacity of 1,250 tonnes of sugarcane per day and is being located in District Cachar, Assam, a notified less developed district.

Assistance amounting to Rs. 6.11 crores was sanctioned for 15 projects in the cotton textile industry. Of the projects assisted 6 were new projects, 4 projects involved expansion and 4 projects were sanctioned additional assistance for their modernisation schemes. Additional assistance was sanctioned to meet the over-run in the cost of one project.

The Corporation sanctioned assistance amounting to Rs. 5.50 crores for four projects in the cement industry. Mawmluh Cherra Cements Ltd., a public sector undertaking in Meghalaya already assisted by the Corporation was sanctioned further assistance for its expansion project envisaging an increase in its capacity from 83,000 tonnes to 2,83,000 tonnes per annum of cement. This project is located in Khasi Hills District, a notified less developed district in the State of Meghalaya. Another public sector undertaking viz., the Uttar Pradesh State Cement Corporation Ltd., was sanctioned assistance for its expansion scheme envisaging the setting-up of a new split-located cement project consisting of two units with a capacity of 16.80 lakh tonnes per annum of Portland blast furnace slag sement. This project would utilise the granulated slak from the Bokaro Steel Plant which is expected to result in lower capital investment per tonnes of cement.

Eight projects in the paper industry including four new projects, were sanctioned assistance amounting to Rs. 3.44 crores. These new projects would be utilising unconventional raw materials like agricultural residues. A concern already assisted by the Corporation was sanctioned additional assistance for meeting the over-run in its project cost and in the case of another assisted concern, assistance was approved as part of a rehabilitation scheme. Assistance was also sanctioned for an expansion scheme.

Sectoral Classification of Assistance

8. During the year under review, 32 projects in the public and joint sectors were assisted as compared to 18 projects during the last year. The assistance claimed by projects in these sectors was also higher at 36.6% of total sanction during the year under review as compared to 20.4% for the last year.

Table 2 gives the sector-wise classification of financial assistance sanctioned during the year

TABLE 2

Assistance Sanctioned Sector-wise 1975-76

(Rs. Crores)

Sector	No. of projects	Net assistance sanctioned	Percentage to Total
Cooperative Sector	15	12·33	22·6
Public Sector	14	11·72	21·5
Joint Sector	18	8·27	15·1
Private Corporate Sector	69	22·28	40·8
Total :	116	54·60	100·0

Assistance to Industrial Cooperatives

9. During the year under review, financial assistance amounting to Rs. 12.33 crores was sanctioned for 15 projects in the cooperative sector including 7 projects in the notified less developed districts. This assistance which formed 26.9% of the total rupee loan assistance sanctioned by the Corporation, was for twelve sugar and three textile cooperatives. The number of projects in the cooperative sector assisted during the year under review as also the share of assistance sanctioned to them in the total rupee loan assistance, were higher than those for the last year, *i.e.*, 9 projects and 17.9% respectively.

Of the sugar projects in the cooperative sector assisted during the year, nine were new sugar factories each with a crushing capacity of 1250 tonnes per day. Four of them are being located in Uttar Pradesh, two each in Haryana and Tamil Nadu and one in Andhra Pradesh. Two cooperatives were sanctioned assistance for their expansion schemes. Pravara Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., was sanctioned assistance for its project envisaging expansion in the crushing capacity from 2,500 tonnes to 3,500 tonnes of sugarcane per day. Another assisted concern viz., Shree Dudhganga Vedganga SSK Ltd., was sanctioned assistance for increasing its crushing capacity from 1,750 tonnes to 3,000 tonnes of sugarcane per day. Additional assistance was also sanctioned to another co-operative for meeting the gap in the resources for financing the cost of the project.

Of the three textile cooperatives assisted during the year, two were new projects and the third, an expansion project, Ichalkaranji Cooperative Spinning Mills Ltd., Maharashtra, and Haryana State Cooperative Supply and Marketing Federation Ltd., were sanctioned financial assistance for setting up projects each with an installed capacity of 25,080 spindles. Yeotmal Zilla Sahakari Soot Wa Kapad Girni Ltd., a project located in the less developed district of Yeotmal in Maharashtra, was sanctioned assistance for its expansion scheme envisaging installation of additional 13,200 spindles, raising its total spindleage ot 24,972.

Public Sector Projects

10. During the year, fourteen projects in the public sector were sanctioned assistance aggregating Rs. 11.72 crores. Of these, nine were new projects and four projects were extended assistance for their expansion schemes. One project was sanctioned a loan for meeting a part of the over-run in its project cost.

The U.P. State Spinning Mills Co. Ltd., a public sector undertaking, was sanctioned assistance for setting up cotton spinning mills in Rae Bareli, Faizabad and Azamgarh districts. All the three districts are notified as industrially less developed.

Another public sector undertaking, viz., Almora Magnesite Ltd., was sanctioned financial assistance for its project envisaging the manufacture of dead burnt magnesite, which is an important refractory material used in the manufacture of basic refractories required by the steel, metallurgical and chemical industries. This project is being set up in the notified less developed district of Almora in Uttar Pradesh.

The Corporation sanctioned assistance to Assam Gas Co. Ltd., a company owned by the Government of Assam, for its integrated project which envisages laying of pipe lines and allied facilities for transmission of natural gas to various receiving centres in Assam. This project would help in the utilisation of natural gas for the manufacture of fertilisers and generation of electricity. It will also supply natural gas to the tea gardens.

Visvesvaraya Iron and Steel Ltd., was sanctioned assistance by the Corporation for its expansion-cum-diversification scheme envisaging the setting-up of a new forge shop with a capacity of 5,350 tonnes of finished forged products and 2,900 tonnes of semis per annum. This project has its focus on import substitution and is expected to result in considerable saving of foreign exchange.

During the year, two companies promoted by the Himachal Pradesh Mineral and Industrial Development Corporation Ltd., were sanctioned assistance by the Corporation. One of them, Himachal Worsted Mills Ltd., is setting up a project for the manufacture of worsted yarn with an installed capacity of 2,400 spindles. The other company, Himachal Wool Processors Ltd., proposes to set up a woollen spinning mill with an installed capacity of 2,800 spindles for the manufacture of carpet, blanket and tweed yarn. Both the projects are being located in the notified less developed district of Solan.

Joint Sector Projects

11. During the year, 18 projects in the joint sector were sanctioned assistance by the Corporation as compared to 14 during the last year. These included 13 new projects and an expansion project. Four previously assisted projects were sanctioned assistance for meeting over-runs in their project cost.

Chowgule Metal Industries Ltd., was sanctioned financial assistance by way of underwriting of equity and preference shares for setting up an iron-ore pelletisation plant with an annual installed capacity of 1.8 million tonnes. This project is being located in San Coale, Goa, a notified less developed area. The entire production is proposed to be exported to Japan.

Another joint sector project assisted during the year was Vidyut Steels Ltd. This project envisages the manufacture of 2,000 tonnes of manganese steel castings and 450 tonnes of Ni-hard castings per annum. The products proposed to be manufactured would cater to the requirements of cement and sugar industries. The project is being set up in the less developed district of Medak in Andhra Pradesh.

Polymers Corporation of Gujarat Ltd., a joint sector project, was sanctioned assistance for its project envisaging the manufacture of 5,000 tonnes per annum of methyl methacrylate monomer, 2,000 tonnes per annum of polymethyl methacrylate sheets and 1,500 tonnes per annum of polymethyl methacrylate pellets, in technical collaboration with Mitsubishi Rayon Company Ltd. of Japan. This project will utilise the co-stream—hydrocynic acid—from the acrylonitric plant of Indian Petro-Chemicals Corporation Ltd. The project is expected to augment employment opportunities in the small scale industries engaged in the manufacture of various industrial appliances for instrumentation, engineering products optical industry, light fixtures, etc.

New Entrepreneurs and Technologists

12. Sixty-nine projects in the private corporate sector which were sanctioned assistance during the year included 30 new projects. Seventeen new projects promoted by new entrepreneurs and technologists were sanctioned assistance amounting to Rs. 5.51 crores by the Corporation. These were in industries like hotel, metal products, paper, industrial machinery and accessories, glass, miscellaneous food products etc. Six of these projects are being set up in the notified less developed districts. One textile project was sanctioned assistance for its expansion scheme and additional assistance was sanctioned to four projects for meeting over-runs in their project cost.

Sanctions by Type of Project

13. The classification of new projects assisted during 1975-76 according to the size of the total investment involved in each is given in Table 3.

As will be seen from the Table, the projects assisted during the year included 63 new projects which claimed 72.6% of the total net sanctions. 42 out of 63 new projects assisted during the year were of medium scale, i.e. with project cost below Rs. 5 crores. 22.1% of the net sanctions were for 33 projects involving expansion/modernisation/diversification/rehabilitation, etc. Additional assistance for meeting over-runs etc., in respect of 20 projects accounted for 5.3% of the total net sanctions.

Industry-wise Sanctions and Disbursements—1975-76

14. The industry-wise distribution of financial assistance sanctiontd during the year under review as also disbursements made during the year, are shown in Table 4. The industry-wise statistical data in the Report have been presented according to the National Industrial Classification, 1970.

TABLE 3

Classification of New Projects by Range of Capital Outlay—1975-76

(Rs. Lakhs)

Range of capital outlay	No. of new projects assisted	Total project cost	Assistance sanctioned	Assistance as percentage of project cost
Upto 100	7	536·85	130·24	24·3
101—300	22	4058·42	747·14	18·4
301—400	4	1438·59	235·00	16·3
401—500	9	4258·00	589·04	13·8
501—1000	14	9156·19	1325·76	14·5
1001—1500	2	2850·00	218·92	7·7
1501—2000	1	1534·00	125·00	8·1
Above 2000	4	18091·52	595·00	3·3
Total	63	41923·57	3966·10	9·5

TABLE 4

Industry-wise Sanctions and Disbursements—1975-76

(Rs. Lakhs)

Industry	Sanctions					Disbursements
	No. of projects	Percentage of total sanctions	Loans	Underwritings/ Direct subscriptions	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sugar						
Cooperative sector	12	18·8	1027·50	—	1027·50	1040·00
Corporate sector	4	4·5	230·00	16·34	246·34	141·30
	16	23·3	1257·50	16·34	1273·84	1181·30
Chemicals & chemical products						
Basic industrial Chemicals	4	2·1	110·00	5·00	115·00	406·59
Fertilisers	—	—	—	—	—	65·00
Synthetic fibres and resins	3	3·6	168·92	30·00	198·92	140·37
Other chemicals and chemical products	7	5·6	260·00	44·84	304·84	34·17
	14	11·3	538·92	79·84	618·76	646·13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Cotton textiles						
Cooperative sector	3	3·8	206·00	-	206·00	205·00
Corporate sector	12	7·4	399·64	5·00	404·64	359·83
	15	11·2	605·64	5·00	610·64	564·83
Cement	4	10·1	550·00	—	550·00	142·00
Iron & steel and ferro-alloys	10	8·8	361·82	117·50	479·32	386·87
Paper	8	6·3	309·00	34·50	343·50	189·08
Rubber products	3	5·3	230·00	60·00	290·00	247·26
Transport equipment	6	4·3	217·95	15·00	232·95	174·77
Electrical machinery and apparatus	8	3·9	179·76	33·27	213·03	122·49
Machinery and accessories	7	3·2	154·70	20·00	174·70	203·74
Metal products	5	2·7	127·92	21·41	149·33	122·63
Woollen manufactures	3	2·3	109·45	17·00	126·45	—
Hotel	6	1·6	86·50	3·00	89·50	111·99
Misc. non-metallic mineral products	2	1·4	73·09	5·00	79·09	120·42
Glass	2	0·9	45·00	5·00	50·00	17·50
Leather products	2	0·9	36·72	10·00	46·72	35·60
Tansmission of natural gas	1	0·7	37·50	—	37·50	20·00
Metal ore mining	1	0·7	—	35·00	35·00	10·00
Wood products	1	0·6	28·53	6·00	34·53	8·11
Misc. food products	1	0·4	18·00	5·00	23·00	15·00
Shipping	1	0·1	—	3·61	3·61	3·61
Jute manufactres	—	- -	—	—	—	73·96
TOTAL :	116	100·0	4968·00	492·47	5460·47	4397·29

Assistance to Less Developed Areas During the Year

15. The Table below gives the net financial assistance sanctioned by the Corporation during the year to projects in notified less developed districts/areas. During the year, the Corporation assisted 54 projects in 38 districts and one Union Territory notified as less developed.

Economic Contribution of Projects Assisted during the Year

16. The direct contribution to the national economy expected to be made by new, expansion and diversification projects assisted during the year under review, which do not include cases of over-run in project costs and modernisation schemes etc., is presented in Table 6.

TABLE 5

Assistance Sanctioned During the Year for Projects in Notified Less Developed Districts/Areas

(Rs. Lakhs)

Name of the State/Union Territory	Notified less developed districts/ areas covered (Nos.)		Number of projects assisted		Financial assistance sanctioned (net)	
	1975-76	1974-75	1975-76	1974-75	1975-76	1974-75
Andhra Pradesh	4	2	8	2	328·26	90·00
Assam	2	1	2	1	159·00	30·0
Bihar	1	3	1	3	*	53·00
Gujarat	1	1	1	1	50·00	65·00
Haryana	2	1	2	1	165·00	50·00
Himachal Pradesh	3	2	4	2	85·00	34·00
Jammu & Kashmir	1	—	1	—	40·00	—
Karnataka	3	4	4	9	57·84	410·60
Kerala	1	4	1	6	18·84	231·52
Madhya Pradesh	3	1	3	1	78·95	160·00
Maharashtra	2	1	3	1	120·92	75·00
Meghalaya	1	—	2	—	189·00	—
Orissa	—	1	—	1	—	5·00
Punjab	1	1	2	1	157·50	70·00
Rajasthan	1	3	3	4	77·36	202·50
Tamil Nadu	2	3	3	6	258·00	346·60
Uttar Pradesh	7	3	9	3	633.68	136·50
West Bengal	3	2	3	2	157·50	5·75
Goa	1	1	2	1	45·00	30·00
Total :	39	34	54	45	2621.85	1995·47

*Assistance has been shown under Assam.

TABLE 6

Direct Economic Contribution of New, Expansion and Diversification Projects Assisted by the Corporation During 1975-76

(Rs. Crores)

Industry	No. of projects	Total capital cost	Direct employment to be created (Nos.)	Value of output	Gross value added	Capacity per annum
Sugar	14	78·71	7,545	52·82	12·81	2·57 lakh tonnes of sugar.
Cotton textiles	10	31·59	5,410	28·98	7·52	1,72,760 Nos. of spindles
Paper	5	32·51	1,840	19·53	7·21	46,880 tonnes.
Cement	3	81·80	1,540	40·63	16·78	18,80,000 tonnes.
Chemicals and chemical products	12	65·84	3,220	89·68	29·61	8,500 tonnes of synthetic chemicals, 3,000 tonnes of acetic acid, 2,800 tonnes of rubber chemicals, 2,000 tonnes of nylon tyre yarn, 27,650 tonnes of synthetic detergents, etc., 3,000 tonnes of citric acid and 145 tonnes of pharmaceuticals, 2,500 kilo litres of gramoxone (weedicide), 5,050 tonnes of other chemicals and processing of 30,000 tonnes of cotton seed.
Rubber products	2	66·09	1,540	80·41	23·53	10 lakh Nos. of tyres and tubes each
Iron & steel	7	59·47	2,460	129·17	25.64	16,650 tonnes of steel and alloy castings, 8,250 tonnes of forged products and semis of alloy and special steels, 15,000 tonnes of seamless tubes of sophisticated variety and 60,000 tonnes of cast iron spun pipes and 13,500 tonnes of cold rolled strips.
Electrical machinery and apparatus	4	9·87	1,460	22·96	6·00	Distribution and power transformers with a total capacity of 2,320 MVA and 400 Nos. of current and potential transformers, 70,000 Nos. each of starter motors, alternators/generators and voltage regulators, 10 million pieces of capacitors.
Scooters	1	2·23	410	8·83	1·02	30,000 scooters.
Other industries	27	141·13	7,554	120·88	42·83	
TOTAL	85	569·24	32,979	593·89	172·95	

Note : Direct employment value of output and gross value added relate to the year of optimum production.

TABLE 7

State-wise Sanctions and Disbursements—1975-76

(Rs. Lakhs)

State/Territory	Sanctions						Disbursements
	Loans		Underwritings & Direct subscriptions	Total	Percentage of total sanctions	No. of projects assisted	
	Cooperative sector	Corporate sector					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Andhra Pradesh	50·00	411·64	52·50	514·14	9·4	13(1)	235·92
Assam	—	201·50	15·00	216·50	4·0	4	126·08
Bihar	—	75·00	—	75·00	1·4	2	219·67
Gujarat	—	266·04	35·00	301·04	5·5	6	161·52

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Haryana	280·00	149·00	25·00	454·00	8·3	8(3)	290.25
Himachal Pradesh	---	65·50	19·50	85·00	1·6	4	5·08
Jammu & Kashmir	. .	40·00	. .	40·00	0·7	1	—
Karnataka	7·50	290·25	6·34	304·09	5·6	7(1)	490·28
Kerala	—	53·84	15·00	68·84	1·3	2	221·41
Madhya Pradesh	—	139·45	15·00	154·45	2·8	5	29·48
Maharashtra	226·00	168·24	28·61	422·85	7·7	16(4)	921·33
Meghalaya	---	185·00	4·00	189·00	3·5	2	125·00
Orissa	—	100·00	30·00	130·00	2·4	1	110·69
Punjab	—	139·45	117·50	256·95	4·7	5	59·97
Rajasthan	—	147·36	5·00	152·36	2·8	4	143·27
Tamil Nadu	225·00	302·71	17·34	545·05	10·0	8(2)	489·28
Uttar Pradesh	445·00	765·42	29·18	1239·60	22·7	18(4)	546·31
West Bengal	. .	195·57	36·50	232·07	4·2	7	196·60
Delhi	—	28·53	6·00	34·53	0·6	1	13·65
Goa, Daman & Diu	—	10·00	35·00	45·00	0·8	2	11·50
TOTAL :	1233·50	3734·50	492·47	5460·47	100·0	116(15)	4397·29

Notes : 1. Figures in brackets denote the number of projects in the cooperative sector.
2. Figures of underwritings and direct subscriptions relate to the corporate sector.

OPERATIONAL DEVELOPMENTS

Rate of Interest

17. During the year, the Corporation along with the other all-India term lending institutions revised the rate of interest charged by it on rupee loans. The normal lending rate of interest on rupee loans charged by the Corporation from borrowing concerns was revised from 10.25% to 11.0% (net) per annum with effect from December 2, 1975. The rate of interest on sub-loans in foreign currencies was also raised from 10.5% to 11.0% (net) per annum. Consequent to the revision in the normal rates of interest, the concessional rate of interest on rupee loans and foreign currency sub-loans charged to industrial projects being set up in the notified backward districts/areas, was raised to 9.5% (net) and 10.0% (net) respectively. As regards soft loans to jute industry, export-oriented cotton textile mills and the hotel industry, the interest rate was raised to 10.0% (net).

Further Incentives for Projects in Less Developed Areas

18. With effect from June 28, 1976, the facility of deferred payment was included in the overall package of concessional assistance extendable to projects in notified less developed districts/areas. The concession is by way of reduction to the extent of 0.25% per annum in the existing net effective rate of commission of 1% per annum for guarantee assistance. The concession would, however, be applicable within the existing overall ceiling of financial assistance for projects in notified less developed districts/areas, i.e., Rs. 2.00 crores for IDBI, IFCI and ICICI and upto Rs. 1.00 crore for IFCI alone.

In order to encourage entrepreneurs to set up projects in the notified less developed areas, the all-India term-lending institutions including the Corporation have decided to treat the amount of Central Subsidy as equity for determining equity : debt ratio.

As a measure of further relaxation in the case of projects coming up in less developed districts/areas, the institutions have also agreed to treat development loans of an unsecured nature linked to sales tax etc., as equity for the purpose of computation of equity : debt ratio subject to certain conditions.

Coordination with other all-India Financial Institutions

19. The Public Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 1975, which received the assent of the President on August 20 1975, came into force on February 16, 1976. Under the Act, the Industrial Development Bank of India has assumed the role of the principal financial institution for coordinating the working of institutions engaged in financing, promoting or developing industry and for assisting the development of such institutions.

The all-India financial institutions have taken a number of steps in the matter of (a) quickening the process of sanction of applications for financial assistance and (b) streamlining the methods and procedures for speedier disbursement of funds.

As reported in the last year's Report, the institutions have adopted a Common Loan Application form for use by eligible concerns seeking financial assistance from any one of them.

As regards the appraisal of projects, the financial institutions have adopted the concept of the 'lead institution' whereby one of the all-India financial institutions is assigned the responsibility of arranging for a joint inspection of the plant site by their officials and the representatives of the other all-India financial institutions, collective discussions with the promoters and evolving a common approach towards various aspects of project evaluation and appraisal.

The Industrial Development Bank of India appointed a Committee to examine the procedures being followed in respect of sanction of assistance to applicant concerns and to make recommendations for streamlining them with a view to reducing delays. This Committee was headed by Shri M. Narasimham, Additional Secretary, Ministry of Finance, Government of India.

In the light of the recommendations made by this Committee, the all-India financial institutions have taken a number of further steps to streamline their procedures with a view to dispose of all applications for financial assistance received by the institutions according to a time-bound programme, as far as practicable, having regard to the circumstances of each case. The financial institutions have favoured the deepening of the concept of the 'lead institution' and greater reliance is now being placed on the appraisal reports prepared by the lead institution rather than each institution undertaking detailed appraisals on its own.

A Working Group was constituted by the Government under the Chairmanship of Shri Raghuraj, Chairman and Managing Director of IDBI, including the Chairman of the Corporation as a member, to look, inter-alia into the aspects of quicker disposal of applications, reducing post-sanction delays, etc. Consequent to the recommendations of the Working Group a procedure has been worked out which would be followed by the institutions in future from the stage of issue of Common Loan Application form to the sanction of assistance to an applicant concern. The ultimate aim is to follow a time-bound programme and communicate a decision to an applicant within a period of four to five months from the date of receipt of the application.

The financial institutions have also taken steps to have a uniform Loan Agreement and other documents and adopt a common approach to completion of the various legal formalities so as to reduce, as far as possible, the time lag between sanction and disbursement of assistance.

The institutions will also provide the applicants along with the application form guidelines for completion of the application form so as to minimise unnecessary correspondence.

During the year the Corporation brought out three brochures on the policies and procedures of the Corporation. These are: 'Operational Information', 'Guidelines for Applicants Seeking Assistance' and 'Foreign Currency Loans—Guide to Applicants'.

IFC Act, 1948.

20. In terms of the Public Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 1975, the Industrial Finance Corporation Act, 1948 has been extended to the Kohima and Mokokchung districts in the State of Nagaland.

The Government of India, by a notification dated October 23, 1975, extended the Industrial Finance Corporation Act, 1948 to the State of Sikkim with effect from October 24, 1975.

Applications for Assistance

21. During the year under review, 175 applications from 170 concerns were received by the Corporation for financial assistance, including applications involving joint financing with other all-India financial institutions.

At the beginning of the year applications from 43 concerns seeking assistance to the extent of Rs. 129.36 crores were under consideration by the Corporation, including applications involving joint financing with other all-India financial institutions.

The Corporation sanctioned during the year gross financial assistance of Rs. 54.84 crores to 110 concerns in respect of 113 applications. Applications from 10 concerns were treated as withdrawn principally due to the fact that some of them did not pursue their applications and some others did not furnish the requisite information for long.

At the end of the year applications from 93 concerns were under various stages of processing for assistance aggregating Rs. 351.10 crores including applications seeking assistance from other all-India financial institutions.

A statement showing particulars, state-wise, of applications under processing at the beginning of the year and applications received, sanctioned or withdrawn during the year, as also applications under various stages of processing at the end of the year, is given in Appendix 'D' to this Report.

REVIEW OF OPERATIONS—1948—76

22. As on June 30, 1976, the Corporation had sanctioned assistance amounting to Rs. 558.80 crores for 794 industrial projects which are spread all over the country. The total project cost of these projects was Rs. 3475.55 crores which is an indication of the extent of overall resource mobilisation. The Corporation's assistance was extended to 137 concerns in the cooperative sector, 39 in the joint sector, 23 in the public sector and 517 in the private corporate sector. Disbursements amounted to Rs. 485.41 crores which represented 86.9% of the sanctions. The total assistance outstanding as on June 30, 1976 amounted to Rs. 270.95 crores.

In sanctioning financial assistance, the Corporation has given preference to projects which offer large employment potential, like sugar and textile cooperatives, which also canalise the savings of the agricultural sector for productive purposes, projects which are located in relatively less developed areas, projects which are promoted by new entrepreneurs and technologists, those which stimulate the growth of ancillary industries, those which contribute to growth in exports and import substitution and projects based on indigenous technology. Thus, as a development bank, the Corporation has kept in view the national objectives and priorities governing development and has not been guided purely by the financial viability of the projects seeking assistance. Due consideration is given to relevant economic and social aspects.

Ecological considerations have assumed importance in project evaluation in recent years. This aspect has been kept in view while considering projects for financial assistance. With greater accent being placed on the control of industrial pollution, the Corporation in the course of its technical appraisal of projects ensures that industrial effluents are controlled and kept within the limits prescribed by the Indian Standards Institution or regulatory bodies set up by the State Governments for this purpose.

INDUSTRIAL COOPERATIVES

23. Industrial cooperatives continued to have an important place in the Corporation's pattern of financial assistance. As on June 30 1976, the total net financial assistance sanctioned to industrial cooperatives was Rs. 128.19 crores for 138 projects. This constituted 22.9% of the total sanctions and 32.3% of the total rupee loan sanctions. Disbursements of assistance to industrial cooperatives aggregated Rs. 116.57 crores.

The purpose-wise classification of net financial assistance sanctioned to industrial cooperatives shows that 81.9% of the assistance sanctioned was claimed by new projects and the balance of 18.1% of the assistance was sanctioned for expansion projects. Financial assistance sanctioned by the Corporation represented 28.4% of the cost of new projects and 35.3% of the cost of expansion projects.

24. The State-wise and industry-wise distribution of assisted industrial cooperatives upto June 30, 1976 is given in Table 8.

25. Of the 138 projects in the industrial cooperative sector which were sanctioned assistance, 59 projects were located in the notified less developed districts. The amount of financial assistance sanctioned for these projects aggregated Rs. 55.03 crores or 42.9% of the Corporation's assistance extended to projects in the cooperative sector.

26. Sugar cooperatives were the major beneficiaries of the Corporation's assistance to industrial cooperatives. 83.0% of the said assistance went to the sugar cooperatives, while textile cooperatives accounted for 13.9% of the assistance.

As on June 30, 1976, 105 cooperative sugar projects were sanctioned assistance by the Corporation amounting to Rs. 106.39 crores. The total cost of these projects was Rs. 288.23 crores of which 36.9% was contributed by the Corporation as long term loans.

27. In the last year's Report, it was stated that the Corporation had made a study of the impact of the steep rise in project cost on the viability of new sugar projects with a crushing capacity of 1,250 tonnes of cane per day. The findings of the study were brought to the notice of the Government which in turn set up a Committee (called the Sampath Committee) to consider the reliefs that could be given to new sugar units in order to make them viable. During the year, Government announced a scheme of incentives based on the recommendations of the Sampath Committee. The scheme, as announced by the Government, provides incentives to new sugar factories and expansion projects by way of excise duty concessions and higher levy-free sugar quota.

The scheme which came into force from November 1, 1975 is applicable to both new sugar factories and expansion units commencing production during the period November 1, 1975 to October 31, 1980. New units which commenced production between April 1, 1974 and November 1, 1975 would also be covered by the scheme during the balance of the five year period from the date of their commissioning.

For the purpose of the scheme, the sugar producing zones in the country have been classified into low, medium and high sugar recovery areas. In the case of new projects, where plant and machinery cost is Rs. 400 lakhs and more, the free sale quota would be admissible in respect of the entire output of sugar, for periods varying from two to four years (depending on the recovery zone in which the unit is situated). Reduced incentives are available based on a slab system where the cost of plant and machinery is in the range of Rs. 200 to 400 lakhs. In the case of expansion schemes the incentives are available to the existing sugar factories for a period of five years on completion of any licensed expansion irrespective of the quantum of expansion and cost of expansion. The percentages of levy-free quota of sugar have been specified for the different recovery zones.

In spite of higher free sale quotas the new sugar factories and the expanded units will be required to pay excise duty in accordance with the normal rates applicable to the existing units on the basis of 65 : 35 ratio of levy and free sale sugar.

TABLE 8

Assistance Sanctioned to Industrial Cooperatives—1948-76

(Rs. Lakhs)

State/ Territory	Assistance sanctioned Industry-wise								
	Sugar		Cotton-spinning		Others		Total		% of
	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	Total
Andhra Pradesh	8	745·00	3	160·00	—	—	11	905·00	7·1
Assam	1	60·00	—	—	1*	78·50	2	138·50	1·1
Bihar	1	115·00	1	24·70	—	—	2	139·70	1·1
Gujarat	9	600·50	2	170·00	2@	300·00	13	1070·50	8·3
Haryana	4	286·00	1	100·00	—	—	5	386·00	3·0
Karnataka	10	795·25	3	179·00	1**	22·50	14	996·75	7·8
Kerala	2	180·00	—	—	—	—	2	180·00	1·4
Madhya Pradesh	1	80·00	1	40·00	—	—	2	120·00	0·9
Maharashtra	40	5044·20	13	839·00	—	—	53	5883·20	45·9
Orissa	2	205·00	1	31·00	—	—	3	236·00	1·8
Punjab	4	315·00	—	—	—	—	4	315·00	2·4
Rajasthan	1	95·00	1	45·50	—	—	2	140·50	1·1
Tamil Nadu	9	808·00	1	35·00	—	—	10	843·00	6·6
Uttar Pradesh	12	1160·00	2	155·00	—	—	14	1315·00	10·3
Goa	1	150·00	—	—	—	—	1	150·00	1·2
TOTAL :	105	10638.95	29	1779.20	4	401·00	138	12819·15	100·0

* Jute cooperative.

@ One fertiliser cooperative having two units.

** Vegetable oil extraction cooperative.

It has, however, been stipulated that the beneficiaries of this scheme shall ensure that the surplus funds available as a result of these incentives are utilised only for the repayment of term loans taken from the Central Financing Institutions in accordance with the repayment schedule.

The above-mentioned incentives will go a long way in making sugar projects viable. Already, assistance of the order of Rs. 9.10 crores has been approved by the Corporation to 8 new units and one expansion case in the sugar industry taking into account the benefits flowing from the above-mentioned scheme of incentives.

THE CORPORATE SECTOR

28. The financial assistance sanctioned to the corporate sector amounted to Rs. 430.61 crores in respect of 656 projects as on June 30 1976. Details of assistance sanctioned to the corporate sector are reviewed in the following paragraphs.

Rupee Loans

Assistance sanctioned in the form of rupee loans amounted to Rs. 268.30 crores and represented 62.3% of the total assistance to the corporate sector. The disbursement of rupee loans to the corporate sector as on June 30, 1976 amounted to Rs. 234.15 crores.

Foreign Currency Loans

Foreign currency loans sanctioned by the Corporation to the corporate sector aggregated Rs. 61.37 crores, while disbursements amounted to Rs. 51.69 crores.

The position relating to foreign currency loans as on June 30, 1976 is given in the following Table :

TABLE 9

Foreign Currency Loans to the Corporate Sector

Currency	Sanctions (net)			Letters of Credit/ commitments issued		Amount disbursed	
	Number of sub-loans	Foreign currency (million)	Rupee equivalent (lakhs)	Foreign currency (million)	Rupee equivalent (lakhs)	Foreign currency (million)	Rupee equivalent (lakhs)
Deutsche Marks	178	155·85	3181·03	133·84	2730·02	128·71	2624·83
U.S. Dollars	57	26·75	1963·27	26·75	1963·27	26·75	1963·27
French Francs	14	14·94	204·05	14·36	196·14	14·36	196·14
Pound Sterling	31	4·14	788·42	2·39	455·80	2·05	384·76
TOTAL :	280		6136·77		5345·23		5169·00

Underwritings

Upto June 30, 1976, the Corporation had sanctioned 432 applications for underwriting of equity shares, preference shares and debentures for a net amount of Rs. 41.73 crores. The position in respect of the issues underwritten and finalised upto June 30, 1976 is given in Table 10.

TABLE 10

Underwriting Operations

(Rs. Lakhs)

	Amount underwritten	Amount devolved	Percentage of (3) to (2)
(1)	(2)	(3)	(4)
Equity shares	1806·20	1108·95	61·4
Preference shares	909·84	730·55	80·3
Debentures	1013·00	855·71	84·5
	3729·04	2695·21	72·3

Direct Subscriptions

As on June 30, 1976, the Corporation had sanctioned 62 applications for direct subscription for Rs. 650.73 lakhs which included Rs. 336.86 lakhs for equity shares, Rs. 31.87 lakhs for preference shares and Rs. 282.00 lakhs for debentures. Of these, direct subscriptions for 21 Rights Issues in respect of shares held by the Corporation in pursuance of underwriting obligations amounted to Rs. 60.58 lakhs.

Guarantees for Deferred Payment for Plant and Machinery

The net amount of guarantees for deferred payments sanctioned upto June 30, 1976 amounted to Rs. 28.87 crores in respect of 45 applications. The total amount of guarantees actually issued upto June 30, 1976 was Rs. 28.76 crores. The amount outstanding under guarantees as on June 30, 1976 was Rs. 2.40 crores.

Guarantees for Foreign Currency Loans from Financial Institutions Abroad

The Corporation had sanctioned guarantees for foreign currency loans amounting to Rs. 23.83 crores in respect of 6 applications as on June 30, 1976. The total amount of guarantees actually issued was Rs. 23.33 crores in respect of 5 applications and the amount outstanding in respect of these guarantees stood at Rs. 3.10 crores as on June 30, 1976.

Sanctions by Type of Project

29. The classification of financial assistance sanctioned according to type of project upto une 30, 1976 along with the total cost of the assisted projects is shown in Table 11.

TABLE 11

Total Assistance Sanctioned Classified according to Type of Project

(Rs. Crores)

Type of project	Total cost of the projects	Net financial assistance sanctioned				Percentage of total
		Loans	Underwritings and Direct subscriptions	Guarantees for deferred payments and for foreign loans	Total	
New projects	2412·45	296·02	36·93	42·84	375·79	67·3
Expansion/diversification	876·03	138·72	9·00	9·00	156·72	28·0
Modernisation, renovation etc.	187·07	23·12	2·31	0·86	26·29	4·7
TOTAL :	3475·55	457·86	48·24	52·70	558·80	100·0

Assistance of the order of Rs. 375.79 crores being 67.3% of the total net assistance sanctioned by the Corporation was extended to new undertaking and assistance of Rs. 183.01 crores was extended to existing projects for expansion, diversification, modernisation and renovation etc. The total cost of the 794 projects for which the Corporation had extended financial assistance, as on June 30 1976 was of the order of Rs. 3475.55 crores, which is an index of the overall resources mobilised for the completion of the projects.

30. The net total financial assistance sanctioned and disbursed during the last twenty-eight years, classified according to the Five Year Plans is shown in the following Table :

TABLE 12

Assistance Sanctioned and Disbursed during the Five Year Plan

(Rs. Crores)

Year ending June 30	Net financial assistance sanctioned				Financial assistance disbursed			
	Loans	Underwritings	Guarantees	Total	Loans	Underwritings	Guarantees	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PERIOD PRIOR TO THE FIRST PLAN :								
1949—1951	8·13	—	—	8·13	5·79	—	—	5·79
THE FIRST PLAN :								
1952—1956	27·02	—	—	27·02	10·94	—	—	10·94
THE SECOND PLAN :								
1957	9·15	—	—	9·15	9·78	—	—	9·78
1958	5·93	0·75	1·82	8·50	8·33	—	—	8·33
1959	2·77	0·87	0·27	3·91	7·48	0·66	—	8·14
1960	12·62	0·10	6·06	18·78	8·41	0·17	2·09	10·67
1961	18·58	1·84	8·15	28·57	6·62	0·48	1 3·02	20·1
TOTAL	49·05	3·56	16·30	68·91	40·62	1·31	15·11	57·04

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
THE THIRD PLAN :								
1962	17·84	0·73	0·48	19·05	10·92	0·24	0·41	11·57
1963	19·82	4·63	10·62	35·07	15·05	3·99	3·18	22·22
1964	23·61	4·34	13·16	41·11	16·94	1·96	6·39	25·29
1965	19·39	3·55	3·92	26·86	19·79	3·36	14·65	37·80
1966	21·47	3·96	1·35	26·78	23·99	4·48	2·17	30·64
TOTAL	102·13	17·21	29·53	148·87	86·69	14·03	26·80	127·52
THE ANNUAL PLANS :								
1967	12·34	1·87	4·00	18·21	29·52	2·90	5·64	38·06
1968	14·62	1·48	0·85	16·95	23·35	1·06	2·61	27·02
1969	22·43	2·42	0·29	25·14	15·03	1·68	0·28	16·99
TOTAL	49·39	5·77	5·14	60·30	67·90	5·64	8·53	82·07
THE FOURTH PLAN :								
1970	11·10	1·19	0·13	12·42	16·86	0·85	0·34	18·05
1971	24·29	2·20	0·42	26·91	16·28	0·87	0·20	17·35
1972	32·49	4·57	—	37·06	20·99	1·00	0·11	22·10
1973	39·10	2·02	0·64	41·76	30·00	2·29	0·61	32·90
1974	34·75	2·61	0·04	37·40	28·75	1·46	0·05	30·26
TOTAL	141·73	12·59	1·23	155·55	112·88	6·47	1·31	120·66
THE FIFTH PLAN :								
1975	30·73	4·19	0·50	35·42	36·02	1·06	0·34	37·42
1976	49·68	4·92	—	54·60	41·57	2·40	—	43·97
Total	80·41	9·11	0·50	90·02	77·59	3·46	0·34	81·39
GRAND TOTAL :	457·86	48·24*	52·70	558·80	402·41	30·91	52·09	485·41

*Includes direct subscription of Rs. 6·51 crores.

Note : The figures given in the Table do not tally with those given in the Annual Reports for previous years on account of cancellations/adjustments subsequently made in the figures for the previous years.

Assistance to Less Developed Areas

31. In line with Government's policy of reducing regional imbalances an increasing proportion of the Corporation's assistance has been going to projects being located in the industrially less developed areas. In 1970-71, the Corporation's assistance extended to projects in the less developed areas was 24.5% of the total sanctions, while it was 48.0% in 1975-76.

As on June 30, 1976, of the total sanctions of Rs. 558.80 crores, Rs. 183.59 crores were sanctioned for 254 projects in the notified less developed districts which constituted 32.9% of the total sanctions.

32. Table 13 gives the industry-wise distribution of assistance sanctioned for projects in less developed areas.

33. In July, 1970, the Corporation offered a scheme of concessional finance for projects being located in the notified less developed areas. The salient features of the scheme are set out in Appendix H to the Report and the list of notified less developed districts/areas is given in Appendix I to the Report.

Under the scheme of concessional finance, the Corporation had approved till June 30, 1976, concessional finance totalling Rs. 63.89 crores for 117 projects with a total capital outlay of

TABLE 13

Industry-wise Distributions of Assistance Sanctioned for Projects in Notified Less Developed Districts/Areas—1948-76

(Rs. Crores)

Industry	No. of projects	Project cost	Assistance sanctioned
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Sugar	53	157·17	51·53
2. Textiles	52	96·06	26·50
3. Paper and paper products	14	87·00	15·40
4. Cement	12	142·02	13·25
5. Chemicals & chemical products			
Basic industrial chemicals	10	25·08	3·55
Fertilisers	7	218·07	6·32
Synthetic fibres	1	7·90	0·65
Other chemicals & chemical products	11	9·88	2·63
6. Non-ferrous metals	4	63·90	13·12
7. Iron & steel	21	115·26	10·89
8. Rubber products	7	137·80	8·37
9. Misc. non-metallic mineral products	7	25·37	5·39

10. Metal products	9	13·95	4·90
11. Electrical machinery and appliances	7	17·57	3·67
12. Transport equipment	8	47·37	3·62
13. Machinery	6	36·62	3·5 3
14. Jute	6	5·35	2·50
15. Mining	4	48·09	1·8 0
16. Wood products	3	2·60	1·77
17. Glass	3	4·48	1·55
18. Hotel	4	2·96	1·55
19. Misc. food products	2	2·52	0·48
20. Electricity	2	0·66	0·43
21. Leather products	1	1·65	0·19
TOTAL :	254	1269·33	183·59

Rs. 492.16 crores; Table 14 shows the type of assistance sanctioned.

TABLE 14

Assistance Sanctioned on Concessional Terms

(Rs. Lakhs)

Type of facility	Assistance sanctioned on concessional terms
Rupee loans	5612·46
Foreign currency loans	259·36
Underwritings/Direct subscriptions	517·60
TOTAL :	6389·42

Total Sanctions, Disbursements and Outstandings

34. The State-wise and Industry-wise distribution of the net financial assistance sanctioned upto June 30, 1976 is given in Appendices B and C respectively to this Report. Appendix E shows the State-wise distribution of the net financial assistance sanctioned in each industry as on June 30, 1976. In Appendix G, the net financial assistance has been classified according to the size of the amounts sanctioned.

The number and amount of net cumulative sanctions the amount disbursed and the amounts outstanding as on June 30, 1976 are shown in Table 15.

TABLE 15

Total Sanctions, Disbursements and Outstandings

(Rs. Crores)

	Sanctions (net)		Assistance disbursed	Amount outstanding
	Number of sanctions	Amount		
1. Loans :				
Rupee	1020	396·41	350·64	218·06
Foreign currency	250	61·45	51·77	26·51
Total :	1270	457·86	402·41	244·57
2. Underwritings :				
Equity shares	258	21·90	10·88	8·20
Preference shares	149	9·70	7·27	4·90
Debentures	25	10·13	8·55	3·47
Total :	432	41·73	26·70	16·57
3 Direct subscriptions :				
Equity shares	52	3·37	2·09	3·32
Preference shares	8	0·32	0·30	0·82
Debentures	2	2·82	1·82	0·17
Total :	62	6·51	4·21	4·31
Total 1 to 3 :	1764	506·10	433·32	265·45
4 Guarantees :				
for deferred payments	45	28·87	28·76	2·40
for foreign loans	6	23·83	23·33	3·10
Total :	51	52·70	52·09(a)	5·50
GRAND TOTAL	1815	558·80	485·41	270·95

(a) Guarantees actually issued.

BENEVOLENT RESERVE FUND

35. The Benevolent Reserve Fund was created by an amendment of the IFC Act in December 1972. Since the creation of the Fund, a sum of Rs. 111.00 lakhs has been transferred to the Fund out of the profits of the Corporation. A further sum of Rs. 32.00 lakhs is being transferred to the Fund out of the current year's profits of the Corporation.

36. Some of the promotional activities undertaken by the Corporation under the Fund are reviewed in the following paragraphs.

Project Promotion : The Benevolent Reserve Fund has been utilised inter-alia, for commissioning feasibility studies, project reports, market and techno-economic surveys and such other purposes which may promote the development of industries. Along with other all-India term lending institutions, the Corporation has participated in industrial potential surveys of the less developed States/Union Territories. Through the Inter-Institutional Groups which have been set up in the various States, follow-up action is being taken on these survey reports. The three all-India term lending institutions have also commissioned feasibility studies in respect of some of the projects identified in the industrial potential survey reports.

The financial institutions have also set up Technical Consultancy Organisations in Kerala, the North-Eastern Region, Bihar, Uttar Pradesh and are in the process of setting up TCOs in Andhra Pradesh and Orissa. These have been set up under the leadership of IDBI. The Corporation has initiated steps to set up such Organisations in Himachal Pradesh and Rajasthan, where it is the lead institution for promotional activities.

The Corporation has undertaken a study of the Oilseeds Processing Industry. This Study, which is being conducted at the instance of the World Bank, seeks to identify the development potential of the industry. The Corporation is conducting the study with the help of outside agencies. The Indian Institute of Management, Ahmedabad (IIMA) has undertaken a comprehensive study with a view to projecting the likely supply of the various oilseeds during the next 10 years. The Regional Research Laboratory, Hyderabad (RRLH) is providing the technical specifications of model plants and the processes to be used for the manufacture of various products and by-products of the oilseeds processing industry. A consultancy assignment relating to demand projections for vegetable oils and by-products which have varied uses in the different sectors of the economy as also export potential, is also in progress. The study would enable identification of bankable projects in the oilseeds processing industry which could be taken up for implementation over the short term.

Training for Development : The IFC Act also provides for the use of the Benevolent Reserve Fund for training of personnel of financial institutions in the field of development banking and in financial and industrial management.

In accordance with this provision, the Corporation instituted the Technical Assistance Scheme in 1974. Under this Scheme, Middle-level excutives of the State-level financial and development agencies visit the Head Office of the Corporation and its Regional Office New Delhi for a period of one month. The Scheme gives the participants an opportunity to acquiant themselves with the policies, procedures and practices of the Corporation. This Scheme has also been extended to the senior executives of these Organisations with certain modifications. Since its inception, 47 middle-level officers from 30 State-level institutions and 22 senior executives from 19 institutions have participated in the Scheme. The expenditure incurred on the Scheme is met out of the Benevolent Reserve Fund.

As a measure of financial support to the Management Development Institute, sponsored by the Corporation, funds are being allocated from the Benevolent Reserve Fund to the Institute which includes grants for their proposed campus.

The Management Development Institute conducts every year a General Course on Development Banking which is designed specifically for executives of the Central and State-level financial, promotional and developmental institutions, banks etc. The Corporation, as a part of its promotional activities subsidises through the Benevolent Reserve Fund the course fees being charged to the participants from the State-level institutions.

The Corporation has also sponsored programmes on 'Identification, Promotion and Implementation of Industrial Projects' (IPIIP) for the benefit of officers in the State Governments, State-level developmental agencies as also entrepreneurs. [illegible] programmes which are conducted on behalf of the [illegible] are subsidised by the Corporation from the Benevolent Reserve Fund.

Encouragement to New Entrepreneurs : In order to enable the Risk Capital Foundation, sponsored by the Corporation, to commence its operations, it has been decided to allocate funds, inter-alia, to the Foundation out of the loan portion of the KfW Interest Differential Funds received by the Corporation from Government. Loans from such funds will be made available to the Foundation and the interest payable by the Foundation on the loans would be subsidised by the Corporation. This subsidy would be met out of the Benevolent Reserve Fund.

Creation of Chairs : Section 32B of the IFC Act, inter-alia, provides for the creation of chairs in the field of development banking and in financial and industrial management. Accordingly, the Corporation has instituted two Chairs, one at the Indian Institute of Management, Ahmedabad (IIMA) and another at the Faculty of Management Studies, University of Delhi. As reported last year, the IIMA has appointed the "IFCI Professor of Management," who delivered in February 1976 a public lecture at Ahmedabad on "Structural and Control Problems in Credit Administration—Beyond the RBI Study Group Report." Th Lecture will be an annual feature.

The University of Delhi has appointed the IFCI visiting Professor in the Faculty of Management Studies.

RISK CAPITAL FOUNDATION

37. In January 1975, the Risk Capital Foundation was sponsored by the Corporation with a view to providing supplementary finance on soft terms to new entrepreneurs and technologists. The assistance from the Foundation would enable them to contribute their share of the promoters' equity in respect of projects being promoted by them. The loans from the foundation are interest free and carry only a nominal service charge of 1% per annum on the amount outstanding. The loans are to be repaid by the promoters out of their own income including income from dividends.

38. The Foundation began its operations in June, 1976, when it sanctioned two soft loans aggregating Rs. 10.65 lakhs in respect of two applications. The first loan sanctioned by the Foundation was an aggregate amount of Rs. 5.55 lakhs to three technologists and new entreprenurs who are promoters of Triton Valves Ltd. Each of the three promoters were sanctioned assistance of Rs. 1.85 lakhs. With this supplementary soft loan assistance from the Foundation, the promoters would now be able to provide Rs. 11.20 lakhs as their share of the promoters' contribution required for implementing their project with a capital cost of Rs. 1.10 crores jointly with Karnataka State Industrial Investment and Development Corporation Ltd. The project, which involves foreign collaboration envisages the manufacture of automobile tyre and tube valves with an installed capacity of 4 million valve stems and 6 million cores per annum. This would be the second project of its kind in the country.

The Foundation also sanctioned a loan of Rs. 5.10 lakhs to three promoters of Aryavarta Plywoods Ltd., each of whom will receive assistance of Rs. 1.70 lakhs. With the supplementary soft loan assistance from the Foundation, the promoters would be able to meet a part of the promoters' equity contribution amounting to Rs. 15.30 lakhs required for establishing their project with a capital cost of Rs. 1.02 crores. The project which is being located in the Union Territory of Delhi, envisages the manufacture of plywood, flush doors and block doors with an installed capacity of 9.67 lakh square metres per annum on 4 mm thickness basis.

39. The Corporation has decided to allocate a sum of Rs. 97.79 lakhs to the Foundation to enable it to commence its operations. This amount would be made available out of the KfW Interest Differential Funds received by the Corporation from the Government in the form of loans and grants.

The interest payable on the loan portion of the Interest Differential Funds which is being transferred to the Foundation would be met by the Corporation out of the Benevolent Reserve Fund.

40. Shri C. D. Khanna, former Chairman of the Corporation, was appointed by the Corporation as the first Chairman of the Foundation.

TECHNICAL CONSULTANCY SERVICES FOR NEW ENTREPRENEURS

41. The experience of the all-India financial institutions has been that when projects come to them for financial assistance, not enough planning goes into project preparation. This is particularly so in the case of new entrepreneurs and technologists who, being new entrants into industry, require considerable guidance during the various phases of the project cycle. Although the financial institutions do give help and guidance in suitably modifying the project so as to make it bankable, it is desirable to ensure that necessary facilities are made available to entrepreneurs for obtaining guidance even during the early stages of project formulation. Barring metropolitan centres, there are no institutional arrangements available in the less developed States which could provide the necessary technical consultancy services to the promoters of small and medium industries. It was with this background that the all-India financial institutions, including the Corporation under the leadership of IDBI, sponsored the first Technical Consultancy Organisation (TCO) in Kerala. Since then, TCOs have been established at Gauhati in the North-Eastern Region, in Bihar and in Uttar Pradesh. Steps are underway to establish similar organisations in Andhra Pradesh and Orissa. IDBI has taken the lead in the establishment of these organisations.

42. The Corporation is the lead institution for promotional activities in the States in the Northern Region viz., Rajasthan, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Haryana, Punjab and the Union Territories of Delhi and Chandigarh. IDBI has approved proposals for the establishment of TCOs in Rajasthan and Himachal Pradesh under the leadership of the Corporation which has taken steps to establish these TCOs.

43. The Government of Rajasthan constituted a Committee, including a representative from the Corporation, to evolve a pattern for the proposed Technical Consultancy Organisation to be set up in Rajasthan. The Committee has since submitted its Report to the State Government and it is hoped that the proposed Organisation in Rajasthan will come into being before long.

44. As regards the setting-up of a TCO in Himachal Pradesh, the Corporation has already formulated a Scheme according to which IDBI, ICICI, State-level financial and developmental institutions in Himachal Pradesh and some of the banks will participate in the proposed TCO, apart from the Corporation. The TCO is proposed to be called the Himachal Consultancy Organisation Ltd., (HIMCON). HIMCON would be registered as a public limited company with is registered office at Simla.

HIMCON will have an authorised capital of Rs. 20 lakhs. The initial paid-up capital shall be Rs. 5 lakhs. The Corporation will hold 51% of the paid-up capital of the Company and 19% of the paid-up capital expected to be contributed by IDBI and ICICI. The State-level institutions are expected to contribute 15% and the banks, the remaining 15% of the share capital.

MANAGEMENT DEVELOPMENT INSTITUTE

45. The Management Development Institute (MDI), within less than three years of its commencing operations, has made a mark in the field of management education in the country. The Institute has been a pioneer in organising programmes in development banking as also management of various aspects of specific industries.

46. MDI began its operations in March 1974, and during the first nine months (March-December 1974) organised 15 programmes in which the participants numbered 424.

During 1975, MDI conducted 25 programmes in which 813 participants representing various sectors of the economy took part. The participants included executives from the public sector, private sector, joint sector, cooperative sector, financial institutions and banks. There were participants from Government departments and undertakings as also from some foreign institutions. The 25 programmes which were held during 1975 included 8 programmes in the field of development banking and 5 specific industry programmes, apart from 12 programmes in the various fields of management.

During the first half of 1976, MDI organised 13 programmes including one in-company programme for the officers of the Corporation. In all, MDI proposes to conduct 35 programmes during the year 1976. A list of programmes for the year 1976 is given in Appendix I to the Report.

47. Some of the programmes organised by MDI are reviewed in the following paragraphs.

Development Banking : In January 1975, MDI conducted a seminar on the "Role of Nominee Directors of Financial Institutions : Obligations and Functions. Such a programme was found appropriate, in view of the fact that in terms of the guidelines issued by the Government, it is obligatory on financial institutions to place their nominees on the boards of assisted concerns, wherever convertibility clause has been incorporated in the loan agreements. The all-India financial institutions have all been nominating Directors, both officials and non-officials, in terms of loan covenants and Government guidelines. As a result new responsibilities and liabilities have devolved on the nominee Directors under the various statutes as also in response to public policy. Consequently, the seminar focussed attention on the rights and obligations of such Directors and also helped exchange of experience.

A workshop on 'Rehabilitation of Sick Projects' was also organised. This workshop covered the various aspects of rehabilitation of sick projects like diagnosis of sickness, operational aspect in rehabilitation like change of management, financial reconstruction of concerns, legal aspects and their inter-play from the operational angle and monitoring of implementation of rehabilitation programmes.

A workshop on "discounted Cash Flow Techniques and Cost-Benefit Analysis" highlighted the role of DCF techniques and cost-benefit analysis in the economic appraisal of projects.

An important seminar organised by MDI in 1976, was on "Backward Area Development ; Strategies and Policies'. The focus was on the role of financial and promotional institutions. At this seminar, which was attended by the Chief Executives of the various financial and developmental institutions, various important aspects of backward area development were discussed. The discussions at the seminar highlighted the importance of growth centres as a means of developing local economic potential. The need for promoting industries which generate significant linkage effects in course of time was also emphasised. The seminar called for the enlargement of the concept of industrial infrastructure to include provision of facilities like housing, hospitals, schools, communications, etc. The need to identify, plan and implement programmes for the development of ancillary and auxiliary industries was also stressed. The seminar was of the view that incentives and subsidies must be capable of promoting industries and economic activities having broader development goals like generation of productive and gainful employment opportunities in the area, utilisation of local raw materials, encouragement to local entrepreneurs, etc.

Specific Industry Programmes : MDI entered for the first time into an executive development programme for the mining industry apart from sugar and textiles. The programme on the "Management of the Mining Industry" was developed in consultation with, and the support of the Indian School of Mines, Dhanbad. Another programme organised by MDI was on "Managing the Light Engineering Industry During Recession and Recovery". Some other specific industry programmes organised were, "Costing and Cost Control in Cotton Spinning Mills" and "Management of the Sugar Industry and Sugarcane Development".

48. The faculty for the various programmes included MDI's own faculty which was augmented substantially in 1975 as also guest faculty drawn from both official and non-official agencies. Among the guest faculty were one from the Manchester Business School who participated in the programme on

"Manpower Productivity and Incentives" and two membe from he New York University who participated in he Advanced Management Programme on "Challenges and Management of Change."

49. With the strengthening of its faculty, MDI is gradually taking up consultancy assignments. During the year 1975, an assignment in the area of organisation development for a public sector Corporation and another in the matter of selecting personnel for a State Financial Corporation were completed.

50. It may be recalled that the Government of Haryana had made available to MDI land at Gurgaon, near Palam Airport, New Delhi for building the campus. MDI has taken possession of the land measuring 36.38 acres at a cost of Rs. 11.45 lakhs and steps are underway for taking up the construction work.

"IPIIP" PROGRAMMES

51. With increasing accent being placed on the industrial development of the less developed areas as also encouragement to new entrepreneurs and technologists, greater responsibility is now placed on the officials of the State Governments and the State-level developmental agencies. The responsibility is two-fold. First, the Government has to take upon itself the role of an entrepreneur especially where private entrepreneurship is shy in investing in projects being located in industrially less developed areas. Second, new entrepreneurs and technologists look up to the State-level financial and developmental agencies for guidance in project planning and implementation. Consequently, the Corporation felt that these officials would be in a better position to discharge their increased responsibility if the necessary orientation is given to them in regard to various aspects of project identification, formulation, evaluation and implementation of industrial projects.

52. Accordingly, the Corporation has sponsored programmes on 'Identification, Promotion and implementation of Industrial Projects' (IPIIP) for the benefit of officials of the State Governments and State-level developmental agencies as also new entrepreneurs. These programmes are being conducted on behalf of the Corporation by the Management Development Institute. The first programme was organised at Puri in Orissa in February, 1975. In October 1975, the second programme was held at Shillong for the North-Eastern States/Union Territories. During the first half of 1976, two IPIIP Programmes have been held, one in Uttar Pradesh and the other in West Bengal. These programmes have met with a good response and are appreciated by those for whom they are designed. As mentioned earlier, the cost of conducting these programmes is being subsidised by the Corporation.

GENERAL REVIEW OF INDUSTRIES

53. The rate of growth of industrial production in 1975-76 was about 5.7% as compared to an increase of 2.5% in 1974-75. The increase in industrial production in 1975-76 has been possible because of significant improvements in the output of some of the major industries such as iron and steel, nitrogenous fertilisers, coal, aluminium and cement. The generation of electricity also showed an upward trend. Above all, the remarkable increase in production of public sector undertakings was a redeeming feature. Improved industrial relations also contributed to the increase in industrial production. However, certain industries showed a decline in production like cotton textiles, automobile industry and certain consumer durables.

During the year, Government took a number of steps to improve utilisation of existing capacity as also to streamline industrial licensing policies and procedures. In order to encourage medium entrepreneurs, Government have decided to exempt 21 selected industries from normal licensing requirements. In respect of 29 other industries, medium entrepreneurs will be allowed to utilise their installed capacities without limit even though these may be in excess of their licensed capacities. The facilities will be available to industrial undertakings coming under the purview of the MRTP Act and Foreign Exchange Regulations Act provided that the excess production is exported or sold in accordance with the directions of Government.

Further, 15 selected engineering industries have also been allowed to grow at the rate of 5 per cent per annum or up to a limit of 25 per cent in a Plan period over their present authorised capacity subject to certain conditions. This increase will be over and above the normal permissible limit of 25 per cent in production over the licensed capacity.

In order to promote fuller utilisation of capacity in the machinery industries, Government in March 1974 decided to give full freedom for diversification of their production, within the group of machinery industries and within the overall licensed capacity of the undertaking on the basis of a special approval procedure. This facility has since been extended to the machine tool industry, electrical equipment industry, steel castings and forging industries. Government have also decided to allow the electric furnace industry having the facility of manufacturing steel ingots or billets full freedom for diversification of production for the manufacture of steel casting within their overall licensed capacity. Government have also allowed, subject to certain conditions, undertakings engaged in the manufacture of passenger cars to diversify their production within the overall licensed capacity into the group of industries falling under automobile, industrial machinery and machine tools.

In May 1975, Government permitted the manufacturers of cement to fabricate equipment of cement machinery required for captive use provided the unit has the necessary facilities to take up the manufacture of such equipments.

In order to improve the profitability of some of the priority industries, Government have taken some measures in the field of pricing policy. Prices have been decontrolled in some cases while a system of dual prices has been adopted in respect of some others. This is expected to give a reasonable return to the investors and at the same time, protect the consumers against excessive price increases.

The main accent in the Central Budget for 1976-77 was on accelerated growth. The various proposals in the Budget relating to the corporate sector were oriented towards increasing production and stimulating investment. Adjustments in excise duties were made in respect of a number of items which were facing inadequate demand. Further, a scheme of Investment Allowance for certain priority industries was also introduced. This scheme replaces the scheme of Initial Depreciation Allowance. The Investment Allowance will be allowed at the rate of 25 per cent of the cost of acquisition of new machinery and plant installed after March 31, 1976. The Budget also exempts companies from paying a surcharge of 5 per cent on income tax provided they deposit an equivalent amount with the Industrial Development Bank of India for a period of five years.

The performance of some of the important industries in which the Corporation has rendered assistance is reviewed in the following paragraphs along with the performance of the Corporation's assisted concerns in these industries based on a survey conducted in this regard.

Fertilisers

The installed capacity of nitrogenous and phosphatic (P_2O_5) fertilisers in 1975 was 25.09 lakh tonnes and 6.92 lakh tonnes respectively. The production of nitrogenous fertilisers during 1975 was 14.20 lakh tonnes which showed an increase of about 2.27 lakh tonnes over the previous year. This increase has been possible due to the better performance of the public sector fertiliser units. However, in the case of phosphatic fertilisers, there has been a marginal decrease in production.

In July 1975, Government reduced the prices of nitrogenous fertilisers viz., urea and calcium ammonium nitrate. The prices of complex fertilisers were substantially reduced by their manufactures. The import duty on phosphoric acid and the excise duty on single superphosphate were reduced. These measures were part of the strategy to increase agricultural production through increased use of fertilisers.

One of the concerns assisted by the Corporation, manufacturing urea went into commercial production in 1975. The performance of another concern manufacturing urea and NPK fertilisers was satisfactory, though it had difficulties in selling NPK fertilisers due to high prices. Two other assisted concerns manufacturing urea fared well. The production of another assisted concern manufacturing superphosphate was affected due to certain operational problems and power cut. The concern was also faced with inadequate working capital

Cement

In the cement industry, 54 units are in production and their installed capacity is 211.6 lakh tonnes. In 1975, production of cement increased by 14.3 per cent from 142.6 lakh tonnes to 163.0 lakh tonnes. The utilisation of capacity in 1975 was 77%. The industry is being encouraged to base its production on dry process of manufacture of cement as this would lead to a significant improvement in the economy of production.

During the year, Government announced its decision regarding the pricing policy applicable to units in the cement industry which would go into production after 1976-77. These units would be allowed a return of 14 per cent on the capital employed, subject to the condition that their capital cost would not exceed Rs. 650 per tonne of capacity. For new units/expansions going into production in 1975-76 and 1976-77, an extra Rs. 10 per tonne has been allowed in the retention price. In October 1975, an increase in retention price of Rs. 18.60 per tonne was allowed to compensate for higher costs of coal, power, etc. However, this increase was not to be passed on to the consumer as the retail price was pegged to the existing level.

One of the Corporation's assisted concerns worked to full capacity. Four of the assisted concerns situated in the South could not utilise their capacity fully due to power shortage. Another assisted concern located in Bihar did not fare well due to power cuts as also inadequate availability of limestone. Another concern located in Meghalaya is gradually showing improvements in its operations and was during the year sanctioned further assistance by the Corporation for its expansion scheme. The average utilisation of capacity of these concerns was 81%. Some of the assisted concerns are switching over from the wet process to dry process of manufacture of cement.

Paper

At the end of 1975, there were 74 paper mills in operation with an installed capacity of 10.40 lakh tonnes. The production of paper and paper boards in 1975 showed a marginal decline of 8,000 tonnes over 1974. In view of the improvement in supply position of paper and taking into account the easy availability of paper, Government temporarily relaxed the restriction imposed by the Order issued in 1974. The industry has met the demands of the educational sector as well as Government regarding their requirements of white printing paper at concessional rates However, in order to attract more investment to this vital sector of industry and to promote its growth, Government decided to exempt new paper units from supplying white printing paper at the concessional rate of Rs. 2 750 per tonne for a period of five years from the date of commencement of commercial production or upto December 31, 1983. This Order is also applicable to expansion schemes which are commissioned after January 24, 1976.

Government have exempted the paper industry from the provisions of Industries (Development and Regulation) Act, subject to certain conditions, if it is based on agricultural residues for raw materials as also use of indigenous machinery. However, integrated mills based on forest based raw materials will continue to be covered by IDR Act 1951 and their proposals would be considered by Government on merits.

One of our assisted concerns utilised its capacity fully. Market constraints coupled with power shortage and strained industrial relations in a few cases, were the reasons for lower utilisation of capacity in regard to other assisted concerns.

Soda Ash

At the end of 1975, there were four units producing soda ash and their installed capacity was 6 33 lakh tonnes as against 6.18 lakh tonnes in 1974. Production of soda ash in 1975 was 5.42 lakh tonnes showing an increase of 0.24 lakh tonnes over the previous year.

To achieve the Fifth Plan target of 11.00 lakh tonnes, Government have approved an additional capacity of 4.5 lakh tonnes.

One of our assisted concerns produced more than its installed capacity. This concern is at present implementing a scheme of modification, rehabilitation and expansion for increasing its capacity to 65,000 tonnes per annum from its existing capacity of 55,000 tonnes per annum. The utilisation of capacity of the other unit was slightly less.

Automobile Tyres and Tubes

In the automobile tyres and tubes industry, there are 13 units with an installed capacity of 66.25 lakh nos. each of tyres and tubes per annum. The production of tyres and tubes during 1975 was 60.00 lakh nos. and 47.60 lakh nos. respectively. The industry faced marketing problems. The capacity likely to be created by 1980-81 is estimated to be about 120 lakh nos. which is expected to take care of the anticipated demand. Government in consultation with the industry have introduced a scheme of distribution of heavy duty tyres and tubes. This has been done with a view to rationalising the distribution arrangements as also to ensure supplies to the priority sectors and the requirements of each State. In the Central Budget 1976-77 automobile tyres and tubes were given exemption from duty when these are supplied as original equipment with cars.

Our assisted concerns faced difficulties in marketing as was the position in the industry as a whole. Consequently, capacity was not fully utilised. One of our assisted concerns, in addition, faced strained industrial relations and another concern's capacity utilisation was low due to various other factors such as, operational problems, power shortage, etc.

Mini-Steel Plants

There are 202 licensed/registered electric furnace units for production of mild steel ingots/billets. The total capacity of these units is 43.2 lakh tonnes per annum. In addition, there are many more units which have taken effective steps for the installation of arc furnaces etc., but could not be considered for purposes of granting licenses, as effective steps were not taken prior to October 1973. In case their capacities are also taken into account, then the electric furnace capacity for steel ingots would be much more. At present, about 100 units are in production. Their average utilisation of capacity was rather poor, being as low as 30%. Earlier, these units suffered due to inadequate supply of power and ferrous scrap. Of late, these units have been facing market limitations. This is because the cost of production of mini-steel plants is higher than in the integrated steel plants. Consequently, Government have been thinking of putting these units on a sound footing in the long term as also to give immediate relief, so that they could withstand the present adverse market situation. Government have, therefore, commissioned a study by professional consultants to undertake an in-depth study of the units with a view to recommend suitable measures including diversification of these units in order to improve the viability of the mini-steel plants.

However, pending the recommendations of the consultants, Government have recognised the immediate need for giving relief to these units and have, in December 1975, reduced the excise duty from Rs. 200 per tonne of ingots produced by the mini-steel plants to Rs. 50 per tonne.

The position of the Corporation's assisted mini-steel plants had been generally in line with the industry's performance as a whole. They too faced market limitations due to unremunerative prices of their products.

Castings

In steel castings, there are 51 units in production in the organised sector with an installed capacity of 1.60 lakh tonnes. There was a fall in production by about 8% during 1975 over the previous year. This fall has been mainly due to lack of demand of general steel castings. Though special castings still had good demand their production in most cases could not be undertaken for lack of adequate technological base. Government have permitted production of steel ingots within the overall licensed capacity for steel castings in order to help utilise their surplus melting capacity.

In the field of cast iron castings, it is estimated that production would increase by about 5.5% in 1975 over 1974 since units of these industries have now diversified their production to meet the demands of various other engineering industries apart from meeting the requirements of cast iron sleepers for Railways and other types of sanitary castings. The production of malleable iron castings in 1975 was lower than that achieved in 1974 which is ascribed to power cuts and strained industrial relations in a few units for a part of the year.

As regards our assisted concerns in steel castings, the utilisation of capacity of two concerns was low due- *inter-alia*, to power shortage.

One of the assisted concerns manufacturing both cast iron castings and malleable castings could not utilise its capacity full due to power shortage and also on account of management deficiencies.

Power Tillers

There are at present four units manufacturing power tillers with an installed capacity of 16,000 nos. per annum. The production of power tillers during 1975, is estimated to be 3,000 nos. against 2009 nos. last year. The production has been far below installed capacity due to inadequate demand. The capacity and production target estimated by the Planning Commission at the end of Fifth Plan period for power tillers is 36,000 nos. and 20,000 nos. respectively. There has been an encouraging trend in the demand, of late.

Capacity utilisation in one of our assisted concerns was quite low due to shortage of raw materials and components, operational problems, market limitations and power shortage. Another concern had to face market limitations as well as power shortage.

Agricultural Tractors

There are at present 15 units licensed for the manufacture of agricultural tractors with a total capacity of 1,29,000 nos. Of these 15 units, 11 are in production and their installed capacity is 50,000 nos. per annum. There was a 10 per cent increase in production in 1975 (32,000 nos.) as compared to 1974 (29,052 nos.)

The Tractor (D&S) Control Order which was promulgated in 1971 for equitable distribution of tractors was relaxed in January 1976 and it now covers only three models of tractors.

Government had introduced the system of para-metric surveillance over the fixation of prices of tractors in October 1974. Due to increase in prices of various inputs, the prices of tractors also increased which resulted in decline in demand. In view of this, Government decided to discontinue price surveillance from January 15, 1976 on tractors with the exception of three models.

One of our assisted concerns having complete indigenous design and know-how could not utilised its capacity fully due to inadequate availability of forgings/castings and hydraulic pumps. Another concern whose capacity utilisation during 1975 was 78%, was engaged in indigenisation of the product and phased development in capacity utilisation.

Cotton Textiles

There are 698 cotton textile mills in the country consisting of 409 spinning mills and 289 composite mills. The installed capacity of the 698 mills was 195.44 lakh spindles and 2.08 lakh looms at the end of 1975. The production of cotton yarn declined from 10070 lakh kgs. in 1974 to 9893 lakh kgs. in 1975. Similarly, the production of cloth also went down from 43164 lakh metres in 1974 to 40323 lakh metres in 1975. The fall in production in 1975 has been mainly due to sluggish market for textiles as also power cuts. There was a decline in export demand and unsatisfactory arrangements for the distribution of controlled cloth added to the difficulties of the industry. In November 1975, Government effected certain modifications in the distribution arrangements for controlled cloth which eased the stock position in the mills.

The performance of our assisted concerns has not been satisfactory primarily due to the absence of parity between the cotton and yarn prices. Power cuts added to the difficulties. To sum up, low utilisation of spindles, poor offtake of yarn, high incidence of working expenses, high prices of raw cotton resulted in the unsatisfactory performance of our assisted concerns particularly in the spinning sector.

Sugar

As against a production of 47.97 lakh tonnes of sugar during the 1974-75 season, the production in 1975-76 season declined and is estimated to be about 42.5 lakh tonnes.

Government decided to maintain the minimum sugarcane price payable by factories for 1975-76 at the previous year's level of Rs. 8.50 per quintal for a basic recovery of 8.5 per cent or below subject to a provision of 10 paise for every 0.1 per cent increase. The proportion between levy and free sale sugar was kept at 65:35 except in the case of new units and expansion cases for which new incentive schemes were announced pursuant to the recommendations of the Sampath Committee appointed by Government to examine and suggest reliefs for making high cost new sugar units viable.

As on August 31, 1976, the total number of cooperative sugar factories licensed/registered was 178. Of this 103 cooperative sugar factories were in production during the 1975-76 season. The share of the cooperative sector in total sugar production in 1975-76 was 20.08 lakh tonnes constituting about 47 per cent of total production.

The performance of the assisted concerns in the Maharashtra region has been satisfactory. The utilisation of capacity especially in the cooperative sector has been good. However, the units in Tamil Nadu and Gujarat did not fare well because of drought conditions.

Jute

The year 1975 was a particularly bad year for the jute industry. Export demand fell and competition from synthetics became more acute. There was increased competition from Bangla Desh. The total production in the jute industry in 1975 increased to 11.35 lakh tonnes from 10.83 lakh tonnes during 1974. The industry operated almost at full capacity.

In order to encourage export sales, the Government of India abolished export duty on all jute goods in a phased manner and sanctioned a further export subsidy in cash on carpet backing.

The working results of the jute mill companies assisted by the Corporation showed acute shortage of working capital mainly due to stock piling of finished goods on the one hand and continued cash losses on the other.

The jute crop for the ensuing season, *i.e.* 1976-77 is expected to be good as a result of increase in the acreage as also favourable climatic conditions. The industry may, therefore, be expected to be assured of its raw material requirement at reasonable prices during the next year.

END-USE SUPERVISION AND FOLLOW-UP

54. Like any other development bank, the Corporation has devised procedures for a proper end-use supervision and follow-up once the loan is sanctioned. This is necessary in order to find out if there is any deviation from the terms and conditions stipulated in the loan agreement and whether the project is progressing according to schedule or not.

Until a few years ago, the end-use supervision and follow-up was primarily the responsibility of the branch offices located in the four metropolitan cities of the country. With the increase in the number of projects assisted as well as the fact that the assisted projects are located all over the country and in some cases in the interior villages, it became increasingly difficult to carry out end-use supervision and follow-up with the required frequency. The Corporation during the last five years has, therefore, opened thirteen more offices in different States. These offices of the Corporation have been equipped with the necessary technical and financial staff who now undertake more frequent site inspections of the assisted concerns. The various offices of the Corporation are, therefore, in a position to undertake regular follow-up of the assisted concerns with necessary guidance from the Head Office.

The objectives of end-use supervision and follow-up can be enumerated as follows :

(i) To watch and ensure that assistance is being utilised for the purposes for which it was sanctioned;

(ii) During the construction stage, to assess whether the progress of construction is proceeding according to schedule;

(iii) To assess whether the project will be completed within the original estimates of capital cost; if not, to what extent there is likely to be an over-run;

(iv) Production performance and assessment of working results;

(v) Efficiency of management;

(vi) Regularity in submission of progress reports and returns; and

(vii) Special problems pertaining to any particular industry.

Procedures

55. The follow-up procedures devised by the Corporation comprise the following :—

(i) Obtaining periodical progress reports on the forms prescribed;

(ii) Carrying out site inspections of the factory and books of account of the assisted concerns at frequent intervals;

(iii) Examining half-yearly/yearly statements of working results and financial position of the assisted concerns; and

(iv) Appointing, in suitable cases, official/non-official nominees on the assisted concerns' boards to watch the interests of the Corporation and to report developments, if any, from time to time in regard to the operations and management of the company.

Consortium Approach—Lead Institution

Concept during Follow-up Stage

56. With a view to improving the existing monitoring mechanism for tackling problems during follow-up stages, particularly those relating to industrial sickness, the concept of 'lead institution' has been extended to the sphere of follow-up by the all-India financial institutions. Lead institutions have been designated in respect of the existing sick cases, the same is proposed to be done for normal follow-up cases too. The institution designated as the 'lead institution' on a case to case basis would be responsible for maintaining a close watch over the affairs of the concern and to co-ordinate matters with the other institutions. It is expected that the arrangements would lead to better monitoring of the progress of the assisted concerns and also help detect incipient sickness at early stages.

Progress Reports

57. Common formats for the institutions at the all-India level have been evolved requiring submission of progress reports, both during the construction and operation periods, keeping in view the special features of each industry. These forms have been drawn up on the basis of the experience which shows that the main problems faced by an assisted concern during the construction stage relate to the arrangement of finance, delays in implementation, over-runs in costs beyond initial estimates and deficiencies in management. Apart from enabling the Corporation and other institutions to advise the concern to take remedial steps, the progress reports help the institutions to disburse funds for the project in keeping with the progress achieved and the financial plan.

It is the responsibility of the various offices of the Corporation to obtain regularly the progress reports and take up necessary follow-up action. The reports are examined and any adverse features/irregularities detected are brought to the notice of the assisted concerns directly by the office concerned under intimation to the Head Office of the Corporation.

Inspections

58. From the date the agreement is executed and so long as any part of the loan remains outstanding, the Corporation carries out site inspections both during the construction and operation periods of the project and inspects books of account of the assisted concerns. Such inspections are carried out generally by teams of financial and technical officers of the Corporation. A reasonable notice of about 10/15 days is ordinarily given to an assisted concern of the proposed inspection and for its preparing and furnishing the particulars and data for inspection. To facilitate proper inspection the assisted concerns are required to maintain records showing the expenditure incurred on the project, utilisation of the disbursements out of IFCI loan, progress of the project and the operations and financial working of the company. In carrying out technical and financial inspections, the officers of the Corpoartion visit the borrower's factory, examine relevant records and accounts and also schedules, cost estimates, plans and specifications of the plant, etc. In these inspections, emphasis is more on discussing the matters and affairs personally with the concerned officials of the company and seeking necessary clarifications from them.

Further, the inspection team satisfies itself that the principal sum of loan received from the Corporation is kept in a separate bank account, and strictly utilised for the purpose for which it has been sanctioned. All releases of the loan amount are preceded or followed by a physical verification of the utilisation of the loan amount already disbursed and the progress made by the assisted concern towards the implementation of the project.

The first inspection after the project has gone into commercial production is carried out in the form and manner of a re-appraisal, so that the variances between the estimates of cost and projections of profitability could be identified properly and the project could be re-assessed in proper perspective.

Where other public financial institutions are also involved, reports in regard to periodical inspections, unless carried out jointly, are mutually exchanged. Reports are forwarded in the case of sub-loans in foreign currencies to the respective foreign financial institutions, wherever necessary.

Apart from obtaining periodical progress reports and carrying out of inspections, the assisted concerns are also required to send the annual audited balance sheet and circulars and minutes of shareholders' meetings to the Corporation. The financial statements are carefully studied and analysed to assess their progress, profitability and other financial aspects compared with the performance of at least the preceding 3 years. In such an examination apart from drawing conclusions in regard to the overall performance of the company, the unusual features or breach of covenants with IFCI, if any, are also examined.

Advisory Services

59. The Advisory Services Department established at Head Office of the Corporation in 1973 has been rendering advice and guidance to new entrepreneurs and others in the technical and financial fields both in the pre-implementation and post-implementation stages of their projects. Besides, the Department gives close attention to the complex area of the Corporation's activities relating to the rehabilitation of projects, which run into difficulties or develop symptoms of sickness for one reason or the other. An in-depth analysis of the malaise in each case is made by financial and technical experts and corrective steps are taken or solutions devised and adopted in concert with other financial institutions/banks involved in the project.

Nominee Directors

60. An important feature in the building-up of relationship between IFCI and the management of assisted concerns is the appointment of its nominees on their boards of directors. In pursuance of Section 25(2) of the IFC Act, the Corporation, as a matter of policy, reserves for itself the right to appoint two directors on the board of an industrial concern assisted by it. In the case of joint financing, the practice has also emerged of having one or more common nominees of the participating institutions, where agreed upon.

IFCI is exercising the right to nominate its representatives on the boards of all assisted concerns where substantial financial assistance has been sanctioned and/or where the conditions for conversion of loans into equity have been stipulated in the agreements for financial assistance. IFCI also uses its discretion in nominating directors on the boards of assisted concerns generally under the following circumstances :

(i) where the Corporation's commitments are comparatively large;

(ii) where defaults have been made in the payment of principal and/or interest on the Corporation's loan; and

(iii) where there are otherwise special circumstances calling for vigilance or a closer watch on the operations of the assisted concern.

The persons nominated as directors are either IFCI's own officers or non-officials; the latter generally being experts.

The persons nominated as directors by IFCI hold office during its pleasure and are not liable to hold any qualification shares or to retirement by rotation. The nominee directors are expected to take active part in all deliberations of the Board meetings of the assisted concerns. Without interfering in the day-to-day management, the nominee directors are expected to participate in the discussions on all matters coming up at the Board meetings, specially those which have a bearing on the assistance given by IFCI and affect its interests or are otherwise important as matters of public policy.

To enable the nominee directors to keep themselves in touch with the operations of the concern in matters like production in relation to installed capacity, sales, reasonableness of inventories and receivables, liquidity of the concern, meeting of statutory obligations, changes in key personnel etc., proformae have been devised on industry-wise basis for facilitating reporting of certain information and operational data by the companies for consideration at every meeting of the Board of Directors.

To increase the effectiveness of the nominee directors, the assisted concerns are being required to have need-based systems relating to Management Information, Management Accounting, Budgeting & Control in their organisations also.

Conversion of Loans into Equity

61. In accordance with the guidelines issued by Government, the Corporation is reserving the right of conversion of a part of the loans given by it into equity capital of the assisted concerns and the rationale behind this policy has now gained fuller acceptance. The Corporation, as on June 30, 1976, had stipulated the conditions relating to conversion of rupee loans into equity in respect of 213 concerns covering 272 cases of sanction (loan agreements executed in respect of 176 cases) after prior negotiations with the sponsors of the projects and in consultation with IDBI. The conversion right was actually exercised in the case of nine concerns as on June 30, 1976; in the case of others, either the time for the exercise of the right had not yet arrived or it was considered expedient taking into account all relevant factors, to wait for some time more.

It will, therefore, be seen that the relationship between a financial institution and an assisted concern is a business relationship and it is but natural that the Corporation should take steps not only to protect and safeguard its interests, but also to offer advisory services. The Corporation, because of its considerable financial stake becomes a sort of partner in the enterprise and is, therefore, deeply interested in its operations.

The follow-up procedures call for information which any prudent management would collect and study in its own interest. As such, the follow-up procedures are not burdensome but, on the contrary, are an aid to efficient management.

PROGRESS OF REPAYMENTS

62. The number of defaulting concerns in the engineering group of industries was 46. Inefficient management has been one of the main factors contributing to the unsatisfactory position of units in this group. Some of the units had to face highly competitive market conditions and recessionary tendencies in demand; to combat the same, the development of strategy took time. Units meeting requirements of agriculture in spite of being able to produce acceptable products, could not step up production and sales adequately due to restricted availability of credit facilities to the users of the products. Units engaged in the production of new/import substitution items were, in main, having teething troubles. Power-intensive units could no longer complain of power shortage but did have their share of constraint of market. Working capital problems arising out of poor operational results added to the difficulties of some of the units. During the year, besides arranging intensive indepth studies, review of operations and examination of various alternative efforts were made to interest some acceptable, resourceful and action-oriented entrepreneurs to take over the managements of some of the defaulting concerns. Two sick units could be rehabilitated through smooth change in management. The management of one sick unit was taken over during the year, by the Central Government. Yet, in another case, the negotiations for change of management have practically been concluded and the formalities are in course of being gone through. This would enable re-opening of the unit which has been lying closed for over three years.

The number of defaulting concerns in the sugar industry which required intensive care were 16 as in the previous year. However, some of the units continued to have unsatisfactory operations principally due to inadequate availability of cane arising from lack of sufficient irrigation facilities and inadequate attention to organised efforts towards planned development of cane. The attention of the concerned State Governments has particularly been drawn to this crucial area, round which the success of sugar projects largely revolves.

Efforts are being made towards restarting operations of a defaulting concern engaged in the manufacture of aluminium ingots and fabricated products.

One hard-board manufacturing concern in Assam operated intermittently due to shortage of inputs, constraints of market, stringency of working capital and the time taken in the settlement of issues relating to reliefs and concessions etc. with the State Government. A stage, however, seems to have been reached where it should be possible to restart operations on a viable footing given the understanding and support by the State Government and others concerned.

One defaulting concern in the paper industry has been sanctioned rehabilitation finance together with another all-India institution and a bank and its management has been entrusted to the Hindustan Paper Corporation Ltd., a public sector undertaking.

Two defaulting units engaged in the manufacture of synthetic resins and plastics continue to suffer due to abnormal increase in the prices of raw materials without commensurate rise in selling prices, market constraints and inadequacies of management.

The working of one superphosphate manufacturing unit remained sub-normal due to severe competition from complex fertiliser manufacturing units and also on account of stringency of working capital. Likewise, one defaulting concern engaged in the manufacture of malt could not come up due to poor market conditions and shortage of working capital.

One defaulting unit engaged in the manufacture of pharmaceutical products which suffered losses due to high cost of raw materials, lower selling prices, price restriction imposed by Government and narrow product range has started showing improved results, consequent on the unit undertakings steps to enlarge the product mix and taking up a programme of diversification.

In respect of two units engaged in the manufacture of tyre/rubber products which had been lying closed due to labour problems and inadequacies of management, progress towards re-opening has been made with provision of rehabilitation finance from Industrial Reconstruction Corporation of India Ltd. (IRCI) and reliefs from the State Government, the Corporation and the financing bank.

One chronic sick concern in the hotel industry could be persuaded to enter into an arrangement for the utilisation of services of a leading hotel group for improving its operations.

The affairs of a sick unit engaged in the manufacture of radios, tape-recorders and some electronic components have been causing concern. Avenues for the rehabilitation of this unit are being explored.

The only unit in the country financed by the Corporation for the manufacture of light-weight building blocks and structurals which had not been working satisfactorily since inception was able to turn the corner through entry into the export market.

One of the refractory manufacturing units which had been lying closed for several years was successfully rehabilitated by change of controlling interest and induction of the Steel Authority of India Limited in the management.

The number of defaulting concerns in the cotton textile industry was 27. Much headway could not, however, be made in their rehabilitation though efforts through involve-

ment of State Governments, particularly in respect of units in the cooperative sector, continue.

In respect of nine textile units financed by the Corporation, which were nationalised under the Sick Textile Mills (Nationalisation) Act, 1974, the compensation stipulated under the said Act was found to be inadequate to meet the entire dues of the Corporation, particularly, in view of the relatively low priority of the Corporation's dues in the scheme of distribution of compensation money envisaged under the said Act. The Corporation with a view to protecting its interests has approached the Central Government and it is understood that certain measures for safeguarding the dues of the banks/financial institutions are under consideration of Government. In the meantime the Government has appointed a Commissioner of Payments and the Corporation will take steps for preferring its claims in terms of the said Nationalisation Act as soon as the specified date is notified by the Government in that behalf.

Two units in the jute industry which had indifferent operations closed down due to losses and extreme shortage of working funds. One unit is beset with legal problems while efforts to revive the working of the other continue.

Three concerns in the coal mining industry assisted by the Corporation were nationalised. The Corporation might not be able to realise its entire outstanding dues out of the compensation fixed for each of the three coal units. However, the Corporation has filed claims before the Commissioner of Payments appointed under the relevant Nationalisation Acts for payment of its dues out of the compensation money in terms of the said Acts. In view of certain writ petitions filed by the various coal companies in the Supreme Court of India and the stay orders obtained by them, the Commissioner of Payments could not proceed further in the matter of adjudication of the Corporation's claims. All the writ petitions have since been withdrawn and the stay orders have been vacated; the Corporation is pursuing the matter with the Commissioner of Payments for adjudication of the claims.

Constant follow-up contributed to appreciable recovery of overdues. In a number of cases, additional financial assistance was granted during the year as part of the overall scheme of their rehabilitation in participation with other financial institution accompanied by reliefs by way of roll-over of loans and postponement of payment of interest, carrying appropriate stipulations regarding financial discipline and measures for strengthening the managements, product rationalization, etc.

The institution of an Early Warning System to detect signs of incipient sickness and also the aspect of coordination between financial institutions and banks is receiving the active attention of the all-india financial institutions. The concept of the 'lead institution' for supervision and problem-solving operations is being strengthened. Problem projects are receiving attention more than ever before, the senior executives of the Institutions who meet frequently to sort out the issues involved, examine the various rehabilitation plans and follow-up their implementation. The monitoring and supervision mechanism of sick projects is being increasingly strengthened.

63. The industry-wise break-up of defaults, as on June 30, 1976, along with the comparative figures for the previous year is given in Table 16.

TABLE 16

Industry-wise Classification of Defaults

(Rs. Lakhs)

Industry	Defaults as on June 30, 1975				Defaults as on June 30, 1976			
	No. of concerns	Principal	Interest	Total	No of concerns	Principal	Interest	Total
Sugar	16	149·50	234·06	383·56	16	59·50	136·76	196·26
Food products	1	0·45	0·84	1·29	1	0·90	1·56	2·46
Textile	20	216·83	190·62	407·45	27	237·95	222·01	459·96
Jute manufactures	3	17·93	6·99	24·92	3	29·13	20·31	49·44
Food products	—	—	—	—	1	3·50	—	3·50
Paper and paper products	2	—	1·29	1·29	5	10·51	10·73	21·24
Rubber products	3	92·94	63·13	156·07	5	110·30	75·70	186·00
Basic industrial chemicals	—	—	—	—	1	8·83	—	8·83
Fertilisers	3	45·00	70·92	115·92	4	55·50	111·44	166·94
Synthetic fibres and resins	3	39·53	38·90	78·43	3	108·84	104·00	212·84
Misc. chemicals and chemical products	4	31·89	9·96	41·85	3	17·80	13·67	31·47
Glass	1	1·01	0·46	1·47	2	2·25	1·12	3·37
Cement	2	66·12	76·27	142·39	2	10·48	8·43	18·91
Misc. non-metallic mineral products	4	123·18	114·20	237·38	4	40·83	15·95	56·78
Iron & steel	6	68·44	76·58	145·02	11	110·11	105·07	215·18
Non-ferrous metals	4	6·89	7·34	14·23	2	21·00	14·65	35·65
Metal products	7	6·34	12·45	18·79	9	26·60	32·86	59·46
Machinery and accessories	16	131·28	99·62	230·90	13	140·22	102·83	243·05
Electrical machinery and appliances	9	76·01	21·31	97·32	7	41·03	30·30	71·33
Transport equipment	2	48·89	34·46	83·35	6	57·15	20·27	77·42
Mining	1	17·50	9·51	27·01	2	26·50	12·36	38·86
Hotel	1	11·55	16·92	28·47	3	18·25	25·65	43·90
TOTAL :	108	1151·28	1085·83	2237·11	130	1137·18	1065·67	2202·85

64. Tables 17 and 18 show the amounts which were due by way of interest on loans and instalments of principal and the amounts that were realised during each of the last five years. They also show the amounts in default at the end of each of those years. The interest in default of Rs. 1065.67 lakhs and the principal in default of Rs. 1137.18 lakhs as on June 30, 1976 amounted to 4.39% and 4.68% respectively of the outstanding loans of Rs. 242.99 crores in respect of rupee and foreign currency loans.

TABLE 17

Recovery of Interest

(Rs. Lakhs)

Year ended June 30	Loans outstanding at the beginning of the year	Arrears of interest outstanding at the beginning of the year	Amount of interest due during the year	Total of columns 3 & 4	Amount of interest received during the year	Defaults of interest at the end of the year*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1972	15606·32	550·75	1165·96	1716·71	1081·15	598·40
1973	16564·97	598·40	1357·50	1955·90	1106·81	691·72
1974	18020·26	691·72	1496·96	2188·68	1256·33	806·10
1975	19320·98	806·10	1700·83	2506·93	1353·72	1085·83
1976	20796·74	1085·83	1943·95	3029·78	1604·92	1065·67

*Excluding amounts for which extension of time was granted. Technically, such cases are not treated as defaults.

TABLE 18

Repayment of Principal

(Rs. Lakhs)

Year ended June 30	Loans outstanding at the beginning of the year*	Arrears of principal outstanding at the beginning of the year	Amount of principal due during the year	Total of columns 3 & 4	Amount of principal received during the year	Defaults of principal outstanding at the end of the year**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1972	15606·32	498·03	1531·34	2029·37	1287·39	637·06
1973	16564·97	637·06	1633·39	2270·45	1478·54	555·94
1974	18020·26	555·94	1899·40	2455·34	1507·84	815·46
1975	19320·98	815·46	2051·53	2866·99	1525·47	1151·28
1976	20796·74	1151·28	2300·65	3451·93	1742·58	1137·18

* Excluding amounts due on account of defaulted deferred payment instalments guaranteed and met by the Corporation and interest due thereon which are shown separately in Table 19.

** Excluding amounts for which extension of time was granted. Technically, such cases are not treated as defaults.

65. The position of defaults in the payment of instalments of deferred payments guaranteed and met by the Corporation and interest and other charges due thereon for each of the last five years are shown in Table 19 below :

TABLE 19

Arrears Outstanding in respect of Deferred Payments Guaranteed by the Corporation

(Rs. Lakhs)

Year ended June 30	Amount of arrears due at the beginning of the year	Defaults during the year	Total	Recoveries during the year	Amounts of arrears outstanding at the end of the year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1972	316·83	32·10	348·93	112·22*	236·71
1973	236·71	217·23	453·94	4·10	449·84
1974	449·84	36·06	485·90	391·60	94·30
1975	94·30	10·46	104·76	3·77	100·99
1976	100·99	35·72	136·71	15·80**	120·91

* This amount included instalments in default aggregating Rs. 30·17 lakhs for which extension of time was granted.

** This amount included instalments in default aggregating Rs. 8·66 lakhs for which extension of time was granted.

RESOURCES

Share Capital

66. The authorised capital of the Corporation stands at Rs. 20 crores. The issued, subscribed and paid-up capital of the Corporation stood at Rs. 10 crores as on June 30, 1976.

There has been no change in the ownership pattern of shares of the Corporation held by the various categories of shareholders during the year under report.

The distribution of shares as on June 30, 1976 was as follows :

	No of shares held	Percentage of the Total
Industrial Development Bank of India	10,000	50
Scheduled Banks	4,067	20
Insurance Concerns etc.	4,314	22
Co-operative Banks	1,619	8
Total	20,000	100

Bonds

67. The Corporation made two Bond issues during the year, viz. 6% Bonds 1985 (2nd series) and 6% Bonds 1986 (2nd series) for Rs. 15.00 crores and Rs. 17.50 crores respectively which were issued at a discount of 1%. Including the permissible 10% of the amount of the issue, the total amount of Bonds allotted was Rs. 16.55 crores and Rs. 19.25 crores respectively.

Borrowings from the Central Government

68. As on June 30, 1975, loans outstanding from the Central Government stood at Rs. 61.31 crores. During the year under review, a sum of Rs. 0.30 crore was made available as loan by Government under Interest Differential Funds arising out of KfW loans and a further sum of Rs. 1.79 crores was borrowed from Government under the Hotel Development Scheme for financing hotel projects; a sum of Rs. 6.86 crores was repaid during the year. The aggregate amount of Government loans outstanding at the end of the year was Rs. 56.54 crores.

Borrowings from the Reserve Bank of India

69. As in the past, borrowings from RBI were availed of for temporary periods during the year. As on June 30, 1976 there were no outstandings under this head.

Borowings in Foreign Currencies

70. A further loan of DM 15.00 million being the fourteenth line of credit was allocated to the Corporation. As at the close of the year, the total amount of West German Credit made available to the Corporation including the above line of credit amounted to DM 162.50 million, against which the Corporation had sanctioned sub-loans to the extent of DM 156.25 million. DM Lines of Credit, which are fully convertible can be utilised for the import of capital goods, engineering know-how and services, etc.

A further allocation of U.K. Credit to the extent of £1.00 million was made by the Government of India under UK/India Capital Investment Grant, 1975. With this allocation, the total amount of UK Credit made available to the Corporation by the Government of India amounted to £ 5.50 million against which sub-loans for an aggregate amount of £ 4.14 million have been sanctioned upto the end of the year.

The total value of the French Credit available to the Corporation from Banque Francaise Du Commerce Exterieur, Paris amounted to FF. 15.00 million and sub-loans sanctioned thereagainst totalled FF. 14.94 million.

TABLE 20

Sources and uses of Funds

(Rs. Crores)

	1973-74	1974-75	1975-76	1948-76
A. SOURCE OF FUNDS				
Internal Sources				
1. Share capital	—	—	—	10·00
2. Opening cash and bank balances	11·76	8·60	11·30	—
3. Profit before tax	5·54	4·59	4·18	59·15
4. Repayment of loans by borrowers				
(a) Rupee lons	12·65	12·77	14·94	144·06
(b) Foreign currency sub-loans	3·43	3·37	3·49	24·49
5. Sa e/redemption of investments	4·05	0·83	1·08	12·15
6. Recoveries in respect of amounts met under guarantee obligations	2·69	1·28	0·04	4·73*
Sub-total:	40·12 (70·2)	31·44 (45·8)	35·03 (46·4)	254·58 (42·1)
Borrowings				
7. From the market by issue of bonds	7·99	23·47	35·80	174·68
8. From Central Government	1·94	1·80	2·09	111·17
9. From Indus'rial Development Bank of India	5·00	—	—	5·00
10. By way of transfer of rights and interests in certain loans	—	9·98	—	9·98
11. Form foreign credit institutions				
(a) Loan in US$ from USAID	—	—	—	19·63
(b) Loans in DM from Kreditanstalt fur-Wiederaufbau, West Genmary	1·95	1·70	2·10	26·32
(c) Equipment credit in FF from Banque Francaise Du Commerce Exterieur, Paris	—	0·04	0·18	1·96
Sub-total	16·88 (29·5)	36·99 (53·9)	40·17 (53·2)	348·74 (57·7)
12. Specific Grant from Government@	0·18 (0·3)	0·21 (0·3)	0·30 (0·4)	0·90 (0·2)
TOTAL (A) : SOURCES OF FUNDS	57·18 (100·0)	68·64 (100·0)	75·50 (100·0)	604·22 (100·0)

*Does not include Rs. 2·66 crores converted into loan and Rs. 1·22 crores onverted into equity shares which were disposed of, under rehabilitation scheme in respect of two concerns.

@Out of Interest Differential Funds in terms of KfW loan agreements.

TABLE 20 (*contd.*)

(Rs. Crores)

	1973-74	1974-75	1975-76	1948-76
B. USES OF FUNDS:				
1. **Disbursement of assistance**				
(a) Rupee loans	23·77	33·51	38·34	340·87
(b) Foreign currency sub-loans	3·53	2·51	2·99	51·77
(c) Subscriptions to shares and debenture of industrial concerns under underwriting obligations, etc.	4·17	1·06	2·40	30·91
(d) Amount met under guarantee obligations	1·45	—	0·24	9·77
	32·92	37·08	43·97	433·32
Sub-total:	(57·6)	(54·0)	(58·2)	(71·7)
Repayment of borrowings				
2. Repayment of loans to Central Government	5·35	6·55	6·86	54·63
3. Redemption of bonds	—	6·00	—	28·24
4. Repayment of loans to foreign credit institutions	2·32	2·47	2·40	24·36
5 Repayment of other borrowings	—	0·89	1·93	2·82
	7·67	15·91	11·19	110·05
Sub-total:	(13·4)	(23·2)	(14·8)	(18·2)
Other uses				
6. Subscription to share capital/initial capital of financial/ developmental institutions	—	0·50	0·01	0·72
7 Allocations to the Management Development Institute	0·17	0·21	0·30	0·90
8. Provision of Income Tax	2·29	1·99	1·48	27·80*
9. Dividend	0·60	0·60	0·60	6·66
10. Net miscellaneous uses	4·93	1·05	3·56	10·38
	7·99	4·35	5·95	46·46
Sub-total:	(14·0)	(6·4)	(7·9)	(7·7)
11. Closing cash and bank balances	8·60	11·30	14·39	14·39
	(15·0)	(16·4)	(19·1)	(2·4)
TOTAL (B) : USES OF FUNDS	57·18	68·64	75·50	604·22
	(100·0)	(100·0)	(100·0)	(100·0)

*Includes Income Tax to the extent of Rs. 26·18 crores, actually paid.

NOTE : Figures in brackets indicate percentages to Total.

ACCOUNTS

71. The gross profit for the year amounted to Rs. 417.63 Lakhs. After providing Rs. 148.13 lakhs (net) for taxation, the net profit amounted to Rs. 269.50 lakhs as against Rs. 260.00 lakhs for the year 1974-75. The appropriations to reserves amounted to Rs. 209.00 lakhs compared with Rs. 199.00 lakhs last year. Allocation to the Staff Welfare Fund amounted to Rs. 50,000.

Dividend

72. With the transfer of Rs. 75.00 lakhs to the General Reserve Fund out of profits for the year, the total amount in the Fund amounted to Rs. 12.50 crores. As in the last year, the Coropartion has declared a dividend of 6% on the paid-up capital in respect of the year ended June 30, 1976.

RESERVES

73. The sum total of the Reserves held by the Corporation as on June 30, 1976 stood at Rs. 24.16 crores which comprised the following :

(Rs. Crores)

General Reserve Fund (under Section 32 of the IFC Act)	12.50
Reserve Fund (under Section 32A of the IFC Act)	1.00
Special Reserve [under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961]	5.51
Reserve for Doubtful Debts	4.10
Benevolent Reserve Fund (under Section 32B of the IFC Act)	1.05
Total Reserves :	24.16

The reserves exceeded the paid-up capital by Rs. 14.16 crores. The details of the various reserves held by the Corporation are given below.

General Reserve Fund

The General Reserve Fund increased to Rs. 1250.00 lakhs pursuant to the transfer of a sum of Rs. 75.00 lakhs out of the current year's profits to the Fund.

Reserve Fund

The balance in the Reserve Fund under Section 32A of the IFC Act remained at Rs. 100.00 lakhs as on June 30, 1976 being the maximum permissible balance in the Fund under the Act.

Special Reserve

A sum of Rs. 42.00 lakhs has been transferred to the Special Reserve under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961 from the profits of the current year and represents 10% of the assessable income. With this transfer, the balance to the credit of the Fund increased to Rs. 550.78 lakhs.

Benevolent Reserve Fund

A sum of Rs. 32.00 lakhs has been transferred out of the current year's profits to the Benevolent Reserve Fund under Section 32B of the industrial Finance Corporation Act to be utilised as under :

(a) for meeting the cost of feasibility studies, project reports, market and techno-economic surveys and such other purposes which in the opinion of the Corporation, may promote the development industries;

(b) in the field of development banking and in financial and industrial management—

(i) for undertaking and promoting research;

(ii) for training in India or abroad of personnel of financial institutions; and

(iii) for creating chairs in universities, academic institutions and research foundations;

(c) for assisting projects promoted by technologists and new entrepreneurs—

(i) by subsidising the normal lending rate of interest of the Corporation in respect of loans or advances sanctioned to them;

(ii) by providing technical and managerial assistance to projects promoted by them especially in industrially less developed regions;

(d) for rendering any assistance that may be ancillary or incidental to the aforementioned purposes.

The amount to the credit of the Benevolent Reserve Fund was Rs 105.68 lakhs as on June 30, 1976.

Reserve for Doubtful Debts

A review of the loan accounts as at the end of the year shows a satisfactory position. In view, however, of the large size of the operations of the Corporation, and the fact that schemes for rehabilitation of certain projects may take time to mature, the Directors have decided, as a measure of prudence, to transfer an amount of Rs. 60.00 lakhs from the profits of the year under report to the Reserve for Doubtful Debts which now stands at Rs. 409.80 lakhs.

Provision for Income-tax

74. The assessment proceedings for the accounting years ended June 30, 1972, 1973, 1974 and 1975 were not finalised by the close of the annual accounts. In respect of the accounting year ended June 30, 1976 a sum of Rs. 148.13 lakhs (after adjusting refunds/excess provision of Rs. 55.86 lakhs in respect of earlier years) has been provided in the accounts for taxation.

75. A summary of the Profit and Loss Statement for the year ending June 30, 1976 is given in table below :

76. A statement showing the working results for the last five years is given in Table 22.

TABLE 21

Summary Profit and Loss Statement—1975-76

(Rs. Lakhs)

	This Year	Previous Year
The year's working shows a gross income of	1957·92	1782·32
Deducting from gross income:		
Interest paid on bonds and other borrowings	1283·89	1131·98
Other expenses and loss on sale of investments	256·40	191·37
And after providing for taxation (net)	148·13	198·97
The net profit for the year is:	269·50	260·00
Appropriations		
Transfer to General Reserve Fund	75·00	75·00
Transfer to Special Reserve [under Section 36 (1) (viii) of the Income Tax Act, 1961]	42·00	43·00
Transfer to Benevolent Reserve Fund	32·00	31·00
Transfer to Reserve for Doubtful Debts	60·00	50·00
Transfer to Staff Welfare Fund	0·50	1·00
Payment of Divided a @ 6% on the paid-up share capital of Rs. 10·00 crores for the year	60·00	60·00
	269·50	260·00

TABLE 22

Working Results for the Last Five Years

(Rs. Lakhs)

	For the years ended June 30				
	1972	1973	1974	1975	1976
Interest earned	1383·31	1356·97	1613·24	1683·38	1848·94
Other income	114·81	141·20	163·28	98·94	108·98
Total income:	1498·12	1498·17	1776·52	1782·32	1957·92
Interest paid	847·84	917·13	1006·52	1131·98	1283·89
Discount and brokerage on bonds	3·26	7·61	3·68	33·06	51·47
Establishment expenses, inclusive of medical fees and expenses and interest on employees' provident fund	61·33	71·03	89·20	103·50	138·31
Donation to National Defence Fund	5·00	—	—	—	—
Grant to Management Development Institute	—	—	5·00	5·00	5·00
Loss on sale of investments	56·10	1·29	71·60	—	9·07
Other expenses	41·01	49·18	46·87	49 81	52·55
Total expenditure:	1014·54	1046·24	1222·87	1323·35	1540·29
Gross profit:	483·58	451·93	553·65	458·97	417·63
Provision for depreciation in the value of investments	48·00	—	—	—	—
Provision for taxation (net)	216·83	161·53	228·65	198·97	148·13
Net profit:	218·75	290·40	325·00	260·00	269·50
To reserves	175·88	232·70	264·00	199·00	209·00
To Staff Welfare Fund	1·00	1·00	1·00	1·00	0·50
To dividend	41·87	56·70	60·00	60·00	60·00

SILVER JUBILEE MEMORIAL LECTURE

77. The third "IFCI Silver Jubilee Memorial Lecture" was delivered by Mr. Abol Gasem Kheradjou Managing Director, Industrial and Mining Development Bank of Iran on October 16, 1975. The subject of his Lecture was "The Development Bank in a fast developing economy." Dr. B. K. Madan, Chairman, Management Development Institute, presided over the function and the commentary on the Lecture was given by Mr. James S. Raj, former Chairman, Unit trust of India.

Mr. Kheradjou, in the course eof his Lecture, gave an exposition of the role of the Industrial and Mining Development Bank of Iran (IMDBI) in the context of a fast changing economy as that of Iran. Mr. Kheradjou said that 'a development bank is like a living organism that reacts to its socio-economic environment and its success depends on reacting most aptly to that environment'. Mr. Kheradjou said that the average annual real rate of growth of the economy of Iran for the ten years, 1962 to 1972, was about 11 per cent and of industry 13 per cent. In 1973-74 and 1974-75, the gross national income grew by 34% and 40% respectively excluding inflation and industry grew at around 19%. To cope with this fast changing economy, IMDBI had to play a very large role as a promoter. Mr. Kheradjou said that the private sector which was very new to industry and lacked the intellectual and financial muscle to do the job had to be nurtured by the development banks, the most important of which was IMDBI, itself a private company. To meet the heavy financial needs of the projects, IMDBI used not only all the support that they could get from the Government and the World Bank, but were the first development bank to raise large funds in Euro-dollar and Euro-bond markets. They had also to sell shares to the public and raise their own capital. To enable the needed equity for large projects or quick expansions, IMDBI had to develop the Tehran Stock Exchange and the capital market. In order to promote small projects, IMDBI set up local development banks to be in touch with local entrepreneurs and also provide entrepreneurial guidance and leadership. IMDBI also gave a hand in establishing agro-industrial companies.

IMDBI was also an active participant in institution building. It initiated the first large industrial estate which now houses over one hundred medium size factories and is promoting a few others. Apart from promoting the Tehran Stock Exchange, IMDBI participated with a large commercial bank in setting up the first securities company in Iran. The proceedings of the Lecture have been printed.

ORGANISATION

BOARD OF DIRECTORS

78. At the Annual General Meeting of the Corporation held on September 25, 1975, Shri B. K. Vora was elected a Director, under Section 10(1)(c) of the IFC Act, 1948, to represent scheduled banks *vice* Shri C. P. Shah. At the same meeting, under Section 10(1)(d) of the IFC Act, 1948, Shri B. C. Randeria was re-elected to represent insurance concerns, investment trusts and other like financial institutions, and under Section 10(1)(e) of the said Act, Shri Shamrao Kadam was elected a Director to represent cooperative banks, *vice* Dr. W. C. Shrishrimal. On March 8 1976, Shri N. S. Sapkal tendered his resignation from the directorship of the Corporation and Shri Jashbhai U. Patel, Vice-Chairman, The Gujarat State Cooperative Bank Ltd., Ahmedabad, was elected by the cooperative banks at the Special General Meeting of the Corporation held on May 24, 1976 to fill up the vacancy caused by Shri Sapkal's resignation.

The Board place on record their high appreciation of the valuable services rendered by Shri C. P. Shah, Dr. W. C. Shrishrimal and Shri N. S. Sapkal, while they were associated with the Corporation and extend a hearty welcome to the new Directors.

Meetings of the Board and Other Committees

79. Thirteen meetings of the Board were held during the year, six in New Delhi and one each at Bangalore, Gauhati, Lucknow, Calcutta, Goa, Jaipur and Simla. As in the past, wherever meetings of the Board are held outside Delhi, opportunity is taken by the Chairman and members of the Board to meet officials of the State Governments and other financial and developmental institutions based in the State Capitals and also representatives of local business and industry associations or chambers, with a view to having better appreciation of the industrial climate in the State or the region and the problems of some of the assisted concerns.

The Board set up an Expert Committee to examine whether any change is called for in the existing system of Advisory Committees in the Corporation or any alternative should be adopted with a view to performing its functions. Four meetings of the Expert Committee were held during the year.

Three meetings of the Committees of the Board were also held during the year.

Advisory Committees

80. The number of meetings of the various Advisory Committees held during the year is as under :

Name of the Advisory Committee	*Number of meetings held*
Chemical Process & Allied Industries	12
Engineering	12
Sugar	9
Textiles	11
Hotels	3
Jute	1

These meetings considered applications for various types of financial assistance from 102 concerns.

Meetings of the Local Advisory Committee of the Corporation were held at Bangalore, Gauhati, Calcutta and Ahmedabad during the year.

The Corporation continued to maintain a panel of technical experts and consultants for various industries to have the benefit of their expertise and to co-opt them where necessary, on the appropriate Committees as members.

Auditors

81. M/s. A. F. Ferguson & Co., Bombay, were appointed by the Industrial Development Bank of India as auditors of the Corporation for the year ended June 30, 1976. At the Annual General Meeting of the shareholders of the Corporation held on September 25, 1975, M/s. Haribhakti & Co., Bombay, were elected auditors by the shareholders, other than IDBI, for the same period. M/s. Haribhakti & Co. will retire at the end of the year, but are eligible for re-election.

Progressive Use of Hindi in the Corporation

82. In pursuance of Government's policy regarding the progressive use of Hindi for official purposes, the Corporation has been making efforts to promote the use of Hindi in the Corporation. Three Official Languages Implementation Committees, one each at the Head Office, Bombay Regional Office and Delhi Regional Office are functioning to watch the progress and to suggest steps for the progressive use of Hindi in the Corporation. The meetings of these Committees are held quarterly. Hindi teaching classes including those in Hindi typewriting/shorthand under the Hindi Teaching Scheme of the Ministry of Home Affairs, are being attended by the members of the staff at Head Office, Delhi Regional Office and Bombay Regional Office. Members of the staff at other offices have also started availing themselves of the facilities under the Hindi Teaching Scheme. To encourage the employees to learn Hindi, the Corporation has introduced certain incentive schemes. The obligatory provisions of the Official Languages Act, 1963 are being complied with insofar as they relate to our Corporation, and accordingly, all Gazette notifications, press communiques, advertisements, notices etc. are being released both in Hindi and English. All Office Orders and Memoranda meant for subordinate staff are issued in Hindi. All letters received in Hindi are replied to in Hindi. Hindi typewriters have been provided in Head Office and arrangements are being made to provide the same at Regional Offices at Delhi and

Bombay, Bilingual letter heads continue to be used at all the offices of the Corporation. The Corporation continues to issue Hindi version of the Annual Report as well as Chairman's statement made at the Annual General Meeting of the shareholders. The Corporation has brought out the Hindi version of the brochure styled as 'Operational Information' for the benefit of the prospective clients. Steps are underway to translate similar other brochures.

Training of Personnel

83. The Corporation continues to pay considerable attention to various aspects of executive development. During the year, 58 officers of the Corporation attended the various courses conducted by the Management Development Institute, New Delhi, Bankers Training College, Bombay, National Productivity Council, New Delhi, etc. One officer attended a course on "Feasibility Study" conducted by the Asian Productivity Organisation, Tokyo, Japan. Another officer attended a course on "Industrial Projects" conducted by the Economic Development Institute of the International Bank for Reconstruction and Development at Washington, USA. Five in-company programmes were also organised for the staff at Head Office and 129 officers attended these programmes.

International Conferences

84. The Chairman participated in the Sixth Meeting on "Cooperation among Industrial Development Financing Institutions" organised by the United Nations Industrial Development Organisation at Caracas, Venezuela. He was taken as a member of the three-man Committee constituted for drafting the Constitution of the proposed Association of Asian Development Financing Institutions.

Staff Welfare Fund

85. Scholarships were given to 13 children of the Corporation's employees and 3 employees received interest-free loans for self-development from the Staff Welfare Fund during the year. Ex-gratia payment was made to one of the employees for the hardship suffered by him due to prolonged illness. School fees were reimbursed to 3 children of a deceased employee during the year. Grants were given to the Recreation Club at Head Office.

Staff Colony

86. Government have recently lifted the ban on construction of non-functional buildings. Accordingly, layout plan and building plans have been submitted to the Delhi Development Authority for approval. After the approval of these plans by DDA, steps will be taken to invite tenders for the construction of the colony.

Changes in Senior Management

87. Shri R. B. Mathur, who was re-employed as General Manager for a period of one year with effect from August 10, 1975, has been given extension of re-employment as General Manager for a further period of one year with effect from August 10, 1976.

On attaining the age of superannuation, Shri M. S. Nagratha, Deputy General Manager, will retire from service on September 19, 1976 but will be re-employed as Deputy General Manager with effect from September 20, 1976 for a total period two years.

On attaining the age of superannuation, Shri N. P. Chakraborty, retired from service on April 30, 1976, but has been re-employed as Assistant General Manager for a period of one year with effect from May 1, 1976.

Shri R. N. Sahoo was promoted as Assistant General Manager at Calcutta Regional Office consequent upon the upgradation of the post of Regional Manager at the said office, with effect from March 1, 1976.

Shri P. S. Gurung was promoted as Deputy Technical Adviser at Bombay Regional Office from March 1, 1976.

The post of Deputy Legal Adviser has been upgraded in the pay scale corresponding to that of Assistant General Manager with effect from March 1, 1976 and Shri A. K. Ghose continues as Deputy Legal Adviser in the upgraded post.

Shri D. G. Ramaiah was promoted as Chief Accountant with effect from March 1, 1976. Consequently, Shri R. Ramachandra Rao, Manager, has been designated as Regional Manager from March 1, 1976.

Acknowledgement of Assistance Received

88. The Board wish to place on record their appreciation of the cooperation, cordially and assistance received from the various Ministries and Departments of the Government of India, the all-India financial institutions and the State Governments and State-level financial and developmental institutions. The Board are grateful to the members, who have served on the various Advisory Committees of the Corporation, for their valuable assistance and advice, and also to the non-officials, who served as the Corporation's nominees on the Boards of Directors of the various assisted concerns. The Board gratefully acknowledge the continued support and cooperation extended to the Corporation by the management of the Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau and Overseas Development Ministry of the U. K. Government. The Board also wish to express their appreciation for the loyal and devoted service put in by the officers and the staff of the Corporation during the year.

On behalf of the Board of Directors

BALDEV PASRICHA

Chairman

BALANCE SHEET AND PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 1976

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA
REPORT OF THE AUDITORS

TO THE SHAREHOLDERS OF THE INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

We, the undersigned Auditors of the Industrial Finance Corporation of India, do hereby report to the Shareholders upon the Balance Sheet and Accounts of the Corporation as at 30th June 1976.

We have examined the reached Balance Sheet with the Accounts and Vouchers relating thereto and the audited returns from the Branches, which returns are incorporated in the above Balance Sheet, and report that where we have called for explanation and information, such information and explanation have been given and have been satisfactory. In our opinion, the Balance Sheet together with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all necessary particulars and properly drawn up in accordance with the Act and the Rules of the Corporation so as to exhibit a true and correct view of the state of the affairs of the Corporation according to the best of our information and explanations given to us and as shown by the books of the Corporation.

HARIBHAKTI & CO.
A. F. FERGUSON & CO.
Chartered Accountants

Place : Madras
Date : 23rd August, 1976

INDUSTRIAL FINANCE

NEW

Balance Sheet as at

Serial No.	*Liabilities*	*Schedule*	*This year* Rs.	*Previous year* Rs.
(1)	SHARE CAPITAL	A	10,00,00,000	10,00,00,000
(2)	RESERVES AND RESERVE FUND	B	24,16,26,735	22,13,08,991
(3)	LONG TERM BORROWINGS	C	229,94,15,591	199,21,81,286
(4)	CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	D	15,58,17,590	14,09,91,548
(5)	OTHER LIABILITIES	E	8,09,63,751	9,89,06,622
(6)	CONTINGENT LIABILITIES AS PER CONTRA	F	6,16,46,002	8,23,11,284
			293,94,69,669	263,56,99,731

As per our report attached.
HARIBHAKTI & Co.

A. F. FERGUSON & Co.
Chartered Accountants

B. C. Randeria
C. S. Venkat Rao
A.B. Majumdar
Bishnu Banerjee
Directors

C. T. Das
D. T. Lakdawala
B. K. Vora
J. U. Patel
Directors

INDUSTRIAL FINANCE

NEW

Profit and Loss Account for the

Expenditure	Rs.	*This year* Rs.	*Previous year* Rs.
Interest on Bonds, Borrowings etc.		12,83,88,930	11,31,97,319
Commitment Charges on foreign currency loans		2,02,346	1,82,514
Brokerage on issue of Bonds		15,66,823	9,58,466
Loss on sale of investments		9,07,498	—
Establishment Expenses		1,38,31,039	1,03,50,129
Directors' and Committee Members' Fees and Expenses		4,55,456	3,53,008
Rent, Taxes Insurance and Lightings		19,99,771	20,06,975
Postage, Telegrams, Stamps and Telephones		4,34,719	3,62,087
Printing, Stationery and Advertisement		5,22,779	4,42,687
Law Charges		8,512	46,479
Audit Fees		38,000	32,000
Travelling and Halting Expenses		4,20,508	4,03,710
Other Expenditure		9,29,257	8,97,728
Depreciation		2,43,495	2,54,315
Grant to Management Development Institute		5,00,000	5,00,000
Discount on issue of Bonds		35,79,846	23,47,508
Provision for taxation	2,03,99,567		2,14,46,533
Less : Income Tax refunds and adjsutments in respect of earlier years	55,86,299		15,49,371
		1,48,13,268	1,98,97,162
Net Profit for the year carried down		2,69,50,000	2,60,00,000
		19,57,92,247	17,82,32,087
Amounts Transferred To—			
General Reserve Fund		75,00,000	75,00,000
Special Reserve (Under Section 36 (1) (viii) of the Income Tax Act, 1961)		42,00,000	43,00,000
Benevolent Reserve Fund		32,00,000	31,00,000
Staff Welfare Fund		50,000	1,00,000
Reserve for Doubtful Debts		60,00,000	60,00,000
Proposed Dividend		60,00,000	60,00,000
		2,69,50,000	2,60,00,000

As per our report attached
HARIBHAKTI & Co.
A. F. FERGUSON & Co.
Chartered Accountants

B. C. Randeria
C. S. Venkat Rao
A. B. Majumdar
Bishnu Banerjee
Directors

C. T. Das
D. T. Lakdawala
B. K. Vora
J. U. Patel
Directors

CORPORATION OF INDIA
DELHI
30th June, 1976

Serial No.	*Assets*	*Schedule*	*This year* Rs.	*Previous year* Rs.
(1)	CASH AND BANK BALANCES	G	14,39,14,207	11,29,58,573
(2)	INVESTMENTS	H	21,58,53,783	19,50,02,246
(3)	LOANS AND ADVANCES	I	244,56,88,611	218,38,87,099
(4)	FIXED ASSETS	J	57,71,001	57,70,339
(5)	OTHER ASSETS	K	6,65,96,065	5,57,70,190
(6)	CONSTITUENTS' OBLIGATIONS AS PER CONTRA	L	6,16,46,002	8,23,11,284
			293,94,69,669	263,56,99,731

R.B. Mathur
General Manager

Baldev Pasricha
Chairman

CORPORATION OF INDIA
DELHI
Year ended 30th June, 1976

Income	*This Year* Rs.	*Previous year* Rs.
Interest	18,48,93,925	16,83,37,688
Commission	16,35,954	13,67,824
Profit on sale of investments	23,47,733	3,05,575
Profit on sale of assets	14,144	8,384
Dividend on Shares	21,63,564	31,28,136
Commitment Charges	38,30,551	40,60,060
Miscellaneous Income	9,06,376	10,24,420
	19,57,92,247	17,82,32,087
Net Profit for the year brought down	2,69,50,000	2,60,00,000
	2,69,50,000	2,60,00,000

R.B. Mathur
General Manager

Baldev Pasricha
Chairman

SCHEDULE A

SHARE CAPITAL

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at 30th June, 1976

Description	*This year Rs.*	*Previous year Rs.*
AUTHORISED :		
40,000 shares of Rs. 5000/- each.	20,00,00,000	20,00,00,000
ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID-UP		
(Guaranteed by Government of India as to the repayment of principal and payment of minimum annual dividend under Section 5 of the IFC Act, 1948).		
(i) 10,000 shares of Rs. 5000/- each fully paid-up	5,00,00,000	5,00,00,000
(ii) 4,000 (Second Series) shares of Rs 5000/- each fully paid-up	2,00,00,000	2,00,00,000
(iii) 2,692 (Third Series) shares of Rs. 5000/- each fully paid-up	1,34,60,000	1,34,60,000
(iv) 3,308 (Fourth Series) shares of Rs. 5000/- each fully paid-up	1,65,40,000	1,65,40,000
	10,00,00,000	10,00,00,000

Note :—Guaranteed minimum annual dividend is 2¼% in case of item (i), 4% in case of items (ii) and (iii) and 4½% in case of item (iv).

SCHEDULE B

RESERVES AND RESERVE FUND

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at 30th June, 1976

Description	*Rs.*	*This year Rs.*	*Previous year Rs.*
(i) General Reserve Fund (Under Section 32 of the IFC Act, 1948)			
Balance as per last Balance Sheet	11,75,00,000		11,00,00,000
Transferred from Profit & Loss Account	75,00,000		75,00,000
		12,50,00,000	11,75,00,000
(ii) Reserve Fund (Under Section 32A of the IFC Act, 1948).		1,00,00,000	1,00,00,000
(iii) Benevolent Reserve Fund (Under Section 32B of the IFC Act, 1948)			
Balance as per last Balance Sheet	79,51,008		77,36,515
Transferred from Profit & Loss Account	32,00,000		31,00,000
	1,11,51,008		1,08,36,515
Less : Amount utilised	5,82,256		28,85,507
		1,05,68,752	79,51,008
(iv) Special Reserve (Under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961)			
Balance as per last Balance Sheet	5,08,78,362		4,65,78,362
Transferred from Profit & Loss Account	42,00,000		43,00,000
		5,50,78,362	5,08,78,362
(v) Reserve for doubtful debts			
Balance as per last Balance Sheet	3,49,79,621		2,99,79,621
Less : Bad debts written off during the year	—		—
	3,49,79,621		2,99,79,621
Transferred from Profit & Loss Account	60,00,000		50,00,000
		4,09,79,621	3,49,79,621
		24,16,26,735	22,13,08,991

SCHEDULE C
LONG TERM BORROWINGS

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at 30th June, 1976

Description	*Rs.*	*This year Rs.*	*Previous year Rs.*
1. BONDS (UNSECURED—ISSUED UNDER SECTION 21 OF THE IFC ACT, 1948—GUARANTEED BY THE GOVERNMENT OF INDIA)			
4¾% Conv. Bonds 1976		4,45,50,000	4,45,50,000
4¾% Bonds 1976		6,58,48,100	6,58,48,100
5¼% Bonds 1977		2,00,00,000	2,00,00,000
5½% Bonds 1978		6,12,90,000	6,12,90,000
5¾% Bonds 1979		8,24,86,700	8,24,86,700
5¾% Bonds 1980		8,33,30,800	8,33,30,800
5¼% Bonds 1981		5,50,00,000	5,50,00,000
5¾% Bonds 1982		4,95,00,000	4,95,00,000
5¼% Bonds 1983		8,80,08,800	8,80,08,800
5¼% Bonds 1984		11,00,67,300	11,00,67,300
5½% Bonds 1985		13,16,67,800	13,16,67,800
6% Bonds 1986		7,99,08,000	7,99,08,000
6% Bonds 1984		11,00,12,000	11,00,12,000
6% Bonds 1985		12,47,37,800	12,47,37,800
6% Bonds 1985 (Second Series)		16,54,79,200	—
6% Bonds 1986 (Second Series)		19,25,05,400	—
		146,43,91,900	110,64,07,300
2. BORROWINGS			
(i) From Industrial Development Bank of India (Under Section 21(4) of the IFC Act, 1948)		5,00,00,000	5,00,00,000
(ii) From Government of India (Under Section 21(4) of the IFC Act, 1948)		55,64,06,509	60,71,46,465
(iii) From Government of India in terms of Agreement with Kreditanstalt-Fur-Wiederaufbau		89,64,000	59,36,000
(iv) From Foreign Credit Institutions in foreign currencies		21,96,53,182	22,26,91,521
		229,94,15,591	199,21,81,286

SCHEDULE D
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at 30th June, 1976

Description	*Rs.*	*Rs.*	*This year Rs.*	*Previous year Rs.*
A. CURRENT LIABILITIES				
(i) Short term borrowings from Reserve Bank of India—secured by bonds issued by the Corporation of the face value of Rs. 3·25 crores (Under Section 21(3)(b) of the IFC Act, 1948)			—	80,50,000
(ii) Sundry Creditors			1,33,34,901	1,34,14,860
(iii) Interest accrued but not due :				
(a) On borrowings from—				
(i) Government of India	1,13,34,977			1,20,72,122
(ii) Foreign credit institutions in foreign currencies	4,81,802			4,70,530
	1,18,16,779			1,25,42,652
(b) On Bonds	1,51,29,030			1,17,82,782
			2,69,45,809	2,43,25,434
(iv) Advance guarantee commission			2,51,549	362,902
(v) Advance received on account of legal charges			1,74,050	1,55,600
(vi) Unclaimed dividend			14,746	654
(vii) Commitment charges accrued on borrowings from foreign credit institutions in foreign currencies			232	1,582
B. PROVISIONS				
(i) Difference in exchange Suspense Account			1,75,26,089	1,02,60,798
(ii) Amounts held in suspense :				
(a) Interest	7,47,38,644			5,92,73,451
(b) Commitment Charges	2,48,218			1,02,076
(c) Incidental Charges	2,49,125			1,91,872
(d) Guarantee Commission	1,70,051			1,36,562
			7,54,06,038	5,97,03,961

SCHEDULE D (*Contd.*)

Description	*Rs.*	*Rs.*	*This year Rs.*	*Previous year Rs.*
(iii) Provision for taxation :				
Balance as per last Balance Sheet		9,29,71,937		7,15,25,404
Add : Provision for the year		2,03,99,567		2,14,46,533
		11,33,71,504		9,29,71,937
Less : Adjustments in respect of earlier years		22,00,000		—
		11,11,71,504		9,29,71,937
Less : Tax deducted at source	1,05,96,076			92,84,187
Advance tax paid	8,44,11,252	9,50,07,328		6,49,71,993
				7,42,56,18
			1,61,64,176	1,87,15,757
(iv) Proposed dividend			60,00,000	60,00,000
			11,50,96,303	9,46,80,516
			15,58,17,590	14,09,91,548

SCHEDULE E

OTHER LIABILITIES

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at 30th June, 1976

Description	*Rs.*	*This year Rs.*	*Previous year Rs.*
(i) Specific grant from Government			
Balance as per last Balance Sheet	—		—
Grant received in terms of Agreement with Kreditanstalt Fur-Wiederaufbau	30,28,000		21,20,000
	30,28,000		21,20,000
Less : Amount utilised	30,28,000		21,20,000
		—	—
(ii) Staff Welfare Fund :			
Balance as per last Balance Sheet	4,35,452		3,64,947
Less : Amount utilised	27,191		29,495
	4,08,261		3,35,452
Add : Amount transferred from Profit & Loss Account	50,000		1,00,000
		4,58,261	4,35,452
(iii) Industrial Finance Corporation Employees' Provident Fund		89,23,490	75,33,170
(iv) Liability in respect of rights and interest in loans and advances transferred under Section 21B of the IFC Act 1948		7,15,82,000	9,09,38,000
		8,09,63,751	9,89,06,622

SCHEDULE F

CONTINGENT LIABILITIES AS PER CONTRA

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at 30th June, 1976

Description	*Rs.*	*This year Rs.*	*Previous year Rs.*
(i) Guarantees (Under Section 23(1) (b) of the IFC Act, 1948)		2,40,48,779	3,51,97,769
(ii) Foreign loan guarantees (Under Section 23(1)(c) of the IFC Act, 1948)		3,10,09,615	4,06,02,159
(iii) Deferred French Credit on account of principal amount		65,87,608	65,11,356
(iv) Underwriting contracts (Under Section 23(1)(d) of the IFC Act, 1948) (Previous year—Rs. 45,80,000)	22,50,000		
(v) Uncalled amount in respect of partly paid-up shares held as investment under Section 23(1)(d) and Section 23(1)(f) of the IFC Act, 1948 (Previous year—Rs. 21,26,692)	52,05,538		
		6,16,46,002	8,23,11,284

SCHEDULE G
CASH AND BANK BALANCES

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at 30th June, 1976

Description	*Rs.*	*This year Rs.*	*Previous year Rs.*
(i) Cash and stamps in hand at Head Office and at Branches		22,358	19,127
(ii) Cheques in hand and under collection		1,33,20,302	2,40,11,112
(iii) Balance with Banks :			
(a) On Current Account :			
In India	1,59,56,010		1,15,82,685
Outside India	15,537		45,649
	1,59,71,547		1,16,28,334
(b) On Fixed Deposit Account	11,46,00,000		7,73,00,000
		13,05,71,547	8,89,28,334
		14,39,14 207	11,29,58,573

SCHEDULE H
INVESTMENTS (AT COST)

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at 30th June, 1976

Description	*Rs.*	*This year Rs.*	*Previous year Rs.*
(i) Under Section 20 of the IFC Act, 1948.			
Initial Capital/shares of certain financial institutions		71,00,000	71,00,000
(ii) Under Section 23(1)(d) of the IFC Act, 1948.			
(a) Stocks, Shares, Bonds and Debentures of industrial concerns	16,56,7,848		15,48,75,816
(b) Application money paid on shares, debentures, etc.	—		9,78,250
		16,56,77,848	15,58,53,868
(iii) Under Section 23(1) (f) of the IFC Act, 1948			
(a) Shares	3,16,52,795		2,36,83,378
(b) Application money paid on shares	3,06,250		—
		3,19,59,045	2,36,83,378
(iv) Under Section 23(1) of the IFC Act, 1948.			
Debentures			
Under the proviso to Section 23(1)(i) of the IFC Act, 1948	17,40,000		66,85,000
Shares	93,76,890		16,80,000
		1,11,16,890	83,65,000
		21,58,53,783	19,50,02,246
(a) *Quoted Investments*			
Book value		9,00,35,200	13,01,45,914
Market value		8,66,74,560	11,73,56,673
(b) Investments, quotations for which are not available			
Book value		12,58,18,583	6,48,56,332

SCHEDULE I
LOANS AND ADVANCES

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at 30th June, 1976

Description	*This year Rs.*	*Previous year Rs.*
Loans and Advances :		
In Indian Currency	218,06,05,687	191,45,66,573
In Foreign Currencies	26,50,82,924	26,93,20,526
	244,56,88,611	218,38,87,099

Notes:

(a) Debts due by concerns in which the Directors of the Corporation are interested as Directors in the capacity of nominee directors	2,15,78,496	1,54,34,470
(b) Total amount of loans disbursed during the year to concerns in which the Directors of the Corporation are interested as Directors in the capacity of nominee Directors	50,00,000	Nil
(c) Total amount of instalments whether of principal or interest overdue by concerns in which Directors of the Corporation are interested as Directors	Nil	Nil

SCHEDULE J — **Annexed to and forming part of the**

FIXED ASSETS — **Balance Sheet as at 30th June, 1976**

Description	*Rs.*	*Rs.*	*This year Rs.*	*Previous year Rs.*
1. Leasehold Land				
Cost as per last Balance Sheet		13,60,816		13,16,306
Additions during the year		80,001		44,510
			14,40,817	13,60,816
2. Freehold Land and Buildings				
Cost as per last Balance Sheet		31,50,063		14,87,798
Additions during the year		1,926		16,62,265
		31,51,989		31,50,063
Less : Depreciation—				
Upto last year	98,142			37,195
For the year	51,096			60,947
		1,49,238		98,142
			30,02,751	30,51,921
3. Motor cars, Cycles, Furniture, Fixtures, Fittings etc.				
Cost as per last Balance Sheet		24,71,988		22,98,898
Additions/Adjustments during the year		1,81,845		2,17,166
		26,53,833		25,16,064
Less : Sold/discarded		48,960		44,076
		26,04,873		24,71,988
Less : Depreciation—				
Upto last year	11,14,386			9,52,406
For the year	1,92,399			1,93,368
	13,06,785			11,45,774
Deduct : On assets sold/discarded	29,345			31,388
		12,77,440		11,14,386
			13,27,433	13,57,602
			57,71,001	57,70,339

SCHEDULE K — **Annexed to and forming part of the**

OTHER ASSETS — **Balance Sheet as at 30th June, 1976**

Description	*Rs.*	*This year Rs.*	*Previous year Rs.*
(a) Interest accrued but not due :			
(i) On Fixed Deposits with Banks	8,28,329		2,22,769
(ii) On Debentures	14,46,657		14,96,253
(iii) On Loans & Advances	4,15,32,637		3,30,79,369
(iv) Others	5,54,153		4,34,356
		4,43,61,776	3,52,32,747
(b) Commitment and other charges accrued		20,43,783	18,45,063
(c) Sundry Debtors		1,60,05,380	1,53,20,081
(d) Advances to Staff		33,99,976	27,03,324
(e) Stock of Stationary		1,26 580	1,17,194
(f) Telephone Deposits		37,036	40,037
(g) Prepaid Expenses		77,768	1,08,549
(h) Agency Commission accrued		1,35,505	67,743
(i) Net Assets of Staff Welfare Fund		4,08,261	3,35,452
		6,65,96,065	5,57,70,190

SCHEDULE L — **Annexed to and forming part of the**

CONSTITUENTS' OBLIGATIONS AS PER CONTRA — **Balance Sheet as at 30th June, 1976**

Description	*This year* Rs.	*Previous year* Rs.
(a) Guarantees (Under Section 23(1)(b) of the IFC Act, 1948)	2,40,48,779	3,51,97,769
(b) Foreign loan guarantees (Under Section 23(1)(c) of the IFC Act, 1948). . . .	3,10,09,615	4,06,02,159
(c) Deferred French Credit on account of principal amount	65,87,608	65,11,356
	6,16,46,002	8,23,11, 284

Notes on Balance Sheet

1. No provision has been made for depreciation in the value of investments held by the Corporation because it is felt by the Corporation that such depreciation is a normal incident of the business of a development bank.

2. Investments under Section 23(1)(d) of the IFC Act, 1948 include a sum of Rs. 21,66,900/- (Previous year Rs. 1,97,900/-) in the share capital of three companies (Previous year one Company) which have gone into liquidation and the Corporation is not likely to realise the full amount invested. No specific provision has been made in respect thereof.

3. Loans and Advances include Rs. 7,02,87,447/- (Previous year Rs. 9,09,38,000/-) in respect of which the rights and interests of the Corporation have been transferred under Section 21B of the IFC Act, 1948.

4. An aggregate amount of Rs. 3,68,58,040/- (Previous year Rs. 3,40,77,850/-) was due on the date of the Balance Sheet from certain coal and coke, mining and textile companies, the undertakings of which have been acquired by the Central Government. It has not been possible to determine as to what portion of the said amount can be recovered either out of the compensation or from the guarantors. It is considered that after taking into account the 'Amounts held in Suspense', the Reserve for 'Doubtful Debts' on a net of tax basis, is sufficient to cover the doubtful loans, advances and sundry debtors.

5. In accordance with the past practice, the figures of foreign currency loans availed and sub-loans granted to sub-borrowers are arrived at by conversion into Rupees of all foreign currencies except pound sterling at the erstwhile IMF parity rates viz. $ 1.00=Rs. 7.50, DM 1.00=Rs. 2.05, FF 1.00=Rs. 1.35. The rupee equivalent of pound sterling is arrived at by converting the same at the exchange rates prevailing on the dates of disbursements of the loans. If the foreign currency balances are converted into Rupees at the T. T. selling rates ruling on 30th June, 1976, the Loans and Advances in foreign currency and the borrowings from the foreign credit institution would be Rs. 39.39 crores (Previous year Rs. 40.78 crores) and Rs. 36.62 crores (Previous year Rs. 37.04 crores) respectively.

6. The 'Difference in Exchange Suspense Account' represents the aggregate of exchange differences which have actually arisen upto the date of the Balance Sheet. Under Section 27(4)(a) of the IFC Act, 1948 the exchange profit or loss during the currency of the foreign currency sub-loan to the sub-borrower has to be borne by the sub-borrower. The Corporation has determined that a total amount of Rs. 7,55,623/- is recoverable by way of exchange loss under section 27(4)(a) of the IFC Act, 1948 from the sub-borrowers as on 30th June, 1976. No adjustment has been made in accounts for such exchange loss recoverable from sub-borrowers under Section 27(4) (a) of the IFC Act, 1948 as it has been decided to credit such recoveries to the Difference in Exchange Suspense Account' as and when the amounts are actually received. The exchange profit or loss to be borne by the Corporation under Section 27(4) (b) of the IFC Act, 1948 in respect of actual remittances made to the foreign lending institution will be determined and adjusted after all the sub-loans under a specific line of credit are repaid to the Corporation.

7. 'Commitment and other charges accrued' include a sum of Rs. 2,48,218/- (Previous year Rs. 65,185/-) due from eight concerns (Previous year three concerns) which is considered doubtful of recovery and is held in Suspense.

8. 'Sundry Debtors' include a sum of Rs. 1,25,00,000/- (Previous year Rs. 1,25,00,000/-) being the amount due from a State Government in respect of the sale price of shares of an assisted concern sold to them under a Rehabilitation Scheme. The sale proceeds are receivable in six annual instalments commencing from September, 1976.

9. On the date of Balance Sheet, the Corporation had the following commitments for investments in shares in cases where the public issue of the shares was already completed :

In respect of devolvement under underwriting contracts —Rs. 5,00,280/-.

10. At the instance of the Income Tax Department, certain appeals/references have been made to the Tribunal/ High Court in cases where the matters had been decided in favour of the Corporation. The total amount of tax involved in such appeals/references pending before the Tribunal/ High Court on the balance sheet date is Rs. 45.45 lakhs.

11. Previous year's figures have been recast wherever necessary to make them comparable.

Notes on Profit and Loss Account

1. During the year, a scheme for rehabilitation of an assisted concern which had been in default for many years was finalised. Under the scheme, a part of the shares held by the Corporation in the said assisted concern was sold at a loss of Rs. 9,07,498/- (Previous year nil). Out of the balance to the debit of the concern, a sum of Rs. 60,59,890/- (Previous year nil) representing a portion of the claim for interest earlier credited to the Interest Suspense A/c. had to be given up. Accordingly, the assisted concern was credited with the said amount against a debit to the Interest Suspense Account.

2. A sum of Rs. 41,79,858/- (Previous year Rs. 25,87,001/-) was transferred from Interest held in Suspense Account to Interest Account on recovery of the arrears of interest credited to the former account.

3. Interest does not include a sum of Rs. 2,57,43,714/- (Previous year Rs. 1,79,82,832/-) considered doubtful of recovery and held in Suspense Account and a sum of Rs. 64,13,840/- (Previous year Rs. 28,32,719/-) being the interest on the Loans and Advances in respect of which the rights and interest of the Corporation have been transferred under Section 21B of the IFC Act, 1948.

4. Interest has not been charged on certain accounts where court decrees have been obtained or the Corporation has decided not to charge the interest.

5. Commission does not include a sum of Rs. 33,490/- (Previous year Rs. 54,494/-) considered doubtful of recovery and held in Suspense Account.

6. Commitment charges do not include a sum of Rs. 1,57,937/- (Previous year Rs. 65,185/-) considered doubtful of recovery and held in Suspense Account.

7. Miscellaneous Income does not include Rs. 57,253/- (Previous year Rs. 1,91,872/-) on account of Incidental Charges considered doubtful of recovery and held in Suspense Account.

8. Previous year's figures have been recast wherever necessary to make them comparable.

APPENDIX A

STATEMENT OF FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED BY THE INDUSTRIAL

Sl. No.	Name of the concern and location of the project	Cost of the project	Means of financing					
			Share Capital		Loans	Deferred payments	Others (Including internal accruals)	Total
			Equity	Preference				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ANDHRA PRADESH								
1.	M/s. Andhra Pradesh Scooters Ltd., Pattancheru, Distt. Medak. (Notified backward district) *Managing Director :* S. D. M. Rao.	223·00	80·00	—	128·00	—	15·00	223·00
2.	M/s Andhra Pradesh Tanneries Ltd., Vizianagaram, Distt. Visakhapatnam. *Chairman :* M. Venkataratnam, I.A.S., *Managing Director :* T. Rajagopala Rao.	153·00	60·00	—	93·00	—	—	153·00
3.	M/s. Andhra Sugars Ltd., Tanuku, Distt. West Godavari *Chairman :* M. Timmaraju, *Managing Director :* M. Harischandra Prasad.	410·00	—	—	100·00	—	310·00	410·00
4.	M/s. Coromandel Agro Products and Oils Ltd., Jandrapeta, near Chirala, Distt. Prakasam (Notified backward district) *Managing Director :* Capt. (Retd.) J. Ram Rao.	170·00	59·00	6·00	105·00	—	—	170·00
5.	M/s. Detergents India Ltd., Kodur Distt. Cuddapah. (Notified backward district) *Chairman :* B. Pratap Reddy, I.A.S., *Managng Director :* G. Harishchandra Reddy.	250·00	86·00	—	164·00	—	—	250·00
6.	M/s. Dolphin Hotels Ltd., Visakhapatnam. *Managing Director :* Ramoji Rao Ch.	116·00	40·00	5·00	65·00	—	6·20	116·20
7.	M/s. Nagarjuna Steels Ltd., Pattancheru, Distt. Medak. (Notified bakcward district) *Chairman :* M. Venkataratnam, I.A.S., *Managing Director :* K. V. K. Raju.	510·00	147·00	23·00	323·47	—	16·53	510·00
8.	M/s. Nizam Sugar Factory Ltd., Miryalguda, Distt. Nalgonda (Notified backward district) *Chairman :* E. V. Ram Reddi, I.A.S., *Vice-Chairman & Managing Director :* P. K. Doraiswamy, I.A.S. (Andhra Pradesh State Government Company)	460·00	161·92	—	293·00	—	5·08	460·00
9.	M/s. R. G. Foundry Forge Ltd', Jeedimetal Industrial Development Area. Dist.. Hyderabad. *Managing Director :* K. K. Gupta.	100·00	40·00	—	60·00	—	—	100·00
10.	M/s. Sahney Paris Rhone Ltd., Pattancheru, Distt. Medak. (Notified backward district) *Proposed Managing Director :* Bhupinder Singh Sahney.	188·52	55·00	15·00	103·52	—	15·00	188·52
11.	M/s. Sri Vijayarama Gajapati Coop. Sugars Ltd., Kumaram, S. Kota Taluk, Distt. Visakhapatnam. *Managing Director :* J. Ram Babu, I.A.S.	435·00	80·00	90·00	265·00	—	—	435·00

DM : Deutsche Mark F, F: French Franc

APPENDIX A (*Contd.*)

FINANCE CORPORATION OF INDIA FROM JULY 1, 1975 TO JUNE 30, 1976.

(Rs. Lakhs)

Financial assistance sanctioned (Gross) by IFCI						Particulars of the project or purpose for which the assistance was sanctioned
Rupee loans	Foreign currency loans (Rupee equivalent)	Underwritings			Total	
		Equity shares	Preference shares	Debentures		
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
27·50	—	5·00	—	—	32·50	New project for the manufacture of 30,000 two-wheeler scooters per annum.
—	22·88 (DM)	5·00	—	—	27·88	New project for the manufacture of 50.40 lakh sq. feet of leather by processing 2.1 lakh pieces of EI/Wet blue chrome tanned cowhides per annum.
30·00	—	—	—	—	30·00 (addl.)	Expansion in the crushing capacity from 3,000 to 5,500 tonnes of sugarcane per day.
25·00	—	5·00	1·00	—	31·00	New project for processing 100 tonnes of cotton seeds per day for the manufacture of refined cotton seed oil and by-products.
30·00	—	5·00	—	—	35·00	New project for the manufacture of 10,000 tonnes of synthetic detergents per annum.
30·00	—	3·00	—	—	33·00	A new 3-Star hotel with 72 double bed rooms.
35·00	—	5·50	2·00	—	42·50	New project for the manufacture of cold rolled steel strips with an installed capacity of 13,500 tonnes per annum.
70·00	—	—	—	—	70·00	Expansion by setting up a new sugar factory with a crushing capacity of 1,250 tonnes of sugarcane per day.
40·00	—	5·00	—	—	45·00	New project for the manufacture of 2,000 tonnes of high alloy wear resistant manganese steel castings per annum.
10·00	7·93 (DM) 7·19 (FF) 1·14 (£ Sterling)	4·00	—	—	30·26	New project for the manufacture of (i) Starter motors, (ii) Generators alternators, and (iii) Voltage regulators with an installed capacity of 70,000 nos. each per annum.
50·00	—	—	—	—	50·00	New Sugar factory with a crushing capacity of 1,250 tonnes of sugarcane per day.

APPENDIX A (*Contd.*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ANDHRA PRADESH (*Contd.*)								
12.	M/s. Tant Cap Electronics Ltd., Pattancheru, Distt. Medak. (Notified backward district) *Managing Director :* Dr. K. Krishna Rao.	125·00	37·50	2·50	70·00	—	15·00	125·00
13.	M/s. Vidyut Steel Ltd., Pattancheru, Distt. Medak. (Notified backward district) *Chairman :* V. P. Rama Rao, I.A.S. *Proposed Managing Director :* A. Surender.	185·00	64·00	—	106·00	—	15·00	185·00
ASSAM								
14.	M/s. Ashok Paper Mills Ltd., (i) Jogighopa, Distt. Goalpara. (ii) Rameshwarnagar, Distt. Darbhanga, Bihar. (Notified bakcward districts) *Managing Director* A.D. Adhikari.	395·00 (over-run)	—	—	300·00	—	95·00	395·00
15.	M/s. Assam Gas Company Ltd., Duliajan, Distt. Dibrugarh. *Chairman :* M. N. Phukan, I.A.S. (Retd.), *Managing Director :* S. D. Phene, I.A.S. (Assam State Government Company)	400·00	195·00	—	205·00	—	—	400·00
16.	M/s. Assam Petro-Chemicals Ltd., Namrup, Distt. Dibrugarh. *Managing Director :* G. S. Harnal. (Assam State Government Company)	258·00 (over-run)	82·00	—	156·30	—	19·70	258·00
17.	M/s. Cachar Sugar Mills Ltd., Chargola, Distt. Cachar. (Notified backward district) *Director :* D. N. Barua. (Assam State Government Company)	540·00	150·00	50·00	325·00	—	15·00	540·00
BIHAR								
18.	M/s. Indian Tube Co. Ltd., Jamshedpur, Distt. Singhbhum. *Chairman :* S. K. Nanavati, *Managing Director :* S. L. Dass. (Tata Group)	1244·00	—	—	800·00	—	444·00	1244·00
GUJARAT								
19.	M/s. Anup Engineering Ltd., Odhav Road, Ahmedabad. *Chairman :* Arvind Narottam, *Managing Director :* Arun P. Sheth.	103·45	—	—	57·50	—	45·95	103·45
20.	M/s. Baroda Rayon Corporation Ltd., Udhna, Distt. Surat. *Chairman :* F. P. Gaekwad, *Managing Director :* Vinay K. Shah.	1450·00	—	120·00	830·00	—	500·00	1450·00

*To be reduced to the extent both ICICI and LIC might participate.

APPENDIX A (*Ceted*)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
45·00*	—	7·00	—	—	52·00	New project for the manufacture of 10 million pieces of solid tantalum dipped capacitors per annum.
30·00	—	5·00	—	—	35·00	New project for the manufacture of 2,000 tonnes of manganese steel castings and 450 tonnes of Ni-hard castings per annum.
34·00	—	—	—	—	34·00 (addl.)	For meeting a part of the over-run in the cost of rehabilitation scheme envisaging the setting-up of a 120 tonnes/day bamboo-based pulp plant and a 90 tonnes/day paper plant at Jogighopa (Assam) and a 40/45 tonnes/day speciality paper plant and a 7·5 tonnes/day rag pulp plant at Rameshwarnagar (Bihar) as also for meeting a part of the over-run in the cost of the caustic soda/chlorine plant at Jogighopa (Assam).
37·50	—	—	—	—	37·50	Expansion scheme envisaging the laying of pipe lines and allied facilities for transmission of natural gas to various receiving centres in the State.
20·00	—	—	—	—	20·00 (addl.)	For meeting a part of the over-run in the cost of the new project for the manufacture of (i) 7,000 tonnes methanol, (iii) 12,000 tonnes of formaldehyde, (iii) 13,500 tonnes of formaldehyde glue (adhesive) and (iv) 1,000 tonnes of urea formaldehyde moulding powder per annum.
110·00	—	—	15·00	—	125·00	New sugar factory with a crushing capacity of 1,250 tonnes of sugarcane per day.
75·00	—	—	—	—	75·00	Rehabilitation - cum - expansion scheme envisaging increase in the installed capacity from 40,000 to 50,000 tonnes of sophisticated variety of tubes per annum.
—	17·12 (DM)	—	—	—	17·12 (addl.)	Expansion scheme envisaging increase in the manufacturing capacity from 1,900 to 3,000 tonnes of dished ends per annum.
50·00	—	—	10·00	—	60·00 (addl.)	Expansion scheme envisaging setting up a plant for the manufacture of 2,000 tonnes of Nylon-6 tyre yarn (out of which 1,000 tonnes would be converted into fabric) per annum.

APPENDIX A (*Contd.*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
GUJRAT (*Contd.*)								
21.	M/s. Citurgia Bio-Chemicals Ltd., Pandesara Industrial Estate, Distt. Surat. *Chairman :* Neville N. Wadia, *Managing Director :* D. N. Poonegar.	780·00	300·00	—	480·00	—	—	780·00
22.	M/s. Gujchem Distillers India Ltd., Ankleshwar, Distt. Broach. (Notified backward district) *Managing Director :* Laxmikant Bhagubhai.	174·00	—	—	105·00	—	69·00	174·00
23.	M/s. Polymers Corporation of Gujarat Ltd., Jawaharnagar Industrial Area, Baroda. *Chairman & Managing Director :* J. J. Mehta.	1400·00	500·00	60·00	840·34	—	—	1400·34
HARYANA								
24.	M/s. American Universal Electric (India) Ltd., Faridabad, Distt. Gurgaon. *President & Managing Director :* K. P. Singh.	49·50	10·00 (R.I.)	—	33·00	—	6·50	49·50
25.	M/s. Haryana Sheet Glass Ltd., Sevli, Distt. Sonepat. *Technical Director :* N. C. Gupta.	165·00	60·00	—	105·00	—	—	165·00
26.	M/s. Haryana State Cooperative Supply & Marketing Federation Ltd., Hansi, Distt. Hissar. (Notified backward district) *Chairman :* Ch. Man Singh, *Managing Director :* R. D. Garg,.	484·00	227·00	—	257·00	—	—	484·00
27.	M/s. Karnal Cooperative Sugar Mills Ltd., Quasba Karnal, Distt. Karnal. *Chairman* Sukhdev Prasad.	580·00	66·45	140·00	370·00	—	4·05	580·50
28.	M/s. Milton Cycle Industries Ltd., Sonepat. *Chairman :* Bishamber Das Kapur, *President :* Jagdish Chander Kapur.	31·50	—	—	18·00	—	13·50	31·50
29.	M/s. Panchkula Malt Ltd., Panchkula, Distt. Ambala. *Chairman :* Lalit M. Thapar, *Managing Director :* Ranjit S. Partab.	82·00	34·00	—	48·00	—	—	82·40
30.	M/s. Sehgal Papers Ltd., Dharuhera, Distt. Mohindergarh. (Notified backward district) *Managing Director :* M. M. Sehgal.	348·00	135·00	—	213·00	—	—	348·00
31.	M/s. Sonepat Cooperative Sugar Mills Ltd., Sonepat. *Chairman :* M. D. Asthana, I.A.S.	555·00	55·00	140·00	360·00	—	—	555·00
HIMACHAL PRADESH								
32.	M/s. Himachal Wool Processors Ltd., Nalagarh, Distt. Solan. (Notified backward district) *Chairman*: U. N. Sharma, I.A.S., *Mnaaging Director :* S. K. Chauhan, I.A.S. (Himachal Pradesh State Government Company)	245·00	95·00	—	135·00	—	15·00	245·00

R.I-Rights Issue

APPENDEX A (*ontd.*) (Rs. Lakhs)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
50·00	—	5·00	—	—	55·00	New project for the manufacture of 3,000 tonnes of citric acid per annum.
50·00	—	—	—	—	50·00	Expansion by setting up a new unit for the manufacture of 3,000 tonnes of acetic acid per annum.
90·00	8·92 (DM)	20·00	—	—	118·92	New project for the manufacture of 5,000 tonnes of methyl methacrylate monomer, 2,000 tonnes of polymethyl methacrylate sheets and 1,500 tonnes of polymethyl methacrylate pellets per annum.
33·00	—	—	—	—	33·00 (addl.)	Modernisation scheme envisaging the installation of certain imported and indigenous equipment at its existing factory.
30·00	—	5·00	—	—	35·00	New project for the manufacture of sheet glass with an installed capacity of 2,81 million square metres per annum.
100·00	—	—	—	—	100·00	New cotton textile mill with a complement of 25,080 spindles.
90·00	—	—	—	—	90·00	New sugar factory with a crushing capacity of 1,250 tonnes of sugarcane per day.
18·00	—	—	—	—	18·00 (addl.)	Expansion scheme envisaging an increase in the production capacity of free-wheels, chains, B.B. cups and B.B. axles to 12 lakhs, 18 lakhs 7·2 lakhs and 7·2 lakhs respectively per annum and manufacture of screw races, expander bolt nuts and check nuts with an installed capacity of 7·2 lakh nos. each per annum.
18·00	—	5·00	—	—	23·00	New project for the manufacture of malt from barley with a capacity of 4,200 tonnes per annum.
50·00	—	15·00	—	—	65·00	New project for the manufacture of 30 tonnes of writing and printing paper per day.
90·00	—	—	—	—	90·00	New sugar factory with a crushing capacity of 1,250 tonnes of sugarcane per day.
30·00	—	7·00	—	—	37·00	New woollen spinning mill with a complement of 2,800 spindles.

APPENDIX A (*Contd.*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
HIMACHAL PRADASH—(*Contd.*)								
33.	M/S.Himachal Worsted Mills Ltd., Nalagarh, Distt. Solan. (Notified backward district) *Chairman :* C. N, Sharma, I.A.S., *Managing Director :* S. K. Chauhan, I.A.S. (Himachal Pradesh State Government Company)	234·00	92·00	—	127·00	—	15·00	234·00
34.	M/s. Span Motels Private Ltd., Katrain, Distt. Kulu. (Notified backward district) *Managing Director :* K. K. Singh.	6·00 (over-run)	0·50	—	5·50	—	—	6·00
35.	M/s. Thirani Chemicals Ltd., Paonta, Distt. Sirmur. (Notified backward district) *Managing Director :* A. K. Thirani.	59·00	22·00	—	27·05	—	9·95	59·00
JAMMU & KASHMIR								
36.	M/s. Birla Cotton Spg. & Wvg. Mills Ltd., Kathua, (Notified backward district) *Chairman :* K. K. Birla.	255·00	—	—	150·00	—	105·00	255·00
KARNATAKA								
37.	M/s. Escorts Ltd., (i) Bangalore, (ii) Patiala, Punjab. *Chairman & Managing Director :* H. P. Nanda, *Vice -Chairman & Joint Managing Director :* Rajan Nanda. (Escorts Group)	1698·00	—	—	1241·00		457·00	1698·00
38.	M/s. Gangavati Sugars Ltd Marli, Gangavati Taluk, Distt. Raichur. (Notified backward district) *Chairman :* T. Shamanna, I.A.S., *Managing Directors :* N. Chandappa and H. R. Basavaraj.	204·00 (over-run)	25·00 (R.I.)	—	149·00	30·00	—	204·00
39.	M/s. Mysore Petro-Chemicals Ltd., Deosagar, Distt. Raichur. (Notified backward district) *Chairman :* T. Shamanna, I.A.S, *Managing Director :* S.S. Dhanuka,	70·00 (over-run)	—	—	59·00	—	110·0	70·00
40.	M/s. Raibag Sahakari Sakkare Karkhana Niyamit, Raibag, Distt. Belgaum. (Notified backward district) *Managing Director :* H. L. Kanniah.	**	—	—	—	—	—	—
41.	M/s. Sandur Manganese & Iron Ores Ltd., Vyasanakere (Near Hospet), Distt. Bellary. *Chairman & Managing Director :* Y. R. Ghorpade.	378·00 (over-run)	—	—	73·00	—	305·00	378·00
42.	M/s. Triton Valves Ltd., Mysore—Belvadi Industrial Area, Distt. Mysore. (Notified backward district) *Proposed Managing Director :* M. V. Gokarn.	110·00	32·02	8·00	70·00	—	—	110·02

*Subscription to Rights Issue.

**Cost of the project accounted for in the year 1974-75.

APPENDIX A(*contd.*)

(Rs. Lakhs)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
30·00	—	10·00			40·00	New worsted spinning mill with a complement of 2,400 spindles.
5·50	—	—	—	—	5·50 (addl.)	For meeting a part of the over-run in the cost of the new hotel with 24 rooms.
—	—	2·50	—	—	2·50	New project for the manufacture of 3,465 tonnes of precipitated and 1,485 tonnes of activated calcium carbonate per annum.
40·00	—	—	—	—	40·00	Expansion of scheme envisaging an increase in the spindleage from 12,600 to 25,000.
125·00	—	—	—	—	125·00 (addl.)	Expansion-cum-modernisation scheme envisaging (i) settings up a new unit for the manufacture of one million nos. each of pistons & piston pins at Bangalore, and (ii) replacing certain old machinery in its existing unit at Patiala (Punjab).
20·00	—	1·34*	—	—	21·34 (addl.)	For meeting a part of the over-run in the cost of the new sugar factory with a crushing capacity of 2,500 tonnes of sugarcane per day.
10·00	—	—	—	—	10·00 (addl.)	For meeting a part of the over-run in the cost of the new project for the manufacture of 6,000 tonnes of phthalic anhydride per annum
7·50	—	—	—	—	7·50 (addl.)	New sugar factory with a crushing capacity of 1,250 tonnes of sugarcane per day.
—	21·50 (DM)	—	—	—	21·25 (addl.)	For financing a part of the over-run in the diversification scheme envisaging the setting-up of a new unit for the manufacture of 24,000 tonnes of ferro-silicon per annum.
14·00	—	5·00	—	—	19·00	New project for the manufacture of automobile tyre tube valves with an installed capacity of 4 million valve stems and 6 million cores per annum.

APPENDIX A (*Contd.*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
KARNATAKA (*Contd.*)								
43.	M/s. Visvesvaraya Iron & Steel Ltd., Bhadravati, Distt. Shimoga. *Chairman*: S. M. Krishana, *Vice-Chairman Managing Director* : S.K. Warrior, I.A.S (Karnataka State Government Company)	1665·00	352·00	—	723·70	—	589·30	1665·00
KERALA								
44.	M/s. Transformers and Electricals Kerala Ltd., Angamally, *Chairman* : George Thomas, I.A.S., *Managing Director* : K. G. Seshan.	563·46	184·17	—	249·00	—	131·00	564·17
45.	M/s. Vanjinad Leathers Ltd., Thrikkanapuram, Dist. Malapuram. (Notified backward district) *Managing Director* : T. P. Chandy.	165·00	60·00	—	90·00	—	15·00	165·00
MADHYA PRADESH								
46.	M/s. Bilaspur Spining Mills & Industries Ltd., Bilaspur. (Notified backward district) *Manging Director* : B. K. Nopany.	103·00 (over-run)	24·55 (R.I.)	—	35·00	20·40	23·05	103·00
47.	M./s. Gajra Bevel Gears Ltd., Dewas. (Notified backward district) *Chairman* : M. L. Apte, *Proposed Managing Director* : I.S. Gajra.	480·00	190·00	—	290·00	—	—	480·00
48.	M/s. IISCO Stanton Pipe & Foundry Co. Ltd., Dewas Road, Ujjain. *Chairman* : H. Bhaya, *General Manager* : Brig. S. C. Bhattacharyya.	793·00	—	—	350·00	—	443·00	793·00
49.	M/s. Madhya Pradesh Industries Ltd., Govindpura Industrial Area, Bhopal, Distt. Sehore. (Notified backward district) (J. K. Singhania Group)	86·00 (over-run)	—	—	56·00	—	30·00	86·00
50.	M/s. Madhya Pradesh Vidyut Yantra Ltd., Gosalpur, Sihora Tehsil, Dist. Jabalpur. *Chairman* : M. K. Chaturvedi, I.A.S., *Managing Director* : M. B. Tambakad.	110·00	50·00	—	60·00	—	—	110·00
MAHARASHTRA								
51.	M/s. Carbon Corporation Ltd., Satpur Industrial Area, Nasik. *Proposed Managing Director* : Mukul Harkisondass.	490·00	180·00	—	310·00	—	—	490·00
52.	M/s Drillco Metal Carbides Ltd., Ahmednagar. *Managing Director* : M. Sekhri.	210·90	74·00	—	136·90	—	—	210·90
53.	M/s. G.L. Hotels Ltd., Aurangabad. (Notified backward district) *Chairman* : Smt. Prithvi Bir Kaur, *Director* : P. L. Lamba and I. K. Ghai.	43·54 (over-run)	—	—	27·00	—	16·54	43·54

APPENDIX A (*Contd*).
(Rs. Lakhs)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
100·00	—	—	—	—	100·00	Expansion - cum - diversification scheme envisaging the setting-up of a forge shop for the manufacture of high speed steel, alloy and carbon tool steel, die blocks, valve steel and carbon constructional steels with a total capacity of 5,350 tonnes of finished forged products and 2,900 tonnes of semis per annum.
40·00	—	10·00	—	—	50·00	Expansion scheme envisaging an increase in the manufacturing capacity of power transformers from 1,080 MVA to 3,000 MVA and current and potential transformers from 600 nos. to 1,000 nos. per annum and also the manufacture of bushings and on-load tap changers for captive use.
—	13·84 (DM)	5·00	—	—	18·84	New project for the manufacture of 48 lakh sq. ft. of finished leather by processing 1·50 lakh pieces of cow hides and 3·00 lakh pieces of goat skins per annum.
15·00	—	—	—	—	15·00 (addl.)	For meeting a part of the over-run in the cost of the expansion scheme envisaging an increase in the spindleage from 12,064 to 25,024.
—	43·95 (DM)	10·00	—	—	53·95	New project for the manufacture of 800 tonnes of crown wheel and pinion sets and differential gear kits per annum.
50·00	—	—	—	—	50·00	Expansion scheme envisaging increase in the manufacturing capacity of cast iron spun pipes from 60,000 to 1,20,000 tonnes per annum.
10·00	—	—	—	—	10·00 (addl.)	For meeting a part of the over-run in the cost of the new project for the manufacture of 60 million dry cell batteries per annum.
20·50	—	5·00	—	—	25·50	New project for the manufacture of distribution transformers with a total installed capacity of 400 MVA per annum.
17·04	16·05 (DM)	5·00	—	—	38·09	New project for the manufacture of 3,800 tonnes of graphite electrodes and 1,200 tonnes of anodes per annum.
10·00	12·21 (DM)	5·00	—	—	27·21	New project for the manufacture of 24 tonnes of tungsten carbide products, 1,00,000 nos. of drilling rods and 5,000 nos. of drilling bits per annum.
9·00	—	—	—	—	9·00 (addl.)	For meeting a part of the over-run in the cost of expansion scheme envisaging setting up a new hotel of international standards with 72 rooms including 3 suites.

APPENDIX A (*Contd.*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
MAHARASHTRA (*Contd.*)								
54.	M/s. Globe Steerings Ltd., Mulund, Bombay. *Managing Director :* C. J. Talsania.	10·50 (over-run)	—	—	11·50	—	2·00	13·50
55.	M/s. Gogte Steels Ltd., Tarapur, Distt. Thana. *Chairman :* B. M. Gogte, *Managing Director :* Subir Sen,	80·00 (over-run)	17·00	—	52·00	6·00	5·00	80·00
56.	M/s. Graham Firth Steel Products (India) Ltd., Goregaon (East), Bombay. *Chairman :* Dr. Pranlal J. Patel.	0·99	—	—	0·99	—	—	0·99
57.	M/s. Greaves Lombardini Ltd., Chikalthana, Distt. Aurangabad. (Notified backwad ditrict) *Director :* M. V. Wagle,	886·00	220·00	50·00	501·00	—	115·00	886·00
58.	M/s. Ichalkaranji Cooperative Spinning Mills Ltd., Shiradwad, Distt. Kolhapur. *Chairman :* Kallappa Baburao Awade, *Managing Director :* S. J. Nimbalkar.	396·00	84·00	84·00	228·00	—	—	396·00
59.	M/s. National Machinery Manufacturers Ltd., (i) Kalwe, Distt, Thana. (ii) Baroda, Gujarat. *Chairman :* Arvind M, Mafatlal, *Vice-Chairman :* C.C. Chokshi,	265·00	—	80·00	—	—	185·00	265·00
60.	M/s. Pravara Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Pravaranagar, Distt. Ahmednagar. *Managing Director :* M. K. Patil.	425·00	50·00	—	250·00	—	125·00	425·00
61.	M/s. Premier Synthetic Processors Ltd., Trans-Thana Creek, Industrial Area, Pawne, Distt, Thana. *Managing Director :* B. K. Jhunjhunwala,	3·80	—	—	3·80	—	—	3·80
62.	M/s. Ruby Mills Ltd., Bombay. *Chairman/Managing Director :* Manohar Lal Chunilal Shah.	12·82	—	—	8·72	—	4·10	12·82
63.	M/s. Seven Seats Transportation Ltd., Bombay. *Chairman :* Gopal Krishan Singhania. (J. K. Singhania Group)	3000·00	90·00	30·00	2880·00	—	—	3000·00
64.	M/s. Shree Dudhganga Vedganga Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Bidri, Kagal Taluk, Distt. Kolhapur. *Incharge Managing Director :* A. S. Joshi.	475·00	75·00	—	250·00	—	150·00	475·00
65.	M/s. Spundish Engineers Private Ltd., Thana. *Managing Director :* Ashoka Prasad.	94·85	26·35	—	59·80	—	8·70	94·85
66.	M/s. Yeotmal Zilla Sahakari Soot Wa Kapad Girni Ltd., Pusad, Distt. Yeotmal. (Notified backward district) *Chairman :* S. K. Asegaonkar, *Managing Director :* B. A. Acquilla.	165·00	23·00	46·00	91·00	—	5·00	165·00

*Subscription to Rights Issue.

APPENDIX A (*Contd.*)

(Rs. Lakhs)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3·50	—	—			3·50 (addl.)	For meeting a part of the over-run in the cost of the new project for the manufacture of 25,000 nos. of steering gears per annum.
10·00	—	—	—	—	10·00 (addl.)	For meeting a part of the over-run in the cost of the new project for the manufacture of mild steel, carbon steel and spring steel billets with an installed capacity of 44,000 tonnes per annum.
—	0·57 (DM)	—	—	—	0·57 (addl.)	Import of one sheet metal testing machine.
25·00	45·92 (£ Sterling)	10·00	—	—	80·92	New project for the manufacture of 52,000 nos. of high speed diesel engines per annum.
75·00	—	—	—	—	75·00	New cotton textile mill with a complement of 25,080 spindles.
—	—	—	5·00	—	5·00	Modernisation and balancing scheme for the two units engaged in the manufacture of textile machinery
60·00	—	—	—	—	60·00 (addl.)	Expansion in the crushing capacity from 2,500 to 3,500 tonnes of sugarcane per day.
1·80	—	—	—	—	1·80 (addl.)	Purchase of one Beam Dyeing machine and two jiggers.
—	4·91 (DM)	—	—	—	4·91 (addl.)	Import of one Autoconer.
—	—	—	3·61*	—	3·61 (addl.)	Expansion scheme envisaging acquisition of two or more ships of the total tonnage of about 1·25 lakhs DWT
60·00	—	—	—	—	60·00 (addl.)	Expansion in the crushing capacity from 1,750 tonnes to 3,000 tonnes of sugarcane per day.
—	12·24 (DM)	—	—	—	12·24	New project for the manufacture of dished and flanged ends with an installed capacity of 2,600 tonnes per annum.
31·00	—	—	—	—	31·00 (addl.	Expansion scheme envisaging an increase in the spindleage from 11,772 to 24,972.

APPENDIX A (*Contd.*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
MEGHALAYA								
67.	M/s. Mawmluh Cherra Cements Ltd., Mawmluh, Distt. Khasi Hills, (Notified backward district) *Chairman :* Stanley Nichols Roy. (Meghalaya State Government Company)	980·00	253·00	—	650·00	—	77·00	980·00
68.	M/s. Meghalaya Phyto-Chemicals Ltd., Barapani, Near Shillong, Distt. Khasi Hills. (Notified backward district) *Chairman :* B. Himatsingka, *Managing Director :* Smt. Usha Himatsingka.	98·00	40·00	10·00	42·00	—	6·00	98·00
ORISSA								
69.	M/s. Orissa Tyres Ltd., Mancheswar, Near Bhubaneshwar, Distt. Puri. *Chairman :* B. Venkataraman, *Proposed Managing Director :* S. N. Agarwal	3359·00	1075·00	—	2109·00	—	175·00	3359·00
PUNJAB								
70.	M/s. Delhi Cloth & General Mills Co. Ltd., Asron, Distt. Hoshiarpur. (Notified backward district) *Chairman & Managing Director :* Dr. Bharat Ram *Managing Director :* Dr. Charat Ram. (Shriram Group)	1450·00	—	—	1032·00@	—	418·00	1450·0
71.	M/s. Oriental Carpet Manufacturers (India) Ltd., Chheharta, Distt. Amritsar. *Managing Director :* J. L. Mehra.	110·00	8·00 (R.I.)	—	50·00	12·68	39·32	110·00
72.	M/s. Stepan Chemicals Ltd., Rajpura, Distt. Patiala. *Chairman :* S. L. Kapur, I.A.S.	500·00	190·00	10·00	300·00	—	—	500·00
73.	M/s. Sterling Steels & Wires Ltd., Chohal, Distt. Hoshiarpur. (Notified backward district) *Proposed Managing Director* : I. P. Anand.	258·00	90·00	—	153·00	—	15·00	258·00
RAJASTHAN								
74.	M/s. Bhilwara Processors Ltd. Bhilwara. (Notified backward district) *Chairman* : S. L. Shroff.	124·00	35·00	10·00	64·00	—	15·00	124·00
75.	M/s. Jaipur Udyog Ltd. Sawaimadhopur. *Chairman & Managing Director :* A. P. Jain.	525·89	—	—	365·42	—	160·47	525·89
76.	M/s. Rajasthan Spinning & Weaving Mills Ltd.,							
	(i) Bhilwara,	38·16	—	—	17·93	—	20·23	38·16
	(ii) Kharigram, Distt. Bhilwara. (Notified backward district) *Managing Director* : L. N. Jhunjhunwala.	250·00	—	—	185·00	—	65·00	250·00

*Partly in rupee and partly in foreign currency, the exact bifurcation to be decided later.
**Subscription to privately placed debentures.
@Includes Rs. 900·00 lakhs to be raised by way of privately place debentures.

APPENDIX A (*Contd.*)

(Rs. Lakhs)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
175·00	—	—	—	—	175·00 (addl.)	Expansion scheme envisaging increase in the capacity for the manufacture of Portland Cement from 0·83 lakh tonnes to 2·83 lakh tonnes per annum.
10·00	—	4·00	—	—	14·00	New project for the manufacture of 100 tonnes of phyto-chemicals per annum.
100·00*		30·00	—	—	130·00	New project for the manufacture of 5 lakh nos. each of automobile tyres and tubes per annum.
—	—	—	—	100·00**	100·00 (addl.)	Diversification scheme envisaging setting-up of a new high duty alloy foundry with a capacity of 12,000 tonnes per annum.
48·69	0·76 (DM)	—	—	—	49·45	Expansion - cum- modernisation scheme envisaging an addition of 1,200 worsted ring spindles and 20 looms.
40·00	—	10·00	—	—	50·00	New project for the manufacture of synthetic detergents, toilet soaps and glycerine with installed capacities of 10,000 tonnes, 7,200 tonnes and 450 tonnes respectively per annum.
50·00	—	7·50	—	—	57·50	New project for the manufacture of 7,000 tonnes of carbon, mild and alloy steel wires per annum.
37·00	—	5·00	—	—	42·00	New processing house for dyeing and finishing 2,800 metres of peice-dyed and 1,200 metres of fibre-dyed tery-viscose suiting per day.
75·00	—	—	—	—	75·00	Rehabilitation - -cum - balancing scheme aimed at achieving the rated capacity of 8,49 lakh tonnes per annum for the manufacture of Portland Cement.
—	10·36 (DM)	—	—	—	10·36 (addl.)	Import of a Mercerising Plant.
25·00	—	—	—	—	25·00 (addl.)	Expansion scheme envisaging an increase in the spindleage from 8,640 to 17,280.

APPENDIX A (*Contd.*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	TAMIL NADU							
77.	M/s. Alkali and Chemical Corporation of India Ltd., (i) Ennore, Distt. Chingleput. (ii) Rishra, Distt. Hooghly. (Notified backward district) West Bengal. *Chairman :* D. G. Owen, *Managing Director :* K. V. Raghavan. (I.C.I. Group)	1702·58	75·58	—	995·00	—	632·00	1702·58
78.	M/s. Facit Asia Ltd., Perungudi, Saidapet Taluk, Distt. Chingleput. *Chairman :* F. H. Kemple, *Director :* G. Rundberg.	214·69	61·00 (R.I.)	—	112·16	16·27	25·52	214·95
79.	M/s. Oriental Hotels Ltd., Madras. *Managing Director :* D. Subbarama Reddy.	50·00 (over -run)	10·00	—	30·00	—	10·00	50·00
80.	M/s. Seshasayee Paper and Boards Ltd., Erode, Distt. Salem. *Chairman :* S. Narayanaswamy, *Managing Director :* S. Viswanathan. (Seshasayee Group)	2000·00	—	100·00 (R.I.)	1500·00	—	400·00	2000·00
81.	M/s. Swamiji Mills Ltd., Sivakasi, Sattur Taluk, Distt. Ramanathapuram. (Notified backward district) *Chairman :* Dr. K. Padmanabhan, *Managing Director :* A. Samburaj.	76·50	3·00 (R.I.)	—	48·00	—	25·50	76·50
82.	M/s. Tirupattur Cooperative Sugar Mills Ltd., Kethandapatti, Vaniyambadi Taluk, Distt. North Arcot. (Notified backward district) *Managing Director :* K. Natarajan.	649·35	50·00	160·00	415·00	—	25·71	650·71
83.	M/s. Vellore Cooperative Sugar Mills Ltd., Thiruvalam, Gudiatham Taluk, Distt. North Arcot. (Notified backward district) *Managing Director :* M. N. Balasubramanian.	615·76	50·00	160·00	400·00	—	6·16	616·16
	UTTAR BRADESH							
84.	M/s. Allied International Products Ltd., Anugrahnagar, Distt. Moradabad. (Notified backward district) *Chairman :* R. N. Banerjee, I.C.S. (Retd.), *Managing Director :* D. N. Sinha	110·00 (over-run)	16·00 (R.I.)	—	79·00	15·00	—	110·00
85.	M/s. Almora Magnesite Ltd., Distt. Almora. (Notified backward district) *Chairman :* Mahmood Butt, I. A. S., *Managing Director :* Dr. S. S Ghose. (Uttar Pradesh State Government Company)	382·00	140·00	—	237·00	—	5·00	382·00

*Direct subscription.

APPENDIX A (*Contd*).
(Rs. Lakhs)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
75·00	80·00 (£ Sterling)	17·34*	—	—	172·34	Diversification - cum- expansion scheme envisaging setting - up of two new units at Ennore, onef or the manufacture of bulk drugs and formulations and the other for the manufacture of 2,500 kilo litres of Gramoxone (a broad range weedicide) and increasing the capacity for the manufacture of rubber chemicals at Rishra from 3,200 to 6,000 tonnes per annum.
10·00	22·21 (DM)	—	—	—	32·21	Diversification scheme envisaging the manufacture of 20,000 nos. of mechanical typewriters per annum.
7·50	—	—	—	—	7·50 (addl.)	For meeting a part of the over-run in the cost of the new 5-Star deluxe hotel with 238 air-conditioned double bed room.
75·00	—	—	—	—	75.00	Expansion scheme envisaging increase in the capacity for the manufacture of paper and paper board from 35,000 to 55,000 tonnes per annum.
33·00	—	—	—	—	33·00	Expansion scheme envisaging an increase in the spindleage from 11,880 to 25,112.
115·00	—	—	—	—	115·00	New sugar factory with a crushing capacity of 1,250 tonnes of sugarcane per day.
110·00	—	—	—	—	110·00	New suagr factory with a crushing capacity of 1,250 tonnes of sugarcane per day.
39·50	—	3·91*	—	—	43·41 (addl.)	For meeting a part of the over-run in the cost of the new project for the manufacture of 2,400 tonnes of precision industrial fasteners per annum.
40·00	—	—	—	—	40·00	New project for the manufacture of 30,000 tonnes of Dead Burnt Magnesite per annum.

APPENDIX A (*Contd.*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
UTTAR PRADESH (*Contd.*)								
86.	M/s. Basant Paper Mills Ltd., Patanwa, Distt. Varanasi. *Proposed Managing Director :* N. L. Dalmia.	300·00	105·00	15·00	180·00	—	—	300·00
87.	M/s. Hotel Pink City (Pvt.) Ltd., Agra *Managing Director :* N. B. Laxman.	47·00	18·25	—	24·50	—	4·25	47·00
88	M/s. Kisan Sahkari Chini Mills Ltd., Satha. Distt. Aligarh. *General Manager :* Prithvi Singh.	539·00	29·00	160·00	350·00	—	—	539·00
89.	M/s. Kisan Sahkari Chini Mills Ltd., Distt. Nainital. *General Manager :* B. P. Parashari.	787.50	85·00	190·00	500.00	—	12·50	787·50
90.	M/s. Kisan Sahkari Chini Mills Ltd., Tehsil Anupshahr, Distt. Bulandshahr. (Notified backward district) *Chairman :* D. M. Misra. *General Manager :* Karan Singh.	644·00	65·00	160·00	419·00	—	—	644·00
91.	M/s. Kisan Sahkari Chini Mills Ltd., Shikhupur, Distt. Budaun. (Notified backward district) *Chairman :* Devidayal, I. A. S., *General Manager :* R. N. Uberoi.	755·00	75·00	190·00	490·00	—	—	755·00
92.	M/s. Modi Rubber Ltd., Modipuram, Distt. Meerut. *Chairman :* K. N. Modi, *Vice-Chairman :* V. K. Modi. (Modi Group)	730·00 (over-run)	—	100·00	275·00	—	355·00	730·00
93.	M/s. Springs India Ltd., Sahibabad, Distt. Meerut. *Propose Chairman :* D. N. Patodia, *Proposed Managing Director :* B. N. Patodia.	160·00	58·00	7·00	95·00	—	—	160·00
94.	M/s. Sivalik Cellulose Pvt. Ltd., (to be converted into public limited company) Gajraula, Distt. Moradabad. (Notified backward district) *Proposed Managing Director :* Inder P. Chpudhrie.	312·59	108·00	—	202·00	2·59	—	312·59
95.	M/s. Uttar Pradesh State Cement Corporation Ltd., (i) Dalla, (ii) Chunar, Distt. Mirzapur. *Chairman :* P. K. Kaul, I. A. S. *Managing Director :* Shiromani Sharma, I.A.S. (Uttar Pradesh State Government Company)	7200·00	1700·00	—	4700·00	—	800·00	7200·00
96.	M/s. Universal Glass Ltd., Sahibabad. Distt. Meerut. *Chairman :* L. P. Jaiswal, *Managing Director :* Jagatjit Jaiswal.	60·00 (over-run)	—	20·00	40·00	—	—	60·00
97.	M/s. U.P. State Spinning Mills Co. (No.1) Ltd.,							
	(i) Rae Bareli.	484·00	203.00	—	235.00	—	46.00	484·00
	(ii) Lorepore-Morella, Distt. Faizabad.	450.00	190.00	—	217.00	—	43.00	450·00
	(iii) Maunath Bhanjan, Distt. Azamgarh. (Notified backward district) *Chairman :* T. N. Sharma. *Managing Director :* O. N. Vaid. (Uttar Pradesh State Government Company).	475.00	207.00	—	237.00	—	31.00	475·00

APPENDIX A (*Contd.*)
(Rs. Lakhs)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
30·00	—	7·00	—	—	37·00	New project for the manufacture of 5, 940 tonnes of M. G. Kraft paper per annum.
24·50	—	—	—	—	24·50	A new 3-Statr hotel with 40 rooms.
90·00	—	—	—	—	90·00	New sugar factory with a crushing capacity of 1,250 tonnes of sugarcane per day.
90·00	—	—	—	—	90·00	New sugar factory with a crushing capacity of 1,250 tonnes of sugarcane per day.
115·00	—	—	—	—	115·00	New suagr factory with a crushing capacity of 1,250 tonnes sugarcane per day.
150·00	—	—	—	—	150·00	New sugar factory with a crushing capacity of 1,250 tonnes of sugarcane per day.
30·00	—	—	—	—	30·00 (addl.)	For meeting a part of the overrun in the cost of the project for the manufacture of 5 lakhs nos. each of automobile tyres and tubes per annum.
—	14·42 (DM)	5·00	—	—	19·42	New project for the manufacture of 540 tonnes of metallic precision springs per annum.
45·00	—	10·00	—	—	55·00	New project for the manufacture of 20 tonnes of writing and printing paper per day.
300·00	—	—	—	—	300·00	Expansion by setting up a new split-located project at Dalla and Chunar for the manufacture of 16·80 lakh tonnes of portland blast furnace slag cement per annum.
15·00	—	—	—	—	15·00 (addl.)	For meeting a part of the overrun in the cost of the new project for the manufacture of 18,000 tonnes of hollow-wares per annum.
75·00	—	—	—	—	75·00	New cotton textile mill with a complement of 25,080 spindles.
75·00	—	—	—	—	75·00	New cotton textile mill with a complement of 24,960 spindles.
77·00	—	—	—	—	77·00	New cotton textile mill with a complement of 25,088 spindles.

APPENDIX A *(Contd.)*

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
UTTAR PRADESH *(concld.)*								
98.	M/s. Willard India Ltd., Sikandrabad Industrial Estate, Distt. Bulandshahr. (Notified backward district) *Managing Director :* K. P. Singh.	98·51 (over-run)	25·00 (R.I.)	10·00 (R.I.)	49·00	—	14·51	98·51
WEST BENGAL								
99.	M/s. Bright Wires Ltd., Madhyamgram, Distt. 24-Parganas. *Managing Director :* S. N. Agarwal.	88·00 (over-run)	12·00	—	65·00	1·00	10·00	88·00
100.	M/s. India Paper Pulp Co. Ltd., Hazinagar Naihati, Distt. 24-Parganas. *Chairman :* M. L. Zutshi.	150·00	—	—	150·00	—	—	150·00
101.	M/s. Indian Record Manufacturing Company Pvt. Ltd., (To be converted into public limited company) Taratalla Industrial Area, Calcutta. *Proposed Managing Director* : N. C. Dutta.	56·00	14·50	4·50	35·50	—	1·50	56·00
102.	M/s. Poddar Project Ltd., Kidderpur Dock Area, Calcutta. *Chairman :* B. P. Poddar. *Managing Director :* S. K. Poddar	22·75	—	—	9·97	—	12·78	22·75
103.	M/s. S. P. Jaiswal Estates Pvt. Ltd., Calcutta. *Director :* R. K. Jaiswal.	33·90	—	—	24·00	—	9·90	33·90
104.	M/s. Webstar Ltd., Durgapur, Distt. Burdwan, Notified backward district) *Chairman :* A. N. Haksar	3250·00	1000·00	—	2000·00	—	250·00	3250·00
105.	M/s. Universal Paper Mills Ltd., Jhargram, Distt. Midnapur (Notified backward district) *Chairman :* J. P. Kanoria, *Proposed Managing Director :* A. K. Khemka,	290·00	95·00	15·00	167·00	—	13·00	290·0
DELHI								
106.	M/s. Aryavarta Plywoods Ltd., Badli Industrial Estate (Second Phase), Delhi. *Chairman :* Dr. A. N. Nayer.	102·00	39·00	—	63·00	—	—	102·00
GOA, DAMAN & DIU								
107.	M/s. Chowgule Metal Industriels Ltd., San Coale, Goa. (Notified backward area) *Directors* : V. D. Chowgule Y· D. Chowgulo (Chowgule Group)	*4282·52*	*765·00*	*200·00*	*1145·29*	*2238·73*	*15·00*	*4364·02*
108.	M/s. Maberest Hotels Pvt. Ltd., Panjim, Goa, (Notified backward area) *Managing Director :* Joaode Deus Basco Carvalho.	18·00 (over-run)	6·00	—	10·00	—	2·00	18·00
	TOTAL	60978·53	11587·79	2471·00	3647·86	2342·67	8117·50	61066·82†

Amounts sanctioned by way of conversion from one facility to another in respect of assistance sanctioned to four concerns in earlier years—Rs. 6·35 lakhs (Rupee loans) and Rs. 37·35 lakhs (in DM).

*Subscription to Rights Issue. **Direct subscription.

@Since cancelled.

†The figure of the total cost of the project (s) does not tally with the figures of the sum-total of means of financing due to certain adjustments.

Notes :

(i) The name of 'Industrial Group' mentioned against certain concerns, relates to the group of inter-connected undertakings registered under Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969, according to the latest information available with the Corporation

APPENDIX A (*Contd.*)
(Rs. Lakhs)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
—	—	—	3·27*	—	3·27 (addl.)	For meeting a part of the over-run in the cost of the new project for the manufacture of 1,40,000 nos. of lead acid storage batteries and components per annum.
10·00	—	—	—	—	10·00 (addl.)	For meeting a part of the over-run in the cost of the new project for the manufacture of 23,100 tonnes of galvanised and non-galvanised steel wires per annum.
50·00	—	—	—	—	50·00 (addl.)	Modernisation/Rehabilitation scheme of the Company's paper plant as also to increase the production capacity from 19,000 to 21,000 tonnes of paper and paper board per annum.
5·00	—	4·00**	—	—	9·00	New project for the manufacture of 1·5 million nos. of gramophone records per annum.
—	5·57 (DM)	—	—	—	5·57 (addl.)	Import of 3 warp knitting machines with accessories and spares.
24·00	—	—	—	—	24·00@	Expansion scheme envisaging addition of 56 rooms including 4 suites to the existing hotel.
100·00	—	30·00	—	—	130·00	New project for the manufacture of 5 lakh nos. each of automobile tyres and tubes per annum.
25·00	—	2·50	—	—	27·50	New project for the manufacture of 5,940 tonnes of M. G. Kraft paper per annum.
15·00	13·53 (DM)	6·00	—	—	34·53	New project for the manufacture of commercial plywood with an installed capacity of 9·67 lakh sq. meters per annum.
—	—	25·00	10·00	—	55·00	Setting up a new iron ore pelletisation plant with an installed capacity of 1·8 millions tonnes per annum.
10·00	—	—	—	—	10·00 (addl·)	For meeting a part of the over-run in the cost of the new 3-Star hotel with 75 tooms.
4609·03	382·97	342·59	49·88	100·00	5484·47	

Notes : (contd.)

(ii) The names of Chairman/Managing Directors etc·, mentioned against individual concerns, relate to the position as at the time of sanction of financial assistance.

(iii) Figures relating to 'Cost of the project' and the 'Means of financing are those envisaged at the time of sanction of financial assistance.

APPENDIX B

STATE/TERRITORY-WISE DISTRIBUTION OF NET FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED AS ON JUNE 30, 1976

(After adjustment of cancellation/withdrawals)

(Rs. Lakhs)

State/Territory	No. of projects	Assistance sanctioned					% of Total
		Rupee loans	Foreign currency sub-loans	Under-writings/ Direct subscrip-tions	Guarantee for deferred payments on machinery and for foreign loans	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Andhra Pradesh	57	2348·57	250·55	252·60	925·82	3777·54	6·8
Assam	10	610·43	115·86	375·00	—	1101·29	2·0
Bihar	33	1818·91	216·29	318·50	329·75	2683·45	4·8
Gujarat	58	2814·70	493·05	292·71	130·97	3731·43	6·7
Haryana	46	1741·38	315·18	153·77	19·08	2229·41	4·0
Himachal Pradesh	5	94·50	—	24·50	—	119·00	0·2
Jammu & Kashmir	1	40·00	—	—	—	40·00	0·1
Karnataka	67	3102·44	329·20	378·44	221·52	4031·60	7·2
Kerala	25	1282·00	302·06	102·00	172·47	1858·53	3·3
Madhya Pradesh	20	826·32	194·20	273·25	39·82	1333·59	2·4
Maharashtra	161	9143·05	1161·99	786·57	375·93	11467·54	20·5
Meghalaya	2	280·00	—	4·00	—	284·00	0·5
Nagaland	1	50·00	—	—	—	50·00	0·1
Orissa	17	1031·23	219·27	125·00	—	1375·50	2·4
Punjab	20	831·28	169·01	167·50	9·96	1177·75	2·1
Rajasthan	19	1143·95	158·67	82·25	786·07	2170·94	3·9
Tamil Nadu	81	4487·35	812·76	657·92	1281·31	7239·54	12·9
Uttar Pradesh	74	4371·08	667·78	405·63	353·59	5798·08	10·4
West Bengal	84	3003·31	653·31	273·50	532·13	4462·25	8·0
Andaman & Nicobar Islands	1	11·00	—	—	—	11·00	—
Delhi	5	232·98	85·45	40·75	83·33	442·51	0·8
Goa	6	325·00	—	110·00	—	435·00	0·8
Pondicherry	1	52·00	—	—	8·16	60·16	0·1
TOTAL	794	39641·68	6144·63	4823·89	5269·91	55880·11	100·0

APPENDIX C

INDUSTRY-WISE DISTRIBUTION OF NET FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED AS PER THE NATIONAL INDUSTRIAL CLASSIFICATION AS ON JUNE 30, 1976

(After adjustment of cancellations/withdrawals)

(Rs. Lakhs)

N.I.C. Code Number	Industry Group	Assistance sanctioned						
		No. of projects	Rupee loans	Foreign currency sub-loans	Under-writings/ Direct sub-scriptions	Guarantees for deferred payments on machi-nery and for foreign loans	Total	% of Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Mining and quarrying :							
100	—Coal mining . . .	3	120·00	—	—	—	120·00	0·2
110	—Crude petroleum . .	1	—	—	350·00	—	350·00	0·6
120, 125, 127	—Metal ore mining . .	4	210·00	—	35·00	—	245·00	0·5
	Food products :							
206	—Sugar	131	12064·03	7·68	85·34	—	12157·23	21·8
202,210, 211,212, 219,222	—Other food products . .	8	90·50	9·00	18·90	—	118·40	0·2
231, 232, 241, 244, 247, 248	Textile	121	5487·72	168·96	254·50	306·93	6218·11	11·1
251	Jute manufactures . . .	14	744·76	0·81	—	—	745·57	1·3
270, 278	Wood products . . .	7	117·26	138·31	20·50	—	276·07	0·5
280, 281	Paper and paper products. .	38	1836·63	726·27	239·08	551·16	3353·14	6·0
290	Leather products . . .	4	47·00	36·72	17·00	—	100·72	0·2
300 to 303	Rubber products . . .	19	1487·78	289·31	269·67	315·61	2362·37	4·2
	Chemicals and chemical products :							
310	—Basic industrial organic and inorganic chemicals and gases	33	1820·22	653·40	243·75	431·36	3148·73	5·6
311	—Fertilisers and pesticides .	15	1526·00	41·36	400·93	1278·86	3247·15	5·8
316	—Synthetic and other man-made fibres	17	781·00	548·13	170·45	46·02	1545·60	2·8
316	—Synthetic resins and plastic materials	9	355·00	234·76	90·00	—	679·76	1·2
305, 312, 313, 314, 315, 318, 319	—Other chemicals and chemical products	25	471·00	144·56	118·19	—	733·65	1·3
	C/o.	449	27158·90	2999·35	2313·31	2929·94	35401·50	63·3

APPENDIX C (*Contd.*)

INDUSTRY-WISE DISTRIBUTION OF NET FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED AS PER THE NATIONAL INDUSTRIAL CLASSIFICATION AS ON JUNE 30, 1976

(*After adjustment of cancellations/withdrawals*)

(Rs. Lakhs)

N.I.C. Code Number	Industry Group	Assistance sanctioned						% of Total
		No. of projects	Rupee loans	Foreign currency sub-loans	Under-writings/ Direct sub-scriptions	Guarantees for deferred payments on machinery and for foreign loans	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	B/f . .	449	27158·90	2999·35	2313·31	2929·94	35401·50	63·3
	Non-metallic mineral products :							
321	—Glass and glass products .	15	465·73	87·56	43·00	—	596·29	1·1
324, 328	—Cement	28	2077·00	348·16	215·89	18·54	2659·59	4·8
320, 323, 329	—Other non-metallic mineral products	21	730·09	268·96	113·00	—	1112·05	2·0
	Basic metal and alloy industries :							
330 to 332	—Iron & steel and ferro alloys	58	2507·05	581·75	716·79	103·26	3908·85	7·0
333 to 336, 339	—Non-ferrous metal industry .	12	776·95	9·47	308·00	1945·65	3040·07	5·5
340, 341, 343, 344, 349	Metal products except machinery and transport equipment	34	730·94	237·22	234·69	62·78	1265·63	2·3
	Machinery except electrical machinery :							
350	—Agricultural equipment and parts	7	283·00	101·03	55·50	—	439·53	0·8
351 to 359	—Machinery and accessories .	54	1269·72	682·06	240·40	103·76	2295·84	4·1
360 to 364, 367, 369	Electrical machinery, apparatus, appliances and parts . .	45	1281·36	352·06	215·51	—	1848·93	3·3
	Transport equipment and parts :							
71, 372	—Locomotives, railway wagons and coaches . .	4	105·00	—	10·00	—	115·00	0·2
374	—Motor vehicles and parts .	20	573·08	358·37	196·69	—	1128·14	2·0
375	—Motor cycles, autocycles, scooters and parts . . .	11	460·94	103·45	37·50	26·95	628·84	1·1
376	—Other transport equipment .	3	216·20	8·85	—	—	225·05	0·4
380, 382, 385	Miscellaneous manufacturing industries	3	7·10	6·34	—	—	13·44	..
40, 41	Electricity and gas . .	8	155·50	—	65·00	—	220·50	0·4
691	Hotel industry . . .	21	843·12	—	45·10	79·03	967·25	1·7
710	Shipping industry . . .	1	—	—	13·61	—	13·61	..
	TOTAL . .	794	39641·68	6144·63	4823·89	5269·91	55880·11	100·0

APPENDIX D

DISPOSAL OF APPLICATIONS FOR ASSISTANCE

(Rs. Lakhs)

State/Territory	No of concerns from whom applications were pending at the beginning of the year (1-7-1975)		No. of concerns from whom applications were received during the year		No. of concerns whose applications were withdrawn during the year		No. of concerns whose applications were sanctioned assistance (gross) during the year		No. of concerns from whom applications are pending as on 30-6-1976	
	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Andhra Pradesh	4	894·52	17	6005·27	1	61·00	13	514·14	7	4737·35
Assam	1	75·00	5	1077·50	—	—	4*	216·50	2	302·50
Bihar	1	942·00	6	2453·74	—	—	1	75·00	6	2596·74
Gujarat	..	..	9	5880·50	—	—	5	301·04	4	3123·00
Haryana	4	768·00	9	1202·20	1	70·00	8	454·00	3	413·20
Himachal Pradesh	1	2·50	3	355·50	—	—	4	85·00	—	—
Jammu & Kashmir	1	340·00	2	1400·00	1	340·00	1	40·00	1	1250·00
Karnataka	1	20·00	12	4096·98	—	—	7*	304·09	6	2745·98
Kerala	1	215·83	3	681·40	—	—	2	68·84	2	562·00
Madhya Pradesh	3	456·00	4	471·50	—	—	5	154·45	2	337·00
Maharashtra	12	3204·23	23	4269·27	2	482·00	16*	422·85	18	4932·40
Meghalaya	—	..	2	664·00	—	—	2	189·00	..	—
Orissa	1	2141·00	4	1362·50	—	—	1	130·00	4	1362·50
Punjab	1	413·80	5	1453·64	1	20·00	4	256·95	1	270·64
Rajasthan	..	..	9	2207·01	—	..	3	152·36	6	1543·66
Tamil Nadu	5	1676·94	12	4915·40	2	202·00	7*	545·05	8	3067·44
Uttar Pradesh	4	1534·00	28	8618·73	1	50·00	17	1239·60	13	5740·89
West Bengal	3	252·00	10	3764·43	1	35·00	7@	246·07	5	1039·46
Andaman & Nicobar Islands	—	—	1	40·00	—	—	—	..	1	40·00
Delhi	—	—	2	467·70	—	—	1	34·53	1	370·00
Goa, Daman & Diu	—	—	2	53·00	—	—	2	45·00	—	—
Pondicherry	—	—	1	265·00	—	—	—	—	1	265·00
Tripura	—	—	1	410·00	—	—	—	—	1	410·00
TOTAL	43	12935·82	170	52115·27	10	1260·00	10	5484·47	93	35109·76

*Includes one concern which has set up projects in more than one State.

@Includes one concern to whom assistance was sanctioned but was subsequently declined by it, and hence treated as cancelled.

NOTES : (1) Number of concerns under columns 2, 4, 6, 8 and 10 includes concerns which have/had applied for financial assistance jointly with other financial institutions.

(2) Amounts shown under columns 3, 5, 7, and 11 include financia assistance sought jointly with other financial institutions.

APPENDIX E

STATEMENT SHOWING INDUSTRY-WISE DISTRIBUTION OF NET FINANCIAL
FINANCE CORPORATION OF INDIA

(*After adjustment of*

N.I.C. Code Number	Industry Group	Andhra Pradesh	Assam	Bihar	Gujarat	Haryana	Himachal Pradesh	Jammu & Kashmir	Karana-taka	Kerala
	Mining and quarrying :									
100	—Coal mining . .	..	..	50·00	..	..	..	..	..	..
110	—Crude petroleum .	..	350·00	..	..	..	..	..	..	..
120, 125, 127	—Metal ore mining .	..	..	..	..	..	..	..	50·00	..
	Food products :									
206	—Sugar . . .	1005·00	185·00	191·50	600·50	286·00	..	..	1075·59	180·0
202, 210, 211, 212, 219, 222	—Other food products	..	..	18·00	..	26·90	..	..	30·00	..
231, 232, 241, 244, 247, 248	—Textile . . .	395·44	26·17	127·70	525·70	335·23	77·00	40·00	460·33	41·68
251	Jute manufactures .	98·00	78·50	34·00	..	..	..	..	..	..
270, 278	Wood products .	37·47	100·74	..	7·00	..	..	..	..	65·33
280, 281	Paper and paper products . . .	138·10	197·00	529·97	278·23	155·77	..	..	649·80	117·34
290	Leather products .	27·88	..	..	..	..	..	..	..	18·84
300 to 303	Rubber products .	..	..	21·64	..	..	..	..	90·00	168·33
	Chemicals and chemical products :									
310	—Basic industrial organic and inorganic chemicals and gases	237·45	..	..	442·17	..	..	..	113·00	140·00
311	—Fertilisers and pesticides . .	963·29	36·38	..	520·00	..	20·00	..	201·00	306·00
316	—Synthetic and other man-made fibres .	..	..	..	740·96	23·00	..	..	..	46·86
316	—Synthetic resins and plastic materials .	162·24	90·00	..	13·22	..	..	..	15·00	..
305, 312 to 315, 318, 319	—Other chemicals and chemical products .	66·00	..	..	10·64	12·00	2·50	....	52·58	119·00
	Non-metallic mineral products :									
321	—Glass and glass products . . .	47·50	..	114·93	..	96·87	..	..	1·50	40·00
324, 328	—Cement . .	144·89	..	429·76	142·30	..	..	..	48·00	..
320, 323, 329	—Other non-metallic mineral products	..	..	212·75	70·00	101·98	..	..	2·85	..
	Basic metal and alloy industries :									
330 to 332	—Iron & steel and ferro-alloys . .	172·50	..	771·34	..	410·67	..	..	246·25	48·27
333 to 336, 339	—Non-ferrous metal industry . .	..	..	..	..	..	..	..	215·00	309·10
340, 341, 343, 344, 349	Metal products except machinery and transport equipment .	..	..	..	47·00	206·50	..	..	60·41	..
	Machinery except electrical machinery :									
350	—Agricultural equipment and parts .	..	..	..	..	110·69	..	..	32·50	

APPENDIX (*Contd.*)

ASSISTANCE SANCTIONED FOR PROJECTS IN EACH STATE BY THE INDUSTRIAL AS ON JUNE 30, 1976

cancellations/withdrawals)

(Rs. Lakhs)

Madhya Pradesh	Maha-rashtra	Megha-laya	Naga-land	Orissa	Punjab	Rajasthan	Tamil Nadu	Uttar Pradesh	West Bengal	Union Terri-tories	Total	No of project
..	..	..	..	..	..	..	..	..	70·00	..	120·00	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	350·00	
..	..	..	..	75·00	..	..	85·00	..	..	35·00	245·00	
80·00	5149·20	..	50·00	205·00	315·00	95·00	1234·44	1355·00	..	150·00	12157·23	131
..	..	..	..	..	..	..	..	38·24	5·26	..	118·40	8
363·96	1057·10	..	..	232·88	278·30	439·58	473·89	917·17	296·52	129·46	6218·11	121
..	..	..	..	..	..	..	..	..	535·07	..	745·57	14
..	..	..	..	..	..	..	..	..	20·00	45·53	276·07	7
..	192·79	..	..	252·08	..	..	75·00	402·73	364·33	..	3353·14	38
..	..	..	..	..	..	..	37·00	..	17·00	..	100·72	14
..	131·80	..	..	130·00	..	135·00	468·82	441·44	675·34	100·00	2362·37	9
..	691·97	..	..	29·29	..	..	1031·65	294·13	219·07	..	3148.73	33
..	31·50	..	..	..	..	253·98	395·00	445·00	..	75·00	3247·15	15
96·25	143·03	..	..	..	..	55·80	161·20	278·60	..	..	1545·60	17
..	294·30	..	..	..	..	..	105·00	..	..	..	679·76	9
22·38	41·85	14·00	..	..	50·00	..	255·45	42·25	45·00	..	733·65	25
—	54·83	—	—	—	—	—	—	120·65	120·01	—	596·29	15
329·59	—	270·00	—	100·00	—	125·00	770·05	300·00	—	—	2659·59	28
160·00	84·09	—	—	156·25	—	—	3·00	40·00	281·13	—	1112·05	21
98·71	1063·09	—	—	195·00	175·00	102·73	165·07	285·22	175·00	—	3908·85	58
—	65·27	—	—	—	—	668·35	1188·50	75·00	518·85	—	3040·07	12
—	107·10	—	—	—	57·50	65·26	38·00	273·00	410·86	—	1265·63	34
—	83·39	—	—	—	107·95	—	15·00	90·00	—	—	439·53	7

APPENDIX E (*contd.*)

STATEMENT SHOWING INDUSTRY-WISE DISTRIBUTION OF NET FINANCIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

(*After adjustment of*

N.I.C. Code Number	Industry Group	Andhra Pradesh	Assam	Bihar	Gujarat	Haryana	Himachal Pradesh	Jammu & Kashmir	Karana-taka	Kerala
351 to 359	—Machinery and accessories . .	5·89	..	87·86	268·71	85·37	..	..	179·35	..
360 to 364, 367, 369	Electrical machinery, apparatus, appliances and parts : . .	82·26	..	12·00	..	166·92	..	..	217·94	257·88
	Transport equipment and parts :									
371, 372	—Locomotives, railway wagons and coaches . .	..	..	15·00	..	..	..	..	70·00	..
374	—Motor vehicles and parts . . .	..	..	25·00	..	..	..	..	187·50	..
375	—Motor cycles, auto cycles, scooters and parts . . .	44·29	..	..	..	125·66	..	..	..	..
376	—Other transport equipment .	..	..	..	..	85·85	..	..	..	..
380, 382, 385	Miscellaneous manufacturing industries .	6·34	..	..	..	..	..	..	..	..
40, 41	Electricity and gas .	..	37·50	..	65·00	..	..	..	..	..
691	Hotel industry . .	143·00	..	42·00	..	..	19·50	..	33·00	..
710	Shipping industry .	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	TOTAL .	3777·54	1101·29	2683·45	3731·43	2229·41	119·00	40·00	4031·60	1858·53
	No. of projects State-wise :	(57)	(10)	(33)	(58)	(46)	(5)	(1)	(67)	(25)

APPENDIX E (*Contd.*)

ASSISTANCE SANCTIONED FOR PROJECTS IN EACH STATE BY THE INDUSTRIAL AS ON JUNE 30, 1976

cancellations/withdrawals)

(Rs. Lakhs)

Madhya Pradesh	Maha-rashtra	Megha-laya	Naga-land	Orissa	Punjab	Rajasthan	Tamil Nadu	Uttar Pradesh	West Bengal	Union Terri-tories	Total	No. of projects
						lxvi						
40·00	763·41	—	—	—	—	—	365·75	40·00	413·06	46·44	2295·84	54
88·75	388·32	—	—	—	60·28	192·74	40·88	116·82	103·55	120·59	1848·93	45
—	—	—	—	—	—	—	—	—	30·00	—	115·00	4
53·95	576·04	—	—	—	133·72	—	30·00	101·93	20·00	—	1128·14	20
—	157·05	—	—	—	—	37·50	189·34	75·00	—	—	628·84	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	139·20	—	225·05	3
—	6·20	—	—	—	—	—	—	0·90	—	—	13·44	3
—	115·00	—	—	—	—	—	—	—	3·00	—	220·50	8
—	256·60	—	—	—	—	—	111·50	115·00	—	246·65	967·25	21
—	13·61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13·61	1
1333·59	11467·54	284·00	50·00	1375·50	1177·75	2170·94	7239·54	5798·08	4462·25	948·67	55880·11	794
(20)	(161)	(2)	(1)	(17)	(20)	(19)	(81)	(74)	(84)	(13)	(794)	

APPENDIX F

CAPACITY UTILISATION OF SELECTED INDUSTRIES IN THE COUNTRY AND OF THE REPORTING ASSISTED CONCERNS OF IFCI DURING 1974 AND 1975

Industry	For the country				Reporting assisted concerns of IFCI			
	1974		1975		1974		1975	
	No. of Units	% age utilisation of capacity	No. of Units	% age utilisation of capacity	No. of Units	% age utilisation of capacity	No. of Units	% age utilisation of capacity
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Chemicals & Chemical Products								
—Caustic Soda	30	78·5	31	72·2	2	46·5	3	47·9
—Liquid Chlorine	23	54·2	24	54·7	2	38·6	2	45·5
—Soda Ash	4	83·8	4	85·6	1	75·3	2	88·2
—Sulphuric Acid	68	62·1	70	55·2	4	60·9	1	78·6
2. Fertilisers								
(a) Nitrogenous	24	60·2	26	56·6	1	87·0	4	36·7
(b) Phosphatic	34	57·5	38	46·2	1	62·5	3	31·0
3. Cement	51	71·8	54	77·0	11	74·7	8	80·9
4. Paper & Paper Board	68	84·4	74	79·7	12	78·8	12	72·8
5. Iron & Steel and Ferro-Alloys								
—Alloy and Special Steel	NA	NA	NA	NA	1	116·7	1	100·0
—Steel Castings	46	43·6	51	39·4	4	56·0	3	60·0
—Cast Iron Castings	78	43·8	78	43·6	1	50·0	1	50·0
—Malleable Iron Castings	12	76·9	12	73·9	2	66·7	1	53·3
—Steel Ingots and Billets	NA	NA	NA	NA	7	22·0	6	40·6
—Steel Pipes and Tubes	NA	NA	NA	NA	1	29·9	2	34·9
—Cold Rolled Strips	NA	NA	NA	NA	2	27·3	2	36·4
6. Machinery								
—Agricultural Tractors	10	60·5	11	64·0	1	56·9	2	56·4
—Power Tillers	4	20·0	4	18·8	1	22·4	2	15·7
7. Rubber Products								
—Automobile Tyres	10	85·9	13	90·6	3	64·2	5	62·8
—Automobile Tubes	10	87·6	13	71·8	3	62·9	5	57·9
—Bicycle Tyres	20	80·1	20	81·8	1	72·3	1	57·2
—Bicycle Tubes	20	59·6	20	60·5	1	76·1	1	24·9
8. Electrical Machinery and Apparatus								
—Electric Motors	35	52·3	35	50·8	2	78·5	2	70·1
—Transformers	33	61·8	NA	NA	3	61·2	3	64·4
—PILC Power Cables / —PVC Power Cables	18	68·9	18	67·4	2	36·9	2	45·3
9. Automobile Industry								
—Motor Cycles / —Scooters / —Three Wheelers / —Mopeds	12	73·1	13	58·4	5	56·2	6	67·6
10. Synthetic Fibres								
—Nylon Filament Yarn	8	64·5	8	86·3		57·4	3	75·0
—Polyester Filament Yarn	4	68·5	5	103·1	4	57·4	3	98·5
—Polyester Staple Fibre	5	31·3	5	56·6	1	48·0	1	71·2
11. Sugar								
—Cooperatives	97		104		52	102·6	46	99·1
—Others	154	106·0	156	90·6@	6	77·1	7	52·3
12. Cotton Textiles								
—Yarn		188·57 (Lakh Spindles) 10070 (Yarn) 691† (Lakh Kgs.)		195·44 (Lakh Spindles) 9893 (Yarn) 698‡ (Lakh Kgs.)		11·90 (Lakh Spindles) 533 (Yarn) 39* (Lakh Kgs.)		13·03 (Lakh Spindles) 712 (Yarn) 47* (Lakh Kgs.)
—Cloth		2·07 (Lakh Looms) 43164 (Cloth) (Lakh metres)		2·08 (Lakh Looms) 40323 (Cloth) (Lakh metres)		0·07 (Lakh Looms) 1766 (Cloth) (Lakh metres)		0.06 (Lakh Looms) 1505 (Cloth (Lakh metres)

@ Based on production as on August 7, 1976 for the season 1975-76 (Provisonal).

† 288 Composite Mills.

‡ 289 Composite Mills.

* 8 Composite Mills.

Notes :1. Information in columns 2, 3, 4 and 5 is based on the Annual Reports of the Ministries of Industry and Civil Supplies, Chemicals and Fertilisers, Petroleum; Guidelines for Industries 1976-77 and the information obtained from the Office of the Textile Commissioner, Bombay; Directorate of Sugar and Vanaspati. In respect of Cotton Textiles figures pertain to actuals.

2. Information in columns 6, 7, 8 and 9 is based on replies to the Corporation's questionnaire received from its assisted concerns.

APPENDIX G

SIZE-WISE DISTRIBUTION OF NET FINANCIAL ASSISTANCE SANCTIONED BY THE INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA AS ON JUNE 30, 1976

(According to amounts sanctioned for each industrial concern)

(Rs. Lakhs)

	Cooperatives		Limited Companies					Total				
	No. of concerns	Loans	No. of concerns	Loans	Underwritings/ Direct subscriptions	Guarantees for deferred payments on machinery and for foreign loans	Total	No. of concerns	Loans	Underwritings/ Direct subscriptions	Guarantees for deferred payments on machinery and for foreign loans	Total
1. Amounts not exceeding Rs. 10 lakhs	—	—	88	278·95	232·25	—	511·20	88	278·25	232·25	—	511·20
2. Amounts exceeding Rs. 10 lakhs but not exceeding Rs. 20 lakhs	1	20·00	55	669·22	208·49	—	877·71	56	689·22	208·49	—	897·71
3. Amounts exceeding Rs. 20 lakhs but not exceeding Rs. 30 lakhs	3	75·20	52	1194·22	156·20	3·71	1354·13	55	1269·42	156·20	3·71	1429·33
4. Amounts exceeding Rs. 30 lakhs but not exceeding Rs. 40 lakhs	11	406·50	68	2014·06	393·00	25·28	2432·34	79	2420·56	393·00	25·28	2838·84
5. Amounts exceeding Rs. 40 lakhs but not exceeding Rs. 50 lakhs	9	418·00	70	2860·76	358·17	38·68	3257·61	79	3278·76	358·17	38·68	3675·61
6. Amounts exceeding Rs. 50 lakhs but not exceeding Rs. 60 lakhs	12	673·75	38	1886·28	196·39	—	2082·67	50	2560·03	196·39	—	2756·42
7. Amounts exceeding Rs. 60 lakhs but not exceeding Rs. 70 lakhs	8	519·50	33	1935·95	165·60	58·75	2160·30	41	2455·45	165·60	58·75	2679·80
8. Amounts exceeding Rs. 70 lakhs but not exceeding Rs. 80 lakhs	12	925·00	27	1714·50	301·24	24·99	2040·73	39	2639·50	301·24	24·99	2965·73
9. Amounts exceeding Rs. 80 lakhs but not exceeding Rs. 90 lakhs	33	2916·39	22	1731·28	173·34	—	1904·62	55	4647·67	173·34	—	4821·01
10. Amounts exceeding Rs. 90 lakhs but not exceeding Rs. 1 crore	11	1088·00	16	1339·72	134·35	79·65	1553·72	27	2427·72	134·35	79·65	2641·72
11. Amounts exceeding Rs. 1 crore	37	5776·81	110	17342·22	2504·86	5038·85	24885·93	147	23119·03	2504·86	5038·85	30662·74
TOTAL :	137	12819·15	579	32967·16	4823·89	5269·91	43060·96	716	45786·31	4823·89	5269·91	55880·11

APPENDIX H

TERMS OF CONCESSIONAL FINANCE

(As on June 30, 1976)

With a view to providing greater inducement to entrepreneurs to spread out in relatively under-developed areas in the country, the Industrial Finance Corporation of India (IFCI) in supersession of its earlier announcements made in July 1970 and January 1972, has decided to liberalise and enlarge the scope of the scheme of financial assistance on concessional terms to industrial projects in such areas. The scheme would now cover all industrial projects—new, expansion or rehabilita tion in the corporate as well as cooperative sectors, irrespective of their capital cost. The principal features of the revise scheme of concessional finance for units in identified less developed districts/areas would be as under :

1. Location :

All industrial projects located/to be located in the districts in the various states or Union Territories selected for such assistance by the Central Government from time to time would be eligible for assistance on concessional terms.

2. Scope of the Scheme :

Concessional finance would be extended to all industrial projects—new and expansion—both in the corporate (limited companies) as well as cooperative sectors. Concessional terms would also be made applicable to assistance granted by the Corporation by way of rehabilitation finance to units located in notifiedless developed districts/areas on the same basis as applicable to new and expansion projects.

3. Ceiling on Assitance :

The overall ceiling in respect of loans/deferred payment guarantees extended on concessional terms from the corporation individually, unless other institutions also participate and extend concessional finance upto Rs. 2·00 crores on a prorata basis, has been fixed at Rs. 1·00 crore. The sum of Rs. 1·00 crore would, however, include outstanding rupee assistance if any, already granted on concessional terms. Underwriting assistance from the term financing institutions including the Corporation would be made available at concessional terms upto a ceiling of Rs. 1·00 crore in the aggregate, irrespective of the cost of the project.

4. Terms :

(*i*) *Rate of interest*

As against the normal current rate of interest on rupee and foreign currency loans at 12% (with a rebate of 1% for punctual payments of instalments of interest and principal) lower rate of interest viz., 10·5% and 11% on rupee and foreign currency loans respectively (with a rebate of 1%) would be charged under the scheme.

(*ii*) *Period of repayment of loans*

The Corporation's normal practice is to allow initial moratorium upto 3 years to an assisted concern before the first repayment of the principal amount of the loan commences. In the case of undertakings in the less developed districts/areas, this period would be extended upto five years from the date of first disbursement of the loan, on a casee to case basis, having regard to the projections of profitability and ways and means position of a concern. Likewise, against the normal period allowed for repayment of loans, the period in the case of projects coming up in less developed districts/areas my be extended on the merits of each case having regard to the concern's profitability potential and cash flow position.

(*iii*) *Promoters' contribution and equity-debt ratio*

A lower contribution than usual by promoters to the total project cost and somewhat liberal equity-debt ratio would be considered on the merits of each case having regard to the financial status and standing of the promoters, gestation period of a particular project, its profitability potential and other relevant factors.

(*iv*) *Participation in equity and preference capital,*

Depending on the merits of each case, the Corporation would be prepared to consider participation by way of underwriting or otherwise in the share capital of an indu strial concern located in less developed districts/areas to a greater extent as compared to projects located elsewhere.

(*v*) *Reduction in other charges*

In the case of Rupee Loans, 50% reduction would be made in the Corporation's normal charges in respect commitment charge, non-refundable examination fee for processing of applications and legal charges as also 25% reduction in net effective rate of commission on deferred payment guarantees. Fifty percent reduction would also be made in the Corporation's normal charges in respect of underwriting commission.

APPENDIX I

CONSOLIDATED LIST OF DISTRICTS/AREAS NOTIFIED BY THE CENTRAL GOVERNMENT AS QUALIFYING FOR CONCESSIONAL FINANCE FROM PUBLIC FINANCIAL INSTITUTIONS

(As on May 24, 1976)

States	*Selected Districts*
(1)	(2)
1. Andhra Pradesh	Anantapur, Chittoor, Cuddapah, Karimnagar, Khammam, Kurnool, Mahbubnagar, Medak, Nalgonda, Nellore, Nizamabad, Prakasam, Srikakulam,* and Warangal.
2. Assam	Cachar, Goalpara*, Kamrupp*, Mikir Hills*, North Cachar Hills, Nowgong* and new Lakhimpur district.*
3. Bihar	Aurangabad, Begusarai, Bhagalpur*, Bhojpur, Champaran*, Darbhanga*, Gaya, Monghyr, Muzaffarpur, Nalanda, Nawadah, Palamau*, Purnea, Saharsa*, Santhal Parganas*, and Saran.
4. Gujarat	Amreli, Banaskantha, Bhavnagar, Broach*, Junagadh, Kutch, Mehsana, Panchmahal,* Sabarkantha and Surendernagar*.
5. Haryana	Bhiwani, Hissar, Jind and Mohindergarh.
6. Himachal Pradesh	Chamba*, Kangra*, Kinnaur, Kulu*, Lahaul & Spiti, Sirmur* and Solan*.
7. Jammu & Kashmir	Anantnag*, Baramula*, Doda*, Jammu*, Kathua, Ladakh, Poonch*, Rajouri, Srinagar* and Udhampur.
8. Karnataka	Belgaum, Bidar, Bijapur, Dharwar*, Gulbarga, Hasan, Mysore*, North Kanara, Raichur*, South Kanara and Tumkur.
9. Kerala	Alleppey*, Cannanore*, Malapuram*, Trichur and Trivandrum.
10. Madhya Pradesh	Balaghat, Bastar, Betul, Bilaspur, Bhind, Chhatarpur, Chindwara, Damoh, Datia, Dhar, Dewas, Guna Hoshangabad, Jhabua, Khargone, Mandla, Mandsaur, Morena, Narsimhapur, Panna, Raigarh, Raipur, Raisen, Rajgarh, Rajnandgaon, Ratlam, Rewa, Sagar, Seoni, Shajapur, Shivpuri, Sidhi, Surguja, Tikamgarh, Vidisha and Schore.
11. Maharashtra	Aurangabad*, Bhandara, Bhir, Buldhana, Chandrapur*, Colaba, Dhulia, Jalgaon, Nande, Osmanabad, Parbhani, Ratnagiri* and Yeotmal.
12. Manipur	All the 5 districts*.
13. Meghalaya	Garo Hills* and United Khasi & Jaintia Hills*
14. Nagaland	Kohima*, Mokokchung* and Tcunsang*.
15. Orissa	Balasore, Bolangira, Dhenkanal*, Kalahandi*, Keonijhar*, Koraput*, Mayurbhanja and Phulbani.
16. Punjab	Bhatinda*, Ferozepur, Gurdaspur Hoshiarpur* and Sangrur.
17. Rajasthan	Alwar*, Banswara, Barmer, Bhilwara*, Churu*, Dungarpur, Jaisalmer, Jalore, Jhunjhunu, Jhalawar, Jodhpur,* Nagaur*, Sikar, Sirohi, Tonk and Udaipur*.
18. Sikkim	All the 4 districts of Gangtok*, Gyalshing*, Mangan* and Namchi*.
19. Tamil Nadu	Dharmapuri, Kanyakumari, Madurai, North Arcot, Pudukkottai, Ramanathapuram, South Arcot, Thanjavur and Tiruchirapalli.
20. Tripura	All the districts*.
21. Uttar Pradesh	Almora*, Azamgarh, Badaun, Bahraich, Ballia*, Banda, Barabanki, Basti*, Bulandshahr, Chamoli, Deoria, Etah, Etawah, Faizabad*, Farukhabad, Fatehpur, Garhwal, Ghazipur, Gonda, Hamirpur, Hardoi, Jalaun, Jaunpur, Jhansi*, Lalitpur, Mainpuri, Mathura, Moradabad, Pilibhit, Pithoraghat, Pratapgarh, Rae Bareli*, Rampur, Shahjahanpur, Sitapur, Sultanpur, Tehri Garhwal, Unnao and Uttar PraKashi.
22. West Bengal	Bnakura, Birbhum, Burdwan, Cooch-Behar, Dareeling, Hooghly, Jalpaiguri, Malda, Midnapur*, Murshidabad, Nadia*, Purulia*, and West Dinajpur.
Union Territories :	
1. Andaman & Nicobar Islands*	Entire area
2. Arunachal Pradesh*	Entire area
3. Dadra & Nagar Haveli*	Entire area
4. Goa, Daman & Diu*	Entire area
5. Lakshadweep*	Entire area
6. Mizoram*	Entire area
7. Pondicherry*	Entire area

*These district/areas are eligible for the Central scheme of investment subsidy.

Notes

(i) **Andhra Pradesh**

Srikakulam district and 5 areas :

Two 'Areas' from Rayalseema region comprising 22 blocks viz. Chittoor @, Bangarupalem@, Pulicherla@, Pattur@, Chandragiri and Kalahasthi@ (from Chittoor district) and Kodur, Rajampet, Sidhout, Cuddapah, Kamalapuram, Proddatur and Pulic vendla (from Cuddapah district): and Dhone@, Kurnool@, Banganapalli, Nandyal and giddalur (from Kurnool District); three 'Areas' from Telangana region comprising 43 blocks viz. Mahabubnagar@ Jadcherla@, Shadnagar@, Kalwakurthy and Amngal (from Mahabubnagar district) and Nalgonda, Mundadi,Nakrakal, Suryapet, Kodad@, Kuzurnagar, Mirgalaguda, Peddavora@ and Devarakonda@ from Nalgonda district); hammam, Thirumalaipalem@, Kallur, Yellandu, Kothagudam, Aswaraopeta, Burgampad and Bhadrachalam from Khammam district) and Mahbubabad@, Narsmpet@, Hanamkonda@, Ghnapur, Jangaon and Mulug (from Warangal district); Zaheerabad, Patancheruvu, Narsapur, Medakaod Siddipet (from Medala district); Yedapalli, Nizamabad, Kamareddy and Damokonda (from Nizamabad district) and Sircilla, Karimnagar@,Sultanabad@, Peddapalli@ Manthani and Huzurabad (from Karimnagar district) are eligible for the Central scheme of investment subsidy.

(ii) **Haryana**

Reorganised Mohindergarh district, Bhiwani district and one 'Area' comprising 8 Blocks viz., Hissar Block No. I and Barwala Block (of Hissar Tehsil), Hansi Block No. 1 (from Hansi Tehsil), Bahuna Block (from Fatehbad Tehsil), Tohana Block/Tehsil (from Tohana Tehsil)—from the district of Hissar,—Jind Block and Julana Block (from Jind Tehsil), Uchana Block (Narwana Tehsil)—from the district of Jind—are eligible for the Central scheme of investment subsidy.

(iii) **Madhya Pradesh**

The 'Area' from Eastern Region comprising 12 blocks viz., Korba, Baloda, Champa, Kota, Masturi and Bilha (Bilaspur) blocks (from Bilaspur district); Bhatapara, Simga, Tilda, Dharsiwa (Raipur), Abhanpur and Rajim blocks (from Raipur district); the 'Area' from Northern Region comprising 9 blocks viz., Shivpuri & Karera (from Shivpuri district); Datia & Seondha (from Datia district); Bhind, Nehgaon and Gohad (from Bhind district) and Morena and Jaura (from Morena district); the 'Area' from Western Region comprising 10 blocks viz., Dewas and Tonk Khurad blocks (from Dewas district); Gulana, Shujalpur and Shajapur bocks (from Shajapur district); Panchor (Sarangpur) and Biaora blocks (from Rajgarh district) and Chachaura, Raghogarh and Gunna Blocks (from Guna district); the 'Area' from Western Region (II) comprising 12 blocks viz. Potlawad and Meghnagar (from Jhabua district), Badnawar, Dhar and Nalcha (from Dhar District), Mahesh and Barwaha (frpm Khargone district), Ratlam and Jaur (from Ratlam district), Mandsaur, Malhargarh and Neemuch (from Mandsaur district); the 'Area' from Central Region comprising II blocks viz., Bina-Itawa, Khuri Banda (Binalka), Rahatgarh, Sagar, Shahgarh (Amarmau) (from Sagar district, Tikamgarh and Baldcogarh) from Tikamgarh district), Vidisha and Gyaraspur (from Vidisha district) and Chhatarpur (from Chatarpur district); the 'Area' from North Eastern Region comprising 11 blocks viz., Rewa and Raipur (Garh) (from Rewa district), Majhaul, Sidhi, Deosar and Waidhan (from Sidhi district Sonbat, Baikunthpur, Mahendargarh, Surajpur and Ambikapur (from Surguja district) are eligible for the Central scheme of investment susidy.

(iv) **Tamil Nadu**

One 'Area' comprising 11 Taluks (including Sub-taluks) viz., Ramanathapuram, Mudukulathur, Sivaganga, Parmakudi, Thiruvadani and Thirupathur Tluks (from Ramanathapuram district), Melur Taluk (from Madurai district), Pudukkottai, Thirumayam, Alangudi and Kulathur Taluks (from Pudukkottai district two tracts, one comprising Taluks of Dharmapuri Hosur, Krishnagirl, Uthangarai, Harur (from Dharmapuri district), Tirupattur Vaniyambadi, Vellore, Walajapet (from North Arcot district) and the other tract comprising Taluks of Aruppukottai, Sattur, Sriviliputtur (from West Ramanathapuram of Ramanathapuram district), Tirumangalam, Usilampatti, Nilakottai, Dindigul and Vedasandur (from Jadurai district) are eligible for for the Central scheme of investment subdsidy.

In respect of Union Territories Nos. 4 and 7 the entire district excluding the area within the Municipal limits of their capitals is eligible for the Central scheme of investment subsidy.

@Represents Taluk/Blocks/Tehsils/Sub-division.

APPENDIX J

LIST OF PROGRAMMES OF THE MANAGEMENT DEVELOPMENT INSTITUTE—1976

1. The Scope and Application of Operations Research in India.
2. Fundamentals of Managerial Finance.
3. Course on Term Lending—In-Company Programme for the Punjab National Bank.
4. Identification, Promotion and Implementation of Industrial Projects (Uttar Pradesh)
5. Managing the Managers ; Management of Supervisory and Managerial Personnel.
6. Managing the Light Engineering Industry during Recession and Recovery.
7. Industrial Financing—In Company Programme for the United Commercial Bank.
8. Costing and Cost Control in Cotton Spinning Mills.
9. Management of the Mining Industry.
10. Backward Area Development : Strategies and Policies.
11. Advanced Management Programme : Challenges and Management of Change.
12. Management Planning and Control Systems—In-Company Programme for IFCI.
13. Strategic Aspects of Corporate Tax Planning.
14. Identification, Promotion and Implementation of Industrial Projects (West Bengal).
15. Management of the Sugar Industry and Sugarcane Development.
16. Discounted Cash Flow Techniques and Cost-Benefit Analysis of Industrial Projects.
17. Cost Accounting and Financial Management for the Sugar Industry.
18. Role of Company Secretaries : Functions and Responsibilities.
19. Fundamentals of Managerial Finance.
20. Participative Management for Increasing Productivity.
21. General Course on Development Banking.
22. Communicating for Results—In Company Programme for IFCI.
23. Management of Working Capital.
24. Cost Control in Sugar Industry.
25. Key-Areas in Materials Management.
26. Key-Areas in General Management for Accelerated Career Development.
27. Export Financing.
28. Training nand Manpower Development for Development and Commercial Banks.
29. Manpower Productivity and Motivators.
30. Key-Areas in Financial Management
31. Management of the Hotel Industry.
32. Management of Joint Sector Projects.
33. Essential of Marketting and Sales.
34. Legal Aspects of Development Banking.
35. Fundamental s of Managerial Finance.

Note ; Programmes mentioned from Serial Nos. 27 to 35 would be held in the last quarter of 1976.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976